भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का राजस्थान में महिलाओं के विरुद्ध अपराध की रोकथाम, संरक्षण एवं निवारण पर निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

राजस्थान सरकार

वर्ष 2022 का प्रतिवेदन संख्या 4

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक का

राजस्थान में महिलाओं के विरुद्ध अपराध की रोकथाम, संरक्षण एवं निवारण पर निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

राजस्थान सरकार

वर्ष 2022 का प्रतिवेदन संख्या 4

https://cag.gov.in

विषय-सूची

अनुच्छेद	विषय	पृष्ठ
	प्राक्कथन	iii
	कार्यकारी सारांश	v
अध्याय 1- प्रस्तावना		
1.1	परिचय	1
1.2	नीतियों और अधिनियमों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार संस्थान	2
1.3	लेखापरीक्षा उद्देश्य	4
1.4	लेखापरीक्षा मानदंड	5
1.5	लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा पद्धति	5
1.6	आभार	7
अध्याय 2- राजस्थान में महिलाओं के विरुद्ध अपराध की सांख्यिकीय प्रवृत्ति		
2.1	राजस्थान में महिलाओं के विरुद्ध अपराध की सांख्यिकीय प्रवृत्ति	9
2.2	राजस्थान में महिलाओं के विरुद्ध दर्ज अपराध की उच्च दर	13
2.3	भारतीय दंड संहिता के अन्तर्गत महिलाओं के विरूद्ध अपराधों की स्थिति	15
2.4	स्थानीय एवं विशेष अधिनियमों के अन्तर्गत पंजीकरण	18
अध्याय 3- राज्य सरकार द्वारा महिलाओं के विरुद्ध अपराध की रोकथाम, संरक्षण एवं निवारण की दिशा में किये गये प्रयास		
3.1	योजना	21
3.2	प्रवर्तन	31

अनुच्छेद	विषय	पृष्ठ
3.3	पुनर्वास	62
3.4	प्रशिक्षण और जन जागरुकता के माध्यम से लैंगिक संवेदनशीलता	89
3.5	मानव संसाधन एवं आधारभूत संरचना	111
अध्याय 4- आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली		
4.1	आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली	125
परिशिष्टों की सूची		
परिशिष्ट-I	नमूना जाँच किये गये पुलिस थानों में महिला एवं बाल डेस्क की कार्यपद्धति में कमियों को दर्शाने वाला विवरण	139
परिशिष्ट-II	नमूना जाँच किये गये पुलिस जिलों और पुलिस थानों में सामुदायिक संपर्क समूह में पायी गई कमियों को दर्शाने वाला विवरण	141

प्राक्कथन

यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत राजस्थान के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में 2012-20 की अवधि के लिए **"राजस्थान में महिलाओं के विरुद्ध अपराध की रोकथाम, संरक्षण एवं निवारण"** पर निष्पादन लेखापरीक्षा के परिणाम शामिल हैं। यह निष्पादन लेखापरीक्षा राजस्थान में महिलाओं के विरुद्ध किये जा रहे अपराधों की स्थिति का आकलन करती है और प्रचलित मुद्दों के निराकरण करने के लिए राज्य सरकार की विभिन्न एजेंसियों द्वारा उठाए गए कदमों की जांच करती है।

यह निष्पादन लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किए गए लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप की गई है।

कार्यकारी सारांश

इस लेखापरीक्षा को करने का उद्देश्य

भारतीय संविधान की प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य एवं नीति निर्देशक सिद्धांत न केवल महिलाओं को समानता प्रदान करते हैं, बल्कि राज्य को उनके द्वारा सामना किए जाने वाले सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक नुकसान को कम करने के लिए महिलाओं के पक्ष में सकारात्मक भेदभाव के उपायों को अपनाने के लिए अधिकार भी देते हैं।

राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान 2010-2016 के दौरान महिलाओं के विरूद्ध पंजीकृत अपराधों की उच्चतम संख्या के मामलों में देश के शीर्ष चार राज्यों में से एक था, 2017-2018 के दौरान पांचवें और 2019 के दौरान दूसरे स्थान पर था।

राजस्थान में महिलाओं के विरूद्ध पंजीकृत अपराध की घटनाएं 2010 में 18,344 से बढ़कर 2019 में 41,623 हो गई, अर्थात् 2010-19 के दौरान 10.86 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर पर 126.90 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। इस अवधि में राजस्थान में महिलाओं के विरूद्ध अपराध दर अखिल भारतीय औसत और पड़ोसी राज्यों की तुलना में लगातार अधिक थी।

विभिन्न अधिनियमों, स्थानीय एवं विशेष अधिनियमों आदि के तहत निर्धारित निवारण तंत्र की कुशलता तथा किए गए या किए जाने वाले उपायों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए "राजस्थान में महिलाओं के विरूद्ध अपराध की रोकथाम, संरक्षण एवं निवारण" विषय पर निष्पादन लेखापरीक्षा की गई। लेखापरीक्षा में पांच विभागों- महिला अधिकारिता निदेशालय (मअनि), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (सान्याअवि), बाल अधिकारिता विभाग (बाअवि), गृह विभाग तथा विधिक सेवा प्राधिकरणों और दो आयोगों राजस्थान राज्य महिला आयोग (राराम‌आ) एवं राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग (राराबाअसंआ) को शामिल किया गया।

निष्पादन लेखापरीक्षा में इन प्राधिकरणों द्वारा नौ स्थानीय एवं विशेष अधिनियमों के कार्यान्वयन को सम्मिलित किया गया है। यथाः

- घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005;
- महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013;
- बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006;
- राजस्थान डायन-प्रताडना निवारण अधिनियम, 2015;
- दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961;
- लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012;

- अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956;
- स्त्री अशिष्ट रूपण(प्रतिषेध) अधिनियम, 1986 तथा
- सती (निवारण) अधिनियम, 1987

निष्पादन लेखापरीक्षा में मूलरुप से अप्रैल 2012 से मार्च 2017 तक की पांच वर्षों की अवधि को शामिल किया गया। लेखापरीक्षा निष्कर्षो पर अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह; शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास; सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण; निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग और निदेशक, बाल अधिकारिता के साथ 15 फरवरी 2019 को आयोजित समापन परिचर्चा में विचार-विमर्श किया गया। चूंकि राज्य सरकार द्वारा उत्तर में अवगत कराए गये कई मुद्दों पर कार्य प्रगति पर था, लेखापरीक्षा ने मार्च 2020 तक संबंधित विभागों द्वारा की गई प्रतिबद्धताओं के अनुरुप प्रगति को सत्यापित करने का फैसला किया। यद्यपि, कोविड-19 महामारी से उत्पन्न बाधाओं के कारण लेखापरीक्षा (अगस्त से सितंबर 2020) को जयपुर और टोंक जिलों में स्थित इकाईयों तक सीमित रखा गया। बाद में, वैश्विक महामारी की स्थिति के संबंध में सुधार और संबंधित प्रतिबंधों में ढील के पश्चात् शेष छः प्रशासनिक जिलों (उदयपुर, प्रतापगढ़, पाली, बारां, भरतपुर और कोटा) तथा सात पुलिस जिलों यथा उदयपुर, प्रतापगढ़, पाली, बारां, भरतपुर, कोटा ग्रामीण और कोटा शहर की लेखापरीक्षा (अगस्त-अक्टूबर 2021) की गई। लेखापरीक्षा संवीक्षा में पाया गया कि समग्र स्थिति में मामूली सुधार हुआ था तथा इन जिलों का प्रदर्शन अभी भी बहुत खराब था, जो चिंताजनक है।

संक्षिप्त में निष्कर्ष

महिला अधिकारिता निदेशालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग तथा बाल अधिकारिता विभाग अपराधों की रोकथाम एवं घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण, कार्यस्थलों पर लैंगिक उत्पीड़न, बाल विवाह, डायन-प्रताड़ना, दहेज प्रथा की रोकथाम एवं संरक्षण और बालिकाओं का यौन अपराधों से संरक्षण के लिए जिम्मेदार थे। इन विभागों को जनता के बीच जागरूकता सृजन करने तथा कार्यबल को प्रशिक्षित करने और संवेदनशील बनाने की आवश्यकता थी। हालांकि, महिलाओं के संरक्षण और विकास के लिए राज्य स्तर की एकीकृत कार्य योजना का अभाव, कार्यान्वित करने वाले प्रमुख कार्मिकों की जमीनी स्तर पर कमी, संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान न होना, पुनर्वास गृहों में बुनियादी सुविधाओं का अभाव और सुरक्षा कमियों ने विभिन्न नियम/अधिनियम/नीतियों के प्रभावी प्रवर्तन में बाधा उत्पन्न की।

पुलिस विभाग महिलाओं से संबंधित अपराधों को पंजीकृत करने और समय पर जांच के लिए जिम्मेदार था। हालांकि, पुलिस थानों के माध्यम से सीधे दर्ज कराने के स्थान पर वैकल्पिक माध्यम जैसे अदालत के हस्तक्षेप से दर्ज मामलों की अधिक संख्या, बलात्कार जैसे संवेदनशील अपराधों से संबंधित नमूनों को एकत्र करने, अग्रेषित करने और जांच करने में शिथिलता, महिलाओं से संबंधित अपराधों के क्षेत्र में पुलिस विभाग के अपर्याप्त कार्यप्रणाली की ओर इंगित करती है। इसके अलावा, विधिक सेवा प्राधिकरण विधिक जागरूकता पैदा करने, विधिक सहायता प्रदान करने और पीड़ितों को समय पर प्रतिकर वितरण को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार थे। हालांकि, प्रमुख कार्मिकों की कमी, अद्यतन प्रशिक्षण सामग्री की कमी और निर्णय लेने में देरी के कारण पीड़ितों को प्रभावी विधिक सहायता और उचित प्रतिकर से वंचित रहना पड़ा।

निष्पादन लेखापरीक्षा के मुख्य निष्कर्ष

मुख्य लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ जो कि लेखापरीक्षा निष्कर्षों और अनुशंसाओं का आधार बनी, निम्न प्रकार हैंः-

राजस्थान में महिलाओं के विरुद्ध अपराध की सांख्यिकीय प्रवृत्ति

- 2010-19 के दौरान महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में 10.86 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर के साथ 126.90 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी तथा 2010-19 की अवधि में महिलाओं के विरूद्ध अपराध दर अखिल भारतीय औसत और पड़ोसी राज्यों की तुलना में लगातार अधिक थी।

(अनुच्छेद 1.1, 2.1 एवं 2.2)

- राज्य में 2010-19 की अवधि के दौरान महिलाओं से संबंधित विभिन्न स्थानीय एवं विशेष अधिनियमों के अन्तर्गत 3,566 अपराध के मामले दर्ज किए गए जबकि महिलाओं के विरूद्ध अपराध के 2,68,172 मामले भादसं की विभिन्न धाराओ के अन्तर्गत दर्ज किए गए।

(अनुच्छेद 2.4)

योजना

- 2012-20 के दौरान भी, न तो महिलाओं के विकास एवं संरक्षण के लिए योजनाएं संबंधित विभागों से प्राप्त हुई थी, ना ही इस तरह की योजनाओं को प्राप्त करने तथा एकीकृत करने के लिए महिला अधिकारिता निदेशालय द्वारा कोई प्रयास किए गए। 2013 से विचाराधीन होने के बावजूद, राज्य सरकार ने (राजस्थान राज्य महिला नीति 1996 तथा राजस्थान राज्य बालिका नीति 2013 को प्रतिस्थापित कर) अप्रैल 2021 में नई 'राजस्थान राज्य महिला नीति 2021' को अंतिम रूप दिया और लागू किया।

(अनुच्छेद 3.1.1 एवं 3.1.4)

- महिला अधिकारिता निदेशालय द्वारा 2017-20 के दौरान बालिकाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए समेकित कार्य योजना तैयार नहीं की गई थी, हालांकि इन प्रत्येक वर्षों में संबंधित विभागों से उनके द्वारा तैयार कार्य योजनाओं को प्रेषित करने का अनुरोध किया था।

(अनुच्छेद 3.1.2)

अनुशंसाएँ

1. राज्य सरकार को 'राजस्थान राज्य महिला नीति 2021' के अनुसार समस्त संबंधित हितधारकों से प्राप्त आदानों के आधार पर महिलाओं एवं बालिकाओं के विरूद्ध अत्याचारों और हिंसा को रोकने के लिए एक समेकित कार्य योजना तैयार करनी चाहिए।

2. महिला अधिकारिता विभाग को हितधारक विभागों के साथ समन्वय और नियमित बातचीत सुनिश्चित करनी चाहिए ताकि 'राजस्थान राज्य महिला नीति 2021' के उद्देश्यों को सार्थक और प्रभावी रूप से प्राप्त किया जा सके।

प्रवर्तन

- घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत घरेलू घटना प्रतिवेदन दाखिल करने के लिये, पर्याप्त संख्या में संरक्षण अधिकारियों की आवश्यकता की कमी का सामना करना पड़ा क्योंकि संरक्षण अधिकारियों के कर्तव्यों/कार्यो को अतिरिक्त रूप से महिला अधिकारिता निदेशालय के जिला कार्यक्रम अधिकारियों/प्रचेताओं को सौंपा गया था, जो विभाग में पहले से ही कम थे।

(अनुच्छेद 3.2.1)

- महिला अधिकारिता निदेशालय ने राज्य में उन सभी कार्यालयों/कार्यस्थलों जहाँ दस या अधिक कर्मचारी काम कर रहे थे, वहां आन्तरिक समिति का गठन सुनिश्चित नहीं किया था।

(अनुच्छेद 3.2.2)

- राज्य में 2010-19 के दौरान दहेज हत्या के 4,553 मामले (भादसं की धारा 304 बी) और दहेज की मांग सहित घरेलू हिंसा के 1,38,195 मामले दर्ज किए गए थे, लेकिन किसी भी पीड़ित व्यक्ति या रिश्तेदार ने मुख्य दहेज प्रतिषेध अधिकारी से शिकायतें दर्ज करने के लिए संपर्क नहीं किया। यह इस तथ्य की ओर इशारा करता है कि अधिनियम में निर्दिष्ट तंत्र या तो अनुपस्थित था या क्रियाशील नहीं था।

(अनुच्छेद 3.2.5)

- 2012-20 की अवधि में नमूना जांच किए गए 47 पुलिस थानों में महिलाओं के विरूद्ध अपराध से संबंधित 25,849 मामलों में से दहेज, बलात्कार, पोक्सो और घरेलू हिंसा आदि से संबंधित 5,081 मामलों (19.66 प्रतिशत) में जांच, मामला दर्ज होने के बाद 60 से 1,855 दिनों तक की देरी से पूर्ण हुई और इन मामलों में सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन भी प्राप्त नहीं किया गया था।

(अनुच्छेद 3.2.8)

- 2012-20 के दौरान बलात्कार और पोक्सो के 14.90 प्रतिशत (नमूना जांच के 1007 में से 150 मामले) मामलों में, यद्यपि नमूने (कपड़े, वीर्य, स्वैब, रक्त आदि) एकत्र किए गए और मालखाना (जब्त वस्तुओं का भंडार) में जमा किए गए थे, उन्हे फोरेंसिक जांच के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला नहीं भेजा गया। इसके अलावा, 2012-20 के दौरान 763 मामलों (75.77 प्रतिशत) में नमूनों को 3 साल तक की देरी से विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया था।

(अनुच्छेद 3.2.11.1)

- नमूने एकत्र करने में ढिलाई, परीक्षण के लिए नमूने अग्रेषित करने में विफलता या विलम्ब, परीक्षण रिपोर्ट संग्रह में विलम्ब, बलात्कार और पोक्सो से संबंधित मामलों में जांच की गुणवत्ता पुलिस की असंवेदनशीलता और घोर लापरवाही की ओर इशारा करते हैं । ऐसी स्थिति में ऐसे जघन्य अपराधों की जांच और दोषसिद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है ।

(अनुच्छेद 3.2.11.1)

अनुशंसाएँ

3. राज्य सरकार को 'महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम' के प्रभावी प्रवर्तन के लिए समस्त सार्वजनिक और निजी संस्थानों में आंतरिक समितियों का गठन सुनिश्चित करना चाहिए ।

4. राज्य सरकार यह सुनिश्चित कर सकती है कि कानून द्वारा निर्धारित समय सीमा के अनुसार महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के दर्ज मामलों की जाँच की जाए और आरोप पत्र दायर किए जाएं ।

5. राज्य सरकार को महिलाओं के विरूद्ध अपराध के मामलों को संवेदनशीलता के साथ निपटाने हेतु पुलिस कार्मिकों को प्रशिक्षित करना चाहिए ताकि पुलिस पर व्यापक रूप से जनता एवं विशेषकर महिलाओं का विश्वास बेहतर हो सके ।

6. राज्य सरकार को उन मामलों का ब्यौरा एकत्र करना चाहिए जहाँ फोरेंसिक जाँच के नमूनों के संग्रहण और अग्रेषण में लापरवाही और देरी हुई है तथा दोषी अधिकारियों के विरूद्ध जिम्मेदारी तय करनी चाहिये ।

7. विशेष रूप से बलात्कार/पॉक्सो से संबंधित मामलों की जांच की दक्षता और प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए, राज्य सरकार को एमएफयू, डीएनए परीक्षण और ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग सहित जांच तंत्र का पर्याप्त उपयोग करने के लिए जांच अधिकारियों को प्रोत्साहित करना चाहिये।

पुनर्वास

- गैर-सरकारी संगठनों द्वारा संचालित स्वाधार गृह, जो कठिन परिस्थितियों में महिलाओं को संबल प्रदान करने के लिए स्थापित किए गए थे, के द्वारा आवासनियों के प्रवेश की प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया तथा प्रवेश की सूचना पुलिस को नहीं दी गई । इसके अलावा, आवासनियों को व्यावसायिक/कौशल उन्नयन प्रशिक्षण प्रदान नहीं करवाया गया ।

(अनुच्छेद 3.3.2.1)

- मार्च 2017 तक राज्य में कार्यरत सात स्वाधार गृहों में से मार्च 2020 तक केवल चार क्रियाशील रहे जबकि शेष तीन बंद कर दिए गए । स्वाधार गृहों में जो क्रियाशील थे, उनमें आवासनियों को व्यावसायिक /कौशल उन्नयन प्रशिक्षण प्रदान नहीं किया गया ।

(अनुच्छेद 3.3.2.4)

- इस योजना के तहत मार्च 2016 तक राज्य में स्थापित एवं कार्यरत आठ संरक्षात्मक और पुनर्वास (पी एंड आर) गृहों में से केवल एक पी एंड आर गृह डूंगरपुर में मार्च 2020 को क्रियाशील था।

(अनुच्छेद 3.3.3.2)

- राज्य में 861 पुलिस थानों में से केवल 52 पुलिस थानों (6.04 प्रतिशत) पर ही मार्च 2020 तक पैरा लीगल वालंटियर्स (पीएलवी) को पदस्थापित किया गया था। इसके अलावा, नमूना जांच किये गये आठ जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के अंतर्गत 246 पुलिस थानों पर मार्च 2020 तक पीएलवी उपलब्ध नहीं थे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पाली में सभी आवश्यक 27 पीएलवी पदस्थापित थे।

{अनुच्छेद 3.3.5.2 (ब)}

अनुशंसा

8. समस्त शहरी स्थानीय निकायों, पुलिस थानों, जेलों और ग्राम पंचायत मुख्यालयों में कानूनी विधिक सहायता केन्द्र स्थापित किए जाने चाहिए और महिलाओं के विरूद्ध अपराध के पीड़ितों की सहायता सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक पुलिस थाने में पैरा लीगल वालंटियर्स पदस्थापित किए जाने चाहिए।

जन जागरूकता सृजन

- पीड़ित महिलाओं से प्राप्त शिकायतों के निस्तारण के लिए राजस्थान राज्य महिला आयोग द्वारा 2013-20 के दौरान तीन जिलों (जालोर, सवाईमाधोपुर और सिरोही), 2014-20 के दौरान 8 जिलों, 2015-20 के दौरान एक जिला (चूरू) और 2017-20 के दौरान 11 जिलों में कोई सार्वजनिक सुनवाई आयोजित नहीं की गई थी।

(अनुच्छेद 3.4.5)

- लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के बारे में सरकारी अधिकारियों को जागरुक करने और संवेदनशील बनाने में बाल आधिकारिता विभाग के प्रयासों में कमी थी।

(अनुच्छेद 3.4.8)

- नमूना जांच किये गये 11 पुलिस जिलों में 2017-20 के दौरान 35.91 लाख में से केवल 0.90 लाख छात्रों ने अपने छात्र को जाने-अपनी पुलिस को जाने कार्यक्रम में भाग लिया था।

{अनुच्छेद 3.4.9 (बी)}

अनुशंसा

9. राज्य सरकार को महिलाओं की सुरक्षा के लिए सांविधिक उपायों के बारे में लक्षित समूहों के बीच जागरूकता उत्पन्न करने और बढ़ाने में नागरिक समाज समूहों और गैर-सरकारी संगठनों के साथ मिलकर कदम उठाने चाहिए। जिम्मेदार अधिकारियों को बड़े पैमाने पर समाज में जागरूकता पैदा करने के लिए सोशल मीडिया विकल्पों का उपयोग करने की योजना बनानी चाहिए। पुलिस अधिकारियों को वार्षिक आधार पर 'अपने छात्र को जाने-अपनी पुलिस को जाने' कार्यक्रम आयोजित करना चाहिए।

मानव संसाधन प्रबंधन

- सरकार द्वारा महिला अधिकारिता निदेशालय में प्राथमिकता के आधार पर रिक्त पदों को भरने के लिए दिए गए आश्वासन के बाद भी, नमूना जांच किये गए उप निदेशक/सहायक निदेशक के कार्यालय लगातार अत्यधिक कमी का सामना कर रहे थे, जो विभिन्न संवर्गों में 58.33 से 85.71 प्रतिशत तक थी। यह कमी मार्च 2020 को बारां (85.71 प्रतिशत), प्रतापगढ़ (83.33 प्रतिशत), उदयपुर (70.83 प्रतिशत), भरतपुर (70.59 प्रतिशत) और जयपुर (68.18 प्रतिशत) जिलों में बहुत अधिक थी।

(अनुच्छेद 3.5.1)

- राज्य के पुलिस विभाग में जनवरी 2020 तक कुल स्वीकृत पदों के विरूद्ध 13.61 प्रतिशत मानव संसाधन की कमी थी। इसके अतिरिक्त, आपराधिक मामलों की जांच के लिए जिम्मेदार निरीक्षक/उप निरीक्षक/सहायक उप निरीक्षक संवर्गों के जमीनी स्तर के अधिकारियों में कमी 37.71 प्रतिशत के उच्च स्तर तक थी।

(अनुच्छेद 3.5.5)

- स्वीकृत राज्य पुलिस कार्यबल में महिलाएं नौ प्रतिशत से भी कम हैं, जो जांच, नमूना संग्रह, परामर्श आदि जैसी गतिविधियों की दक्षता को प्रभावित कर सकती है। इसके अलावा, महिला कार्मिकों की उपस्थिति शिकायतों के पंजीकरण के लिए आगे आने के लिए पीड़ित महिला को सुविधा और आत्मविश्वास प्रदान करने में सहायक है।

(अनुच्छेद 3.5.6)

अनुशंसाएँ

10. राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि महत्वपूर्ण पदों जैसे संरक्षण अधिकारी, बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी, दहेज प्रतिषेध अधिकारी आदि को प्राथमिकता पर भरा जाये। अधिकारियों को नियमित, व्यापक और केंद्रित प्रशिक्षण प्रदान करके संबंधित क्षेत्रों में विशेषज्ञता विकसित करने के लिए ठोस कार्रवाई सुनिश्चित करने की भी आवश्यकता है।

11. राज्य सरकार को संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों में अपेक्षित संख्या में प्रशासनिक पदाधिकारियों की नियुक्ति करनी चाहिए।

12. चूंकि 'नारी निकेतन/महिला सदन' और बालिका गृह महिलाओं और बालिकाओं को कठिन परिस्थितियों में आश्रय और राहत प्रदान करने के लिए आवश्यक हैं, इसलिए राज्य सरकार को उनके लिए पर्याप्त बुनियादी ढाँचा और संसाधन उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करना चाहिए।

13. राज्य सरकार को पुलिस विभाग और भर्ती एजेंसी के बीच समन्वय के माध्यम से पुलिस कार्यबल में महिला कार्मिकों के अनुपात को धीरे-धीरे बढ़ाने के लिए रणनीति तैयार करनी चाहिए।

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली

- 2014-20 के दौरान कार्यक्रम अधिकारी द्वारा महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्रों के केवल 12.89 प्रतिशत (675 के विरूद्ध 87) निर्धारित दौरे किये गये थे। इसके अलावा, 2017-20 के दौरान कार्यक्रम अधिकारियों द्वारा महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्रों के 121 अनिवार्य निरीक्षणों के विरूद्ध जयपुर-पश्चिम, उदयपुर, प्रतापगढ़ और भरतपुर में एक भी निरीक्षण नहीं किया गया था।

(अनुच्छेद 4.1.3)

- संबंधित अधिकारियों ने आश्रय स्थलों और सुरक्षा गृहों की उचित निगरानी नहीं की तथा महिलाओं और बालिकाओं के कल्याण के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए निर्धारित आवधिकता में बैठकें नहीं की।

(अनुच्छेद 4.1.6 और 4.1.9)

अनुशंसाएँ

14. राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि राज्य स्तरीय निगरानी तंत्र राजस्थान राज्य महिला आयोग आदि के माध्यम से निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार कार्य करे। नामित अधिकारियों को निर्धारित संख्या में सार्वजनिक बैठकों और आंतरिक बैठकों का आयोजन करना चाहिए ताकि राज्य में महिलाओं के कल्याण और सुरक्षा के लिए किए गए उपायों की प्रभावकारिता की निगरानी की जा सके।

15. राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विभिन्न कानूनों (जैसे दहेज प्रतिषेध अधिनियम, राजस्थान किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) नियम आदि) के अनुरूप निगरानी समितियों का विधिवत गठन किया गया है और उनके द्वारा संबंधित कानूनों के अंतर्गत प्रदान किए गए अधिदेश के अनुसार कार्य किया जा रहा है।

16. आवासनियों को सेवाएं प्रदान करने में अनियमितताओं को समय पर सुधार करने के लिए स्वाधार गृहों, बालिका गृहों और संरक्षण और पुनर्वास गृहों का उचित अनुश्रवण और नियमित पर्यवेक्षण सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

अध्याय 1

प्रस्तावना

अध्याय-1
प्रस्तावना

1.1 परिचय

भारतीय संविधान की प्रस्तावना, मूलभूत अधिकार, मौलिक कर्तव्य एवं नीति निर्देशक सिद्धांत न केवल महिलाओं को समानता प्रदान करते हैं, बल्कि उनके द्वारा सामना किए जाने वाले सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक असुविधा को कम करने के लिए महिलाओं के पक्ष में सकारात्मक उपायों को अपनाने के लिए राज्य को अधिकार भी देते हैं । एक लोकतांत्रिक राजनीतिक संरचना के अन्तर्गत, हमारे कानूनों, विकास नीतियों, योजनाओं एवं कार्यक्रमों का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की उन्नति करना है। भारत ने 1993 में 'महिलाओं के विरूद्ध समस्त प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन' करार की पुष्टि की है एवं संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अपनाई गई सतत् विकास लक्ष्य संख्या 5 (लैंगिक समानता) को स्वीकार किया है ।

ऐसे अपराध जो विशेष रूप से महिलाओं के विरुद्ध निर्देशित करते हैं उन्हें 'महिलाओं के विरूद्ध अपराध'[1]के रूप में चिन्हित किया गया है । इसमें बाल अश्लीलता तथा नाबालिग लड़कियों की यौन तस्करी जैसी गतिविधियों के माध्यम से बालिकाओं का शारीरिक और भावनात्मक दुर्व्यवहार, उपेक्षा और शोषण शामिल है ।

महिलाओं के विरूद्ध अपराध को मुख्य तौर पर दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, जैसे भारतीय दंड संहिता (भादसं) के अन्तर्गत अपराध तथा स्थानीय एवं विशेष अधिनियमों (स्थाविअ) के अन्तर्गत अपराध। जनवरी 2010-दिसंबर 2019 के दौरान राजस्थान में महिलाओं के विरुद्ध दर्ज अपराध की कुल घटनाओं की समेकित स्थिति, जैसाकि पुलिस महानिदेशक, राजस्थान द्वारा उपलब्ध करवाई गई **तालिका 1** में दी गई है:

तालिका 1

अपराध की श्रेणी	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	कुल
भादसं में अपराध	18,177	19,899	21,775	28,984	31,035	28,053	27,308	24,735	27,314	40,892	2,68,172
स्थाविअ में अपराध	167	192	210	204	130	124	348	879	581	731	3,566
कुल अपराध	18,344	20,091	21,985	29,188	31,165	28,177	27,656	25,614	27,895	41,623	2,71,738
% वृद्धि (2010 के संबंध में)	-	9.52	19.85	59.11	69.89	53.60	50.76	39.63	52.07	126.90	

स्रोतः पुलिस महानिदेशक, राजस्थान द्वारा उपलब्ध कराये गये आंकड़े

1 संयुक्त राष्ट्र महासभा की महिलाओं के विरूद्ध हिंसा के उन्मूलन पर घोषणा।

तालिका 1 से यह स्पष्ट है कि 2010-19 की अवधि के दौरान राजस्थान में महिलाओं के विरूद्ध अपराध की कुल घटनाओं में 126.90 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। बलात्कार, महिलाओं पर लज्जा भंग करने के इरादे से हमला, पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता, महिलाओं का अपहरण एवं व्यपहरण और दहेज हत्या राज्य में प्रमुख अपराध हैं। रिपोर्ट किए गए कुल मामलों में से 50 फीसदी से अधिक मामले 'पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता' की श्रेणी में आते हैं।

1.2 नीतियों और अधिनियमों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार संस्थान

इन मुद्दों से निपटने के लिए राज्य के पास एक बड़ा प्रशासनिक तंत्र है जिसमें पाँच विभाग यथा महिला एवं बाल विकास (मबावि) विभाग के अधीन महिला अधिकारिता निदेशालय (मअनि), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (सान्याअवि), बाल अधिकारिता विभाग (बाअवि), पुलिस विभाग (गृह) तथा विधिक सेवा प्राधिकरण, स्वतंत्र एजेंसियां और स्वायत्त निकायों के साथ-साथ महिला कल्याण तथा सुरक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वाले अनेक गैर सरकारी संगठन हैं। राज्य में महिलाओं के विरुद्ध अपराधों को रोकने तथा उनसे निपटने में इन एजेंसियो की समग्र तस्वीर एवं उनकी भूमिका को निम्नलिखित **चार्ट 1** प्रस्तुत करता है ।

चार्ट 1: महिलाओं के विरुद्ध अपराध से निपटनाः विधान, सरकारी विभाग, उनके कार्यात्मक क्षेत्र एवं उनके दायित्व ।

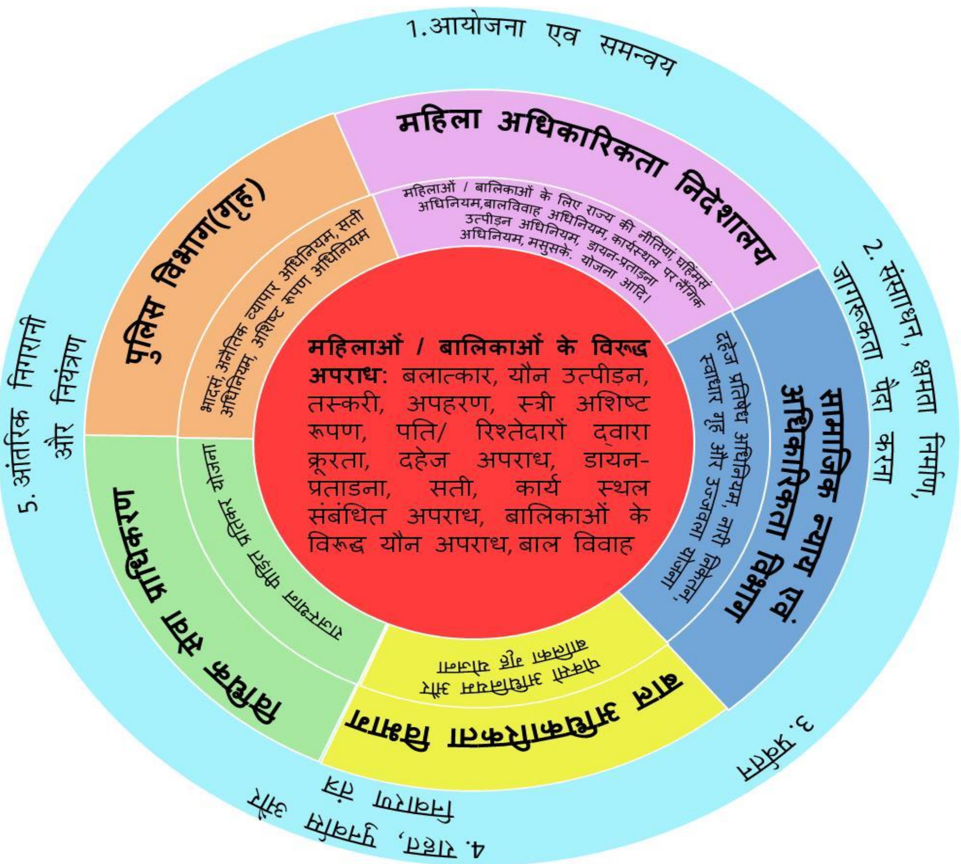

इन निकायों को अपराधों को सफलतापूर्वक रोकने, राहत प्रदान करने और पीड़ितों के पुनर्वास सुनिश्चित करने के लिए एवं मामलों के प्रभावी ढंग से अनुसरण पर मिलकर कार्य करना है ताकि पीडितों को न्याय मिल सके।

इन विभागों द्वारा कार्यान्वित विभिन्न नीतियों, अधिनियमों और योजनाओं की चर्चा नीचे की गई हैः

1.2.1 महिला अधिकारिता निदेशालय

महिला अधिकारिता निदेशालय (मअनि), "राजस्थान राज्य महिला नीति" 1996 और "राजस्थान राज्य बालिका नीति" 2013 के उद्देश्यों के कार्यान्वयन और अनुश्रवण के लिए नोडल विभाग है। मअनि 'घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005', 'बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006', 'महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013', 'राजस्थान डायन-प्रताड़ना निवारण अधिनियम, 2015' और 'राज्य सरकार द्वारा संचालित महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र (मसुसकें) (नियमन एवं अनुदान) योजना, 2010' के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी है।

1.2.2 सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (सान्याअवि) दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी है। यह विभाग पीड़ित महिलाओं के पुनर्वास और पुनः एकीकरण के लिए आश्रय गृहों[2] के माध्यम से सहायता प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है। इसके अलावा, यह केंद्र प्रायोजित योजनाओं जैसे स्वाधार गृह और उज्जवला तथा राज्य प्रायोजित योजनाओं जैसे नारी निकेतन/महिला सदन के कार्यान्वयन के लिए भी जिम्मेदार है।

1.2.3 बाल अधिकारिता विभाग

बाल अधिकारिता विभाग लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम, 2012 और राज्य प्रायोजित बालिका गृह योजना तथा बालिकाओं की देखभाल एवं संरक्षण, पुनर्वास तथा पुनः एकीकरण के कार्यान्वयन के लिये जिम्मेदार है।

1.2.4 गृह विभाग

गृह विभाग के तहत पुलिस कानून और व्यवस्था के प्रवर्तन के लिए जिम्मेदार है। पुलिस विभाग भादसं और स्थाविअ के अतंर्गत मामलों के पंजीकरण, अपराध की घटनाओं की जांच, अदालत को अंतिम प्रतिवेदन/चालान प्रस्तुत करने, राज्य में 'अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956', 'स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986' और 'सती (निवारण) अधिनियम, 1987' के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है।

---

2 नारी निकेतन/महिला सदन, स्वाधार गृह और उज्जवला गृह।

1.2.5 विधिक सेवा प्राधिकरण

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (राराविसेप्रा) और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (जिविसेप्रा) समाज के कमजोर वर्गों (महिलाओं सहित) को मुफ्त और सक्षम विधिक सेवाएं प्रदान करने के लिए जिम्मेदार हैं। अपराध के परिणामस्वरूप नुकसान या अत्याचार का सामना कर रहे पीड़ितों या उनके आश्रितों को मुआवजा और जिन्हें पुनर्वास की आवश्यकता होती है, उन्हें विधिक सेवाओं के अधिकारियों द्वारा 'राजस्थान पीड़ित प्रतिकर योजना, 2011' के माध्यम से मुआवजा प्रदान किया जाता है।

1.2.6 राजस्थान राज्य महिला आयोग

मई 1999 में स्थापित राजस्थान राज्य महिला आयोग (रारामआ) को महिलाओं के अत्याचारों के संबंध में लिखित या मौखिक रूप से प्राप्त शिकायतों से निपटने और महिला सशक्तिकरण के बारे में जागरूकता फैलाने का व्यापक अधिकार है।

1.2.7 राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग

राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग (राराबाअसंआ) की स्थापना फरवरी 2010 में बाल अधिकारों की रक्षा, संवर्धन और बचाव के उद्देश्य से नीतियों की समीक्षा, विधानों/अन्य सुरक्षित उपायों तथा जागरूकता फैलाने हेतु की गई थी। राराबाअसंआ के पास राज्य में बाल अधिकारों के उल्लंघन के मामलों में हस्तक्षेप करने की शक्तियाँ भी हैं।

इस पृष्ठभूमि में महिलाओं की सुरक्षा के लिए विभिन्न अधिनियमों, स्थानीय विशेष कानूनों आदि के तहत निर्धारित निवारण तंत्र की कुशलता तथा किए गए या किए जाने वाले उपायों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए "राजस्थान में महिलाओं के विरूद्ध अपराध की रोकथाम, संरक्षण एवं निवारण" विषय पर निष्पादन लेखापरीक्षा की गई।

1.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा में लेखापरीक्षा उद्देश्यों के अंतर्गत यह आंकलन करना था किः

- *क्या महिलाओं और बालिकाओं के विरुद्ध सभी प्रकार की हिंसा की रोकथाम, प्रवर्तन और निवारण के लिए उत्तरदायी विभागों में एक व्यापक नीति और एक मजबूत योजना और समन्वय तंत्र मौजूद है?*

- *क्या महिलाओं और बालिकाओ के विरुद्ध सभी प्रकार की हिंसाओं को रोकने के लिए विभिन्न अधिनियमो और संबंधित योजनाओं/कार्यक्रमों/तंत्र के तहत प्रावधानों का प्रवर्तन प्रभावी था?*

- *क्या पीड़ित महिलाओं को राहत, पुनर्वास और अन्य आवश्यक सहायता पर्याप्त व यथासमय प्रदान की गई थी?*

- *क्या जन जागरूकता संवर्द्धन, संसाधनों को बढ़ावा देने और कार्यकारी कार्मिकों के बीच क्षमता निर्माण के उपाय पर्याप्त, सामयिक और प्रभावी थे?*

- *क्या निगरानी ढांचा और मूल्यांकन प्रणाली महिलाओं और बालिकाओं के विरुद्ध अपराध को रोकने में शामिल राज्य तंत्र को बेहतर बनाने में प्रभावी थे?*

1.4 लेखापरीक्षा मानदंड

इस निष्पादन लेखापरीक्षा हेतु लेखापरीक्षा मानदंड निम्नलिखित स्त्रोतों पर आधारित थेः

- भारतीय दंड संहिता, 1860 और दंड प्रक्रिया संहिता, 1973;
- स्थानीय एवं विशेष अधिनियम, नियमों और विनियमों जैसे (i) घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 (ii) महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 (iii) बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 (iv) राजस्थान डायन-प्रताडना निवारण अधिनियम, 2015 (v) दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 (vi) लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (vii) अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 (viii) स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986 और (ix) सती (निवारण) अधिनियम, 1987 ।
- राजस्थान राज्य महिला नीति, 1996;
- राजस्थान राज्य बालिका नीति, 2013;
- राजस्थान पुलिस नियमावली, 2001;
- सामान्य वित्तीय और लेखा नियम;
- राजस्थान पीड़ित प्रतिकर योजना 2011; तथा
- भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देश/दिशा-निर्देश/परिपत्र ।

1.5 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा पद्धति

निष्पादन लेखापरीक्षा में मूलरुप से अप्रैल 2012 से मार्च 2017 तक की पांच वर्षो की अवधि को शामिल किया गया। अभिलेखों की नमूना जाँच के लिए आठ प्रशासनिक जिलों[3] (33 में से) का 'प्रतिस्थापन के बिना नमूना आकार के लिए आनुपातिक संभावना' विधि द्वारा चयन किया गया था तथा ग्यारह पुलिस जिलों[4] (चयनित 13 प्रशासनिक जिलों में से) को चुना गया था।

दिनांक 29 जून 2017 को विशिष्ठ शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग, आयुक्त मअनि, निदेशक सान्याअवि, सदस्य सचिव राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग और सदस्य सचिव राजस्थान राज्य महिला आयोग, उप सचिव राराविसेप्रा और पुलिस अधीक्षक (सिविल

3 जयपुर, टोंक, बारां, कोटा, उदयपुर, प्रतापगढ़, भरतपुर और पाली।

4 जयपुर (पूर्व), जयपुर (पश्चिम), जयपुर (ग्रामीण), टोंक, बारां, कोटा (ग्रामीण), कोटा (शहर), उदयपुर, प्रतापगढ, भरतपुर और पाली।

राईट्स) के साथ एक परिचयात्मक चर्चा आयोजित की गई, जिसमें लेखापरीक्षा के उद्देश्य, लेखापरीक्षा मानदंड, लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र और लेखापरीक्षा पद्धति पर चर्चा की गई।

लेखापरीक्षा के दौरान, आयुक्त, मअनि, निदेशक सान्याअवि, निदेशक बाल अधिकारिता विभाग, पुलिस महानिदेशक, चयनित 11 पुलिस उपायुक्त (पुउपा)/पुलिस अधीक्षक (पुअ) कार्यालयों, आइडिया सॉफ्टवेयर के माध्यम से यादृच्छिक चयनित 48 पुलिस थानों[5] (चयनित 11 पुलिस जिलों के 244 पुलिस थानों में से), राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला सहित तीन क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं[6] के अभिलेखों की नमूना जांच की गई। इसके अलावा, राराविसेप्रा और नौ जिविसेप्रा[7] के अभिलेखों की भी नमूना जांच की गई।

लेखापरीक्षा पद्धति में कार्यान्वयन एजेंसियों के अभिलेखों की संवीक्षा, आँकड़ों का संग्रहण और विश्लेषण, लेखापरीक्षा आक्षेप जारी करना एवं लेखापरीक्षा आक्षेपों की प्रतिक्रिया प्राप्त करना शामिल था। इसके अतिरिक्त, चयनित जिलों में पुनर्वास गृहों, सरकारी/गैर-सरकारी संगठनों द्वारा संचालित आंतरिक समितियों (आंस) और विधिक सहायता क्लीनिकों के संयुक्त भौतिक निरीक्षण भी किए गए। लेखापरीक्षा के दौरान इन जिलों की 80 साथिनों[8] (प्रत्येक चयनित जिले से 10 साथिनें) और 14 चयनित ग्राम पंचायतों[9] की 140 ग्रामीण महिलाओं (प्रत्येक ग्राम पंचायत की 10 महिलायें) का प्रतिक्रिया सर्वेक्षण भी किया गया।

लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह; शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास; सदस्य सचिव, राराविसेप्रा; निदेशक सान्याअवि और निदेशक, बाल अधिकारिता के साथ 15 फरवरी 2019 को आयोजित समापन परिचर्चा में विचार-विमर्श किया गया।

समापन परिचर्चा के बाद और लेखापरीक्षा आक्षेपों पर राज्य सरकार की प्रतिक्रियाओं की प्रकृति को देखते हुए, लेखापरीक्षा ने संबंधित विभागों द्वारा की गई प्रतिबद्धताओं एवं मार्च 2020 तक की गई प्रगति को सत्यापित करने का निर्णय लिया था। कई लेखापरीक्षा निष्कर्ष हितधारक

---

5 जिला जयपुर (पश्चिम): महिला पुलिस थाना (मपुथा) बनीपार्क, पुलिस थाना (पुथा) भांकरोटा और सदर; जयपुर (पूर्व): मपुथा गांधी नगर, पुथा लालकोठी और ट्रांसपोर्ट नगर; जयपुर (ग्रामीण): मपुथा जयपुर ग्रामीण, पुथा फुलेरा, नरैना और अमरसर; टोंक: मपुथा टोंक, पुथा सदर, बरोनी और निवाई; कोटा शहर: मपुथा कोटा शहर, पुथा भीमगंज मण्डी, रेल्वे कॉलोनी और कैथूनीपोल; कोटा ग्रामीण: मपुथा कोटा ग्रामीण, पुथा कैथुन और चैचट; बारां: मपुथा बारां, पुथा कोतवाली, नाहरगढ और छबडा; उदयपुर: मपुथा उदयपुर, पुथा हिरण मगरी, ओगणा, सायरा, डबोक, अम्बा माता, हाथी पोल, धान मण्डी और बेकरिया; प्रतापगढ़: मपुथा प्रतापगढ, पुथा पारसोला और प्रतापगढ; भरतपुर: मपुथा भरतपुर, पुथा कोतवाली, सेवर, नदबई और खोह; और पाली: मपुथा पाली, पुथा कोतवाली, सांडेराव, सोजत रोड और गुडा ऐंदला तथा पुथा साईबर क्राईम, जयपुर।

6 कोटा, उदयपुर और भरतपुर।

7 टोंक, कोटा, बारां, उदयपुर, प्रतापगढ, भरतपुर, जयपुर जिला, जयपुर मैट्रो और पाली।

8 'साथिन' ग्राम पंचायत स्तर की महिला कार्यकर्ता है। उनकी नियुक्ति ग्राम सभा करती है। जिनकी महिलाओं के विरुद्ध अपराध की रोकथाम, संरक्षण और निवारण आदि के संबंध में विभिन्न विभागों द्वारा लागू विभिन्न क़ानूनों और योजनाओं के बारे में महिलाओं के बीच जागरूकता पैदा करने की जिम्मेदारी है।

9 खैराबाद, केसर (कोटा); सीसरमा, लदानी (उदयपुर); मंडोला, रानी बड़ोद (बारां); बीलवा, बम्भौरी (जयपुर); महमदपुरा, बछमण्डी (भरतपुर); बोमादरा, रोहट (पाली); डांगरथल (टोंक) और अवलेश्वर (प्रतापगढ़)।

विभागों के समन्वय के प्रयासों में कमी से संबंधित थे, साथ ही तीव्र मानवीय आयामों से जुड़े संवेदनशील मुद्दों का फिर से सत्यापन किया गया। यद्यपि, कोविड - 19 महामारी से उत्पन्न बाधाओं के कारण लेखापरीक्षा (अगस्त से सितंबर 2020) को दो प्रशासनिक जिलों (जयपुर और टोंक), चार पुलिस जिलों (जयपुर पूर्व, जयपुर पश्चिम, जयपुर ग्रामीण एवं टोंक) तथा संबंधित विभागों के राज्य स्तरीय कार्यालयों तक रखा गया। इसके अलावा, महिलाओं के विरुद्ध अपराध से संबंधित विभिन्न कार्यों/अधिनियमों/नियमों की सामान्य जागरूकता के आकलन के लिए इस चरण के दौरान जयपुर में सरकारी/निजी क्षेत्र के कार्यालयों में कार्यरत महिलाओं का सर्वेक्षण भी किया गया।

अद्यतन प्रतिवेदन संबंधित हितधारक विभागों को दिसंबर 2020 में प्रेषित किया गया था तथा उनके प्रतिउत्तर जनवरी-फरवरी 2021 के दौरान प्राप्त हुए। प्रमुख शासन सचिव गृह, पुलिस अधिकारियों तथा शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग के साथ एक बैठक भी 4 फरवरी 2021 को आयोजित की गई। विभागों के विचारों एवं प्रतिउत्तरों को उपयुक्त रूप से इस प्रतिवेदन में उचित स्थानों पर सम्मिलित कर लिया गया है।

राज्य और देश में कोविड-19 की दूसरी लहर के कारण प्रतिवेदन को अंतिम रूप नहीं दिया गया था। वैश्विक महामारी और संबंधित प्रतिबंधों में ढील के पश्चात् शेष छह प्रशासनिक जिलों (उदयपुर, प्रतापगढ़, पाली, बारां, भरतपुर और कोटा) और सात पुलिस जिलों अर्थात् उदयपुर, प्रतापगढ़, पाली, बारां, भरतपुर, कोटा ग्रामीण और कोटा शहर की लेखापरीक्षा (अगस्त-अक्टूबर 2021) में की गई। 30 नवंबर 2021 को एक अद्यतन रिपोर्ट हितधारक विभागों को भेजी गई थी । मबावि, सान्याअवि एवं बाअवि के उत्तर प्राप्त हो गये हैं और उपयुक्त स्थानों पर उपयुक्त रूप से शामिल किए गए हैं। गृह विभाग तथा विधि एवं विधिक कार्य विभाग के प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुए (फरवरी 2022) यधपि, बार-बार स्मरण पत्र जारी किए गए (दिसंबर 2021 और जनवरी 2022)।

1.6 आभार

लेखापरीक्षा, राजस्थान सरकार सहित अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग; पुलिस महानिदेशक, पुलिस; प्रमुख शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग; प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग; प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग; अध्यक्ष, राजस्थान राज्य महिला आयोग; अध्यक्ष, राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग तथा सचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सहयोग को स्वीकार करती है। लेखापरीक्षा के सुचारू संचालन के लिए हम इन विभागों के क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा प्रदान की गई सहायता की भी सराहना करते हैं।

अध्याय 2

राजस्थान में महिलाओं के विरुद्ध अपराध की सांख्यिकीय प्रवृत्ति

अध्याय-2

राजस्थान में महिलाओं के विरूद्ध अपराध की सांख्यिकीय प्रवृत्ति

2.1 राजस्थान में महिलाओं के विरूद्ध अपराध की सांख्यिकीय प्रवृत्ति

राजस्थान में महिलाओं के विरूद्ध अपराधों से संबंधित जानकारी पुलिस महानिदेशक, राजस्थान द्वारा समेकित और राज्य अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एससीआरबी) द्वारा इसकी वार्षिक रिपोर्ट 'क्राईम इन राजस्थान' के माध्यम से प्रस्तुत की जाती है। राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) राज्य स्तर के आंकड़ों को संकलित करता है और इसकी वार्षिक रिपोर्ट 'क्राईम इन इण्डिया' के माध्यम से प्रस्तुत करता है।

लेखापरीक्षा के दौरान, राज्य स्तर की जानकारी पुलिस महानिदेशक, राजस्थान से प्राप्त की गई थी। राजस्थान के तुलनात्मक विश्लेषण के लिए सम्पूर्ण भारतीय औसत के साथ-साथ अन्य राज्यों की स्थिति के आंकड़े एनसीआरबी की रिपोर्टों (2010-19) से लिये गये थे।

भादसं और स्थाविअ के अंतर्गत राजस्थान में महिलाओं के विरूद्ध जनवरी 2010 से दिसंबर 2019[10] के दौरान दर्ज अपराध की घटनाऐं, जैसा कि पुलिस महानिदेशक, राजस्थान द्वारा उपलब्ध कराई गई है, नीचे **तालिका 2** में दी गई है:

तालिका 2

क्र.स.	अपराध का शीर्ष	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	योग
(अ)	**भारतीय दंड संहिता के अन्तर्गत अपराध**											
1	पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता (भादसं की धारा 498-अ)	11,145	12,218	13,312	15,094	15,905	14,383	13,811	11,508	12,250	18,432	1,38,058
2	महिलाओं पर लज्जा भंग करने के इरादे से हमला (भादसं की धारा 354)	2,339	2,447	2,352	4,829	5,999	4,813	4,839	4,883	5,249	8,802	46,552
3	महिलाओं का अपहरण एवं व्यपहरण (भादसं की धारा 363 से 364 ए और 366 से 369)	2,477	2,713	2,697	4,047	4,421	4,167	4,010	3,837	4,247	5,907	38,523
4	बलात्कार (भादसं की धारा 376)	1,571	1,800	2,049	3,285	3,759	3,644	3,656	3,305	4,335	5,997	33,401
5	दहेज हत्या (भादसं की धारा 304 बी)	462	514	478	453	408	463	462	457	404	452	4,553

10 एससीआरबी और एनसीआरबी दोनों अपने प्रकाशनों में अपराध सांख्यिकी कैलेंडर वर्ष वार रिपोर्ट करते हैं। इसलिए इस रिपोर्ट में सभी अपराध आँकड़ों को कैलेंडर वर्ष के अनुसार दर्शाया गया है।

क्र.स.	अपराध का शीर्ष	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	योग
6	बलात्कार करने का प्रयास (भादसं की धारा 376 और 511)			0	0	373	407	340	550	620	1,019	3,309
7	महिलाओं को आत्महत्या हेतु उकसाना (भादसं की धारा 306)	160	198	149	179	143	161	167	153	153	186	1,649
8	महिला के शील का अपमान (भादसं की धारा 509)	23	9	18	25	18	9	15	24	34	69	244
9	मानव तस्करी (भादसं की धारा 370 और 370 ए)			0	0	3	4	1	7	4	5	24
10	अप्राकृतिक अपराध (भादसं की धारा 377)			0	0	3	2	5	6	0	0	16
11	तेजाब फेंकना/तेजाब फेंकनें का प्रयास (भादसं की धारा 326 ए और बी)			0	0	3	0	2	4	2	3	14
12	लड़कियों का आयात (भादसं की धारा 366 बी)	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	2
13	अन्य		0	720	1,071	0	0	0	0	16	20	1,827
	योग भादसं अपराध	18,177	19,899	21,775	28,984	31,035	28,053	27,308	24,735	27,314	40,892	2,68,172
(बी)	**स्थानीय एवं विशेष अधिनियम**											
1	लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012			0	0	0	0	265	740	449	571	2,025
2	अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956	82	81	99	74	78	86	56	86	62	40	744
3	स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986	80	102	62	68	18	9	8	6	7	5	365
4	दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961	3	4	39	57	12	9	3	1	5	4	137
5	घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005	.	.	0	0	17	14	4	9	3	2	49
6	बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006	2	5	10	5	5	6	12	6	11	19	81
7	राजस्थान डायन-प्रताडना निवारण अधिनियम, 2015 (राज्य विधानमंडल द्वारा अधिनियमित)	.	.	.	.	.	0	0	31	17	49	97
8	महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013	.	.	.	0	0	0	0	0	0	0	0
9	सती (निवारण) अधिनियम, 1987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	अन्य (सायबर अपराध)	0	0	0	0	0	0	0	0	27	41	68
	योग स्थाविअ अपराध	167	192	210	204	130	124	348	879	581	731	3,566
	महायोग (भादसं +स्थाविअ)	18,344	20,091	21,985	29,188	31,165	28,177	27,656	25,614	27,895	41,623	2,71,738

स्रोतः पुलिस महानिदेशक, राजस्थान द्वारा उपलब्ध कराये गये आंकड़ें

उपर्युक्त तालिका 2 से यह स्पष्ट है कि

- राजस्थान में महिलाओं के विरूद्ध दर्ज अपराध की घटनाएँ 2010 में 18,344 से बढ़कर 2019 में 41,623 हो गई, जिसमें 2010-19 के दौरान 10.86 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर[11] से कुल 126.90 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।
- महिलाओं के विरूद्ध दर्ज अपराध की घटनाओं में वर्ष 2018 से वर्ष 2019 के दौरान 49.21 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।
- भादसं के तहत कुल अपराध में महिलाओं के विरूद्ध दर्ज अपराध का हिस्सा 2010 में 11.15 प्रतिशत से बढ़कर[12] 2019 में 18.15 प्रतिशत हो गया।
- 'बलात्कार', 'महिलाओं पर लज्जा भंग करने के इरादे से हमला', 'पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता', 'महिलाओं का अपहरण एवं व्यपहरण' और 'दहेज हत्या' राज्य में महिलाओं के विरूद्ध दर्ज प्रमुख अपराध हैं। ये राज्य में महिलाओं के विरूद्ध कुल दर्ज अपराधों का 96.08 प्रतिशत हैं।
- महिलाओं के विरूद्ध कुल दर्ज अपराधों के मामलों में, राजस्थान की स्थिति अधिकतर अन्य भारतीय राज्यों की तुलना में उच्च थी। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के आंकड़ो के अनुसार महिलाओं के विरूद्ध पंजीकृत अपराधों की संख्या के मामले में राजस्थान 2010-2016 के दौरान देश में चौथे स्थान पर था, 2017-2018 के दौरान पांचवे एवं 2019 के दौरान दूसरे स्थान पर था।

गृह विभाग, राजस्थान सरकार ने प्रारूप प्रतिवेदन (दिसम्बर 2020) पर अपने उत्तर (फरवरी 2021) में अवगत कराया कि राज्य में आपराधिक शिकायतों के पंजीकरण की प्रक्रिया को सुगम बनाया गया है, और इसलिए इन आंकड़ों में वृद्धि पूर्णतया सामान्य एवं स्वाभाविक प्रक्रिया थी। यह भी जोड़ा गया कि यह निष्कर्ष निकालना उचित नहीं था कि राज्य में महिलाओं के विरुद्ध अपराध में वृद्धि हुई है।

मबावि विभाग, राजस्थान सरकार ने प्रारूप प्रतिवेदन (दिसम्बर 2020) पर अपने उत्तर (फरवरी 2021) में अवगत कराया कि यह सही है कि वर्ष 2010 से 2019 के दौरान दर्ज अपराधों की संख्या में 126.90 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। हालांकि, विशेषकर 2019 के आंकड़ों के लिए, यह भी उल्लेखनीय था कि दर्ज अपराधों जैसे रिश्तेदारों या पति द्वारा हिंसा और क्रूरता आदि में वृद्धि एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया का सरलीकरण, पुलिस विभाग का जनता के साथ बेहतर

---

11 2011: 9.52 प्रतिशत; 2012: 9.43 प्रतिशत; 2013: 32.76 प्रतिशत; 2014: 6.77 प्रतिशत; 2015: (-) 9.59 प्रतिशत; 2016: (-) 1.85 प्रतिशत; 2017: (-) 7.38 प्रतिशत; 2018: 8.91 प्रतिशत तथा 2019: 49.21 प्रतिशत।

12 2010 से 2019 तक कुल भादसं अपराधों में महिलाओं से संबंधित भादसं अपराधों का हिस्सा–2010: 11.15 प्रतिशत; 2011: 12.01 प्रतिशत; 2012: 12.74 प्रतिशत; 2013: 14.77 प्रतिशत; 2014: 14.75 प्रतिशत; 2015: 14.16 प्रतिशत; 2016: 15.14 प्रतिशत; 2017: 14.56 प्रतिशत; 2018: 15.89 प्रतिशत तथा 2019: 18.15 प्रतिशत।

व्यवहार, महिला पीड़िताओं के प्रति संवेदनशीलता बढ़ना और मीडिया तथा संचार तकनीकी पद्धतियों का विकास आदि था।

- राजस्थान के 33 प्रशासनिक जिलों का 2019 में महिलाओं से संबंधित अपराध की घटनाओं का जिला औसत 1040 था। 2019 में राजस्थान में अपराध का भौगोलिक प्रसार एवं संकेन्द्रण **चार्ट 2** में दर्शाया गया है।
- राजस्थान के 40 पुलिस जिलों में से 2019 में जैसलमेर (303), जोधपुर पूर्व (509), डूंगरपुर (537), सिरोही (591) और जालोर (596) सबसे कम अपराध की घटनाओं वाले जिले थे जबकि अलवर (2,528), अजमेर (2,043), भीलवाड़ा (1,728), भरतपुर (1,671) और श्रीगंगानगर (1,668) 2019 के दौरान सबसे अधिक अपराध की घटना वाले जिले थे (**चार्ट 3** में चित्रित)।

चार्ट 2: 2019 में राजस्थान में अपराध का भौगोलिक संकेन्द्रण

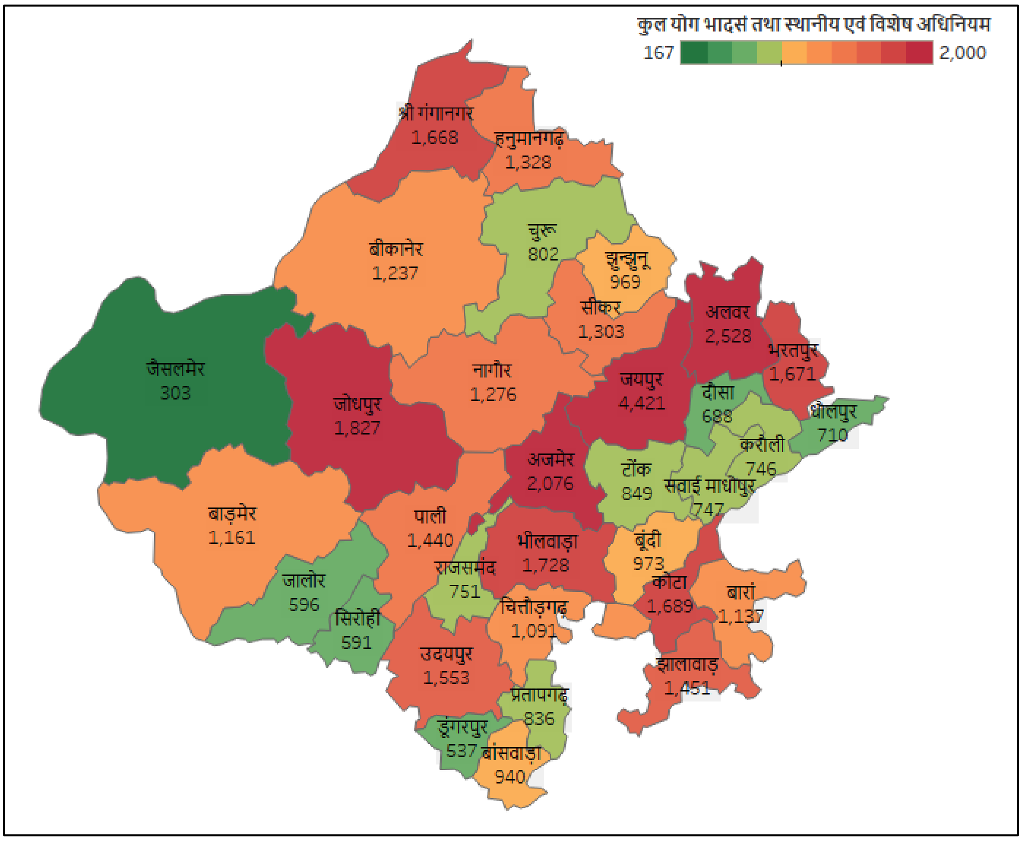

चार्ट 3: 2019 में सबसे कम/उच्चतम अपराध प्रवृत्त जिलों की तुलना

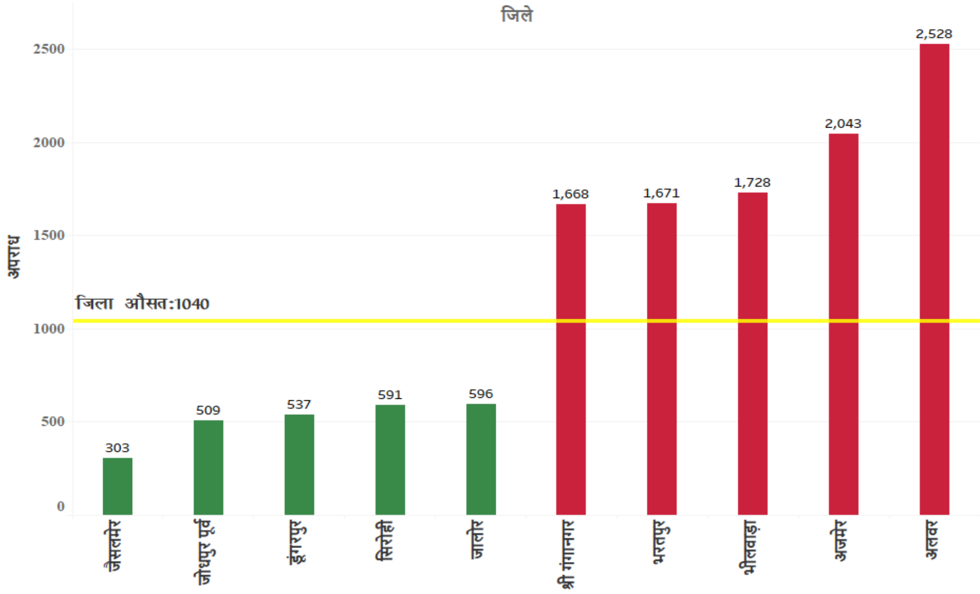

राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो और पुलिस महानिदेशक, राजस्थान द्वारा प्रदत्त राजस्थान के अपराध के आंकड़ों का महिलाओं के विरूद्ध कुल दर्ज अपराधों का पड़ोसी राज्यों से विश्लेषण के दौरान, निम्नलिखित दृष्टिगत हुआ:-

2.2 राजस्थान में महिलाओं के विरूद्ध दर्ज अपराध की उच्च दर

महिलाओं के विरूद्ध कुल अपराध, राज्य में पड़ोसी राज्यों की तुलना में अपराध दर (प्रति लाख महिला जनसंख्या पर महिलाओं पर कुल अपराधों की संख्या) तथा 2010-19 के दौरान अखिल भारतीय औसत का विवरण **तालिका 3** में दिया गया है।

तालिका 3

वर्ष	भारत में महिलाओं के विरुद्ध कुल अपराध	राजस्थान में महिलाओं के विरुद्ध कुल अपराध	सम्पूर्ण भारत के संदर्भ में राजस्थान में अपराध का प्रतिशत	कुल अपराध पर आधारित राजस्थान का स्थान	अखिल भारतीय अपराध दर	राजस्थान की अपराध दर[13] (प्रति लाख महिला जनसंख्या पर कुल अपराध)	अपराध दर पर आधारित राजस्थान का स्थान	मध्य प्रदेश की अपराध दर	उत्तर प्रदेश की अपराध दर	गुजरात की अपराध दर
2010	2,13,585	18,344	8.59	4	18.00	27.10	5	22.80	10.10	14.00
2011	2,28,650	20,091	8.79	4	18.90	29.00	7	22.90	11.30	14.60
2012	2,44,270	21,985	9.00	4	41.74	63.75	6	47.75	24.25	33.58
2013	3,09,546	29,188	9.43	4	52.24	83.13	4	61.64	32.93	42.63

13 एनसीआरबी की रिपोर्ट "क्राईम इन इण्डिया" में 'अपराध दर' की गणना संबंधित क्षेत्र की जनसंख्या जैसे- महिला, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आदि की जनसंख्या के आधार पर की गई है। अपराध दर=रिपोर्ट किये गये अपराधों की संख्या/वर्ष के मध्य की अनुमानित जनसंख्या लाखों में।

वर्ष	भारत में महिलाओं के विरूद्ध कुल अपराध	राजस्थान में महिलाओं के विरूद्ध कुल अपराध	सम्पूर्ण भारत के संदर्भ में राजस्थान में अपराध का प्रतिशत	कुल अपराध पर आधारित राजस्थान का स्थान	अखिल भारतीय अपराध दर	राजस्थान की अपराध दर[13] (प्रति लाख महिला जनसंख्या पर कुल अपराध)	अपराध दर पर आधारित राजस्थान का स्थान	मध्य प्रदेश की अपराध दर	उत्तर प्रदेश की अपराध दर	गुजरात की अपराध दर
2014	3,37,922	31,165	9.22	3	56.30	91.40	3	79.00	38.30	37.20
2015	3,27,394	28,177	8.61	4	53.90	81.50	5	65.50	34.80	26.30
2016	3,38,954	27,656	8.16	4	55.20	78.30	5	71.10	47.50	28.70
2017	3,59,849	25,614	7.12	5	57.90	73.30	6	78.60	53.20	27.00
2018	3,78,277	27,895	7.37	5	58.80	75.10	5	73.50	55.70	26.00
2019	4,05,861	41,623	10.26	2	62.40	110.40	2	69.00	55.40	27.10

स्रोतः भारत में महिलाओं के विरूद्ध कुल अपराधः 2010-2019 की एनसीआरबी की रिपोर्ट "क्राईम इन इण्डिया" । 'राजस्थान में महिलाओं के विरूद्ध कुल अपराध' कालम के आंकड़ेः पुलिस महानिदेशक, राजस्थान द्वारा प्रदत्त ।

उपर्युक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि

- राजस्थान में 2010-19 की अवधि में महिलाओं के विरूद्ध अपराध दर अखिल भारतीय औसत और पड़ोसी राज्यों की तुलना में लगातार अधिक थी, जैसा कि **चार्ट** 4 में दर्शाया गया है।
- महिलाओं के विरूद्ध अपराध दर को महिलाओं से संबंधित कुल अपराधों तथा लाखों में कुल महिला जनसंख्या के अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया है। राजस्थान में अपराध की दर 2010 में 27.10 से 2019 में 110.40 (83.30 अर्थात् 307.38 प्रतिशत की बढ़ोतरी) उसी अवधि के दौरान भारतीय औसत 18.00 से 62.40 (44.40 अर्थात् 246.67 प्रतिशत की बढ़ोतरी) की तुलना में बहुत अधिक थी।

चार्ट 4: पड़ोसी राज्यों और अखिल भारतीय औसत की तुलना में राजस्थान में महिलाओं के विरूद्ध अपराध दर

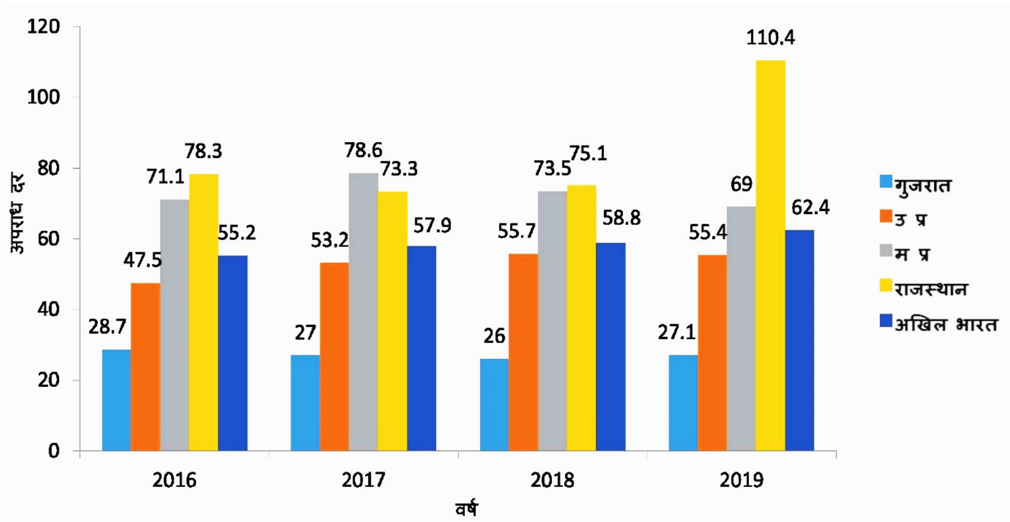

- 2019 के दौरान भारत की महिला जनसंख्या का 5.78 प्रतिशत हिस्सा राजस्थान में था। यद्यपि, 2019 में राज्य में महिलाओं के विरूद्ध अपराध का प्रतिशत भारत में महिलाओं के विरूद्ध दर्ज कुल अपराध का 10.26 प्रतिशत था।

2.3 भारतीय दंड संहिता के अन्तर्गत दर्ज महिलाओं के विरूद्ध अपराधों की स्थिति

भादसं के अंतर्गत महिलाओं के विरूद्ध पंजीकृत मुख्य अपराधों के संबंध में तालिका 2 में उपलब्ध कराए गए आंकड़ों का विश्लेषण निम्नलिखित दर्शाता है:

- 2010-19 के दौरान पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता (50.80 प्रतिशत), महिलाओं पर लज्जा भंग करने के इरादे से हमला (17.13 प्रतिशत), महिलाओं का अपहरण एवं व्यपहरण (14.18 प्रतिशत), बलात्कार (12.29 प्रतिशत) और दहेज हत्या (1.68 प्रतिशत) राज्य में महिलाओं के विरूद्ध पंजीकृत कुल अपराधों का 96.08 प्रतिशत है जैसा कि **चार्ट 5** में दर्शाया गया हैं।

चार्ट 5: 2010-19 के दौरान राजस्थान में महिलाओं के विरूद्ध दर्ज प्रमुख अपराधों में सापेक्षिक हिस्सा

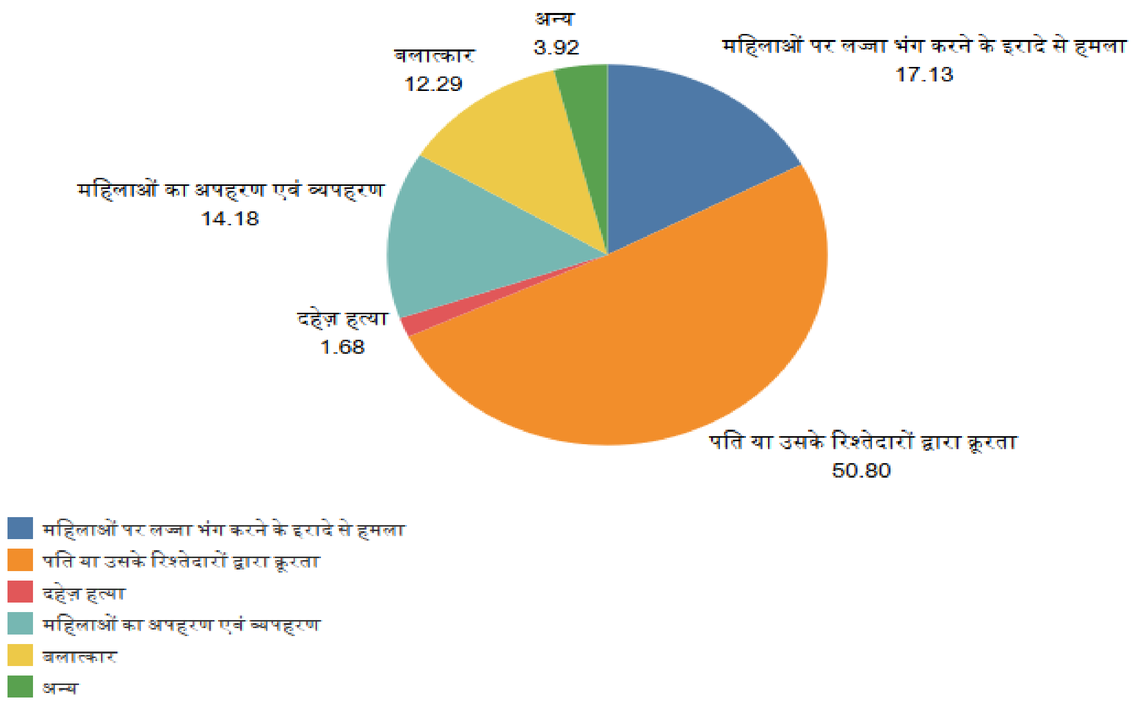

- 2010-19 की अवधि में महिलाओं पर लज्जा भंग करने के इरादे से हमला (276.31 प्रतिशत), बलात्कार (281.73 प्रतिशत), महिलाओं का अपहरण एवं व्यपहरण (138.47 प्रतिशत) और पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता (65.38 प्रतिशत) में उल्लेखनीय वृद्धि हुई।

- 2010-19 के दौरान महिलाओं के विरूद्ध दर्ज प्रमुख अपराधों में वर्षवार हिस्सेदारी की प्रवृत्ति **चार्ट 6** में दर्शायी गई है। जो दर्शाती है कि पिछले वर्षों में बलात्कार, महिलाओं पर लज्जा भंग करने के इरादे से हमला करने के अपराधों में वृद्धि हुई है।

चार्ट 6: 2010-19 के दौरान राजस्थान में महिलाओं के विरूद्ध दर्ज प्रमुख अपराधों में वर्षवार हिस्सेदारी की प्रवृत्ति

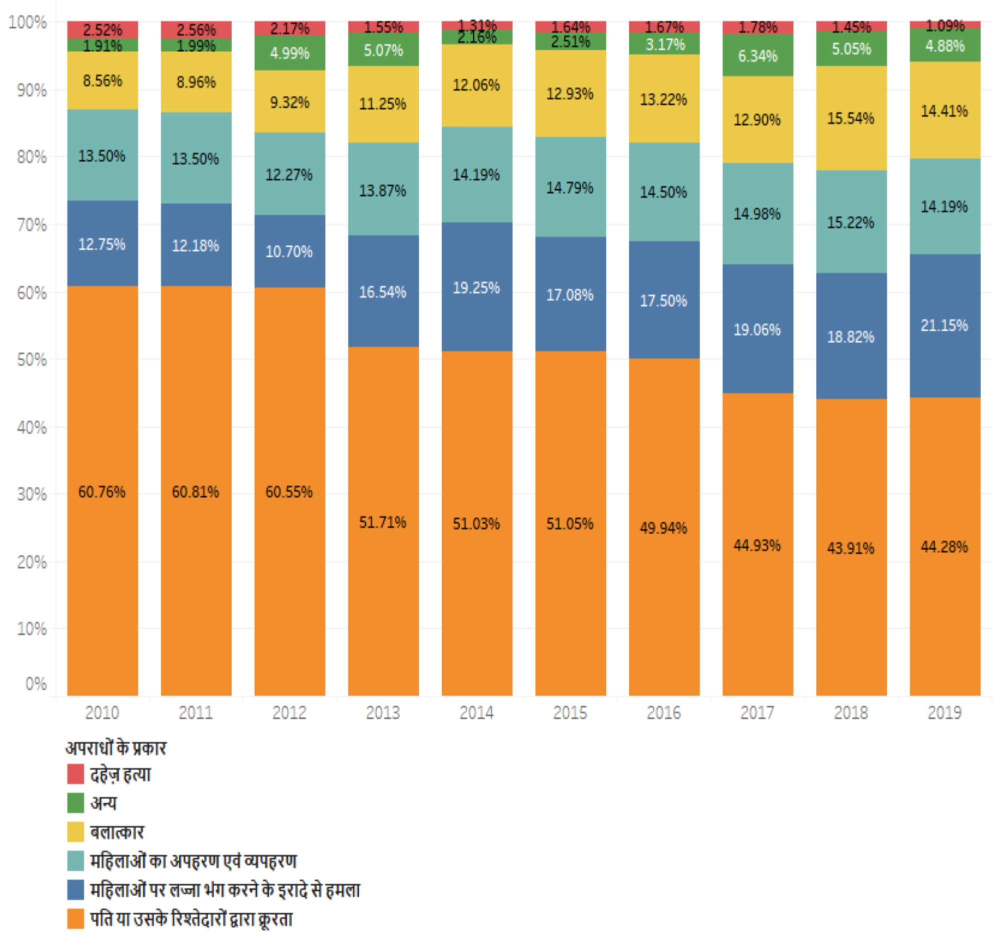

- राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट 2019 में उपलब्ध अपराध आँकड़ों के अनुसार, देश में दर्ज प्रकरणों में राजस्थान का स्थान पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता और बलात्कार के संबंध में प्रथम, दहेज हत्या एवं महिलाओं पर लज्जा भंग करने के इरादे से हमला के संबंध में चतुर्थ तथा महिलाओं का अपहरण एवं व्यपहरण में छठा था।
- राज्य में अदालतों द्वारा वर्ष 2012 से 2019 के दौरान कुल 6,373 व्यक्तियों[14] को बलात्कार (4,963) और दहेज हत्या (1,410) मामलों में दोषी ठहराया गया था।
- 2012-2019 की अवधि के दौरान राज्य में कुल 30,030 बलात्कार के मामले दर्ज[15] किए गए। इनमें से 3,322 मामले अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी)

14 पुलिस महानिदेशक राजस्थान द्वारा प्रकाशित 'क्राईम इन राजस्थान' के अनुसार।

15 पुलिस महानिदेशक राजस्थान द्वारा प्रकाशित मासिक अपराध रिपोर्ट के अनुसार।

(एससीः 2,704 और एसटीः 618) से संबंधित महिलाओं के विरुद्ध थे। इन 3,322 मामलों में से, 1,205 मामलों में (एससीः 1,009 और एसटीः 196) बंद करने के लिए अंतिम रिपोर्ट दायर की गई थी और 1,713 मामलों में (एससीः 1,366 और एसटीः 347) जांच अधिकारी द्वारा चालान अदालत में प्रस्तुत किए गए थे। 404 मामले (एससीः 329 और एसटीः 75) लंबित थे।

इसके आगे, कार्यालय पुलिस महानिदेशक, राजस्थान द्वारा प्रदत्त अपराध के 2019 के आंकड़ों का जिला स्तरीय विश्लेषण **चार्ट 7** में दर्शाया गया है।

चार्ट 7: महिलाओं से संबंधित दर्ज प्रमुख अपराधों के आधार पर राजस्थान में 2019 के दौरान अपराध प्रवृत्त जिले

गृह विभाग, राजस्थान सरकार ने प्रारूप प्रतिवेदन (दिसम्बर 2020) पर अपने उत्तर (फरवरी 2021) में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट का सन्दर्भ देते हुए अवगत कराया है कि 'अपराध असंख्य जटिल कारणों की अभिव्यक्ति है और चूंकि राज्यों की विभिन्न नीतियां और प्रक्रियाएं हैं, इसलिए इन प्रकाशित आंकड़ों के आधार पर राज्यों के बीच तुलना से बचना चाहिए', अपराध में वृद्धि और दर्ज अपराधों में वृद्धि में अंतर है। रिपोर्ट में दर्शाई गई संख्या में वृद्धि, विभाग द्वारा महिलाओं के आगे आने और उनकी शिकायतों को सुगमता से दर्ज करने के लिए बढ़ी हुई सुविधाओं के कारण है जो पहले नहीं थी। विभाग ने यह भी अवगत कराया कि 2019 में महिलाओं के विरूद्ध अत्याचार के दर्ज प्रकरणों में 45.88 प्रतिशत मामले बाद में गलत पाए गए। गृह विभाग के उत्तर की सराहना करते हुए, लेखापरीक्षा का मत है कि पंजीकृत अपराधों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि के कारण विभाग को अंतर्निहित कारकों की स्थानीय समुदायों के साथ संयुक्त पेशेवर जाँच करके मुद्दों का उचित समाधान करने और अपराधों की संख्या में वृद्धि के वास्तविक सत्यापित कारणों पर कार्यवाही करने के लिए राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के सुझावों का पालन करना अच्छा होगा।

2.4 स्थानीय एवं विशेष अधिनियमों के अन्तर्गत पंजीकरण

राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के प्रतिवेदन 'क्राईम इन राजस्थान' में अवगत कराया गया है कि स्थानीय एवं विशेष अधिनियम पीड़ित/पुनर्वास केन्द्रित हैं और इसका उद्देश्य पीड़ितों को अतिरिक्त सुरक्षा, मौद्रिक राहत, पुनर्वास, मुफ्त कानूनी सहायता/परामर्श आदि प्रदान करना है। स्थानीय एवं विशेष अधिनियमों के अन्तर्गत मामले पुलिस/अन्य अभिकरणों द्वारा स्वयं की पहल पर दर्ज किए जाते हैं और इन अधिनियमों के प्रवर्तन का एक निश्चित निवारक प्रभाव पड़ता है। इन अधिनियमों के अन्तर्गत अधिक संख्या में मामले सक्रिय पुलिसिंग को प्रदर्शित करते हैं, अर्थात् अपराध का पंजीकरण बेहतर पुलिस प्रयासों एवं बेहतर प्रवर्तन को इंगित करते हैं। 2010-19 की अवधि के दौरान, महिलाओं से संबंधित विभिन्न स्थानीय एवं विशेष अधिनियमों के अन्तर्गत 3,566 मामले दर्ज किये गये जबकि 2010-19 के दौरान भादसं के अन्तर्गत महिलाओं के विरूद्ध अपराध के विभिन्न शीर्षों में 2,68,172 मामले दर्ज किये गये। **चार्ट 8** में 2019 में स्थानीय एवं विशेष अधिनियमों में दर्ज विभिन्न अपराधों की तुलनात्मक हिस्सेदारी को दर्शाया गया है।

चार्ट 8: 2019 में स्थानीय एवं विशेष अधिनियमों में दर्ज अपराधों का तुलनात्मक हिस्सा

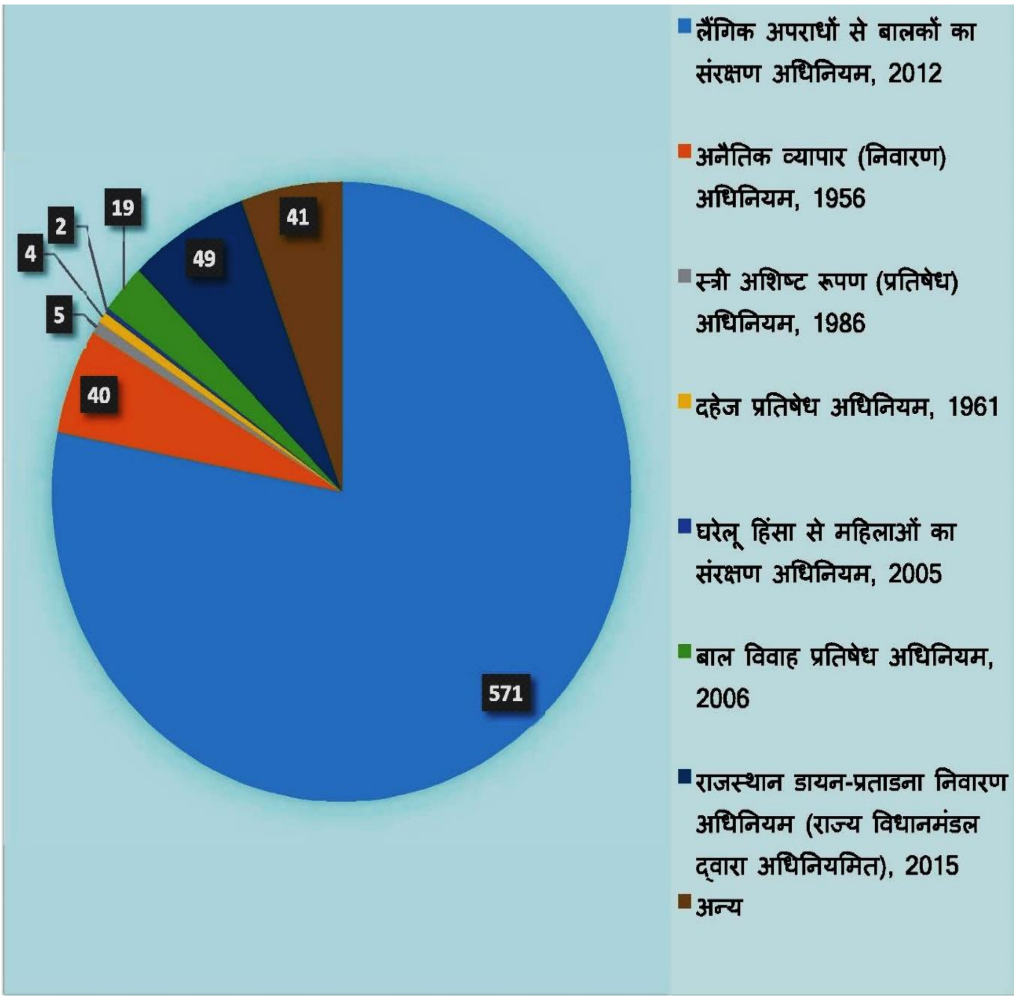

- वर्ष 2018 की तुलना में 2019 में, अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम (35.48 प्रतिशत), स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम (28.57 प्रतिशत), दहेज प्रतिषेध अधिनियम

(20.00 प्रतिशत) और घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 (33.33 प्रतिशत) के तहत मामलों के पंजीकरण में कमी आई।

- 2013 में महिलाओं का कार्य स्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के प्रवर्तन के बाद से एक भी मामला दर्ज नहीं किया गया।
- तथापि, 2019 में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (27.17 प्रतिशत), बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम (72.72 प्रतिशत) और राजस्थान डायन-प्रताड़ना निवारण अधिनियम (188.24 प्रतिशत) के तहत मामलों के पंजीकरण में वृद्धि हुई थी।
- महिलाओं के विरूद्ध हिंसा और अत्याचार और विभिन्न अधिनियमों, नियमों, योजनाओं और अवसरों के बारे में जागरूकता के संबंध में 42 महिलाओं का सर्वेक्षण[16] किया गया था जो कि महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की रोकथाम, संरक्षण और निवारण के संबंध में है। **चार्ट 9 और 10 में वृत्तचित्र** के रूप में दो बहुविकल्पीय सवालों के जवाब दिखाए गए हैं। सर्वेक्षण के परिणाम **तालिका 4** में दिए गए हैं।

चार्ट 9: प्रश्न महिलाओं के विरुद्ध अपराध का सबसे संभावित कारण कौन सा है?	*चार्ट 10: प्रश्न महिलाओं के विरुद्ध अपराध को रोकने के लिए इनमें से कौन सा कदम सबसे प्रभावी होगा?*

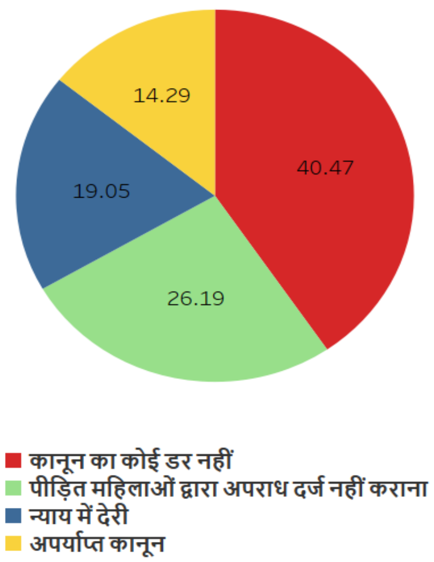

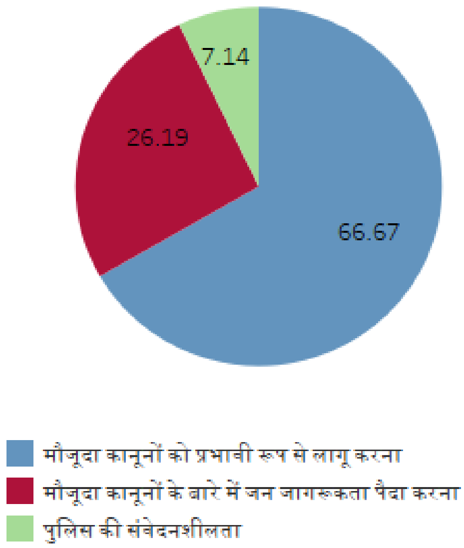

16 सर्वेक्षण में सम्मलित सभी महिलायें शिक्षित (23-स्नातक, 16-स्नातकोत्तर और 3 गैर-स्नातक) और पेशेवर कामकाजी (37 स्थायी कर्मचारी और 05 निजी कर्मचारी हैं जो कि अनुबंध के आधार पर कार्यरत हैं) सरकारी संगठनों में कार्यरत और जयपुर निवासी थी।

तालिका 4

क्र. सं.	प्रश्न	हाँ	नहीं
1	"क्या आप महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम के बारे में जानते हैं?"	76.19	23.81
2	"क्या आपका संगठन महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम के बारे में जागरूकता के लिए कार्यक्रम आयोजित करता है?"	52.38	47.62
3	"क्या आप आंतरिक समिति/स्थानीय समिति के बारे में जानते हैं?"	76.19	23.81
4	"क्या आप सरकार द्वारा दी जा रही कानूनी सहायता और पीड़ित मुआवजा योजनाओं के बारे में जानकारी रखते हैं?"	52.38	47.62
5	"क्या आप महिलाओं/बालिकाओं के साथ दुर्व्यवहार के मामलों में शिकायत दर्ज कराने, परामर्श और निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करने के लिए सरकारी व्यवस्था के बारे में जानकारी रखते हैं?"	59.53	40.47
6	"क्या आप सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा स्थापित स्वाधार गृह के बारे में जानते हैं?"	42.86	57.14
7	"क्या आप सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा स्थापित नारी निकेतन के बारे में जानते हैं?"	47.62	52.38
8	"क्या आप घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के बारे में जानते हैं?"	69.05	30.95
9	"अगर आप या आपके किसी जानकार को ऐसी स्थिति जहाँ पुलिस में शिकायत दर्ज की जानी थी, तो क्या आपको सहायता के लिए पुलिस थाने में महिला एवं बाल डेस्क के लिए निर्देशित किया गया था?"	38.10	61.90

निष्कर्ष

2010-19 की अवधि के दौरान महिलाओं के विरूद्ध दर्ज अपराधों में 10.86 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर के साथ 126.90 प्रतिशत की कुल वृद्धि हुई थी तथा राज्य में महिलाओं के विरूद्ध अपराध दर, अखिल भारतीय औसत से अधिक थी। राजस्थान में कुल अपराधों में महिलाओं के विरूद्ध दर्ज अपराध का अनुपात 2010 में 11.15 प्रतिशत से बढ़कर 2019 में 18.15 प्रतिशत हो गया।

अध्याय 3

राज्य सरकार द्वारा महिलाओं के विरुद्ध अपराध की रोकथाम, संरक्षण एवं निवारण की दिशा में किये गये प्रयास

अध्याय 3

राज्य सरकार द्वारा महिलाओं के विरुद्ध अपराध की रोकथाम, संरक्षण एवं निवारण की दिशा में किए गए प्रयास

2010-19 की अवधि के दौरान, राजस्थान में महिलाओं के विरुद्ध दर्ज अपराधों में 126.90 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी और राज्य में महिलाओं के विरुद्ध अपराध की दर अखिल भारतीय औसत से लगातार अधिक थी। 2019 में महिलाओं के विरूद्व 41,623 दर्ज अपराधों के साथ राजस्थान देश में दूसरे स्थान पर था। यह गंभीर स्थिति राजस्थान सरकार और उसकी सभी कार्यकारी संस्थाओं द्वारा ठोस और सक्रिय गतिविधियों की अपेक्षा करती है। इस अध्याय में महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की रोकथाम और निवारण के लिए विभिन्न विभागों द्वारा किए गए प्रयासों पर चर्चा की गई है। इन मुद्दों से जुड़ी भयावहता और संवेदनशीलता को देखते हुए, संबंधित प्राधिकारियों को इस उद्देश्य के लिए लागू किए गए अधिनियमों/कानूनों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करना था, पीड़ितों के पुनर्वास के लिए काम करने के लिए करुणा और संवेदनशीलता दिखाना और महिलाओं एवं बालिकाओं द्वारा सामना किए जाने वाले मुद्दों के बारे में समाज में जागरूकता पैदा करने के लिए प्रभावी कार्यवाही करनी थी। राजस्थान सरकार को एक ऐसी प्रणाली स्थापित करने की आवश्यकता है, जिससे संबंधित कार्यकारी विभाग अर्थात् महिला अधिकारिता निदेशालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, बाल अधिकारिता विभाग, गृह (पुलिस) और विधिक सेवा प्राधिकरण समन्वित तरीके से अपने निर्दिष्ट कार्य करें। इन विभागों को इस सामाजिक खतरे (जिससे राज्य की लगभग आधी आबादी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है) से निपटने के लिए एक उचित कार्ययोजना तैयार करनी थी।

यह अध्याय पांच भागों में विभाजित है, राज्य सरकार द्वारा बनायी गयी योजना के मूल्यांकन, संबंधित विभागों द्वारा अधिनियमों/नियमों को लागू करने, पुनर्वास के प्रयासों, विपत्ति में महिलाओं और बालिकाओं के लिए विभागों द्वारा महिलाओं के विरुद्ध अपराध की रोकथाम के लिए उठाए गए जन जागरूकता उपायों और मानव संसाधन तथा बुनियादी ढांचे के मुद्दे।

3.1 योजना

सरकारी व्यवस्था में योजना में वार्षिक/बहु-वर्षीय रणनीतियाँ विकसित करना, संसाधनों की पहचान करना और एक निश्चित समय सीमा के भीतर सरकार की प्राथमिकताओं को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कार्यों की पहचान करना और जोखिमों को कम करना शामिल है। यह बहु-आयामी मुद्दों से निपटने के साथ-साथ महिलाओं के विरुद्ध अपराध को रोकने और महिला सशक्तिकरण सुनिश्चित करने के लिए और भी अधिक महत्व रखता है। यहां सरकारी नीति के कार्यान्वयन के लिए स्पष्ट और व्यापक योजनाओं की आवश्यकता होती है जो सभी कार्यकारी संस्थाओं की जानकारी में हों और उनके द्वारा एक दूसरे के साथ समन्वय में कार्यान्वित की जाती है। इस प्रकार, लेखापरीक्षा ने विश्लेषण किया कि क्या महिलाओं और बालिकाओं के विरुद्ध हिंसा के सभी रूपों की रोकथाम, प्रवर्तन और निवारण के लिए विभागों के बीच एक व्यापक नीति एवं एक मजबूत योजना तथा समन्वय तंत्र मौजूद है।

योजना प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार प्रमुख विभागों और उनके निदेशालयों को निम्नलिखित **चार्ट 11** दर्शाता है।

चार्ट 11

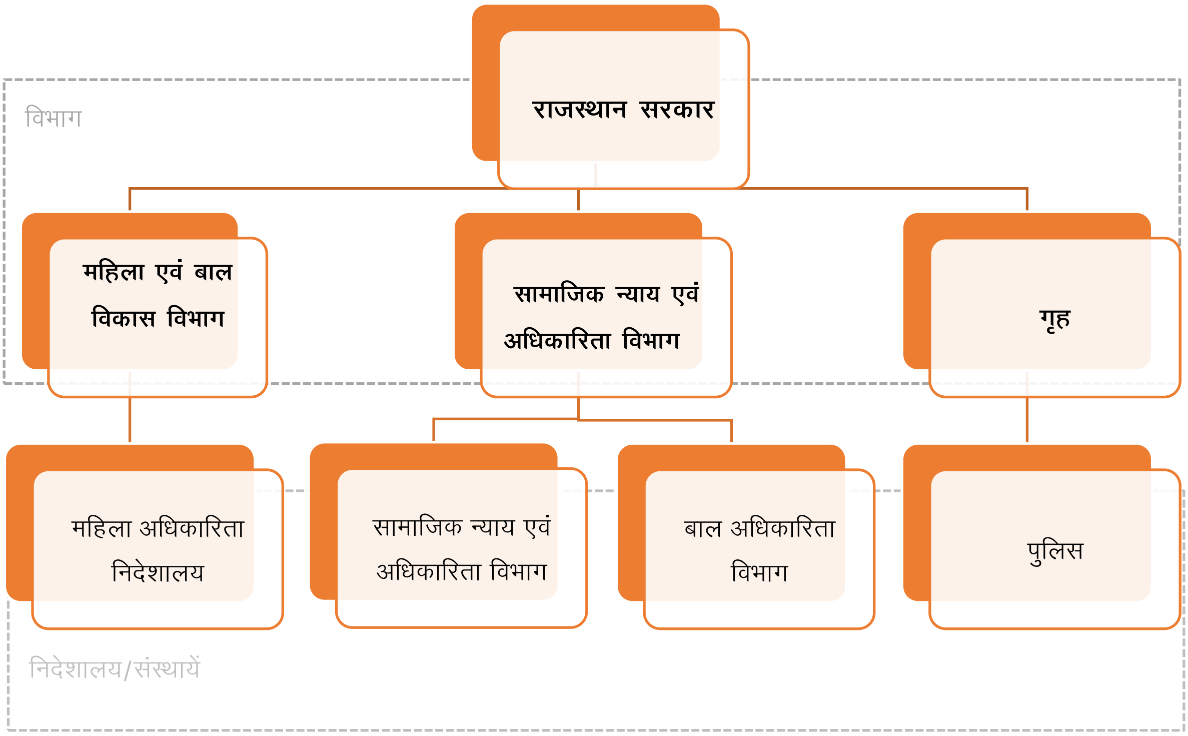

3.1.1 समेकित कार्य योजनाओं को तैयार नहीं करना

लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, राजस्थान राज्य महिला नीति, 1996 प्रभाव में थी। यह महिलाओं की स्थिति और स्तर में सुधार लाने के उद्देश्य से तैयार की गई थी, ताकि शोषण और शोषणकारी प्रथाओं को खत्म करने के लिए प्रक्रिया, तौर-तरीके और प्रणाली को गतिशील बनाया जा सके तथा बालिकाओं और महिलाओं का समग्र रूप से विकास करने में एक सहायक वातावरण बनाया जा सके। यह नीति, महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए कुछ विभागों और संगठनों की अलग-अलग कार्ययोजनाओं के स्थान पर एक बहुस्तरीय और एकजुट कार्यक्रम की आवश्यकता को स्वीकार करती है। एक पक्ष में प्रगति की कमी दूसरों को धीमा कर सकती है। उदाहरण के लिए, सामाजिक सहायता सेवाएं जैसे कि बाल देखभाल, स्वच्छ पेयजल, उचित स्वच्छता सुविधाएं, आय सृजन के अवसर एवं घर पर तथा समाज में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा से निपटने के लिए तंत्र को एक साथ कार्य करना होगा।

इसके अनुरूप, नीति ने संबंधित विभागों के साथ प्रमुख महत्व वाले क्षेत्रों की पहचान की और चिन्हित किया। ये नोडल विभाग अपनी क्षेत्रीय योजनाओं के साथ, समय सीमा और बजट के साथ एक कार्य योजना को तैयार करने के लिए जिम्मेदार हैं। यह महिलाओं के विकास के लिए

समेकित कार्य योजना तैयार करने के कार्य को सुविधाजनक बनाने के लिए किया गया था। महिला अधिकारिता निदेशालय जो कि इस नीति के कार्यान्वयन और निगरानी के लिए नोडल प्राधिकरण है, से निम्नलिखित नीतिगत उद्देश्यों को प्राप्त करने की अपेक्षा की गई थी:

- लैंगिक समानता और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए नीतियों और कार्यक्रमों की शुरुआत करना।
- अत्यधिक गरीबी और कठिन परिस्थितियों में बालिकाओं, किशोरियों और महिलाओं की विशेष आवश्यकताओं को पहचानना।
- खराब पोषण, खराब स्वास्थ्य, जल्दी बच्चे पैदा करने और महिलाओं में उच्च मृत्यु दर के दुष्चक्र को पहचानना।
- यह सुनिश्चित करना कि सभी उम्र की सभी महिलाओं को अपनी आवश्यकताओं के लिए उपयुक्त शिक्षा की समान पहुंच हो।
- सभी स्तरों पर और सभी विभागों में सरकारी अधिकारियों के लिंग संवेदीकरण के लिए अनुकूल वातावरण और उपयुक्त तंत्र बनाएं।

मअनि सभी संबंधित विभागों जैसे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, बाल अधिकारिता विभाग, गृह और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य आदि की योजनाओं को समेकित करने के लिए नोडल विभाग नामित था और यह अपेक्षित है कि वह महिलाओं एवं बालिकाओं के विरुद्ध अपराध को रोकने के लिये सभी हितधारक विभागों और संस्थाओं को समन्वित तरीके से कार्य को सुनिश्चित करने के लिए समेकित कार्य योजना तैयार करें।

निम्नलिखित **चार्ट** में महिलाओं के विरुद्ध अपराध की रोकथाम, संरक्षण और निवारण से संबंधित नोडल विभागों को संक्षेप में दर्शाया गया है, जिनसे उनके क्षेत्रों और व्यापक मुद्दों के लिए योजना बनाने की अपेक्षा है।

चार्ट 12: योजना की दिशा में नोडल विभाग और उनके उत्तरदायित्व

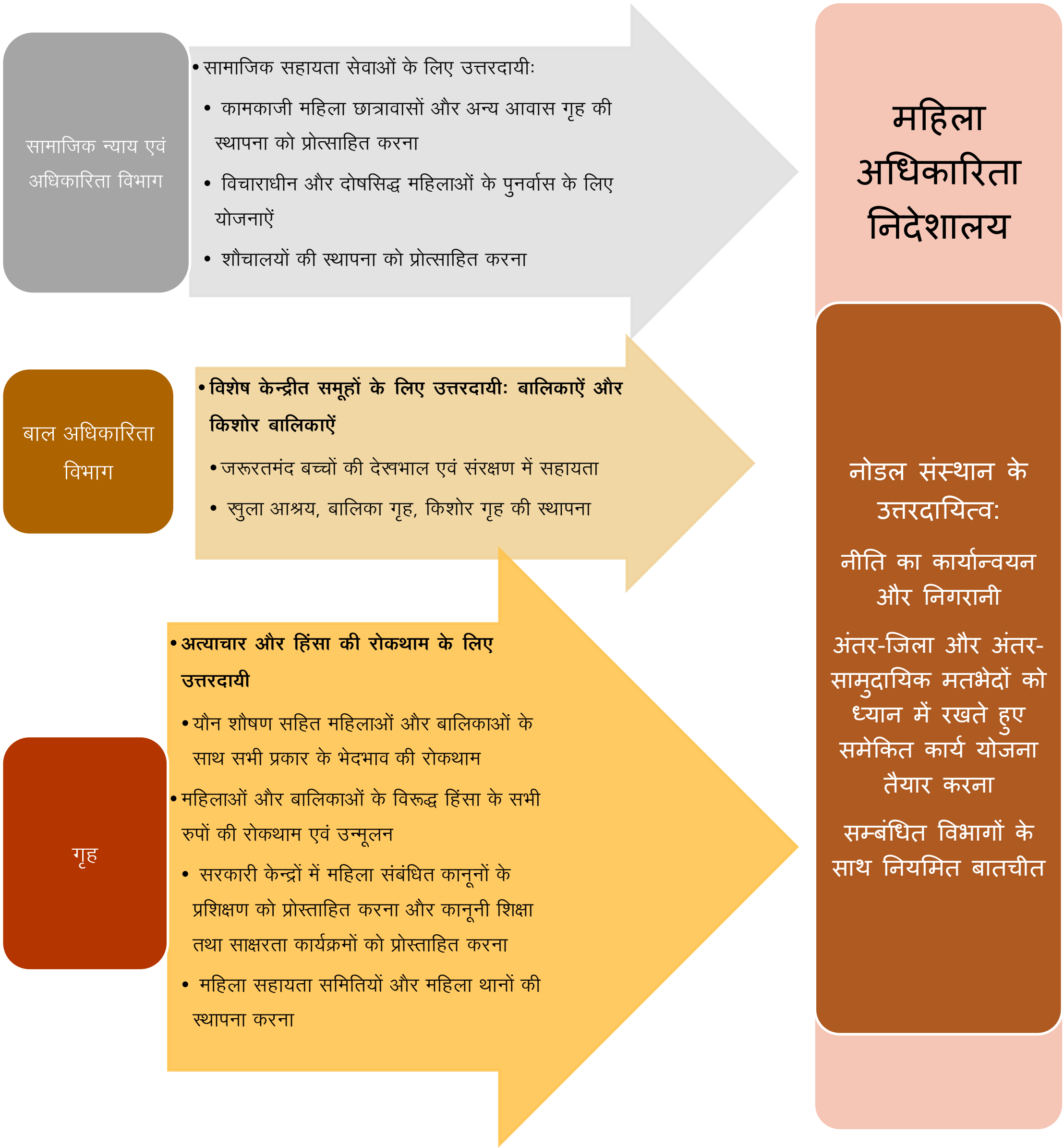

इन उद्देश्यों को विभिन्न विभागों के बीच समन्वय के माध्यम से कई प्राथमिकता वाले क्षेत्रों[17] के अंतर्गत प्राप्त किया जाना था । सभी संबंधित विभाग अपने-अपने क्षेत्रों में कार्य योजना, समय सीमा और बजट के साथ योजनाऐं तैयार करने के लिए जिम्मेदार थे ।

आयुक्त, मअनि के अभिलेखों की संवीक्षा में प्रकट हुआ कि 2012-17 के दौरान मअनि द्वारा न तो संबंधित विभागों से महिलाओं के विकास और संरक्षण की योजनाएं प्राप्त की गई थीं और न ही इन्हें प्राप्त करने और समेकित करने के प्रयास किये गये थे ।

राज्य सरकार ने अवगत कराया (फरवरी 2019) कि महिलाओं के विकास, सशक्तिकरण और सुरक्षा सुनिश्चित करने का उद्देश्य प्राप्त करने के लिए मअनि, शिक्षा विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग आदि द्वारा विभिन्न योजनाएं/कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं । इसके अलावा, राज्य सरकार ने अवगत कराया (फरवरी 2019) कि बदले हुए सामाजिक परिदृश्य में, महिलाओं के लिए नई राज्य नीति का मसौदा अन्य विभागों के सहयोग से अंतिम रूप देने के लिए विचाराधीन है ।

राज्य सरकार का उत्तर मान्य नहीं है, समेकित योजना, जो विभागों द्वारा ठोस कार्यवाही के लिए प्राथमिक उपकरण था उसे पूरा नहीं किया गया था और मअनि द्वारा विभिन्न विभागों की योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए कोई प्रयास नहीं किए गए थे ।

अग्रेत्तर आयुक्त, मअनि के अभिलेखों की संवीक्षा (सितम्बर 2020) में प्रकट हुआ कि संशोधित नीति को 2013 के बाद से विचाराधीन होने के बावजूद अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है। इसके अलावा, 2017-20 के दौरान भी न तो महिलाओं के विकास और संरक्षण के लिए योजनाएं संबंधित विभागों से प्राप्त हुईं और न ही इस तरह की योजनाओं को प्राप्त करने और समेकित करने के लिए मअनि द्वारा कोई प्रयास किए गए थे ।

मबावि विभाग, राजस्थान सरकार ने प्रारूप प्रतिवेदन (दिसम्बर 2020) पर अपने प्रतिउत्तर (फरवरी 2021) में अवगत कराया कि राज्य महिला नीति महिलाओं के शैक्षणिक विकास, सामाजिक, आर्थिक उन्नयन और शोषण से बचाव के दृष्टिगत एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है । इस संदर्भ में, विभिन्न योजनाएं/कार्यक्रम मअनि, शिक्षा विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग इत्यादि द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे हैं, लेकिन एक कार्य योजना में संकलित नहीं है । योजना संबंधित विभागों से प्राप्त की गई और 'महिला कल्याण एवं सशक्तिकरण हेतु योजनाऐं' नामक एक पुस्तिका योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए 17 विभागों के समन्वय के साथ तैयार की गई । इसके अलावा, राज्य सरकार ने यह भी अवगत कराया (फरवरी 2021) कि 2021 में नई राज्य महिला नीति तैयार की जाएगी और

17 आर्थिक सशक्तिकरण (ग्रामीण विकास विभाग); सामाजिक सहायता सेवायें (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग); स्वास्थ्य, पोषाहार और जन स्वास्थ्य (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग); साक्षरता और शिक्षा (प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग); अत्याचारों और हिंसा की रोकथाम (गृह विभाग); प्राकृतिक संसाधन और पर्यावरण (पंचायती राज विभाग); संचार माध्यम (जन सम्पर्क विभाग); राजनीतिक भागीदारी (पंचायती राज विभाग) ।

भविष्य में संबंधित विभागों की क्षेत्रवार कार्य योजना को संकलित कर बेहतर पर्यवेक्षण सुनिश्चित किया जायेगा।

मबावि विभाग, राजस्थान सरकार का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि समेकित योजना, जो कि विभागों द्वारा ठोस कार्यवाही के लिए प्राथमिक उपकरण था, नहीं बनाई गई और मअनि द्वारा विभिन्न विभागों की योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए प्रयास नहीं किए गये।

मबावि विभाग, राजस्थान सरकार ने प्रारुप प्रतिवेदन (नवंबर 2021) पर अपने प्रतिउत्तर (फरवरी 2022) में अवगत कराया कि राज्य में अप्रैल 2021 में महिलाओं के लिए राजस्थान राज्य महिला नीति 2021 लागू कर दी गई है। कार्य योजना संबंधित क्षेत्रों के नोडल विभाग और संबद्ध विभागों द्वारा तैयार की जाएगी।

लेखापरीक्षा का मत है कि समेकित योजना के अभाव में संबंधित विभागों की अन्य गतिविधियों जैसे कि आवश्यक बुनियादी ढांचा विकास, क्षमता निर्माण, जागरूकता सृजन, प्रवर्तन इत्यादि को सुनिश्चित करने पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। जैसा कि अनुवर्ती अनुच्छेदों में विस्तार से बताया गया है।

3.1.2 राज्य नीति के अंतर्गत बालिकाओं के लिए कार्य योजना तैयार नहीं करना

लेखापरीक्षा अवधि के दौरान राजस्थान राज्य बालिका नीति, 2013 अस्तित्व में थी। यह बालिकाओं के लिए अस्तित्व, उन्नति, विकास, संरक्षण और सशक्तिकरण के लिए सक्षम वातावरण का सृजन करती है। यह महिला एवं बाल विकास विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, गृह विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग तथा ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग सहित छः विभागों के बीच परामर्श प्रक्रिया के माध्यम से इस दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए एक राज्य कार्य योजना के विकास को निर्धारित करती है। राज्य सरकार के समस्त संबंधित विभागों को अपनी कार्य योजनाओं को आगे बढ़ाने की आवश्यकता थी, जिसे मअनि द्वारा संयुक्त रूप से राज्य कार्य योजना तैयार करने के लिए संयोजित किया जाएगा। राज्य कार्य बल (राकाब) द्वारा बालिकाओं के लिए राज्य कार्य योजनाओं की समीक्षा की जानी थी और मुख्यमंत्री द्वारा अनुमोदित किया जाना था।

समेकित कार्य योजना को तैयार करने में जो कमियां देखी गई, उनके समान ही राज्य कार्य योजना को तैयार करने में भी कमियां पाई गई।

राज्य सरकार ने अवगत कराया (फरवरी 2019) कि राज्य बालिका नीति के तहत समेकित राज्य कार्य योजना तैयार करने के लिए संबंधित विभागों से कार्य योजना प्राप्त करने के प्रयास किए जा रहे थे।

आगे, आयुक्त, मअनि के अभिलेखों की संवीक्षा (सितम्बर 2020) में प्रकट हुआ कि बालिकाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए समेकित कार्य योजना मअनि द्वारा 2017-20 के दौरान भी तैयार नहीं की गई थी, तथापि इन प्रत्येक वर्षों में मअनि ने संबंधित विभागों से उनके द्वारा तैयार कार्य योजनाओं को प्रेषित करने का अनुरोध किया था। तथापि, किसी भी विभाग ने ऐसी

कोई योजना मअनि को नहीं भेजी। इसलिए राजस्थान राज्य बालिका नीति, 2013 की अधिसूचना के सात साल बीत जाने के बाद भी राज्य नीति को लागू नहीं किया गया।

मबावि विभाग, राजस्थान सरकार ने प्रारूप प्रतिवेदन (दिसम्बर 2020) पर अपने प्रतिउत्तर (फरवरी 2021) में अवगत कराया कि मअनि द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं के संरक्षण तथा सशक्तिकरण हेतु विभिन्न योजनाओं यथा बेटी बचाओ बेटी पढाओ, महिला शक्ति केंद्र, एक संकट प्रबंधन केन्द्र, महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र, सामूहिक विवाह अनुदान, अमृता हाट योजना इत्यादि के माध्यम से प्रयास किये जा रहे थे, जो कि राज्य बालिका नीति के उद्देश्य के अनुरूप थे तथा विभाग ने उक्त योजनाओं के लिए वार्षिक कार्य योजना तैयार की थी। अग्रेत्तर यह भी अवगत कराया कि समेकित राज्य महिला नीति का मसौदा तैयार किया जा चुका है और तद्नुरूप समेकित कार्य योजना अनुमोदित करवाकर बेहतर तरीके से अनुपालन सुनिश्चित की जायेगी।

लेखापरीक्षा ने स्वीकार किया कि महिलाओं एवं बालिकाओं के सशक्तिकरण हेतु अनेक योजनायें प्रारम्भ की गई थी फिर भी मअनि ने संबंधित विभागों से योजना प्राप्त करने के उपरान्त भी बालिकाओं के संरक्षण और सशक्तिकरण के लिए समेकित कार्य योजना तैयार नहीं की थी, जिसके कारण समस्त संबंधित विभागों द्वारा ठोस और समन्वित कार्यवाही सुनिश्चित नहीं की जा सकी। इसी प्रकार, उपर्युक्त योजनाओं की वार्षिक कार्य योजना सत्यापन के लिए लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं करवाई गई थी।

मबावि विभाग, राजस्थान सरकार ने प्रारुप प्रतिवेदन (नवंबर 2021) पर अपने प्रतिउत्तर (फरवरी 2022) में अवगत कराया कि जिम्मेदार विभागों के साथ समन्वय के बाद कार्य योजना तैयार की जाएगी।

3.1.3 बालकों के संरक्षण की योजना में बालिकाओं के विरूद्ध हिंसा को समाप्त करने का प्रावधान शामिल नहीं किया जाना

बाल अधिकारिता विभाग बालकों के लिए राष्ट्रीय नीति 2013 के कार्यान्वयन और बालकों के संरक्षण के लिए समय-समय पर तैयार की गई अन्य नीति के लिए नोडल एजेंसी है। इसलिए, यह बच्चों और अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के लिए योजनाओं, नीतियों, कानून के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी है। बच्चों की देखभाल और संरक्षण के लिए केंद्र प्रायोजित समेकित बाल संरक्षण योजना (सबासंयो) लागू की जा रही है। सबासंयो, मौजूदा विविध बाल संरक्षण कार्यक्रमों[18] को एक छत्र के नीचे लाता है। सबासंयो के अध्याय 9 (ii) के अनुसार, राज्य और जिला स्तर पर बच्चों के संरक्षण के लिए योजना तैयार की जानी है।

निदेशक, बाल अधिकारिता विभाग के अभिलेखों की संवीक्षा में प्रकट हुआ कि यद्यपि विभाग द्वारा वर्ष 2013-17 के दौरान कार्यान्वयन योजनाऐं तैयार की गई थी, लेकिन बालकों के लिए राष्ट्रीय नीति 2013 में उपबंधित, बालिकाओं के शोषण, बिक्री या तस्करी की रोकथाम के लिए विशिष्ट

18 राजकीय किशोर गृह, खुला आश्रय गृह,पालन पोषण संबन्धी देखभाल, दत्तक ग्रहण और देखभाल, बालिका गृह इत्यादि।

प्रावधान और सतत् विकास लक्ष्यों में निहित हिंसा के सभी रूपों का उन्मूलन को इन योजनाओं में शामिल नहीं किया गया था।

अग्रेत्तर समीक्षा (अगस्त 2020) से प्रकट हुआ कि बालिकाओं के शोषण और तस्करी से निपटने के उपायों को शामिल करने के प्रयास अभी भी नहीं किये गए थे।

बाअवि, राजस्थान सरकार ने प्रारूप प्रतिवेदन (दिसम्बर 2020) के प्रतिउत्तर (जनवरी 2021) में अवगत कराया कि राजस्थान राज्य बालिका नीति 2013 को राष्ट्रीय बालिका नीति 2013 से पहले बनायी गयी थी, जिसमें "हिंसा, दुर्व्यवहार और उपेक्षा से सुरक्षा" अध्याय शामिल था। इसके अलावा, यह अवगत कराया गया कि लेखापरीक्षा का यह अवलोकन कि बालिका दुर्व्यवहार को रोकने के उपायों को नीति में शामिल नहीं किया गया है, कुछ हद तक मान्य नहीं था, क्योंकि वर्तमान परिदृश्य में बालिका शोषण को रोकने के लिए कई कानूनी ढाँचे यथा पोक्सो अधिनियम और किशोर न्याय अधिनियम उपलब्ध हैं।

लेखापरीक्षा का मत है कि, यद्यपि राजस्थान राज्य बालिका नीति 2013 में बालिकाओं के विरूद्ध "हिंसा, दुर्व्यवहार और उपेक्षा से सुरक्षा" अध्याय शामिल था, विभाग की कार्यान्वयन योजनाओं में बालिकाओं के शोषण, बिक्री, तस्करी और दुर्व्यवहार एवं हिंसा को संबोधित करने के उद्देश्य से विशिष्ट प्रावधान शामिल नहीं थे, जैसा कि राष्ट्रीय बालिका नीति 2013 और सतत् विकास लक्ष्यों में वांछित था।

बाद में यह देखा गया कि अप्रैल 2021 में महिलाओं के लिए नई राजस्थान राज्य नीति 2021 लागू हुई, जिसमें बालिकाओं के शोषण, बिक्री या तस्करी की रोकथाम और राष्ट्रीय बालिका नीति 2013 में निहित सभी प्रकार की हिंसा को समाप्त करने के लिए विशिष्ट प्रावधान तथा सतत् विकास लक्ष्यों को शामिल किया गया था।

बाअवि, राजस्थान सरकार ने प्रारूप प्रतिवेदन (नवम्बर 2021) पर प्रतिउत्तर (जनवरी 2022) में अवगत कराया कि बच्चों को मानव तस्करी से बचाने के लिए महत्वपूर्ण कार्यवाही की गई थी, लेकिन इस संबंध में कोई पुष्टिकारक दस्तावेज़ प्रदान नहीं किया गया।

3.1.4 महिलाओं के लिए नई राजस्थान राज्य नीति को अंतिम रूप देने में देरी

यद्यपि महिलाओं के लिए राजस्थान राज्य नीति के संशोधन की प्रक्रिया 2013 से चल रही थी, राज्य सरकार ने अप्रैल 2021 में नई नीति (राजस्थान राज्य महिला नीति 1996 और राजस्थान राज्य बालिका नीति 2013 को प्रतिस्थापित कर) को अंतिम रूप दिया और लागू किया। नई नीति महिलाओं के लिए हर तरह से बदलते परिदृश्य अर्थात् लैंगिक समानता, महिला सशक्तिकरण, महिला सुरक्षा आदि के परिपेक्ष में तैयार की गई है और इसे सतत् विकास लक्ष्य 2030 में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने की दृष्टि से तैयार किया गया है। नई नीति में विशेष केन्द्रित समूहों की महिलाओं और बालिकाओं सहित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, असंगठित क्षेत्र की कामकाजी महिलाओं, सिलिकोसिस प्रभावित महिलाओं, सरोगेट माताओं, एचआईवी कैदियों और विशेष योग्यजन महिलाओं आदि पर विशेष ध्यान दिया गया है। नई नीति में महिलाओं से संबंधित मुद्दों सहित जन्म, प्रसवोत्तर, पोषण और स्वास्थ्य, शिक्षा और प्रशिक्षण,

आर्थिक सशक्तिकरण, राजनीतिक और सामाजिक सशक्तिकरण, रोकथाम, संरक्षण और निवारण तथा पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन एवं आपदा और नीति के माध्यम से प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों के रूप में उनकी पहचान पर जोर दिया गया है ।

महिला अधिकारिता निदेशालय नई नीति के क्रियान्वयन और समन्वित एवं समेकित कार्य योजना को विकसित करने के लिए नोडल विभाग है । नीति के कार्यान्वयन के लिए दिशा निर्देश महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से जेन्डर प्रकोष्ठ, महिला अधिकारिता निदेशालय द्वारा तैयार किये जाने है तथा राज्य और जिला स्तर के लिए नई नीति के प्रावधानों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए एक तंत्र भी प्रस्तावित किया गया है जिसके लिए महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास, गृह, रारामआ, राराबाअसंआ, संयुक्त राष्ट्र एजेंसी, नागरिक समाज संगठन तथा अन्य संबंधित विभागो के नियमित समन्वय की आवश्यकता होगी । सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग की मदद से महिला अधिकारिता निदेशालय (जेन्डर प्रकोष्ठ) द्वारा एक एकीकृत ऑनलाइन निगरानी मंच भी विकसित किया जाएगा । हिंसा प्रभावित महिलाओं एवं बालिकाओं को एक ही छत के नीचे शारीरिक, चिकित्सीय एवं कानूनी सहायता उपलब्ध कराने के लिए जिला एवं खंड स्तर पर एकल खिड़की आपात केन्द्र स्थापित किए जाने हैं । ऑनर क्राइम और ऑनर किलिंग पर नियंत्रण के लिए दिशा-निर्देश पुलिस विभाग द्वारा जारी किए जाने हैं ।

महिला अधिकारिता निदेशालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, बाल अधिकारिता विभाग, गृह, विधि एवं विधिक विभागों से नई नीति के कार्यान्वयन की दिशा में प्रगति के सम्बद्ध में जबाब मांगा गया था (अक्टूबर 2021), जिसका विधि एवं विधिक विभाग से उत्तर अभी भी प्रतीक्षित था (जनवरी 2022) ।

गृह विभाग ने अवगत कराया (अक्टूबर 2021) कि शासन सचिव, गृह विभाग की अध्यक्षता में नई नीति के अंतर्गत महिलाओं एवं बालिकाओं से संबंधित रोकथाम, संरक्षण एवं निवारण के प्रावधानों के प्रभावी एवं समय पर क्रियान्वयन हेतु विभिन्न संबंधित विभागों के साथ 20 अक्टूबर 2021 को बैठक की गई ।

बाल अधिकारिता विभाग ने अवगत कराया (दिसंबर 2021) कि सात सरकारी बालिका गृहों और 37 गैर-सरकारी बालिका गृहों के संचालन, एचसीएमआरआईपीए, जयपुर में सेंटर फॉर जेंडर स्टडीज के माध्यम से बाल अधिकारिता विभाग के तहत शासित संस्थाओं/एजेंसियों के प्रबंधन को प्रशिक्षण के प्रावधान सहित विभिन्न पहल की गई है । वर्ष 2022 में आयोजित होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों में लिंग संवेदनशीलता को एक विषय के रूप में समावेश किया जायेगा तथा वन स्टॉप क्राइसिस मैनेजमेंट सेंटर, 'अपराजिता/सखी केंद्र' को दुरस्त घोषित किया जा रहा है ।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने अवगत कराया (जनवरी 2022) कि विभाग के जिला अधिकारियों द्वारा राजस्थान राज्य महिला नीति 2021 के प्रभावी क्रियान्वयन और प्रगति के लिए प्रयास किए जा रहे हैं । यह भी कहा गया कि नीति कार्यान्वयन के मार्गदर्शन के लिए विभाग और महिला अधिकारिता निदेशालय के बीच समन्वय स्थापित करके उनके साथ बैठकें की गई हैं ।

महिला अधिकारिता निदेशालय ने अवगत कराया (जनवरी 2022) कि नीति एक दीर्घकालिक दृष्टि दस्तावेज है और कहा कि क्षेत्रवार कार्य समूहों का गठन कर दिया गया तथा मौजूदा योजनाओं के साथ क्षेत्रवार अंतःक्षेप किया जा रहा था।

3.1.5 महिलाओं के विरूद्ध अत्याचार और हिंसा की रोकथाम के लिए योजनाओं को तैयार नहीं करना

गृह विभाग महिलाओं के विरूद्ध अत्याचार और हिंसा को रोकने के लिए जिम्मेदार है। यह कठोर कार्रवाई, वकालत, संवेदनशीलता और कानून लागू करने वाले विभागों/लोगों की जागरूकता के माध्यम से किया जाना था। तद्नुसार, गृह विभाग एक कार्य योजना, समय सीमा और बजट के साथ योजनाओं की तैयारी के लिए जिम्मेदार था।

पुलिस महानिदेशक, राजस्थान के अभिलेखों की जांच में प्रकट हुआ (अप्रैल 2017) कि महिलाओं पर अत्याचार और हिंसा को रोकने की योजना विभाग द्वारा तैयार नहीं की गई थी। हालांकि, पुलिस द्वारा की जाने वाली गतिविधियों की वार्षिक कार्य योजना कुछ व्यक्तिगत शाखाओं द्वारा तैयार की गई थी, अन्य (हाउसिंग, सशस्त्र बटालियन, कार्मिक, अपराध, एटीएस और एसओजी और पुलिस मुख्यालय) ने 2012-17 के दौरान कोई योजना तैयार नहीं की थी।

अतिरिक्त महानिदेशक (सिविल राईट्स) ने अवगत कराया (मई 2018) कि महिलाओं के विरुद्ध अपराध की रोकथाम के लिए विभिन्न कार्य/पहल जैसे हर जिले में महिला पुलिस थाने की स्थापना, जयपुर में महिलाओं के लिए एक संकट प्रबंधन केंद्र, छात्राओं के लिए रक्षा प्रशिक्षण का आयोजन और राज्य में अपने छात्र को जाने-अपनी पुलिस को जाने कार्यक्रम चलाये गए थे। हालांकि, इन कार्यक्रमों के इष्टतम कार्यान्वयन के लिए एक निश्चित कार्यनीति या योजना के अस्तित्व के बारे में विशिष्ट उत्तर विभाग द्वारा नहीं दिया गया था।

अग्रेत्तर अतिरिक्त महानिदेशक (योजना एवं कल्याण), राजस्थान के अभिलेखों की समीक्षा (अगस्त 2020) में देखा गया कि 2017-20 के दौरान महिलाओं पर अत्याचार और हिंसा की रोकथाम के लिए योजना तैयार करने के लिए कार्रवाई नहीं की गई।

गृह विभाग, राजस्थान सरकार ने प्रारूप प्रतिवेदन (दिसम्बर 2020) के प्रतिउत्तर (फरवरी 2021) में अवगत कराया कि महिलाओं के विरूद्ध अपराध की रोकथाम और सुरक्षा के लिए विभिन्न गतिविधियां[19] की जा रही हैं। इसमें उन्होंने अग्रेत्तर अवगत कराया कि एक विस्तृत कार्य योजना तैयार की गई थी और अनुपालना के लिए एसपी/डीसीपी को दिशा-निर्देश (नवंबर 2016) दिए गए थे।

---

19 महिला गरिमा हेल्प लाइन 1090, महिलाओं के लिए वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर, अपने छात्र को जाने-अपनी पुलिस को जाने, महिला एवं बाल डेस्क, महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र, महिला पेट्रोलिंग इकाई, विशेष जांच इकाई इत्यादि, सोशल मीडिया यथा वाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर इत्यादि का इस्तेमाल, आपातकालीन सेवाओं यथा एम्बुलेंस, अग्निशामक, स्वास्थ्य, पुलिस आदि के लिये कामन नंबर 112 का उपयोग, राजकोप सिटीजन एप के माध्यम से पुलिस सहायता आदि और सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से पुलिस थानों पर पुलिस कार्य की निगरानी की जा रही है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि योजना के अंतर्गत कार्य योजना, बजट और समय सीमा अभी भी नहीं थीं। योजनाओं की कमी के कारण, राजस्थान सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयास तदर्थवाद से प्रभावित थे और इसके अलावा, राज्य महिला नीति में वांछित अधिक व्यापक अंतर-विभागीय योजना का हिस्सा नहीं थे। हालांकि एडीजी (सिविल राईट्स) ने निर्देश जारी किए, महिलाओं के विरूद्ध अपराध में कमी के लिए वार्षिक लक्ष्यों के साथ कोई विशेष कार्ययोजना गृह विभाग के पास उपलब्ध नहीं थी।

निष्कर्ष

राज्य सरकार महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की रोकथाम और निवारण के लिए एक एकीकृत और रणनीतिक कार्य योजना तैयार करने में विफल रही। महिला अधिकारिता निदेशालय ने महिलाओं के संरक्षण और विकास के लिए योजनाएं तैयार नहीं की और 'राजस्थान राज्य महिला नीति' और 'राजस्थान राज्य बालिका नीति' के अनुरूप बालिकाओं के संरक्षण और सशक्तिकरण हेतु सक्षम वातावरण के लिए समेकित कार्य योजना नहीं बनाई गई। बाल अधिकारिता विभाग ने अपनी योजनाओं में बालिकाओं के शोषण, बिक्री या तस्करी की रोकथाम से संबंधित प्रावधानों को भी शामिल नहीं किया। राजस्थान राज्य महिला नीति 1996 और राजस्थान राज्य बालिका नीति 2013, दोनों को प्रतिस्थापित कर महिलाओं के लिए नई राजस्थान राज्य नीति अप्रैल 2021 में लागू की गई। महिलाओं के विरुद्ध अत्याचार और हिंसा को रोकने के लिए पुलिस विभाग ने रणनीतिक योजना तैयार नहीं की थी।

अनुशंसाएँ

1. राज्य सरकार को 'राजस्थान राज्य महिला नीति 2021' के अनुसार समस्त संबंधित हितधारकों से प्राप्त आदानों के आधार पर महिलाओं एवं बालिकाओं के विरुद्ध अत्याचारों और हिंसा को रोकने के लिए एक समेकित कार्य योजना तैयार करनी चाहिए।

2. महिला अधिकारिता विभाग को हितधारक विभागों के साथ समन्वय और नियमित बातचीत सुनिश्चित करनी चाहिए ताकि 'राजस्थान राज्य महिला नीति 2021' के उद्देश्यों को सार्थक और प्रभावी रूप से प्राप्त किया जा सके।

3.2 प्रवर्तन

राजस्थान में, महिला अधिकारिता निदेशालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग और बाल अधिकारिता विभाग, स्थानीय एवं विशेष अधिनियमों जैसे घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 ,महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013, राजस्थान डायन-प्रताडना निवारण अधिनियम 2015, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार हैं। राज्य में गृह विभाग के अंतर्गत पुलिस कानून और व्यवस्था बनाए रखने, भादसं और स्थाविअ के तहत मामलों के पंजीकरण, अपराध की घटनाओं की जाँच, अदालत को अंतिम रिपोर्ट/चालान प्रस्तुत करने, राज्य में अनैतिक

व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956, स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम,1986, सती (निवारण) अधिनियम, 1987 के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है।

इस अध्याय में विभिन्न अधिनियमों के प्रवर्तन और कार्यान्वयन में शामिल हितधारकों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों से संबंधित लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर चर्चा की गई है।

महिला अधिकारिता निदेशालय

3.2.1 घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005

भारत सरकार द्वारा घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण (घहिंमसं) अधिनियम घरेलू हिंसा[20] से प्रभावित महिलाओं को संरक्षण और सहायता प्रदान करने के लिए लागू किया गया था। घहिंमसं अधिनियम महिलाओं को संरक्षण व्यवस्था, निवास व्यवस्था, मौद्रिक राहत, सुरक्षा और क्षतिपूर्ति की व्यवस्था के रूप में राहत प्रदान करता है। इसके व्यापक राहत क्षेत्र के कारण घरेलू हिंसा से पीड़ित किसी भी महिला के लिए घहिंमसं अधिनियम के अन्तर्गत शासित होना अधिक प्रभावी है क्योंकि भादसं के ज्यादातर प्रावधान केवल अपराध की सजा से संबंधित है।

घहिंमसं अधिनियम के अन्तर्गत 49 मामले दर्ज करने का तात्पर्य है कि घरेलू हिंसा से पीड़ितों की केवल नगण्य संख्या घहिंमसं अधिनियम के प्रावधानों में निहित उपायों से लाभान्वित हो सकी। समाज में जागरूकता एवं पुलिस की संवेदनशीलता की कमी (अनुच्छेद 3.4.1) और हितधारकों के मध्य समन्वय की कमी {अनुच्छेद 3.2.1(सी)} घहिंमसं अधिनियम के अन्तर्गत अत्यधिक रूप से कम पंजीकरण के संभावित कारण हो सकते हैं, जैसा कि अनुवर्ती अनुच्छेदों में चर्चा की गई है।

(अ) मानव संसाधन प्रबंधन

घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम और नियम प्राधिकृत करते हैं कि राज्य सरकार प्रत्येक जिले में संरक्षण अधिकारियों (संअ) की नियुक्ति करेगी और आवश्यक कार्यालय सहायता उपलब्ध करायेगी। संरक्षण अधिकारी (संअ) महिलाओं को कानूनी सहायता, मौद्रिक राहत, सुरक्षित आश्रय गृह और चिकित्सीय परीक्षण की सुविधाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए सहायता प्रदान करने के लिए प्रभारी है और साथ ही साथ अधिनियम के अंतर्गत जैसा मामला है संरक्षण, मौद्रिक राहत, हिरासत और क्षतिपूर्ति के लिए उचित आदेश प्राप्त करने में उसकी सहायता करता है। संरक्षण अधिकारी घरेलू घटना प्रतिवेदन तैयार करने और विभिन्न आदेशों, मुफ्त विधिक सेवा के माध्यम से राहत प्राप्त करने के लिए शिकायतकर्ता को सलाह देने के लिए जिला मजिस्ट्रेट की सहायता करने के लिए भी जिम्मेदार है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि जिला स्तर पर संरक्षण अधिकारी नियुक्त नहीं किए गए थे, बजाय सरकार ने (2009) समेकित बाल विकास सेवाओं के समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारियों (सीडीपीओ) और महिला अधिकारिता निदेशालय के समस्त प्रचेताओं को उनके संबंधित

---

20 इसमें चूक और अधिकार के सभी कार्य शामिल हैं जो एक महिला के शारीरिक, यौन या मानसिक स्वास्थ्य को चोट पहुंचाते हैं।

क्षेत्राधिकार के लिए ब्लॉक स्तर पर संरक्षण अधिकारी के रूप में नियुक्त किया था। इसके अलावा, जिला स्तर पर, महिला अधिकारिता निदेशालय के जिला कार्यक्रम अधिकारियों (सहायक निदेशक के रूप में जाने जाते है) को संरक्षण अधिकारियों की भर्ती तक उनके नियमित प्रभार के अतिरिक्त, उनका प्रभार दिया गया था।

आयुक्त, मअनि के अभिलेखों की संवीक्षा में प्रकट हुआ कि राज्य में जिला स्तर पर संरक्षण अधिकारियों के 33 पद स्वीकृत (अगस्त 2011) थे, लेकिन मार्च 2018 तक नियमित अधिकारियों की नियुक्ति नहीं की गई थी।

राजस्थान सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया और अवगत कराया (फरवरी 2019) कि संअ/प्रचेताओं (अब महिला पर्यवेक्षक) की भर्ती प्रक्रियाधीन थी।

अग्रेत्तर, मअनि के अभिलेखों की जाँच में प्रकट हुआ (अगस्त 2020) कि 17 संरक्षण अधिकारियों को नियमित रूप से 17 जिलों[21] में पदस्थापित किया गया था। इसके अलावा, अगस्त 2020 में ब्लॉक स्तर पर 147 महिला पर्यवेक्षकों को पदस्थापित किया गया था।

मबावि विभाग, राजस्थान सरकार ने प्रारूप प्रतिवेदन (दिसम्बर 2020) पर अपने प्रतिउत्तर (फरवरी 2021) में अवगत कराया कि शेष पदों को शीघ्र भरने के लिए विभागीय स्तर पर कार्यवाही की जा रही थी।

अधिनियम स्पष्ट रूप से संअ के महत्वपूर्ण कार्यों और जिम्मेदारियों को इंगित करता है, जिनके बिना अधिनियम का प्रभावी कार्यान्वयन बहुत मुश्किल होगा। इसलिए, निर्धारित (33 संरक्षण अधिकारी और 277 महिला पर्यवेक्षक) से कम संरक्षण अधिकारी एवं महिला पर्यवेक्षक की नियुक्ति अधिनियम के कार्यान्वयन और अधिनियम में निर्धारित सुविधा के लिए पीड़ितों को सहायता प्रदान करने में बाधा उत्पन्न कर सकती है।

मबावि विभाग, राजस्थान सरकार ने प्रारुप प्रतिवेदन (नवंबर 2021) पर अपने प्रतिउत्तर (फरवरी 2022) में अवगत कराया कि 2021-22 के दौरान 35 महिला पर्यवेक्षकों को तैनात कर दिया गया था तथा संरक्षण अधिकारियों के शेष पदों को भर दिया जाएगा।

(ब) संबंधित प्राधिकरण द्वारा पहल का अभाव

घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण नियम, 2006 का नियम 5 (1) प्रावधित करता है कि घरेलू हिंसा की शिकायत प्राप्त होने पर सरंक्षण अधिकारी संरक्षण आदेश, निवास आदेश, मौद्रिक राहत आदेश, हिरासत आदेश और क्षतिपूर्ति आदेश आदि प्रदान करने के लिए एक घरेलू घटना प्रतिवेदन[22](घघप्र) तैयार करेगा और मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत करेगा और उसकी प्रति स्थानीय पुलिस थाने के प्रभारी और उस क्षेत्र में सेवा प्रदाताओं को प्रेषित करेगा।

21 जालोर, टोंक, अजमेर, जयपुर, बांसवाड़ा, बीकानेर, हनुमानगढ़, धौलपुर, जोधपुर, प्रतापगढ़, जैसलमेर, बारां, सीकर, भीलवाड़ा, दौसा, नागौर और डूंगरपुर।

22 घहिंमसं अधिनियम की धारा 2 (ई) के अनुसार, घरेलू घटना प्रतिवेदन का अर्थ है कि एक पीड़ित व्यक्ति से घरेलू हिंसा की शिकायत मिलने पर निर्धारित प्रपत्र में तैयार की गई प्रतिवेदन।

महिला अधिकारिता निदेशालय के आठ जिला कार्यालयों के 2012- 17 के अभिलेखों की नमूना जाँच में प्रकट हुआ कि पांच जिलों (भरतपुर, प्रतापगढ़, कोटा, टोंक और उदयपुर) में घरेलू हिंसा की कोई शिकायत सरंक्षण अधिकारी को प्राप्त नहीं हुई। शेष तीन जिलों (बारां, जयपुर और पाली) में 2,952 घरेलू हिंसा की शिकायतें सरंक्षण अधिकारी को मिलीं, जिनमें से 2,931 मामलों में उनके द्वारा घरेलू घटना प्रतिवेदन दाखिल किए गए थे।

राजस्थान सरकार ने अवगत कराया (फरवरी 2019) कि मसुसकें में परामर्श के माध्यम से पीड़ित महिलाओं की शिकायतों का समाधान किया गया था और ऐसे मामलों में जहां शिकायतकर्ता संतुष्ट नहीं थे, वहां घघप्र तैयार किया गया और अदालतों/पुलिस को राहत और आवश्यक कार्यवाही के लिए प्रस्तुत किया गया था। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि इन पांच जिलों में सरंक्षण अधिकारियों द्वारा एक भी घरेलू घटना प्रतिवेदन तैयार नहीं किए गए थे।

अग्रेत्तर मअनि के आठ जिलों (टोंक और जयपुर अगस्त-सितम्बर 2020 में और शेष छः जिले अगस्त-अक्टूबर 2021 में) के अभिलेखों की संवीक्षा में पता चला कि 2017-20 के दौरान दो जिलों (उदयपुर और पाली) में संरक्षण अधिकारी को घरेलू हिंसा की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई थी। इसके आगे, टोंक जिले में संरक्षण अधिकारी द्वारा घरेलू हिंसा की 829 शिकायतें प्राप्त की गई, इनमें से अभी तक भी किसी भी मामले में घरेलू घटना प्रतिवेदन नहीं भरी गई थी, बारां और प्रतापगढ़ जिलों में 537 शिकायतें प्राप्त हुई थीं लेकिन घरेलू घटना प्रतिवेदन केवल 49 (9.12 प्रतिशत) मामलों में तैयार की गई थीं। दूसरी ओर जयपुर, भरतपुर और कोटा जिलों में संरक्षण अधिकारी को घरेलू हिंसा की 1201 शिकायतें (जयपुरः1104; भरतपुरः80 और कोटाः17) प्राप्त हुईं तथा उन सभी में घरेलू घटना प्रतिवेदन तैयार की गई।

मबावि विभाग, राजस्थान सरकार ने प्रारूप प्रतिवेदन (दिसम्बर 2020) पर अपने प्रतिउत्तर (फरवरी 2021) में अवगत कराया कि पीड़ित महिलाओं की शिकायतों को मसुसके, 181 महिला हेल्पलाइन और वन स्टॉप सखी केन्द्रों में परामर्श के माध्यम से निवारण किया गया था और घघप्र पीड़ित महिलाओं की इच्छा एवं आवश्यकता के अनुसार तैयार किए गए थे।

लेखापरीक्षा ने देखा कि निदेशालय, महिला अधिकारिता विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार राज्य में 22 जिलों में संअ/उपनि/सनि/बाविपअ/प्रचेताओं द्वारा एक भी घघप्र तैयार नहीं किया गया था, जबकि 2020-21 के दौरान तीन जिलों (अलवरः 20; भरतपुरः 15; और भीलवाड़ाः 13) में समस्त दर्ज प्रकरणों में घघप्र तैयार किए गए थे। लेखापरीक्षा का मत है कि कुछ नमूना जाँच किए गए जिलों में, संरक्षण अधिकारियों के माध्यम से पीड़ितों को सहायता प्रदान करने का तंत्र क्रियाशील नहीं था और उनके कामकाज में सुधार के प्रयास नहीं किए जा रहे थे। दूसरी ओर, जिलों जैसे जयपुर, भरतपुर और कोटा में अपने कार्यों को करने वाले संरक्षण अधिकारी के सकारात्मक रुझान उत्साहजनक थे और इसे पूरे राज्य में दोहराया जाना चाहिए।

मबावि विभाग, राजस्थान सरकार ने प्रारुप प्रतिवेदन (नवंबर 2021) पर अपने प्रतिउत्तर (फरवरी 2022) में अवगत कराया कि घघप्र पीड़ित महिलाओं की आवश्यकता के अनुसार संरक्षण अधिकारियों द्वारा तैयार किए गए थे। यह भी बताया गया कि केंद्रों पर परामर्श के माध्यम से आवश्यक सहायता प्रदान की गई थी, जिसके कारण कम संख्या में घघप्र दर्ज किए गए ।

(स) अन्य संस्थाओं के साथ समन्वय का अभाव

घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम की धारा 11(ग) में प्रावधित है कि घरेलू हिंसा के मुद्दों का समाधान करने के लिए कानून, गृह मामलों, स्वास्थ्य और मानव संसाधनों से संबंधित विभागों के मध्य प्रभावी समन्वय स्थापित कर मुफ्त कानूनी सहायता, चिकित्सा सहायता, आश्रय गृह जैसे उपाय करेगी।

आयुक्त, मअनि के अभिलेखों की संवीक्षा में प्रकट हुआ कि विभागों के बीच समन्वय के लिए कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई थी और ना ही 2012-17 के दौरान कोई समीक्षा बैठक हुई थी।

राजस्थान सरकार ने अवगत कराया (फरवरी 2019) कि राज्य संचालन समिति की बैठक में अधिनियम के कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई थी। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि प्रथमतः समस्त हितधारकों को राज्य संचालन समिति में शामिल नहीं किया गया था। दूसरा राज्य संचालन समिति का गठन मसुसकें के अंतर्गत किया गया था और समिति ने केवल मसुसकें के चयन और कार्य पर चर्चा की थी।

महिला अधिकारिता निदेशालय के अभिलेखों की अग्रेत्तर जाँच (अगस्त 2020) ने पुष्टि की कि विभागों के बीच समन्वय के लिए अभी भी प्रयास शुरू नहीं किया गया है और पीड़ितों को राहत प्रदान करने की समीक्षा के लिए अलग समिति का गठन नहीं किया गया था। इसके अलावा, राज्य संचालन समिति की बैठक 2017-20 के दौरान आयोजित नहीं की गई थी। लेखापरीक्षा को यह भी अवगत कराया गया कि जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला महिला सहायता समिति गठित है, जिसमें पीड़िता को राहत प्रदान करने के लिए पुलिस, स्वास्थ्य, कानूनी और गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि शामिल थे।

मबावि विभाग, राजस्थान सरकार ने प्रारूप प्रतिवेदन (दिसम्बर 2020) पर अपने प्रतिउत्तर (फरवरी 2021) में फरवरी 2019 में दी गई अपनी प्रतिक्रिया को दोहराया।

टिप्पणियों के आधार पर, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अधिनियम की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता अर्थात् घरेलू घटना प्रतिवेदन को दाखिल करने के लिये, पर्याप्त संख्या में संरक्षण अधिकारियों की कमी का सामना करना पड़ा क्योंकि संरक्षण अधिकारियों के कर्तव्यों/कार्यों को अतिरिक्त रूप से महिला अधिकारिता निदेशालय के जिला कार्यक्रम अधिकारियों/प्रचेताओं को सौंपा गया था जो विभाग में पहले से ही कम थे। इसके अलावा, अन्य विभागों के साथ समन्वय/समीक्षा बैठकों की कमी घरेलू हिंसा के मामलों के प्रभावी और उचित निर्वहन में बाधा उत्पन्न करती है।

मबावि विभाग, राजस्थान सरकार ने प्रारुप प्रतिवेदन (नवंबर 2021) पर अपने प्रतिउत्तर (फरवरी 2022) में अवगत कराया कि गृह विभाग (नोडल विभाग) द्वारा 14 विभागों की सहायता से महिलाओं की सुरक्षा के लिए कार्य योजना लागू की जा रही थी।

3.2.2 महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013

इस अधिनियम में समस्त कार्यस्थलों पर महिलाओं के लिए लैंगिक उत्पीड़न मुक्त वातावरण प्रदान करने का प्रावधान है । यह अधिनियम सरकार को जिला अधिकारियों (जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट/जिलाधीश/उप जिलाधीश) की नियुक्ति अधिनियम के अन्तर्गत शक्तियों का प्रयोग करने और कार्यों के निर्वहन के लिए प्रावधित करती है । यह अधिनियम शिकायतों की रोकथाम और निवारण के लिए इकाई स्तर पर आंतरिक समिति (आंस) और जिला स्तर पर स्थानीय समिति (स्थास) के गठन को भी प्रावधित करता है ।

भारत सरकार ने जुलाई 2017 में कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों के पंजीकरण के लिए ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन प्रणाली लैंगिक उत्पीड़न इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स (शीबॉक्स)[23] विकसित की है । शिकायत पर कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए समस्त जिला कलेक्टर इस सॉफ्टवेयर से जुड़े थे ।

संबंधित प्राधिकरण द्वारा पहल की कमी

अधिनियम की धारा 4 (1) प्रावधित करती है कि 10 से अधिक कर्मचारियों वाले कार्यस्थल के प्रत्येक नियोक्ता को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायत से निपटने के लिए एक समिति का गठन करना होगा जिसे "आंतरिक समिति" के रूप में जाना जायेगा । इसके अलावा धारा 4 (2) प्रावधित करती है कि आंतरिक समिति में पीठासीन अधिकारी शामिल होगा जो महिला कर्मचारी होगी और कर्मचारियों में से कम से कम दो सदस्य होंगे और एक सदस्य गैर-सरकारी संगठनों या संघों में से होगा ।

अभिलेखों की संवीक्षा में प्रकट हुआ कि आयुक्त, महिला अधिकारिता निदेशालय ने राज्य में उन समस्त कार्यालयों/कार्यस्थलों जहाँ दस या दस से अधिक कर्मचारी काम कर रहे थे, वहां आन्तरिक समिति के गठन को सुनिश्चित नहीं किया था । हालांकि, लेखा परीक्षा को यह अवगत कराया कि राज्य में मार्च 2017 तक 1,413 संगठनों में आंस का गठन किया गया था । नमूना जाँच किए गए आठ जिलों में 302 आंस का गठन किया गया था । तथापि, 42 संगठनों में सदस्यों का कम संख्या में नामांकन (15), गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधित्व का अभाव (39), पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति का अभाव (03) और पुरुष व्यक्ति को पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त करना (13) जैसी कमियां पायी गई ।

इसके अलावा, आठ नमूना जाँच किए गए जिलों में लेखापरीक्षा द्वारा विभागीय प्रतिनिधियों के साथ किये गये 47 कार्यस्थलों (सार्वजनिक-15 और निजी-32) के संयुक्त भौतिक निरीक्षण में पाया गया कि केवल 40.43 प्रतिशत (सार्वजनिक-10 और निजी-09, कुल 19) कार्यस्थलों में आंस का गठन किया गया था । इसी प्रकार, नमूना जाँच किए गए 47 पुलिस थानों में से मई

23 कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों को दर्ज करने के लिए शीबॉक्स एक ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन प्रणाली है ।

2018 तक केवल 15 पुलिस थानों[24] (31.91 प्रतिशत) में आंस का गठन किया गया था। अग्रेत्तर, पुलिस प्रशिक्षण स्कूल, भरतपुर में भी आंस का गठन नहीं किया गया था।

राजस्थान सरकार ने अवगत कराया (फरवरी 2019) कि समस्त सरकारी/गैर-सरकारी कार्यस्थलों पर आंस के गठन के लिए सभी कलेक्टरों/पुलिस अधीक्षकों को पत्र जारी कर दिए गए हैं।

आगे नमूना जांच किये गये मअनि के आठ जिलों (जयपुर और टोंक अगस्त-सितंबर 2020 में तथा शेष छः जिलों में अगस्त-अक्टूबर 2021) के अभिलेखों की संवीक्षा में पता चला कि 2017-20 के दौरान पाली जिले में 1889 संगठनों के लिए कोई भी आंस का गठन नहीं किया गया था, जबकि दो जिलों (जयपुर और टोंक) के आंस का गठन केवल 36 संगठनों (जयपुरः 16 और टोंकः20) के लिए किया गया था, जबकि आवश्यकता 133 संगठनों (जयपुरः113 और टोंकः 20) की थी। चार जिलों (उदयपुर, कोटा, बारां और भरतपुर) में संबंधित जिलों के उप/सहायक निदेशक ने बताया कि उन्हें संबंधित जिलों में स्थापित संगठनों की कुल संख्या के बारे में नहीं पता, लेकिन सूचित किया कि 216 आंस (उदयपुरः 82; कोटाः 73, भरतपुरः 28 एवं बारांः 33) का गठन किया गया था। प्रतापगढ़ जिले में सहायक निदेशक ने बताया कि जिला कार्यालय में आवश्यक सूचना का संकलन नहीं किया जा रहा है।

संयुक्त रूप से निरीक्षण किए गए (जुलाई-अगस्त 2018) 47 कार्यस्थलों के अभिलेख संबंधित उप/सहायक निदेशक के पास उपलब्ध नहीं थे। इसलिए, इन स्थानों में आंस के गठन को सत्यापित नहीं किया जा सका।

इसके अलावा, 47 नमूना जाँच किए गए पुलिस थानों में से केवल दो पुलिस थानों (टोंक में निवाई और कोटा शहर में महिला पुलिस थाना) में सितंबर 2020 और अक्टूबर 2021 तक आंस का गठन किया गया था, जबकि सभी कलेक्टरों/एसपी को ऊपर उल्लिखित विशेष निर्देश राजस्थान सरकार द्वारा दिए गए थे।

तथ्य यह है कि आंस वाले पुलिस थानों की संख्या कम होना यह दर्शाता है कि विभाग द्वारा किए जा रहे प्रयास प्रभावी नहीं थे।

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अनुसार, 10 या अधिक कर्मचारियों वाले समस्त संगठनों को कर्मचारी राज्य बीमा निगम (कराबीनि) के साथ पंजीकृत होना होगा। लेखापरीक्षा द्वारा पूछताछ करने पर, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर ने अवगत कराया कि राजस्थान में 69,879 इकाइयों को अक्टूबर 2020 तक कर्मचारी राज्य बीमा निगम के साथ पंजीकृत किया गया था। महिला अधिकारिता निदेशालय के अभिलेखों की जाँच (अगस्त 2020) में प्रकट हुआ कि मार्च 2020 तक 1,518 संगठनों में आंतरिक समितियों का गठन किया गया

24 जयपुर (पश्चिम) में मपुथा बनीपार्क और पुथा सदर और भांकरोटा, जयपुर (पूर्व) में मपुथा गांधी नगर, टोंक में मपुथा टोंक, पुथा सदर और निवाई, प्रतापगढ़ में मपुथा प्रतापगढ़ और पुथा कोतवाली, पाली में मपुथा पाली, भरतपुर में मपुथा भरतपुर, पुथा कोतवाली, सेवर, खोह और नदबई।

था। इसका तात्पर्य यह हैं कि मअनि द्वारा राज्य में बहुसंख्यक कार्यालयों/कार्यस्थलों पर आंतरिक समितियों का गठन अभी भी सुनिश्चित नहीं किया गया था।

मबावि विभाग, राज्य सरकार ने प्रारूप प्रतिवेदन (दिसम्बर 2020) पर अपने प्रतिउत्तर (फरवरी 2021) में अवगत कराया कि जनवरी 2021 तक आंतरिक समितियों का 1,540 संस्थानों में गठन किया गया था और आंस के गठन के लिए निर्देश जारी किए जा चुके हैं। इसके अलावा, अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार द्वारा एक ऑनलाइनपोर्टल 'शी-बॉक्स' प्रारम्भ किया गया था, जिसमें 2017 से नवंबर 2020 के दौरान 38 शिकायतें प्राप्त हुई और 23 शिकायतों का निपटारा किया गया।

लेखापरीक्षा, विभाग की प्रतिक्रिया को स्वीकार करता है लेकिन मानता है कि अधिनियम के प्रावधानों का पूरी तरह से पालन नहीं किया जा रहा था। इसके अलावा, अधिनियम की अधिसूचना के सात साल बीत जाने के बाद भी किसी भी दोषी संगठन के विरुद्ध धारा 26(1)[25] के अंतर्गत कोई जुर्माना नहीं लगाया गया था, जो विभाग द्वारा कानून के कमजोर प्रवर्तन का भी परिचायक था।

मबावि विभाग, राजस्थान सरकार ने प्रारुप प्रतिवेदन (नवंबर 2021) पर अपने प्रतिउत्तर (फरवरी 2022) में अवगत कराया कि आंस के गठन और अधिनियम के कार्यान्वयन के संबंध में वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए सभी जिला कलेक्टरों को पत्र जारी कर दिये गए थे।

तथापि, विभाग द्वारा उन संस्थानों की संख्या के बारे में सूचित नहीं किया गया जहां आंस का गठन किया गया था।

3.2.3 बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006

बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराई से जुड़ी गम्भीर स्वास्थ्य समस्याओं को कम करने और उनके अपराधीकरण का निवारण करने के लिए बाल विवाह के प्रतिषेध और उससे जुड़े मामलों के लिए बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम (2006) लागू किया गया था। राज्य सरकार ने अधिनियम के उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए समस्त उपखण्ड मजिस्ट्रेट (एसडीएम) और तहसीलदारों को उनके क्षेत्राधिकार में बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी (बाविप्रअ) के रूप में नियुक्त किया।

पुलिस आंकड़ों के अनुसार, इस अधिनियम के तहत राज्य में 2010-19 के दौरान केवल 81 मामले दर्ज किए गए थे, जबकि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) 4 (2015-16) के सर्वेक्षण के आंकड़ों में अवगत कराया गया है कि राजस्थान में 35.40 प्रतिशत लड़कियों की शादी 18 वर्ष की आयु से कम उम्र में हुई थी, जो अखिल भारतीय स्तर (26.80 प्रतिशत) और अन्य पड़ोसी राज्यों जैसे गुजरात (24.90 प्रतिशत) और उत्तर प्रदेश (21.20 प्रतिशत) की तुलना में बहुत अधिक थी। इसके अलावा, 2011 की जनगणना से संकेत मिलता है कि राजस्थान बाल विवाह के मामले में सभी राज्यों में तीसरे स्थान पर है। आगे, एनएफएचएस 4

---

25 धारा 26 (1), यदि नियोक्ता आंस का गठन करने में विफल रहता है, तो उसे जुर्माने से दंडित किया जाएगा जो पचास हजार रुपये तक हो सकता है।

(2015-16) ने कहा कि राजस्थान में बाल विवाह का 33 जिलों में से 14 जिलों में उच्च प्रसार है, 13 जिलों में मध्यम प्रसार है और 6 जिलों में प्रचलन कम है।

शिकायतों पर उचित कार्रवाई का अभाव

बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 की धारा 16 में बाल विवाह की रोकथाम से संबंधित बाविप्रअ के विभिन्न कर्तव्यों का प्रावधान है, जिसमें इलाके के निवासियों को बाल विवाह को बढ़ावा देने, मदद करने, सहायता करने या अनुमति देने मे लिप्त नहीं होने के लिए परामर्श देना शामिल है।

नमूना जाँच किए गए आठ जिलों के अभिलेखों की संवीक्षा में प्रकट हुआ कि 2012-17 के दौरान बाविप्रअ ने 166 मामलों में शिकायतें प्राप्त होने पर माता-पिता/अभिभावकों को उनके बच्चों की विवाह की आयु प्राप्त करने से पहले उनका विवाह नहीं करने के लिए लिखित में बाध्य (चेतावनी) किया।

राजस्थान सरकार ने अवगत कराया (फरवरी 2019) कि जिला और ब्लॉक स्तर पर अन्य अधिकारियों को बाविप्रअ के रूप में शामिल करने और बाविप्रअ की भूमिका को स्पष्ट करने हेतु बाल विवाह निषेध नियमों के संशोधन की अधिसूचना प्रक्रियाधीन है। इसके अलावा, समस्त बाविप्रअ को बाल विवाह रोकने के लिए अनुवर्ती कार्यवाही करने के लिए पुनः निर्देश दिए जा रहे थे।

अग्रेत्तर, महिला अधिकारिता निदेशालय के अभिलेखों की संवीक्षा (अगस्त 2020) में प्रकट हुआ कि इस तरह के संशोधित नियमों की अधिसूचना अभी भी अगस्त 2020 तक प्रक्रियाधीन है। प्राप्त जानकारी (अक्टूबर 2021) से पता चला कि यदपि 2017-20 के दौरान राज्य में 1,827 मामले थे जिनमें बाविप्रअ ने बाल विवाह पर रोक लगाने के विरुद्ध अभिभावक/माता-पिता को लिखित रूप में चेतावनी दी थी, निदेशालय कार्यालय या नमूना जाँच किए गए जिला कार्यालयों और बाविप्रअ में इस तरह के विवाहों की वास्तविक आयोजन पर नजर रखने के लिए कोई निगरानी तंत्र का अस्तित्व में नहीं था।

मबावि विभाग, राजस्थान सरकार ने प्रारूप प्रतिवेदन (दिसम्बर 2020) पर अपने प्रतिउत्तर (फरवरी 2021) में अवगत कराया कि बाल विवाह की रोकथाम के लिए परामर्श आयोजित किया गया था और बाविप्रअ द्वारा कार्यवाही की गई थी। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम और नियमों के संबंध में, विस्तृत नियमों और अधिनियम में संशोधन के प्रस्ताव को विधि विभाग द्वारा सहमति नहीं दी गई थी। यह भी अवगत कराया कि जिला और खण्ड स्तरीय अधिकारियों को अतिरिक्त बाविप्रअ हेतु अधिसूचना के लिए कार्यवाही प्रारम्भ की जा रही थी। अग्रेतर, अवगत कराया गया कि 181 महिला हेल्पलाइन, राजस्थान संपर्क पोर्टल आदि के माध्यम से शिकायत प्राप्त होने पर बाल विवाह को रोकने के लिए तत्काल प्रयास किए जा रहे हैं।

लेखापरीक्षा का मत है कि नियमों को अंतिम रूप देने में शिथिलता और अधिनियम के तहत मुख्य कार्यकारियों की नियुक्ति में देरी का अर्थ यह है कि राजस्थान बाल विवाह की सामाजिक बुराई से निपटने और छुटकारा पाने में प्रभावी रूप से सक्षम नहीं है।

मबावि विभाग, राजस्थान सरकार ने प्रारुप प्रतिवेदन (नवंबर 2021) पर अपने प्रतिउत्तर (फरवरी 2022) में अवगत कराया कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 (रापस्वास 5) के अनुसार विभिन्न विभागों के बीच ठोस और समन्वित प्रयासों के कारण 2019-21 की अवधि के दौरान बाल विवाह कम हो कर 25 प्रतिशत तक हो गया है।

3.2.4 राजस्थान डायन-प्रताड़ना निवारण अधिनियम, 2015

डायन प्रताड़ना-निवारण अधिनियम[26], 2015 डायन प्रताड़ना के खतरे से निपटने और राज्य में डायन प्रथा को रोकने और इससे जुड़े मामलों या आकस्मिक उपचार के लिए प्रभावी उपाय प्रदान करता है।

पुलिस के आंकड़ों के अनुसार, 2015-17 के दौरान डायन-प्रताड़ना के 31 मामले दर्ज किये गये थे। हालांकि, राज्य विधानसभा में एक प्रश्न के उत्तर में, गृह विभाग ने अवगत कराया कि 2015-17 के दौरान ऐसी 189 घटनाएं हुई। यह डायन-प्रताड़ना से संबंधित दर्ज किए जा रहे मामलों की संख्या में विसंगतियों को दर्शाता है।

इसके अलावा, पुलिस महानिदेशक राजस्थान द्वारा उपलब्ध (सितंबर 2020) कराए गए आंकड़ों के अनुसार, राज्य में 2017-20 (मार्च 2020 तक) के दौरान 106 मामले दर्ज किए गए।

संबंधित प्राधिकरण द्वारा पहल की कमी

नियम 5 (i) के अनुसार, राज्य सरकार को उस क्षेत्र की पहचान करने की आवश्यकता थी, जहां यह विश्वास करने का कारण है कि अपराध हो सकता है या अधिनियम के तहत अपराध की पुनरावृत्ति की आशंका है।

आयुक्त, मअनि के अभिलेखों की संवीक्षा में प्रकट हुआ कि 2015-17 के दौरान राज्य में अतिसंवेदनशील क्षेत्रों की पहचान नहीं की गई थी।

नमूना जाँच किए गए 11 पुलिस अधीक्षक कार्यालयों के अभिलेखों की संवीक्षा में प्रकट हुआ कि 2015-17 (मार्च 2017 तक) के दौरान डायन-प्रताड़ना के 19 मामले (प्रतापगढ़-1, टोंक-3, उदयपुर-12 और पाली-3) दर्ज किए गए थे, जो दर्शाते है कि ये क्षेत्र डायन-प्रताड़ना के लिए अतिसंवेदनशील थे, लेकिन मार्च 2017 तक इस तरह की पहचान नहीं की गई थी। इसके अलावा, गृह विभाग द्वारा विधानसभा को रिपोर्ट की गई कुल घटनाओं (189) में से 130 घटनाएं (68.78 प्रतिशत) तीन जिलों भीलवाड़ा (50), उदयपुर (38) और डूंगरपुर (42) में हुई थीं, जो दर्शाता है कि ये अतिसंवेदनशील क्षेत्र थे जिनके हितधारकों हेतु तत्काल, एकीकृत और ठोस प्रयास किये जाने की आवश्यकता थी।

---

26 यह अधिनियम राज्य विधानसभा द्वारा अधिनियमित किया गया था और रिपोर्ट किए गए मामलों के आंकड़ें एनसीआरबी रिपोर्ट में प्रदर्शित नहीं किए गए हैं।

राजस्थान सरकार ने अवगत कराया (फरवरी 2019) कि जिला प्रशासन को मॉडल एक्शन प्लान के अनुरूप एक माह के भीतर डायन-प्रताड़ना के लिए अति संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करने के निर्देश (फरवरी 2018) दिये गये हैं।

महिला अधिकारिता निदेशालय के अभिलेखों की अग्रेत्तर जाँच (अगस्त 2020) में प्रकट हुआ कि अगस्त 2020 तक राज्य में अति संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान अभी भी नहीं की गई थी। नमूना जांच किए गए 11 पुलिस जिलों (जयपुर पूर्व, जयपुर पश्चिम, जयपुर ग्रामीण और टोंक की अगस्त- सितंबर 2020 में और शेष सात पुलिस जिलों की अगस्त-अक्टूबर 2021 में) के अभिलेखों से प्रकट हुआ कि अप्रैल 2017 से मार्च 2020 के दौरान इस अधिनियम के तहत डायन-प्रताड़ना के 39 मामले (प्रतापगढ़-1; टोंक-17 और उदयपुर-21) दर्ज किए गए थे।

इसके अलावा, पुलिस महानिदेशक राजस्थान के अभिलेखों की सितम्बर 2020 में नमूना जाँच के दौरान, राज्य में 2017-20 के दौरान 106 मामले (मार्च 2020 तक) दर्ज किए गए, जो दर्शाता है कि ये क्षेत्र (भीलवाड़ाः 50, टोंकः 09, जोधपुर (पश्चिमः 01), जोधपुर (ग्रामीणः 01), बाँसवाड़ाः 04, अजमेरः 10, झालावाड़ः 03, उदयपुरः 15, डूगॅरपुरः 02, राजसमंदः 04, प्रतापगढः 03, चित्तौड़गढ़ः 02 और सवाईमाधोपुरः 02) डायन-प्रताड़ना के अति संवेदनशील थे, लेकिन ऐसी पहचान मार्च 2020 तक नहीं की गई थी।

मबावि विभाग, राजस्थान सरकार ने प्रारूप प्रतिवेदन (दिसम्बर 2020) पर अपने प्रतिउत्तर (फरवरी 2021) में अवगत कराया कि पांच जिलों (अजमेर, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, राजसमंद और उदयपुर) की डायन-प्रताड़ना के लिए अति संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान की गई थी, जहां अधिक घटनाएं हुई थीं। इसके अलावा, राज्य में दिसंबर 2020 तक अधिनियम के अन्तर्गत पुलिस में 109 मामले दर्ज किए गए थें।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि अति संवेदनशील के रूप में पहचान किये गये जिलों के लिए मअनि द्वारा उपलब्ध कराये गए दर्ज अपराधों की संख्या पुलिस महानिदेशक द्वारा उपलब्ध कराये गए आंकड़ों के साथ मिलान नहीं हो रही थी। इसलिए, अति संवेदनशील क्षेत्रों की गलत पहचान की संभावना भी थी।

मबावि विभाग, राजस्थान सरकार ने प्रारुप प्रतिवेदन (नवंबर 2021) पर अपने प्रतिउत्तर (फरवरी 2022) में अवगत कराया कि संवेदनशील क्षेत्रों की सूची को संभावनाओं के आधार पर बदलना उचित नहीं था। यह भी अवगत कराया गया कि कुछ मामले सीधे पुलिस को प्राप्त हुए थे, जिससे पंजीकृत मामलों की संख्या में अंतर होने की संभावना थी।

इसलिए, तथ्य यह है कि मबावि पंजीकृत मामलों के आंकड़ों का मिलान नहीं कर रहा था जिसके कारण अपराध के प्रसार की वास्तविक स्थिति उनके पास उपलब्ध नहीं थी।

3.2.5 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961

दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 दहेज देने, लेने या लेने के लिए उकसाने पर रोक लगाने के लिए लागू किया गया था। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरों की रिपोर्ट में उपलब्ध अपराध आँकड़ों के अनुसार देश में दहेज हत्या के दर्ज मामलों में 2019 के दौरान राजस्थान चौथे स्थान पर था।

राज्य में 2010-19 के दौरान महिलाओं के विरुद्ध कुल दर्ज अपराधों में से दहेज प्रथा से संबंधित अपराधों[27] का प्रतिशत[28]52.53 है। हालांकि, इसके साथ ही दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 के अंतर्गत दर्ज मामले (137) (0.10 प्रतिशत) नगण्य है, और स्पष्ट रूप से राज्य में अधिनियम के कमजोर कार्यान्वयन के साथ अधिनियम के प्रावधानों के बारे में जनता में जागरूकता की कमी का संकेत है।

संबंधित प्राधिकरण द्वारा पहल की कमी

राजस्थान दहेज प्रतिषेध नियम, 2004 के नियम 4 में निर्धारित है कि किसी भी पीड़ित व्यक्ति या माता-पिता या रिश्तेदारों या किसी मान्यता प्राप्त कल्याण संस्थान द्वारा दप्रअ को लिखित में शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। उक्त अधिनियम की धारा 8 (बी) (2) के अनुसार, दप्रअ दहेज की मांग करने, लेने या लेने को उकसाने को रोकने तथा अधिनियम के अंतर्गत अपराध करने वाले व्यक्तियों के अभियोजन के लिये ऐसे साक्ष्य एकत्र करने के लिए जिम्मेदार थे।

मुख्य दहेज प्रतिषेध अधिकारी (मुदप्रअ) के अभिलेखों की जाँच में प्रकट हुआ (सितंबर 2020) कि अधिनियम के लागू होने के बाद अधिनियम के अंतर्गत सीडीपीओ के कार्यालयों में कोई शिकायत दर्ज नहीं हुई थी। हालांकि, पुलिस के आंकड़ों के अनुसार, राज्य में 2010-19 के दौरान दहेज हत्या के 4,553 मामले (आईपीसी की धारा 304 बी) और दहेज की मांग सहित घरेलू हिंसा के 1,38,195 मामले[29] दर्ज किए गए थे।

सान्याअवि के आठ जिलों (जयपुर और टोंक की अगस्त-सितंबर 2020 में एवं शेष छः जिलों की अगस्त-अक्टूबर 2021 में) के अभिलेखों की अग्रेत्तर संवीक्षा में पता चला कि 2017-20 के दौरान किसी भी पीड़ित व्यक्तियों या रिश्तेदारों ने उनकी शिकायतों की दर्ज करने के लिए दहेज प्रतिषेध अधिकारियों से संपर्क नहीं किया, जो स्पष्ट रूप से, अधिनियम और इसके कार्यान्वयन में दहेज प्रतिषेध अधिकारियों की पूर्णरूप से विफलता को दर्शाता है।

सान्याअवि, राजस्थान सरकार ने उत्तर प्रस्तुत नहीं किया।

---

27 दहेज हत्या (आईपीसी की धारा 304 बी), पति या उसके रिश्तेदार द्वारा प्रताड़ना (आईपीसी की धारा 498 ए) तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961।

28 दहेज से सम्बन्धित प्रकरणों की प्रतिशतता अवधि 2010ः 63.29 प्रतिशत, 2011ः 63.39 प्रतिशत, 2012ः 62.90 प्रतिशत, 2013ः 53.46 प्रतिशत, 2014ः 52.38 प्रतिशत, 2015ः 52.72 प्रतिशत, 2016ः 51.62 प्रतिशत, 2017ः 46.72 प्रतिशत, 2018ः 45.38 प्रतिशत एवं 2019ः 45.38 प्रतिशत।

29 पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता (आईपीसी की धारा 498 ए)ः 1,38,058 और दहेज प्रतिषेध अधिनियमः137।

इस प्रकार, इस तथ्य के बावजूद कि समाज में दहेज से संबंधित घटनाएं प्रचलित थीं, यह देखना आश्चर्यजनक था कि भादसं के तहत दर्ज हजारों मामलों के बावजूद सीडीपीओ के कार्यालयों में एक भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई। इसके अलावा, लेखापरीक्षा को इस बात के प्रमाण नहीं मिले कि विभाग/सीडीपीओ ने ऐसी प्रवृत्ति के पीछे के कारणों की जाँच करने का कोई प्रयास किया है। यह इस तथ्य की ओर इशारा करता है कि अधिनियम में निर्दिष्ट तंत्र या तो अनुपस्थित था या क्रियाशील नहीं था।

पुलिस (गृह विभाग)

3.2.6 स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986

स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986 की धारा 4 के अनुसार, कोई भी व्यक्ति किसी भी पुस्तक, पम्पलेट, पेपर, स्लाइड, फिल्म, लेखन, ड्राइंग, पेंटिंग, फोटोग्राफ, प्रतिरूप या आकृति जिसमें किसी भी रूप में स्त्रियों का अशिष्ट रूपण शामिल है, प्रकाशित नहीं करेगा या प्रकाशित होने का कारण नहीं होगा या किसी उत्पादन, बिक्री और किराये पर देने के विज्ञापन के प्रकाशन या प्रदर्शन में भाग नहीं लेगा।

महानिदेशक, पुलिस राजस्थान द्वारा उपलब्ध कराए गए पुलिस आंकड़ों (सितंबर 2020) के अनुसार, वर्ष 2010-19 के दौरान अधिनियम के तहत 365 मामले पुलिस के पास दर्ज किए गए थे और अकेले 12 जिलों[30] में इन घटनाओं के 68.77 प्रतिशत (251) मामले दर्ज किए गए थे, जिसका अर्थ है कि राज्य के कुछ क्षेत्र इस अधिनियम के तहत अपराधों से ग्रस्त थे।

संबंधित प्राधिकरण द्वारा पहल की कमी

स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के अनुसार, राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई भी राजपत्रित अधिकारी, उस क्षेत्र की स्थानीय सीमा के भीतर, जिसके लिए वह अधिकृत है, किसी भी वस्तु को जब्त कर सकता है, जिसके कारण उसे इस अधिनियम के प्रावधानों में से किसी का भी उल्लंघन प्रतीत होता है। अधिनियम के अंतर्गत एक पुलिस थाने पर उपलब्ध पुलिस कर्मचारी ऐसे मामलों में कार्यवाही करने और अवैध सामग्रियों की तलाशी और अधिग्रहण करने के लिए अधिकृत है।

स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम के अंतर्गत राज्य में 2012-19 के दौरान कुल 183 मामले दर्ज किए गए थे और सात जिलों[31] में 52.46 प्रतिशत मामले दर्ज किए गए थे।

---

30 जयपुर उत्तरः 64, जोधपुर पूर्वः 32, नागौरः 18, भीलवाड़ाः 18, जयपुर दक्षिणः 24, बूंदीः 14, जोधपुर पश्चिमः 12, बारांः 12, जयपुर पश्चिमः 16, झालावाड़ः 16, अजमेरः 13 और पालीः 12

31 जयपुर उत्तरः (20), झालावाडः (15), भीलवाडाः (14), बून्दीः (12), जोधपुर पश्चिमः (12), बारांः (12) और जयपुर पश्चिमः (11)

नमूना जाँच किये गये पुलिस जिलों (11) में प्रकट हुआ कि 2012-19 के दौरान 43 मामले इन आठ जिलों[32] में दर्ज किए गए थे, जबकि तीन में कोई मामला नहीं था। इसके अलावा, अधिनियम के अंतर्गत इन 43 मामलों में से केवल आठ मुकदमें स्व-प्रेरित तलाशी एवं अधिग्रहण के आधार पर दर्ज किये गये थे और वह भी केवल तीन जिलों में (जयपुर ग्रामीण-तीन, टोंक-चार एवं उदयपुर-एक)।

गृह विभाग, राजस्थान सरकार ने प्रारूप प्रतिवेदन (दिसम्बर 2020) पर अपने प्रतिउत्तर (फरवरी 2021) में अवगत कराया कि स्त्री अशिष्ट रूपण से संबंधित मामले भारतीय दंड संहिता की धारा 292, 292ए, 293, 294 तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2003 के अन्तर्गत दर्ज किए जा रहे थे और तद्नुसार कार्यवाही की जा रही थी।

लेखापरीक्षा का मत है कि स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986 के माध्यम से मामले दर्ज नहीं किए गए थे और यह पुलिस द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अपेक्षित कार्यवाही शुरू करने के लिए वास्तविक प्रयासों की कमी का संकेत था।

3.2.7 अदालती हस्तक्षेप के माध्यम से मामलों का पंजीकरण

दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (दप्रसं) की धारा 154 (3) और 156 (3) अदालत/मजिस्ट्रेट/उच्च प्राधिकारियों को मामलों के पंजीकरण और जाँच के लिए प्रावधित करती है, यदि पुलिस पहली बार में शिकायत दर्ज नहीं करती है। नमूना जाँच किये गए 11 पुलिस जिलों के अभिलेखों की संवीक्षा में प्रकट हुआ कि महिलाओं के विरूद्ध जनवरी 2012- मार्च 2017 के दौरान अधिकांश अपराध इन धाराओं का उपयोग करते हुए दर्ज किए गए थे जैसा कि **तालिका 5** में दर्शाया गया है:

तालिका 5

महिलाओं के विरूद्ध दर्ज अपराध	अदालत के हस्तक्षेप के पश्चात् दर्ज {दप्रसं की धारा 156 (3)}	उच्च प्राधिकारियों के हस्तक्षेप के पश्चात् दर्ज {दप्रसं की धारा 154 (3)}	पुलिस थानों में दर्ज {दप्रसं की धारा 154 (1)}
46,120	24,609 (53.36%)	1,863 (4.04%)	19,648 (42.60%)

राजस्थान सरकार ने अवगत कराया (मार्च 2019) कि राज्य में अपराध की घटनाऐं स्वतंत्र रूप से एवं बिना भय के दर्ज की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार ने पीडितों द्वारा कानूनी सलाह लेना और घटनाओं को अतिरंजित करने के पश्चात् मामले को अदालत के हस्तक्षेप के माध्यम से दर्ज करने को अधिक मामलों के पंजीकरण के लिए जिम्मेदार ठहराया। तथापि, दप्रसं की धारा 154(1) के तहत सीधे थानों में शिकायतें दर्ज न करने की स्थिति में संबंधित अधिकारियों के विरूद्ध विभागीय और कानूनी कार्यवाही शुरू की जाती है।

32 जयपुर पूर्वः (02), जयपुर पश्चिमः (11), जयपुर ग्रामीणः (4), टोंकः (1), कोटा शहरः (2), उदयपुरः (6), पालीः (5) एवं बारांः (12)

अग्रेत्तर नमूना जाँच किए गए 11 पुलिस जिलों (अगस्त-सितंबर 2020 में जयपुर पूर्व, जयपुर पश्चिम, जयपुर ग्रामीण और टोंक तथा अगस्त-अक्टूबर 2021 में शेष सात पुलिस जिलों) के अभिलेखों की अप्रैल 2017-मार्च 2020 की अवधि के लिए जाँच से निम्नलिखित स्थिति का पता चला जो कि नीचे **तालिका 6** में दिखाया गया है:

तालिका 6

महिलाओं के विरूद्ध दर्ज अपराध	अदालत के हस्तक्षेप के पश्चात् दर्ज {दप्रसं की धारा 156 (3)}	उच्च प्राधिकारियों के हस्तक्षेप के पश्चात् दर्ज {दप्रसं की धारा 154 (3)}	पुलिस थानों में दर्ज {दप्रसं की धारा 154 (1)}
30,155	9,719 (32.23%)	2,429 (8.06%)	18,007 (59.71%)

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष 2012-17 की तुलना में 2017-20 के दौरान अदालती हस्तक्षेप के माध्यम से पंजीकरण के मामलों में कमी और सीधे पुलिस थानों में दर्ज मामलों में वृद्धि हुई है।

गृह विभाग, राजस्थान सरकार ने प्रारूप प्रतिवेदन (दिसम्बर 2020) पर अपने प्रतिउत्तर (फरवरी 2021) में अवगत कराया कि अदालती हस्तक्षेप के माध्यम से मामलों के पंजीकरण के प्रतिशत में गिरावट आई है। इसके अलावा, थाने में मामला दर्ज नहीं करने वाले दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही शुरू कर दी गई हैं।

लेखापरीक्षा का मानना है कि स्थिति में सुधार हुआ है तथापि, नमूना जाँच किये गये 11 पुलिस जिलों में वैकल्पिक माध्यम से अभी भी उच्च प्रतिशत में (32.23 प्रतिशत) मामले दर्ज किए जा रहे थे, इंगित होता है कि जमीनी स्तर के पुलिस पदाधिकारियों और जनता के बीच विश्वास बढ़ाने की आवश्यकता थी।

3.2.8 जाँच और न्यायालयों में चालान/एफआर प्रस्तुत करने में देरी

पुलिस थानों में दर्ज की गई शिकायतों को प्रथम सूचना रिपोर्ट के रूप में दर्ज किया जाता है। इसके बाद, मामले की जाँच के लिए एसएचओ द्वारा जाँच अधिकारी नामित किया जाता है। जाँच पूर्ण होने पर, यदि किसी आरोपी के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध नहीं हैं, तो जाँच अधिकारी एक अंतिम रिपोर्ट (क्लोजर रिपोर्ट) दाखिल करता है। इसके विपरीत, जब जाँच अधिकारी अभियुक्त के विरुद्ध प्रथम दृष्टया पर्याप्त साक्ष्य एकत्र करता है, तो चार्ज शीट या चालान तैयार किया जाता है और उसे अदालत में पेश किया जाता है।

राजस्थान पुलिस नियमावली 2001 के पैरा 4.55 के अनुसार, प्रत्येक जाँच को अनावश्यक देरी या अन्तराल के बिना पूरा किया जाना चाहिए। वृत्ताधिकारियों को यह देखना चाहिए कि सामान्य मामलों के लिए, पर्याप्त कारण के बिना जाँच में 15 दिनो से अधिक देरी नहीं की गई है। जाँच में अधिक विलम्ब के मामले में, मामले की समीक्षा करने के बाद, पुलिस अधीक्षक 30 दिनों तक, महानिरीक्षक पुलिस 60 दिनों तक और महिला अपराध निवारण प्रकोष्ठ के नोडल अधिकारी (महानिरीक्षक पुलिस, मानवाधिकार) 60 दिनों से अधिक के लिए मंजूरी दे सकता है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि राज्य में 2012-2019 की अवधि के दौरान कुल 1,90,068 मामले[33] चार प्रमुख अपराधों अर्थात् 'बलात्कार', 'महिलाओं पर लज्जा भंग करने के इरादे से हमला', 'पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता' और 'दहेज हत्या' के अन्तर्गत दर्ज किए गए थे। इनमें से 77,473 मामले बंद कर दिए गए थे और 1,00,098 मामलों में जाँच अधिकारियों द्वारा न्यायालय में चालान पेश किए गए थे तथा संबंधित वर्षों में 12,497 मामले लंबित थे। 2012-19 के दौरान उपर्युक्त चार श्रेणियों के अपराधों के लिए 1,41,795 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। विवरण नीचे **चार्ट** 13 में दिखाया गया है।

चार्ट 13- 2012-19 के दौरान दर्ज, न्यायालय में प्रस्तुत किये गये चालान, अंतिम रिपोर्ट तथा लंबित मामलों का विवरण

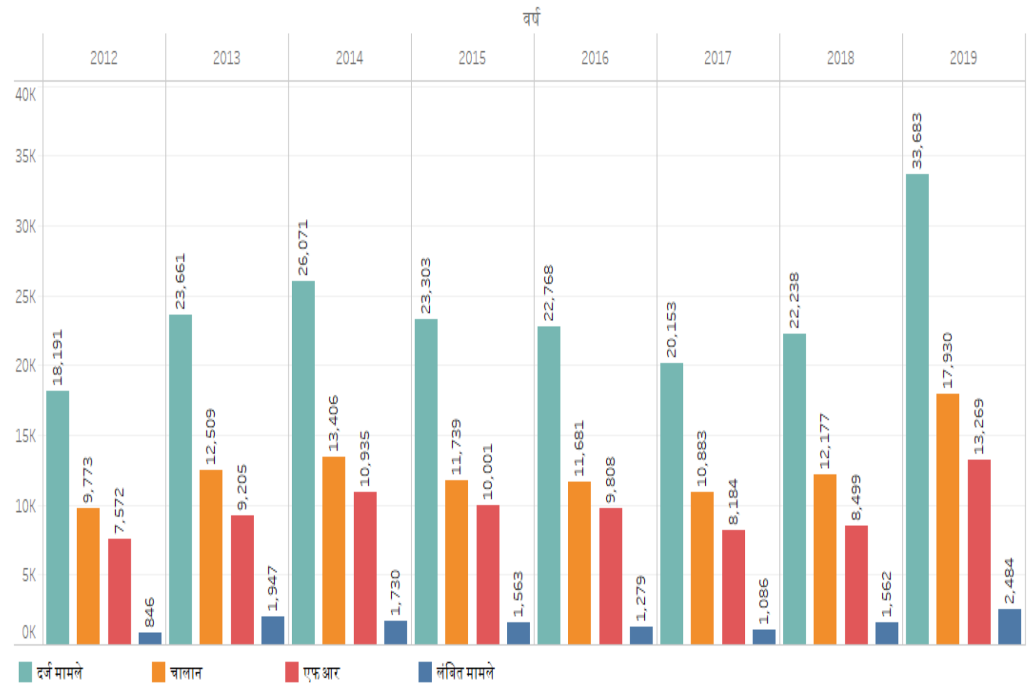

नमूना जाँच किए गए 47 पुलिस थानों में 2012-17 की अवधि के दौरान महिलाओं के विरूद्ध अपराध से संबंधित दर्ज 16,434 मामलों के अभिलेखों की संवीक्षा में निम्नलिखित प्रकट हुआः

- दहेज, बलात्कार, पोक्सो और घरेलू हिंसा आदि से संबंधित 2,515 मामलों (15.30 प्रतिशत) में जाँच, मामला दर्ज होने के बाद 60 से 1,855 दिनों तक की देरी से पूर्ण हुई और इन मामलों में सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन भी प्राप्त नहीं किया गया था।

- 1,113 मामलों (6.77 प्रतिशत) में जाँच पूरी होने के बाद, दोषसिद्ध होने पर अदालतों में चालान (चार्ज शीट जिसमें प्रभार स्थायी पाए गए) प्रस्तुत करने में 30 से 735 दिनों तक की देरी हुई।

---

33 पुलिस महानिदेशक राजस्थान द्वारा प्रकाशित मासिक अपराध प्रतिवेदन और 'राजस्थान में अपराध' के अनुसार।

- 1,177 मामलों (7.16 प्रतिशत) में अन्तिम रिपोर्ट (मामले को बंद करने का प्रस्ताव) अदालत में प्रस्तुत करने में 30 से 1,431 दिनों तक की देरी हुई।

राजस्थान सरकार ने (जनवरी-मार्च 2019) में जाँच में विलम्ब के लिए न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश देने, कर्मचारियों के कार्य अधिभार और विधि विज्ञान प्रयोगशाला (विविप्र) से परीक्षण रिपोर्ट देरी से प्राप्त होने को जिम्मेदार ठहराया। अग्रेत्तर, विलम्बित जाँच के मामलों में सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन लेने के लिए समस्त पुलिस अधीक्षकों/उपायुक्तों को सितंबर 2017 और नवंबर 2018 में भी निर्देश जारी किए गए थे।

यद्यपि कार्मिकों की कमी के कारण कर्मचारियों पर कार्यभार अधिक होने जैसे कारण वास्तविक हैं, उत्तर विश्वसनीय नहीं है क्योंकि विविप्र से परीक्षण रिपोर्ट को समय पर प्राप्त करना जाँच अधिकारी की जिम्मेदारी है।

अग्रेत्तर, नमूना जाँच किए गए 47 पुलिस थानों में (14 जयपुर पूर्व, जयपुर पश्चिम, जयपुर ग्रामीण और टोंक पुलिस जिले में अगस्त-सितम्बर 2020 में एवं 33 बचे हुए सात पुलिस जिलों में अगस्त-अक्टूबर 2021 में) अप्रैल 2017 से मार्च 2020 की अवधि में महिलाओं के विरूद्ध अपराध से संबंधित 9,415 मामलों के अभिलेखों की संवीक्षा में निम्नलिखित प्रकट हुआः-

- दहेज, बलात्कार, पोक्सो और घरेलू हिंसा आदि से संबंधित 2,566 मामलों (27.25 प्रतिशत) में, मामलों के पंजीकरण के पश्चात् जाँच पूरी करने में 61 से 1,511 दिनों तक का विलम्ब हुआ तथा इसके लिए राजस्थान सरकार द्वारा निर्देश जारी किए जाने के बावजूद भी इन मामलों में सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी भी प्राप्त नहीं की गई।

- 1,612 मामलों (17.12 प्रतिशत) में जाँच पूरी होने के बाद, दोषसिद्ध होने पर अदालतों में चालान (चार्ज शीट जिसमें प्रभार स्थाई पाये गये) को प्रस्तुत करने में 31 से 1,207 दिनों तक की देरी हुई।

- 1,151 मामलों (12.23 प्रतिशत) में अंतिम रिपोर्ट अदालत में प्रस्तुत करने में 31 से 1,329 दिनों तक की देरी हुई।

गृह विभाग, राजस्थान सरकार का प्रारूप प्रतिवेदन (दिसम्बर 2020) पर प्रतिउत्तर (फरवरी 2021) मार्च 2019 में दिए गए प्रतिउत्तर के समान था। अग्रेत्तर, यह अवगत कराया कि एफएसएल और सीसीटीएनएस योजना ने मामलों की जाँच में सुधार लाने में मदद की है। अतिरिक्त महानिदेशक (सिविल राइट) ने दुष्कर्म और पोक्सो मामलों के पीड़ितों को न्याय दिलाने में समय सीमा घटाने के लिए पुलिस अधीक्षकों/पुलिस उपायुक्तों को निर्देश (दिसंबर 2020) जारी कर दिये।

हालांकि, गृह विभाग ने मामलों के निपटान, लंबित मामलों आदि के समेकित आंकड़ें उपलब्ध कराए, लेकिन इसमें प्रत्येक स्तर पर देरी की सीमा अर्थात् जाँच और अदालतों में चालान/एफआर पेश करने के संबंध में मामलों के निपटारे का ब्यौरा उपलब्ध नहीं कराया गया। 2010-19 की अवधि के दौरान महिलाओं के विरूद्ध अपराध से संबंधित लंबित मामलों का विवरण **तालिका 7**

दर्शाती है। यह स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि इस अवधि के दौरान निपटान के लिए लंबित मामलों में वृद्धि हो रही थी।

तालिका 7

वर्ष	दहेज हत्या	महिलाओं को आत्महत्या के लिए उकसाना	पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता	बलात्कार	महिलाओं पर लज्जा भंग करने के इरादे से हमला	महिलाओं का अपहरण एवं व्यपहरण	अन्य	योग
2010	65	14	324	160	30	272	55	920
2011	55	15	404	159	32	309	49	1,023
2012	78	16	512	225	31	299	81	1,242
2013	77	24	1,155	470	245	646	126	2,743
2014	50	22	1,016	435	229	608	122	2,482
2015	68	15	885	436	174	547	100	2,225
2016	62	17	677	349	191	421	101	1,818
2017	56	21	480	376	174	412	80	1,599
2018	67	17	727	542	226	551	66	2,196
2019	91	18	1,280	643	470	766	103	3,371
योग	**669**	**179**	**7,460**	**3,795**	**1,802**	**4,831**	**883**	**19,619**

न्याय प्रदान करने एवं शिकायतों के त्वरित निवारण के लिए दर्ज मामलों की समय पर जाँच आवश्यक है। यद्यपि, प्रत्येक स्तर पर सक्षम अधिकारियों की मंजूरी के बिना हर स्तर पर उल्लेखनीय देरी जैसे जाँच एवं चालान/अंतिम रिपोर्ट को प्रस्तुत करने के परिणामस्वरूप कई मामलों में पीड़ितों को निवारण में देरी/वंचित किया गया।

3.2.9 महिला एवं बाल डेस्क के कार्य

पुलिस विज्ञान और प्रबंधन विकास केंद्र (पुविप्रविके), राजस्थान पुलिस अकादमी (रापुअ) जयपुर ने महिलाओं और बच्चों के लिए मैत्रीपूर्ण और अनुकूल वातावरण प्रदान करने हेतु प्रत्येक पुलिस थाने में महिला एवं बाल डेस्क की स्थापना के लिए दिशा-निर्देश जारी किए (2004), ताकि वे अपनी शिकायतों को बिना किसी डर और दबाव के बता सकें। पुलिस द्वारा उपयुक्त उपायों/परामर्शों द्वारा पीड़ितों को सहायता करने की भी अपेक्षा की गई थी। महिला एवं बाल डेस्क पर बुनियादी सुविधाएं जैसे महिला शौचालयों, बैठने की व्यवस्था और नाम एवं टेलीफोन नंबर के साथ डिस्प्ले बोर्ड आदि उपलब्ध कराई जानी थीं। मार्च 2017 तक राज्य के 821 पुलिस थानों[34] में ऐसी महिला एवं बाल डेस्क स्थापित की जा चुकी हैं।

दिशा-निर्देशों के अनुसार, प्रत्येक महिला एवं बाल डेस्क पर एक उप-निरीक्षक(एसआई) (महिला को प्राथमिकता)/सहायक उप-निरीक्षक(एएसआई)/हैड कान्स्टेबल (एचसी) को दो महिला

34 यह डेस्क पुलिस थानों (821) में स्थापित की जानी थी, ऐसे पुलिस थानों (40) को छोड़कर जहाँ महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र स्थापित किये गये थे।

कांस्टेबल के साथ तैनात किया जाना था। डेस्क अधिकारियों और कार्मिकों को प्रशिक्षण भी दिया जाना आवश्यक था।

चयनित 36 पुलिस थानों तथा महिला एवं बाल डेस्क के 2012-17 की अवधि के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा (अप्रैल 2017-मई 2018) में प्रकट हुआ कि दो डेस्क पुलिस थाना *बेकरिया* (उदयपुर) और *पारसोला* (प्रतापगढ़) में क्रियाशील नहीं थे। इसके अतिरिक्त, 33 डेस्क में महिला अधिकारियों को प्रभारी के रूप में पदस्थापित नहीं किया गया था, बुनियादी सुविधाएं/आधारभूत सुविधाओं जैसे फर्नीचर और महिला शौचालय आदि प्रदान नहीं किये गये थे और उनमें से अधिकांश में महिला एवं बाल डेस्क का विवरण[35] प्रदर्शित करने वाले डिस्पले बोर्ड नहीं पाये गये (विवरण परिशिष्ट-1 में)।

राजस्थान सरकार ने अवगत कराया (मार्च 2019) कि बजट और कार्मिकों की उपलब्धता के बाद कमियों को दूर किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, समस्त पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपायुक्तों को पुलिस थानों में आवश्यक सूचना प्रदर्शित करने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं।

अग्रेत्तर, नमूना जाँच किये गये 10 पुलिस थानों और महिला एवं बाल डेस्क (जयपुर पूर्व, जयपुर पश्चिम, जयपुर ग्रामीण और टोंक पुलिस जिले में) अगस्त-सितम्बर 2020 में एवं बचे हुए 26 पुलिस थानों और महिला एवं बाल डेस्क में अगस्त-अक्टूबर 2021 में अप्रेल 2017 से मार्च 2020 के अभिलेखों की संवीक्षा में प्रकट हुआ कि महिला अधिकारियों की प्रभारी के रूप में तैनाती, बुनियादी सुविधाओं/आधारभूत संरचनाओं की उपलब्धता और महिला एवं बाल डेस्क की सूचना संबंधी डिस्प्ले बोर्ड जैसे मुद्दे में से अधिकांश को अभी भी हल नहीं किया गया था (**विवरण परिशिष्ट-I में**)।

गृह विभाग, राजस्थान सरकार ने प्रारूप प्रतिवेदन (दिसम्बर 2020) पर अपने प्रतिउत्तर (फरवरी 2021) में अवगत कराया कि महिला एवं बाल डेस्क को बेहतर संसाधन उपलब्ध कराने के लिए कदम उठाए गए थे। महिला एवं बाल डेस्क के लिए कंप्यूटर और फर्नीचर उपलब्ध कराने के लिए ₹ 5.00 करोड़ स्वीकृत किए गए थे और महिला कर्मचारी (केवल 9 प्रतिशत उपलब्ध) उपलब्धता के आधार पर पदस्थापित की गई थी। यह जोड़ा गया कि नमूना जाँच किये गये जयपुर (पश्चिम) के चार पुलिस थानों *अमरसर, फुलेरा, नरेना और भांकरोटा* में भी महिला स्टाफ को पदस्थापित कर दिया गया। इसके अलावा, प्रत्येक थाने में महिला एवं बाल डेस्क के साथ ही स्वागत कक्ष का निर्माण प्रक्रियाधीन था।

इस प्रकार, राजस्थान सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों के बावजूद भी वास्तविक स्थिति में सुधार नहीं हुआ है जिससे महिला पीड़ितों को अपनी शिकायतें दर्ज कराने के लिये मैत्रीपूर्ण एवं अनुकूल वातावरण बनाने की दिशा में प्रयासों में बाधा उत्पन्न कर रहा था।

35 संबंधित अधिकारियों, आयोगों, संरक्षण अधिकारियों, गैर सरकारी संगठनों, कानूनी-चिकित्सा सहायता, संरक्षण गृहों/आश्रय स्थलों, महिला एवं बाल हैल्पलाइन इत्यादि के नाम, पते एवं दूरभाष संख्या का विवरण प्रदर्शित करने वाले डिस्प्ले बोर्ड।

3.2.10 सामुदायिक संपर्क समूह

पुलिस महानिदेशक ने कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने और पुलिस एवं विभिन्न समुदायों के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करने के लिए प्रत्येक जिला स्तर एवं पुलिस थाना स्तर पर सामुदायिक संपर्क समूह (सासंस) के गठन का स्थाई आदेश (मई 2007) जारी किया। सामुदायिक संपर्क समूह का मुख्य उद्देश्य जनता को उनकी समस्याओं के समाधान के लिए आत्मनिर्भर बनाना था। उनके विशिष्ट कार्यों में जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना, क्षेत्र में अपराध पर अंकुश लगाने में पुलिस की मदद करना, पुलिस-समुदाय के संबंधों में सुधार पर काम करना, क्षेत्र में सद्भाव और व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस की मदद करना आदि शामिल हैं। विशेष रूप से, सामुदायिक संपर्क समूह में पुलिस एवं जनता में विश्वास कायम कर, स्थानीय एवं विशेष अधिनियमों के बारे में जागरूक कर तथा महिलाओं के लिये एक सुरक्षित वातावरण बनाने में जनता को शामिल कर महिलाओं से संबंधित अपराधों की रोकथाम एवं निवारण में योगदान करने की क्षमता है। समूहों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व अनिवार्य था जो उन्हें क्षेत्र में महिलाओं के सम्मुख उत्पन्न हो रही समस्याओं को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत तथा चर्चा करने में सक्षम बनाता था।

मार्च 2017 तक राज्य में 40 पुलिस जिला स्तर और 821 पुलिस थाना स्तर पर सामुदायिक संपर्क समूह कार्य कर रहे थे। 11 पुलिस जिलों के नमूना जाँच किए गए 36 पुलिस थानों के 2012-17 के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा में निम्नलिखित प्रकट हुआः-

- प्रत्येक सामुदायिक संपर्क समूह में, कम से कम दो महिलाओं और कमजोर वर्गों के दो सदस्यों को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाना था। तथापि, 23 पुलिस थानों (63.89 प्रतिशत) और पांच पुलिस अधीक्षक कार्यालयों (45.45 प्रतिशत) में कमजोर वर्ग के सदस्य और महिलाऐं संबंधित सामुदायिक संपर्क समूह में शामिल नहीं थे (**विवरण परिशिष्ट-II में**)।

- सामुदायिक संपर्क समूह के सदस्यों को उनकी जिम्मेदारियों के बारे में प्रशिक्षित किया जाना आवश्यक था। तथापि, नौ पुलिस अधीक्षक कार्यालयों (81.82 प्रतिशत) और 24 पुलिस थानों (66.67 प्रतिशत) में सामुदायिक संपर्क समूह के सदस्यों को आवश्यक प्रशिक्षण नहीं दिया गया था (**विवरण परिशिष्ट-II में**)।

- सामुदायिक संपर्क समूह में बीट स्तर[36] पर 12 से 15, पुलिस थाना स्तर पर 20 से 35 और जिला स्तर पर 20 से 40 सदस्यों को शामिल किया जाना था। तथापि, दो पुलिस अधीक्षक कार्यालयों (पाली और कोटा शहर) तथा 11 पुलिस थानों (30.56 प्रतिशत) में गठित सामुदायिक संपर्क समूह में सदस्य मानदंडों के अनुसार शामिल नहीं किये गये थे (**विवरण परिशिष्ट-II में**)।

- सामुदायिक संपर्क समूह की बैठकें जिला मुख्यालय और पुलिस थाना स्तर पर द्विमासिक और बीट स्तर पर मासिक आयोजित की जानी थी। बैठकों की कार्यवाही एक रजिस्टर में दर्ज की जानी थी। जिला स्तरीय सामुदायिक संपर्क समूह को पुलिस थानों और बीट स्तरों

---

36 बीट एक क्षेत्र एवं समय है जिसमें एक पुलिस अधिकारी गश्त करता है। बीट पुलिस आमतौर पर पैदल या साइकिल पर गश्त करती है जो पुलिस और सामुदायिक सदस्यों के बीच अधिक सम्पर्क प्रदान करती है।

पर सामुदायिक संपर्क समूह बैठकों का अनुश्रवण करना था । तथापि, आठ पुलिस अधीक्षक/उपायुक्त कार्यालयों में निर्धारित सामुदायिक संपर्क समूह बैठकों की कमी 57 से 97 प्रतिशत तक और 12 पुलिस थानों में इस प्रकार की बैठकों की कमी 13 से 100 प्रतिशत तक थी । इसके अतिरिक्त, बैठकों की कार्यवाही का विवरण सामुदायिक संपर्क समूह रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया था ।

- पुलिस अधीक्षक कार्यालयों को छःमाही आधार पर प्रगति की समीक्षा करने और प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी और 15 जुलाई को पुलिस मुख्यालय और संबंधित रेंज पुलिस महानिरीक्षक को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी आवश्यक थी । तथापि, 11 में से सात (63.64 प्रतिशत) पुलिस अधीक्षक कार्यालयों ने सामुदायिक संपर्क समूह के कार्य की छःमाही समीक्षा नहीं की थी और पुलिस मुख्यालय एवं संबंधित रेंज पुलिस महानिरीक्षक को रिपोर्ट भी प्रस्तुत नहीं की थी **(विवरण परिशिष्ट-।। में)** ।

- नौ पुलिस थानों, पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण (2012-15), पुलिस अधीक्षक उदयपुर (2012-14) और पुलिस अधीक्षक पाली (2014-17) द्वारा सामुदायिक संपर्क समूह के अभिलेखों को सत्यापन के लिए लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया था (**विवरण परिशिष्ट-।। में**) ।

राजस्थान सरकार ने अवगत कराया (मार्च 2019) कि अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (पुलिस कम्युनिटी पुलिसिंग) राजस्थान, जयपुर के आदेशानुसार (जनवरी 2019) सभी धर्मों, पुरूष/महिला, सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र के सदस्यों को सम्मिलित कर सामुदायिक सम्पर्क समूहों का पुनर्गठन किया गया है ।

अग्रेत्तर, नमूना जाँच किये गये 10 पुलिस थानों (जयपुर पूर्व, जयपुर पश्चिम, जयपुर ग्रामीण और टोंक पुलिस जिले) में अगस्त-सितम्बर 2020 में एवं 26 पुलिस थानों में अगस्त-अक्टूबर 2021 में अप्रेल 2017 से मार्च 2020 के अभिलेखों की संवीक्षा में निम्नलिखित प्रकट हुआः

- 24 पुलिस थानों (66.67 प्रतिशत) और चार पुलिस अधीक्षक/ पुलिस उपायुक्त कार्यालयों (36.36 प्रतिशत) में कमजोर वर्ग के सदस्य और महिलाओं को संबंधित सामुदायिक संपर्क समूह में शामिल नहीं किया गया था । नमूना जाँच में छः पुलिस थानों *सदर* (जयपुर-पश्चिम), *अम्बामाता, ओगणा* (उदयपुर), *प्रतापगढ़, पारसोला* (प्रतापगढ़), *सोजत रोड़* (पाली) द्वारा सामुदायिक संपर्क समूह की बैठकों से संबंधित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए थे **(विवरण परिशिष्ट-।। में)** ।

- 10 पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपायुक्त कार्यालयों (90.90 प्रतिशत) तथा 34 पुलिस थानों (94.44 प्रतिशत) में सामुदायिक संपर्क समूह के सदस्यों को आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान नहीं किया गया था **(विवरण परिशिष्ट-।। में)** ।

- दो पुलिस उपायुक्त/पुलिस अधीक्षक कार्यालयों (जयपुर-पूर्व और कोटा शहर) तथा आठ पुलिस थानों (22.22 प्रतिशत) में गठित सामुदायिक संपर्क समूहों में मानदंडों के अनुसार सदस्यों की संख्या शामिल नहीं थी (**विवरण परिशिष्ट-।। में**) ।

- 10 पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपायुक्त कार्यालयों में सामुदायिक संपर्क समूह की निर्धारित बैठकों की तुलना में 50 से 100 प्रतिशत की कमी रही।

- 11 पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपायुक्त कार्यालयों में से 10 (90.90 प्रतिशत) ने सामुदायिक संपर्क समूहों के कार्य की अर्धवार्षिकी समीक्षा नहीं की और पुलिस मुख्यालय एवं संबंधित रेंज पुलिस महानिरीक्षक को रिपोर्ट भी प्रस्तुत नहीं की (**विवरण परिशिष्ट-II में**)।

गृह विभाग, राजस्थान सरकार ने प्रारूप प्रतिवेदन (दिसम्बर 2020) पर अपने प्रतिउत्तर (फरवरी 2021) में अवगत कराया कि सामुदायिक संपर्क समूह के सदस्यों के लिए पृथक से प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशाला आयोजित नहीं की गई थी। हालांकि, सामुदायिक संपर्क समूह के सदस्यों की बैठकों के दौरान सामुदायिक संपर्क समूह के कार्य से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराई गई।

राजस्थान सरकार द्वारा नमूना जाँच किए गए पुलिस जिला स्तर एवं पुलिस थाना स्तर पर सामुदायिक संपर्क समूह की बैठकों, सामुदायिक संपर्क समूह में पदस्थापित सदस्यों का श्रेणीवार ब्यौरा उपलब्ध नहीं कराया गया। इसके अलावा, पुलिस अधीक्षक कार्यालयों द्वारा पुलिस मुख्यालय और संबंधित रेंज महानिरीक्षक को प्रस्तुत किये गये अर्द्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन की प्रगति का ब्यौरा भी उपलब्ध नहीं कराया गया।

लेखापरीक्षा का मत है कि सीएलजी में कमजोर वर्ग के सदस्यों और महिलाओं को शामिल न करना, सदस्यों को आवश्यक प्रशिक्षण उपलब्ध नहीं कराना, बैठकों के संचालन में कमी और रेंज आईजी और पुलिस मुख्यालय के स्तर पर कामकाज की आवधिक समीक्षा की कमी से पता चलता है कि सीएलजी पहल को उतनी प्रभावी ढंग से क्रियान्वित नहीं किया जा रहा था जितनी कि परिकल्पना की गई थी।

3.2.11 मामलों के जाँच की गुणवत्ता

3.2.11.1 नमूनों का संग्रह और विधि विज्ञान प्रयोगशाला में भेजना

अतिरिक्त महानिदेशक (अपराध शाखा) द्वारा (सितम्बर 2011) और अतिरिक्त महानिदेशक (सिविल राईट्स) द्वारा जनवरी 2013 में जारी निर्देशों के अनुसार, बलात्कार और पोक्सो मामलों के संबंध में, पीड़िता का चिकित्सा परीक्षण 24 घंटे के भीतर किया जाना चाहिए और यदि आरोपी को गिरफ्तार किया जाता है, तो पीड़िता और अपराधियों के नमूने (कपड़े, वीर्य, स्वैब, रक्त आदि) एकत्र किए जाएंगे और विश्लेषण के लिए तुरंत विधि विज्ञान प्रयोगशाला (विविप्र) को भेजे जाएंगे। पोक्सो एक्ट के तहत, प्राथमिकता के आधार पर विविप्र से परीक्षण रिपोर्ट एकत्र की जानी चाहिए और एक महीने के भीतर जाँच पूरी होनी चाहिए तथा अदालत में चालान पेश किया जाना चाहिए।

2012-17 के दौरान 47 पुलिस थानों में पंजीकृत 665 बलात्कार और पोक्सो के मामलों (1,133 मामलों में से) के नमूनों के अभिलेखों एवं विविप्र की रिपोर्टों की जाँच की गई। नमूना संग्रह, विविप्र को भेजने और विविप्र से परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त करने में देरी के उदाहरणों से संबंधित लेखापरीक्षा परिणाम **तालिका 8** में दिये गये है।

तालिका 8

बलात्कार/ पोक्सो के मामले	नमूना जाँच किए गए	नमूने एकत्र किए गए	नमूने एकत्र नहीं किए गए	नमूने एकत्र किए गए, लेकिन विविप्र को नहीं भेजे गए	नमूना संग्रह में विलंब		विविप्र को नमूनें भेजने में विलंब		विविप्र से जाँच रिपोर्ट संग्रहण में विलंब	
					मामले	रेंज (दिनों में)	मामले	रेंज (दिनों में)	मामले	रेंज (दिनों में)
1,133	665	569	96	63	342	2 से 834	452	2 से 1,113	312	43 से 1,207

उपर्युक्त तालिका से निम्न निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं:

- 96 मामलों (14.44 प्रतिशत) में नमूने एकत्र नहीं किए गए थे और 342 मामलों (60.11 प्रतिशत) में पीड़ितों/अपराधियों के नमूने 27 माह तक की देरी से एकत्र किए गए थे।
- 63 मामलों (11.07 प्रतिशत) में, नमूने (कपड़े, वीर्य, स्वैब, रक्त आदि) एकत्र किए गए और मालखाना (जब्त वस्तुओं का भंडार) में जमा किए गए। तथापि इसे फोरेंसिक जाँच के लिए विविप्र को नहीं भेजा गया था तथा 452 मामलों (79.44 प्रतिशत) में नमूनों को 3 साल तक की देरी के साथ विविप्र भेजा गया था।
- 312 मामलों में विविप्र से 39 माह तक के विलम्ब के साथ परीक्षण रिपोर्ट एकत्र की गई थी।

राजस्थान सरकार ने अवगत कराया (मार्च 2019) कि जाँच अधिकारी द्वारा नमूनों का संग्रहण न करना/संग्रह में विलम्ब का कारण घटना की रिपोर्टिंग में विलम्ब या पीड़ितों द्वारा नमूने विलम्ब से प्रदान करना था। यह भी बताया गया कि समय पर नमूनों के संग्रह के लिए राजस्थान सरकार/पुलिस मुख्यालय द्वारा समय-समय पर निर्देश जारी किए जाते हैं।

उत्तर उन मामलों के रूप में विश्वसनीय नहीं है, जहां नमूने एकत्र किए गए और विविप्र को भेजे गए थे, फिर भी उनकी परीक्षण रिपोर्ट विविप्र से तीन वर्ष तक नहीं ली गई, जबकि राजस्थान सरकार द्वारा नमूनों के समय पर संग्रहण, विविप्र को प्रस्तुत करने और विविप्र से परीक्षण रिपोर्ट एकत्र करने के निर्देश दिए गए थे।

आगे, 14 पुलिस थानों (जयपुर पूर्व, जयपुर पश्चिम, जयपुर ग्रामीण और टोंक पुलिस जिले में अगस्त-सितम्बर 2020) में एवं शेष 33 पुलिस थानों उदयपुर, प्रतापगढ़, पाली, कोटा शहर, कोटा ग्रामीण, बारां एवं भरतपुर पुलिस जिलो में अगस्त-अक्टूबर 2021 में अप्रेल 2017 से मार्च 2020 के दर्ज 624 बलात्कार और पोक्सो मामलों (915 मामलों मे से) के नमूना अभिलेखों तथा विविप्र की रिपोर्टों की संवीक्षा में नमूना एकत्र करने, विविप्र को भेजने एवं विविप्र से जाँच रिपोर्ट प्राप्त करने में देरी के प्रकट हुए उदाहरणों को **तालिका 9** में दर्शाया गया है:

तालिका 9

बलात्कार/ पोक्सो के मामले	नमूना जाँच किए गए	नमूने एकत्र किए गए	नमूने एकत्र नहीं किए गए	नमूने एकत्र किए गए, लेकिन विविप्र को नहीं भेजे गए	नमूना संग्रह में विलंब		विविप्र को नमूनें भेजने में विलंब		विविप्र से जाँच रिपोर्ट संग्रहण में विलंब	
					मामले	रेंज (दिनों में)	मामले	रेंज (दिनों में)	मामले	रेंज (दिनों में)
915	624	438	186	87	188	**2** से 297	311	2 से 770	258	13 से 1,178

उपर्युक्त तालिका से निम्न निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं:-

- 186 मामलों में (29.81 प्रतिशत) नमूने एकत्र नहीं किए गए थे और 188 मामलों (42.92 प्रतिशत) में पीड़ितों/अपराधियों के नमूने 9 महीनों तक की देरी से एकत्र किए गए थे।

- 87 मामलों (19.86 प्रतिशत) में, नमूने (कपड़े, वीर्य, स्वैब, रक्त आदि) एकत्र किए गए और मालखाना (जब्त वस्तुओं का भंडार) में जमा किए गए। तथापि, उन्हें फोरेंसिक परीक्षण के लिए विविप्र को नहीं भेजा गया था और 311 मामलों में (71.00 प्रतिशत) नमूनों को 25 महीनों तक की देरी के साथ विविप्र को भेजा गया था।

- 258 मामलों में विविप्र से 38 महीनों तक के विलम्ब से परीक्षण रिपोर्ट एकत्र की गई थी।

लेखापरीक्षा ने देखा कि जिन मामलों में नमूना एकत्र नहीं किया गया था उनका प्रतिशत 2012-17 की तुलना में 2017-20 के दौरान बढ़ गया था।

गृह विभाग, राजस्थान सरकार का प्रारूप प्रतिवेदन (दिसम्बर 2020) पर उत्तर (फरवरी 2021) मार्च 2019 में दिए गए उत्तर के समान था। इसके अलावा, यह अवगत कराया गया कि नमूने चंडीगढ़ विधि विज्ञान प्रयोगशाला द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार एकत्र किए गये थे।

नमूने एकत्र करने में ढिलाई, परीक्षण के लिए नमूने अग्रेषित करने में विफलता या विलम्ब, परीक्षण रिपोर्ट संग्रह में विलम्ब, खासकर बलात्कार और पोक्सो के अपराधों की घटनाओं से संबंधित मामलों में असंवेदनशीलता की ओर इशारा करता है। ऐसी स्थिति में ऐसे जघन्य अपराधों में जाँच और दोष सिद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

3.2.11.2 विधि विज्ञान प्रयोगशाला द्वारा नमूनों की जाँच में देरी

राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला में नमूना जाँच किए गए 47 पुलिस थानों से 2012-17 के दौरान प्राप्त नमूनों के अभिलेखों की संवीक्षा में प्रकट हुआ कि बलात्कार और पोक्सो के मामलों से संबंधित नमूनों की जाँच में 98.64 प्रतिशत मामलों (442 में से 436 मामले) में अत्यधिक देरी हुई थी। ऐसे मामलों में देरी का विवरण **तालिका** 10 में दिया गया है:

तालिका 10

इकाई का नाम	2012-17 के दौरान (मार्च 2017) प्राप्त नमूने	परीक्षण में लिया गया समय (दिनों में)				
		30 दिन तक	31 से 90	91 से 180	181 से 365	366 और उससे अधिक
राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला जयपुर	442	6	45	71	50	270

उपर्युक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि 2012-17 (मार्च 2017) के दौरान 270 मामलों (61.09 प्रतिशत) में एक वर्ष से अधिक की देरी हुई।

निदेशक, राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला ने सूचित किया (अप्रैल 2018) कि नमूनों का परीक्षण पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर किया जाता है। यह जोड़ा गया कि मामलों के पूर्ण विवरण के अभाव में विलम्ब के कारणों को स्पष्ट नहीं किया जा सकता। आगे वर्तमान में जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के दिनांक से लगभग तीन माह की अवधि के भीतर भेजी जा रही है। उत्तर युक्तियुक्त नहीं है क्योंकि 2012-17 के दौरान केवल 11.54 प्रतिशत नमूनों (51) का परीक्षण तीन महीने की समयावधि के भीतर किया गया था और 88.46 प्रतिशत नमूने विलम्ब से परीक्षण किये गये थे।

इसके आगे, राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला में 47 नमूना जाँच वाले पुलिस थानों से 2017-20 के दौरान प्राप्त नमूनों के अभिलेखों की जाँच (सितंबर 2020) में प्रकट हुआ कि बलात्कार एवं पोक्सो के मामलों से संबंधित नमूनों की जाँच में 70.14 प्रतिशत मामलों (278 में से 195 मामले) में महत्वपूर्ण देरी हुई थी। ऐसे मामलों में देरी का विवरण नीचे दी गई **तालिका** 11 में है:-

तालिका 11

इकाई का नाम	अप्रैल 17 से मार्च 20 के दौरान प्राप्त नमूने	परीक्षण में लिया गया समय (दिनों में)				
		30 दिन तक	31 से 90	91 से 180	181 से 365	366 और उससे अधिक
राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला जयपुर	278	83	77	46	32	40

उपर्युक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि पिछले वर्षों में सुधार के बावजूद, अप्रैल 2017 से मार्च 2020 के दौरान 118 मामलों (42.45 प्रतिशत) में 90 दिनों से अधिक की देरी हुई।

गृह विभाग, राजस्थान सरकार ने प्रारूप प्रतिवेदन (दिसम्बर 2020) पर अपने प्रतिउत्तर (फरवरी 2021) में अवगत कराया कि राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला के पास 2017 तक के मामलों में डीएनए जाँच लंबित नहीं थी। इसके अलावा, यह भी अवगत कराया कि पुलिस आधुनिकीकरण योजना और निर्भया निधि योजना के अंतर्गत डीएनए परीक्षण के लिए आवश्यक उपकरण खरीदे गए थे और 2020 के दौरान अनुबंध के आधार पर 10 कर्मियों को एक वर्ष के लिए पदस्थापित किया गया था।

लेखापरीक्षा का मानना है कि उत्तर वस्तुस्थिति स्पष्ट नहीं करता है, क्योंकि सीरम, जैविक और अन्य खंडों के प्रदर्शन में सुधार के लिए उठाए गए कदमों की सूचना नहीं दी गई थी।

3.2.11.3 मोबाइल फोरेंसिक यूनिट्स का न्यून उपयोग

राजस्थान में, समस्त 40 जिलों को सम्मिलित करते हुए अपराध स्थल पर बिना देरी के साक्ष्य संग्रह करने और जाँच में मदद करने के लिए 34 मोबाइल फोरेंसिक यूनिट्स (एमएफयू) मार्च 2017 तक क्रियाशील थी।

सात मोबाइल फोरेंसिक यूनिट्स (एमएफयू) के अभिलेखों की संवीक्षा में प्रकट हुआ कि जाँच में मदद करने के लिए साक्ष्य सामग्री की पहचान और संग्रह के लिए एमएफयू द्वारा किये गये दौरों की संख्या न्यूनतम थी, क्योंकि 2012-17 के दौरान उन्होंने महिलाओं के विरूद्ध अपराध के कुल 6,877 गम्भीर मामलों (बलात्कार और पोक्सोः 6,262 मामले और दहेज हत्याः 615 मामले) में से केवल 331 (4.81 प्रतिशत) अपराध स्थलों का दौरा किया था। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक एमएफयू द्वारा प्रति माह केवल एक से छः तक (जयपुर को छोड़कर) दौरे किये गये। अतिरिक्त निदेशक, क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं ने अवगत कराया (अक्टूबर 2017-मई 2018) कि एमएफयू सेवाओं का उपयोग घटनाओं की जाँच करने वाले पुलिस अधिकारी पर निर्भर था। उन्होंने यह भी कहा कि, अगर नमूनों/साक्ष्यों के संग्रह के लिए अपराध स्थल पर एमएफयू को बुलाया जाता है, तो जाँच के परिणाम बेहतर हो सकते है।

राजस्थान सरकार ने अवगत कराया (मार्च 2019) कि बलात्कार एवं पोक्सो के समस्त मामलों में एमएफयू की सेवाओं का उपयोग किया जा रहा है।

इसके आगे, राज्य एफएसएल में नौ एमएफयू के अनुरक्षित अभिलेखों की जाँच (सितंबर 2020) से प्रकट हुआ कि 2017- मार्च 2020 के दौरान महिलाओं के विरूद्ध अपराध के कुल 5,913 गंभीर मामलों में से (बलात्कार और पोक्सो के 5,567 मामले और दहेज हत्या 346 मामले), एमएफयू ने केवल 488 (8.22 प्रतिशत) अपराध स्थलों का दौरा किया। इसके अलावा, प्रत्येक एमएफयू द्वारा प्रति माह एक और सात (जयपुर को छोड़कर) के बीच दौरे किये गये।

गृह विभाग, राजस्थान सरकार ने प्रारूप प्रतिवेदन (दिसम्बर 2020) पर अपने प्रतिउत्तर (फरवरी 2021) में अवगत कराया कि पुलिस नियंत्रण कक्ष/अन्वेषण अधिकारी से सूचना प्राप्त होने के पश्चात साक्ष्यों की पहचान और संग्रह के लिए एमएफयू ने घटना स्थल का दौरा किया। एमएफयू का उपयोग अन्वेषण अधिकारी पर निर्भर था और महिलाओं के विरुद्ध अपराध के मामलों में आवश्यकता के आधार पर तत्काल एमएफयू की सहायता प्रदान की जा रही थी। बलात्कार और पोक्सो के समस्त संवेदनशील प्रकरणों में एमएफयू का उपयोग किया जा रहा था।

वर्ष 2011-2020 के दौरान 34 एमएफयू द्वारा किए गए दौरों का ब्यौरा भी उपलब्ध कराया गया तथापि, नमूना जाँच किये गये नौ एमएफयू द्वारा 2017-20 के दौरान 5,913 मामलों में से केवल 488 मामलों (8.22 प्रतिशत) में ही अपराध स्थलों का दौरा क्यों किया गया, के सम्बन्ध में संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया।

लेखापरीक्षा ने देखा कि 2017-20 की अवधि के दौरान एमएफयू के उपयोग में मामूली सुधार हुआ था। हालांकि, राजस्थान सरकार के दावों के विपरीत, विभाग अपराध स्थल से साक्ष्य संग्रहित करने के लिए मोबाइल फोरेंसिक यूनिट्स का सर्वोत्कृष्ट और शीघ्र उपयोग सुनिश्चित करने में विफल रहा। इसके अलावा, यदि एमएफयू का उपयोग जाँच अधिकारी पर निर्भर था, तो ऐसा कम उपयोग इंगित करता है कि जाँच अधिकारियों को एमएफयू का उपयोग करने के लिए प्रभावी ढंग से निर्देशित नहीं किया गया था।

3.2.11.4 डीएनए परीक्षण और ऑडियो विजुअल रिकार्डिंग नहीं करना

पुलिस महानिदेशक ने बलात्कार और पोक्सो के मामलों में दोषसिद्ध और शंकाओं को दूर करने में डीएनए परीक्षण के महत्व को देखते हुए, निर्देश दिये (जून 2010 एवं जनवरी 2013) कि बलात्कार के मामलों में, डीएनए परीक्षण अनिवार्य रूप से किया जाये और पोक्सो मामलों में डीएनए परीक्षण की प्राथमिकता को सुनिश्चित किया जावे। इसके अतिरिक्त, रक्त, थूक/लार, वीर्य, योनि स्वैब इत्यादि, नमूने आवश्यक रूप से लेवें और सुरक्षित रखें जावें, ताकि आवश्यकता पड़ने पर डीएनए परीक्षण किया जा सके। इसके अतिरिक्त, मामलों के समस्त प्रासंगिक पहलूओं को पीड़ितों के बयान में दर्ज किया जाये और समस्त पोक्सो मामलों में ऑडियो विजुअल रिकार्डिंग सुनिश्चित की जानी चाहिए।

नमूना जाँच किए गए 11 पुलिस जिलों के 2012-17 के अभिलेखों की संवीक्षा में प्रकट हुआ कि बलात्कार/पोक्सो के 6,527 पंजीकृत मामलों में से, कोटा शहर (चार मामले) और उदयपुर (दो मामले) को छोड़कर बलात्कार/पोक्सो के किसी भी मामलों में कोई डीएनए परीक्षण नहीं किया गया था। डीएनए परीक्षण नहीं करने के कारण अभिलेखों पर उपलब्ध नहीं थे।

इसके अतिरिक्त, नमूना जाँच किए गए छः[37] पुलिस जिलों में प्रतिवेदित 1,687 पोक्सो मामलों में से जिनमें केवल 327 मामलों (19.38 प्रतिशत) में ऑडियो विजुअल रिकार्डिंग की गई थी, जबकि पांच[38] नमूना जाँच किए गए जिलों में पंजीकृत किये गये 697 पोक्सो मामलों में से किसी में भी ऑडियो विजुअल रिकार्डिंग नहीं की गई थी।

इसी तरह, नमूना जाँच किए गए 47 पुलिस थानों में पंजीकृत 1,133 बलात्कार/पोक्सो मामलों में से किसी में भी डीएनए परीक्षण नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, नमूना जाँच किए गए 47 पुलिस थानों में (250 पोक्सो मामले), किसी भी पुलिस थानें में ऑडियो विजुअल रिकार्डिंग नहीं की गई थी, पुलिस थाना गुडा ऐन्दला (पाली) के अतिरिक्त जहाँ सभी पंजीकृत 15 मामलों में ऑडियो विजुअल रिकार्डिंग की गयी थी।

राजस्थान सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया (जनवरी-मार्च 2019) और अवगत कराया कि पोक्सो मामलों में पीड़ित के बयानों की ऑडियो विजुअल रिकार्डिंग के लिए आवश्यक उपकरण, जहाँ उपलब्ध नहीं हैं, प्रदान करने के लिए कार्यवाही की जा रही है। सभी बलात्कार एवं पोक्सों मामलों में हर सम्भव डीएनए परीक्षण और ऑडियो विजुअल रिकार्डिंग आयोजित करने के संबंध में सभी पुलिस अधीक्षकों/पुलिस उपायुक्तों को पुनः निर्देश जारी किए गए हैं।

आगे, नमूना जाँच किए गए चार पुलिस जिलों (जयपुर पूर्व, जयपुर पश्चिम, जयपुर ग्रामीण तथा टोंक) में अगस्त-सितम्बर 2020 में एवं शेष सात पुलिस जिलों में अगस्त-अक्टूबर 2021 में अभिलेखों की संवीक्षा में प्रकट हुआ कि 2017-20 के दौरान डीएनए परीक्षण और ऑडियो-विजुअल रिकार्डिंग अभी भी बड़ी संख्या में मामलों में नहीं की जा रही थी। बलात्कार/पोक्सो के

37 टोंक (160 में से 21); कोटा ग्रामीण (303 में से 27); उदयपुर (411 में से 2); जयपुर ग्रामीण (198 में से 197); कोटा शहर (306 में से 31) एवं पाली (309 में से 49)।

38 जयपुर (पूर्व); जयपुर (पश्चिम); बारां; भरतपुर एवं प्रतापगढ़।

5,258 पंजीकृत मामलों में से, 3,643 मामलों (69.28 प्रतिशत) में डीएनए परीक्षण नहीं किया गया था। डीएनए परीक्षण नहीं करने के कारण अभिलेखों में उपलब्ध नहीं थे। नमूना जाँच जिलों के पोक्सो के 1422 मामलों में से ऑडियो विजुअल रिकार्डिंग 771 मामलों (54.22 प्रतिशत) में की गई थी। तीन पुलिस अधीक्षक कार्यालयों (टोंक, जयपुर पूर्व तथा बारां) द्वारा ऑडियो विजुअल रिकार्डिंग के आंकड़े प्रदान नहीं किये गये।

इसी तरह, जयपुर पूर्व, जयपुर पश्चिम, जयपुर ग्रामीण और टोंक पुलिस जिले के अगस्त-सितम्बर 2020 में 14 नमूना जाँच किए गए पुलिस थानों में एवं उदयपुर, प्रतापगढ़, पाली, कोटा शहर, कोटा ग्रामीण, बारां एवं भरतपुर पुलिस जिलो के अगस्त-अक्टूबर 2021 में शेष 33 पुलिस थानों में अप्रेल 2017 से मार्च 2020 की अवधि में बलात्कार/पोक्सो के पंजीकृत 915 मामलों में से 637 (69.62 प्रतिशत) में डीएनए परीक्षण नहीं किए गए थे तथा 338 पोक्सो के मामलों में से 257 मामलों में ऑडियो-विजुअल रिकार्डिंग की गई।

गृह विभाग, राजस्थान सरकार ने प्रारूप प्रतिवेदन (दिसम्बर 2020) पर अपने प्रतिउत्तर (फरवरी 2021) में अवगत कराया कि अधिकांश पुलिस थानों/वृत्त कार्यालयों में ऑडियो विजुअल रिकार्डिंग हेतु संसाधन उपलब्ध कराए गए थे। संवेदनशील दुष्कर्म और पोक्सो मामलों में डीएनए परीक्षण तथा वीडियोग्राफी कराई जा रही थी। अतिरिक्त महानिदेशक (सिविल राइट) ने भी दुष्कर्म और पोक्सो मामलों में परीक्षण के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (अगस्त 2020) जारी की।

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि बलात्कार और पोक्सो के मामलों में दोषसिद्ध सुनिश्चित करने और संदेहों को दूर करने में डीएनए परीक्षण के परिणाम महत्वपूर्ण हैं, राजस्थान सरकार का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि नमूना जाँच किये गए 47 पुलिस थानों की लेखापरीक्षा में पाया गया कि अप्रैल 2017 से मार्च 2020 की अवधि के लिए 915 पंजीकृत बलात्कार/पोक्सो मामलों में से 637 (69.62 प्रतिशत) में डीएनए परीक्षण नहीं किए गए थे। इसके अलावा, ऑडियो विजुअल रिकोर्डिंग के लिए संसाधनों को बढ़ाने के संबंध में साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराए गए थे।

बाल अधिकारिता विभाग

3.2.12 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012

लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम, 2012 यौन हमलों, यौन उत्पीड़न और अश्लीलता के अपराधों से बच्चों को सुरक्षा देने और ऐसे अपराधों और संबंधित या प्रासंगिक मामलों की जाँच हेतु विशेष न्यायालयों की स्थापना के लिए लागू किया गया था।

पुलिस के आंकड़ों के अनुसार, राज्य में 2016-19 के दौरान अधिनियम के तहत 2,025 मामले दर्ज किए गए थे।

अन्य एजेंसियों के साथ समन्वय का अभाव

बाल कल्याण समिति (बाकस) यौन अपराधों के पीडितों को संबल, देखभाल, संरक्षण और पुनर्वास सुनिश्चित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। राजस्थान किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) नियम, 2011 के अनुसार बाल कल्याण समिति (बाकस) से अपेक्षा[39] की जाती है कि वह जिला बाल संरक्षण इकाई (जिबासंई) के सहयोग से पुलिस और बालकों की देखरेख और संरक्षण में शामिल अन्य एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करें और राज्य बाल संरक्षण इकाई को तिमाही आधार पर कार्य प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।

नमूना जाँच किए गए आठ बाल कल्याण समितियों के अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान, बच्चों की देखभाल और सुरक्षा में शामिल पुलिस तथा अन्य एजेंसियों के साथ जाँच, नमूना संग्रह, फोरेंसिक जाँच जैसे पहलूओं पर समन्वय के अस्तित्व के बारे में सूचना अभिलेखों में नहीं पायी गई। ऐसी सूचना लेखापरीक्षा को भी उपलब्ध नहीं कराई गई थी।

राजस्थान सरकार ने अवगत कराया (फरवरी 2019) कि बाल कल्याण समितियों की पुलिस आदि के साथ समन्वय गतिविधियाँ एक नियमित प्रक्रिया है।

उत्तर युक्तियुक्त नहीं है क्योंकि 159 मामलें (बलात्कार/पोक्सो के अन्तर्गत घटनाएं) में, जहां पीड़ितों/अपराधियों के नमूने संगृहीत नहीं किए गए थे या उन्हें संगृहीत तो किया गया लेकिन विधि विज्ञान प्रयोगशाला को जाँच के लिए नहीं भेजा गया **(अनुच्छेद 3.2.11.1)** तथा 2012-17 के दौरान नमूना जाँच किये गये 47 पुलिस थानों में पोक्सों प्रकरणों की डीएनए जाँच भी नहीं की गई **(अनुच्छेद 3.2.11.4)**, जो स्पष्ट रूप से एजेंसियों के मध्य संचार एवं उचित समन्वय की कमी को दर्शाता है।

आगे 14 नमूना जाँच किए गए पुलिस थानों (जयपुर पूर्व, जयपुर पश्चिम, जयपुर ग्रामीण और टोंक पुलिस जिलों) में अगस्त-सितंबर 2020 में एवं सात पुलिस जिलों में शेष 33 पुलिस थानों में अगस्त-अक्टूबर 2021 में अभिलेखों की संवीक्षा में प्रकट हुआ कि वहाँ 273 मामले (बलात्कार/पोक्सो के तहत घटनाएं) थे, जहां पीड़ितों/अपराधियों के नमूने संगृहीत नहीं किए गए थे या संगृहीत किए गए थे, लेकिन विधि विज्ञान प्रयोगशाला में परीक्षण के लिए नहीं भेजे गए थे। इसके अलावा, 2017-20 के दौरान 637 मामलों (915 में से) में डीएनए परीक्षण नहीं किए गए **(अनुच्छेद 3.2.11.4)**। आगे नमूना जांच किए गए दो जिलों (जयपुर और टोंक) अगस्त-सितंबर 2020 में और शेष छः जिलों में अगस्त-अक्टूबर 2021 में बाल कल्याण समितियों के अभिलेखों की संवीक्षा में प्रकट हुआ कि 2017-20 के दौरान पांच जिलों (जयपुर, टोंक, प्रतापगढ़, कोटा और बारां) के अभिलेखों से बाल कल्याण समितियों का इन मामलों की निगरानी के लिये पुलिस या अदालतों के साथ समन्वय स्पष्ट नहीं था। बाकस पाली ने सूचित किया (सितंबर 2021) कि पुलिस और अदालत के साथ समन्वय स्थापित किया गया था, लेकिन इस संबंध में लेखापरीक्षा को कोई पुष्ट साक्ष्य प्रदान नहीं किया गया था। बाकस उदयपुर (अप्रैल 2017 से 15 दिसंबर 2019 के लिए) और भरतपुर (अप्रैल 2017 से 18 अक्टूबर 2019 के लिए) द्वारा

39 राजस्थान किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) नियम 2011 के नियम 25 (आर) के अनुसार।

अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए गए थे। इसलिए, समय पर तथा प्रभावी जाँच सुनिश्चित नहीं की जा सकती थी।

बाअवि, राजस्थान सरकार ने प्रारूप प्रतिवेदनों (दिसम्बर 2020 एवं नवंबर 2021) पर अपने प्रतिउत्तरों (जनवरी 2021 एवं जनवरी 2022) में अवगत कराया कि ''राजस्थान किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) नियम, 2011'' अधिक प्रभावी नहीं था क्योंकि 2015 में भारत सरकार ने नया किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम अधिसूचित किया था। ये नियम पोक्सो मामलों के संदर्भ में बाकस की भूमिका और जिम्मेदारी को परिभाषित नहीं करते। पोक्सो मामलों के संदर्भ में, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा 30 (xiii) परिभाषित करता है कि ''*विशेष किशोर पुलिस इकाई या स्थानीय पुलिस द्वारा पोक्सो अधिनियम, 2012 के अंतर्गत लैंगिक रूप से दुर्व्यवहार से ग्रस्त ऐसे बालकों के पुनर्वास के लिए समिति को कार्यवाही करनी चाहिये जिन्हें देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता है''।* पोक्सो अधिनियम, 2012 के प्रावधानों के तहत भारत सरकार द्वारा पोक्सो नियम 2020 को अधिसूचित किया गया है। नए नियमों के संदर्भ में, राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2020 में बाकस के लिए नये दिशा-निर्देश जारी किये गये। बाकस उपर्युक्त प्रावधानों और पोक्सो अधिनियम, 2012 के अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के संदर्भ में अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा था। पुलिस जाँच की प्रक्रिया और निगरानी में बाकस की कोई भूमिका नहीं थी।

उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 30 (xv) में प्रावधान है कि *''बाकस, कार्यों में बच्चों की सुरक्षा और देखभाल में सम्मिलित पुलिस, श्रम विभाग और अन्य एजेंसियों के साथ जिबासंई या राज्य सरकार के सहयोग के साथ समन्वय करना सम्मिलित है''।* लेखापरीक्षा के दौरान इस तरह का समन्वय दृष्टिगत नहीं हुआ और राज्य सरकार के उत्तर में भी समन्वय के लिए तंत्र के बारे में विस्तार से नहीं बताया गया।

निष्कर्ष

अभी भी घरेलू हिंसा की घटनाओं के पीड़ितों के एक उच्च प्रतिशत ने घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत संरक्षण अधिकारियों या महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्रों के बजाय भारतीय दंड संहिता की धाराओं के अंतर्गत सीधे मजिस्ट्रेट/पुलिस के साथ मामले दर्ज करने को वरीयता दी। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत घरेलू घटनाओं की रिपोर्ट दाखिल करने हेतु पर्याप्त संख्या में संरक्षण अधिकारियों के अभाव का सामना करना पड़ा क्योंकि संरक्षण अधिकारियों के कर्तव्यों/कार्यों को महिला अधिकारिता निदेशालय के जिला कार्यक्रम अधिकारियों/प्रचेताओं को अतिरिक्त रूप से सौंपा गया था जिनकी विभाग में पहले से ही कमी थी। महिला अधिकारिता निदेशालय द्वारा राज्य में समस्त कार्यालयों/कार्यस्थलों में जिनमें दस या अधिक कर्मचारी कार्य कर रहे थे, में आंतरिक समितियों के गठन को सुनिश्चित नहीं किया गया। डायन-प्रताड़ना के संवेदनशील क्षेत्रों को चिन्हित करने के किसी भी जिले में पर्याप्त प्रयास नहीं किए गए।

यद्यपि दहेज प्रतिषेध अधिकारियों को समाज में दहेज प्रथा को समाप्त करने के लिए अधिकृत किया गया था, लेकिन राज्य में किसी भी पीड़ित द्वारा राहत के लिए मुख्य दहेज प्रतिषेध अधिकारी और किसी भी जिले में दहेज प्रतिषेध अधिकारियों से संपर्क नहीं किया।

बच्चों की देखभाल और सुरक्षा में शामिल पुलिस और अन्य एजेंसियों के बीच समन्वय का अभाव था।

इसके अलावा, पुलिस कार्यप्रणाली पर जनता के मध्य विश्वास बढ़ा था क्योंकि अधिकांश मामले सीधे पुलिस थानों में दर्ज हो रहे थे। यद्यपि, कुछ व्यवधान यथा महिला एवं बाल डेस्क, जो महिलाओं और बच्चों को बिना किसी भय और दबाव के अपनी शिकायतों को व्यक्त करने हेतु मित्रवत और अनुकूल वातावरण प्रदान करने के लिए स्थापित किए गए थे, को पर्याप्त मानव संसाधनों और आधारभूत संशाधनों की कमी का सामना करना पड़ा।

नमूने संगृहीत करने में शिथिलता, जाँच हेतु नमूनों को अग्रेषित करने में देरी और विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं से जाँच रिपोर्ट एकत्र करने में देरी के कारण बलात्कार और पोक्सो से संबंधित मामलों में जाँच की गुणवत्ता प्रभावित हुई। इसके अलावा, कई मामलों में, पीड़ितों/अपराधियों से एकत्र किए गए नमूने (कपड़े, वीर्य, स्वैब, रक्त इत्यादि) फोरेंसिक जाँच हेतु नहीं भेजे गये थे तथा मालखाना (जब्त वस्तुओं का भंडार) में पड़े थे। इसके अतिरिक्त, बलात्कार और पोक्सो के अधिकांश मामलों में डीएनए परीक्षण नहीं किया गया था। यह बलात्कार और पोक्सो से संबंधित संवेदनशील अपराधों से निपटने में पुलिस की ओर से लापरवाही को इंगित करता है। जांच में देरी ने बड़ी संख्या में मामलों में चालान/एफआर प्रस्तुत करने में देरी को और बढ़ा दिया। ऐसी स्थिति में ऐसे जघन्य अपराधों की जाँच और दोषसिद्ध होने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

अनुशंसाएँ

3. राज्य सरकार को 'महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम' के प्रभावी प्रवर्तन के लिए समस्त सार्वजनिक और निजी संस्थानों में आंतरिक समितियों का गठन सुनिश्चित करना चाहिए।

4. राज्य सरकार यह सुनिश्चित कर सकती है कि महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के दर्ज मामलों की जाँच की जाए और कानून द्वारा निर्धारित समय सीमा के अनुसार आरोप पत्र दायर किए जाएं।

5. राज्य सरकार को महिलाओं के विरूद्ध अपराध के मामलों को संवेदनशीलता के साथ निपटाने हेतु पुलिस कार्मिकों को प्रशिक्षित करना चाहिए ताकि पुलिस पर व्यापक रूप से जनता विशेषकर महिलाओं का विश्वास बेहतर हो सके।

6. राज्य सरकार को उन मामलों का ब्यौरा एकत्र करना चाहिए जहाँ फोरेंसिक जाँच के नमूनों के संग्रहण और अग्रेषण में लापरवाही और देरी हुई है तथा दोषी अधिकारियों के विरूद्ध जिम्मेदारी तय करनी चाहिये।

7. विशेष रूप से बलात्कार/पोक्सो से संबंधित मामलों की जांच की दक्षता और प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए, राज्य सरकार को एमएफयू, डीएनए परीक्षण और ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग सहित जाँच तंत्र का पर्याप्त उपयोग करने के लिए जाँच अधिकारियों को प्रोत्साहित करना चाहिये।

3.3 पुनर्वास

अपराध से पीड़ित महिलाओं के साथ-साथ कठिन परिस्थितियों में रहने वाली कमजोर महिलाओं को राहत, पुनर्वास और आवश्यक सहायता प्रदान की जाती है ताकि वे सम्मान के साथ अपना जीवन व्यतीत कर सकें। इस उद्देश्य के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं और उपाय तैयार/सूत्रबद्ध किए गए हैं। इन योजनाओं के अन्तर्गत पुनर्वास और सहायता हेतु प्रदान किए जाने वाले मुख्य घटकों में आश्रय के लिए सुरक्षित स्थान, कपड़े एवं दैनिक उपयोग की वस्तुओं, शिक्षा सुविधाओं और कानूनी सहायता का प्रावधान शामिल है। उनके क्रियान्वयन के दौरान देखी गई कमियों को अनुवर्ती अनुच्छेदों में शामिल किया गया हैः

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

3.3.1 नारी निकेतन/महिला सदन द्वारा निर्धारित कर्तव्यों का निष्पादन नहीं करना

अनैतिक और सामाजिक अत्याचार से पीड़ित महिलाओं को संरक्षण देने और उन्हें नए सिरे से अपना जीवन शुरू करने में मदद करने के लिए संभाग स्तर पर नारी निकेतन/महिला सदन की स्थापना की गई है। इसके अलावा, राज्य सरकार ने व्यक्तियों के गृहों एवं आश्रयों में प्रबंधन, प्रवेश और पुनर्वास के लिए ''गृह एवं आश्रय गृहों के लिए नियम 1970'' भी अधिनियमित किये है।

राज्य में मार्च 2020 तक छः नारी निकेतन और एक महिला सदन[40] है। इनमें से भरतपुर, जयपुर, कोटा और उदयपुर जिलों में स्थित चार नारी निकेतनों/महिला सदन के अभिलेखों की नमूना जाँच जुलाई 2017-अप्रैल 2018 के दौरान की गई।

अभिलेखों की संवीक्षा में प्रकट हुआ कि 2012-17 के दौरान किसी भी नारी निकेतन/महिला सदन द्वारा पुनर्वासित महिलाओं का अनुवर्तन नहीं किया गया था, यद्यपि इन नारी निकेतन/महिला सदन द्वारा 1,223 महिलाओं {भरतपुर (52), जयपुर (847), कोटा (163) और उदयपुर (161)} का पुनर्वास किया गया था।

राज्य सरकार ने अवगत कराया (दिसंबर 2018) कि पुनर्वासित महिलाओं का अनुवर्तन नियमित रूप से किया जा रहा है। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि महिला सदन जयपुर द्वारा केवल 32 पुनर्वासित आवासनियों का अनुवर्तन किया गया था।

महिला सदन जयपुर के अभिलेखों की अगस्त 2020 के दौरान पुनः नमूना जाँच की गई जबकि भरतपुर, कोटा और उदयपुर में नारी निकेतनों के अभिलेखों की अगस्त-अक्टूबर 2021 के दौरान नमूना जाँच की गई।

40 अजमेर (50 आवासनियां), जोधपुर (50 आवासनियां), बीकानेर (50 आवासनियां), कोटा (50 आवासनियां), उदयपुर (50 आवासनियां), भरतपुर (50 आवासनियां) एवं महिला सदन, जयपुर (150 आवासनियां)।

महिला सदन जयपुर और नारी निकेतन कोटा की आगे की संवीक्षा में प्रकट हुआ कि यद्यपि इन नारी निकेतनों/महिला सदनों द्वारा 419 महिलाओं {जयपुर(269) एवं कोटा (150)}का पुनर्वास किया गया था, 2017-20 के दौरान केवल 60 पुनर्वासित कैदियों का महिला सदन जयपुर(12) और नारी निकेतन कोटा (48) द्वारा अनुवर्तन किया गया था। इसके अलावा, 2017-20 के दौरान नारी निकेतन उदयपुर और भरतपुर द्वारा पुनर्वासित महिलाओं का अनुवर्तन नहीं किया गया था।

सान्याअवि, राजस्थान सरकार ने प्रारूप प्रतिवेदन (दिसम्बर 2020) पर अपने प्रतिउत्तर (जनवरी 2021) में तथ्यों को स्वीकार किया तथा अवगत कराया कि आवासनियों का अनुवर्तन दूरभाष और वीडियो कॉल द्वारा किया गया था किन्तु अभिलेख संधारित नहीं किये गये। अब पुनर्वासित महिलाओं के अनुवर्तन से सम्बन्धित अभिलेखों का संधारण किया जा रहा था।

लेखापरीक्षा का मत है कि राजस्थान सरकार द्वारा दिये गये आश्वासन के पश्चात् भी स्थिति में सुधार नहीं हुआ है, जैसा कि 2020 एवं 2021 में की गई आगे की संवीक्षा से पता चलता है। इसलिए, यह सुनिश्चित करने के लिए कि इन सुविधाओं का मुख्य कार्य अर्थात् पुनर्वास संतोषजनक रूप से किया गया है, अधिकारियों द्वारा व्यक्तिगत स्तर पर दौरों, दूरभाष वार्ता और पत्राचार के माध्यम से जमीनी स्तर पर अनुवर्तन जैसे कठोर उपाय आवश्यक है।

सान्याअवि, राजस्थान सरकार ने प्रारुप प्रतिवेदन (नवंबर 2021) पर अपने प्रतिउत्तर (फरवरी 2022) में तथ्यों को स्वीकार किया और बताया कि विभाग ने महिला सदन/नारी निकेतनों के प्रभारी अधिकारियों को निरीक्षण के दौरान बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता और आवासनियों के पुनर्वास के प्रयासों की दिशा में विशेष ध्यान देने के निर्देश प्रदान किये हैं।

3.3.2 स्वाधार गृह योजना

भारत सरकार द्वारा दो मौजूदा योजनाओं स्वाधार (2001-02) और अल्प आवास गृह (1969) को विलय करने के बाद 2011 में स्वाधार गृह योजना शुरू की गई थी। 2015-16 तक 100 प्रतिशत सहायता भारत सरकार द्वारा सीधे ही स्वाधार गृहों को जारी की गई। 2016-17 से, केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने इन स्वाधार गृहों को 60:40 के अनुपात में वित्तपोषित किया। इस योजना को गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है और इसका उद्देश्य भोजन, कपड़े, चिकित्सा सुविधाओं, व्यावसायिक और कौशल उन्नयन, आर्थिक पुनर्वास के लिए इन महिलाओं को प्रशिक्षण के साथ, अस्थायी आवास साथ ही साथ परामर्श, जागरूकता सृजन और व्यवहार प्रशिक्षण, कानूनी सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करना है। जिला स्तर पर स्वाधार गृहों की नियमित निगरानी जिला महिला कल्याण समिति (जिमकस) द्वारा की जानी है।

राज्य में क्रियाशील सात स्वाधार गृहों[41] में से, 2012-17 के दौरान 525 आवासनियों वाले तीन स्वाधार गृहों (बारां, टोंक और उदयपुर) के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा में निम्नलिखित उजागर हुआः

41 स्वाधार गृहः बारां, दौसा, डूंगरपुर, जयपुर, जोधपुर, टोंक एवं उदयपुर।

3.3.2.1 महिलाओं के प्रवेश/ठहरने से संबंधित अनियमितताएँ

योजना के दिशानिर्देशों में स्वाधार गृह में आवासनियों के प्रवेश से संबंधित विभिन्न प्रावधान निहित हैं । इसमें विभिन्न स्थितियों और परिस्थितियों (घरेलू हिंसा से पीड़ितों सहित) जिन्हें महिलाओं के लिए मुश्किल माना जा सकता है, को सूचीबद्ध किया गया है । ऐसी पीड़ित महिलाएँ स्वाधार गृह योजना के अन्तर्गत लाभ के लिए पात्र होंगी, बशर्ते कि संभावित लाभार्थी के पास जीवन निर्वाह का कोई साधन नहीं है । स्वाधार गृह में प्रवेशित प्रत्येक पीड़िता की सूचना नजदीकी पुलिस थाने को प्रेषित करनी होती है । पुनर्वास कार्यक्रमों पर निर्णय हेतु परामर्शदाताओं/अधीक्षक द्वारा महिलाओं का साक्षात्कार लिया जायेगा । इसी प्रकार, प्रत्येक प्रवेशित महिला की प्रवेश के तीन दिनों के भीतर चिकित्सा जांच करवाई जायेगी । इसके अतिरिक्त, ठहरने की अवधि (घरेलू हिंसा आदि की पीड़िताओं के लिए एक वर्ष तक) के प्रावधान भी दिए गए हैं ।

तीन स्वाधार गृहों के अभिलेखों की संवीक्षा में प्रकट हुआ किः

- 2012-17 के दौरान कार्यान्वयन एजेंसियों ने बारां, टोंक और उदयपुर के स्वाधार गृहों में क्रमशः 48, 54 और 46 पीड़ित महिलाओं को प्रवेश प्रपत्रों में घरेलू हिंसा को कारण दर्ज करके प्रवेशित किया था । पीड़ित महिलाओं को स्वाधार गृह में प्रवेशित करने की सूचना नजदीकी पुलिस थाने में नहीं भेजी गई । इसके अलावा, पुलिस थाने में या अदालत में पति या उसके रिश्तेदारों के विरुद्ध कोई मामला दर्ज किया गया था, यह प्रमाणित करने वाला साक्ष्य अभिलेखों में नहीं पाया गया था ।
- 2012-17 के दौरान बारां और टोंक में परामर्शदाताओं/अधीक्षक द्वारा समस्या के निदान के लिए आवासनियों का प्राथमिक साक्षात्कार नहीं किया गया था यद्यपि परामर्शदाताओं को वेतन के लिए टोंक और बारां में क्रमशः ₹ 4.80 लाख और ₹ 4.08 लाख की राशि का दावा/भुगतान किया गया था । ऐसी स्थिति में परामर्शदाताओं को किया गया भुगतान उचित प्रतीत नहीं होता हैं ।
- नमूना जाँच में लिये गये स्वाधार गृहों में 2012-17 के दौरान प्रवेशित किसी भी आवासनियों की निर्धारित चिकित्सा जाँच नहीं करवाई गई थी ।
- स्वाधार गृह, टोंक में भर्ती 73 महिलाएं जो घरेलू हिंसा से पीड़ित थी, योजना के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए एक वर्ष से अधिक और सात वर्ष तक रही ।

राजस्थान सरकार ने अवगत कराया (दिसंबर 2018) कि स्वाधार गृह में रहने वाली महिलाओं का प्रवेश दिशानिर्देशों के अनुसार था क्योंकि वे घरेलू हिंसा की शिकार थीं । महिलाओं को मानवीय आधार पर प्रवेशित किया गया और व्यय गैर सरकारी संगठन द्वारा वहन किया जाना था । स्वाधार गृहों द्वारा नियमित रूप से आवासनियों को परामर्श और चिकित्सा जांच प्रदान की जा रही थी । उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा संवीक्षा में दृष्टिगत हुआ कि प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया था और महिलाएं स्वाधार गृहों में तय सीमा से अधिक ठहर रही थीं ।

सान्याअवि, राजस्थान सरकार ने प्रारूप प्रतिवेदन (दिसम्बर 2020) पर अपने प्रतिउत्तर (जनवरी 2021) में अवगत कराया कि इन स्वाधार गृहों में प्रवेशित अधिकांश आवासनियां परामर्श के

माध्यम से अपनी समस्याओं को हल करना चाहती थी और अपनी शिकायत पुलिस थाने/अदालत में दर्ज नहीं कराना चाहती थी। प्रवेशित महिलाओं की सूचना नजदीकी पुलिस थानें को भेजी जा रही थी। आगे अवगत कराया कि 2016-17 के दौरान स्वाधार गृह, टोंक में योजना के प्रावधानों का उल्लंघन कर ठहरने वाली पीडिताओं के प्रकरणों में अनुदान का भुगतान नहीं किया गया।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि वर्षों 2012-17 के दौरान प्रवेशित पीडिताओं की सूचना निकटतम पुलिस थानों को भेजी जाने, परामर्शदाताओं/अधीक्षक द्वारा प्राथमिक साक्षात्कार और आवासनियों की चिकित्सा जाँच से संबंधित प्रमाणित साक्ष्य राजस्थान सरकार के दावे को सिद्ध करने के लिए उपलब्ध नहीं कराये गये थे। इसके अलावा, हालांकि 2016-17 के दौरान स्वाधार गृह, टोंक में आवासनियों के अनियमित प्रवास के संबंध में भुगतान नहीं किया गया था, 2012-16 के दौरान इस प्रकार के किए गए भुगतान की वसूली नहीं की गई।

सान्याअवि, राजस्थान सरकार ने प्रारुप प्रतिवेदन (नवंबर 2021) पर अपने प्रतिउत्तर (फरवरी 2022) में अवगत कराया कि सहायक निदेशक, टोंक को 2012-16 के दौरान गैर-सरकारी संगठन को किए गए भुगतान की जाँच करने का निर्देश दिया गया था और यदि, नियम के विरुद्ध भुगतान किया गया था तो वसूली के लिए कार्यवाही करना सुनिश्चित करना था।

3.3.2.2 आधारभूत संरचना और मानव संसाधन की उपलब्धता

आवासनियों की सुरक्षा व्यवस्था का अभाव

योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, स्वाधार गृह की आवासनियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए चौकीदार/गार्ड को पदस्थापित किया जाना था। यद्यपि, 2012-17 के दौरान स्वाधार गृह बारां में, जहां 258 आवासनियां प्रवेशित थी, कोई चौकीदार/गार्ड पदस्थापित नहीं किया गया था।

राजस्थान सरकार ने अवगत कराया (अगस्त 2018) कि संबंधित गैर सरकारी संगठनों से अनियमितताओं के लिए स्पष्टीकरण मांगे गए है। समस्त सहायक/उप निदेशकों को भी इस संबंध में तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये है।

सान्याअवि, राजस्थान सरकार ने प्रारूप प्रतिवेदनों (दिसम्बर 2020 एवं नवंबर 2021) पर अपने प्रतिउत्तरों (जनवरी 2021 एवं फरवरी 2022) में अवगत कराया कि 2012-20 के दौरान गार्ड/चौकीदार पदस्थापित किए गए थे। हालांकि, प्रत्युत्तर को लेखापरीक्षा द्वारा सत्यापित नहीं किया जा सका क्योंकि 2012-16 के दौरान गार्ड/चौकीदार के पदस्थापित से संबंधित प्रमाणित साक्ष्य जैसे तथ्यात्मक रिपोर्ट (अगस्त 2018) को उत्तर के साथ संलग्न नहीं किया गया था।

3.3.2.3 आवासनियों को सेवा का प्रावधान

पीड़िताओं को व्यावसायिक और कौशल उन्नयन प्रशिक्षण प्रदान नहीं कराना

योजना के दिशानिर्देशों के खंड ब, द और एच (iv) कठिन परिस्थितियों में पीड़ित महिलाओं के लिए सहायक संस्थागत ढांचे की परिकल्पना करते हैं और पीड़ित महिलाओं का राष्ट्रीय

व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (राव्याप्रप) की स्वीकृत योजना के अन्तर्गत व्यावसायिक एवं कौशल उन्नयन प्रशिक्षण[42] द्वारा आर्थिक पुनर्वास प्रदान करते है। कार्यकारी एजेंसी द्वारा इस तरह के प्रशिक्षणों का आयोजन महानिदेशक रोजगार और प्रशिक्षण द्वारा मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थानों में कराया जाना था।

लेखापरीक्षा द्वारा नमूना जाँच किये गये तीन स्वाधार गृहों के अभिलेखों की संवीक्षा में प्रकट हुआ कि किसी भी स्वाधार गृह की आवासनियों को ऐसा कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया था।

राजस्थान सरकार ने तथ्यों को स्वीकारते हुए अवगत कराया (दिसंबर 2018) कि आवासनियों को राव्याप्रप से अनुमोदित व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान नहीं कराये गये क्योंकि वे न्यूनतम योग्यता मानदंड को परिपूर्ण नहीं करती थी। इसलिए, एजेंसियों द्वारा केवल कौशल उन्नयन प्रशिक्षण प्रदान किया गया। तथ्य यह था कि इन सुविधाओं/संस्थानों में ये महिलाएं सम्मान और स्वतंत्रता के साथ जीवन जीने हेतु आवश्यक कौशल से सुसज्जित नहीं थीं।

सान्याअवि, राजस्थान सरकार ने प्रारूप प्रतिवेदनों (दिसम्बर 2020 एवं नवंबर 2021) पर अपने प्रतिउत्तरों (जनवरी 2021 एवं फरवरी 2022) में दिसंबर 2018 में दिए गए तथ्यों की पुनरावृत्ति की।

3.3.2.4 वित्तीय मुद्दे

निदेशक सान्याअवि के अभिलेखों की संवीक्षा में प्रकट हुआ (सितम्बर 2020) कि मार्च 2017 तक राज्य में क्रियाशील सात स्वाधार गृहों में से, मार्च 2020 तक केवल चार (जयपुर, बारां, डूंगरपुर और उदयपुर) क्रियाशील रहे। अन्य तीन (गुरुकुल सेवा समिति, टोंक (जून 2017) राजस्थान ह्यूमन केयर फाउंडेशन दौसा (मार्च 2018) और ग्राम विकास सेवा संस्थान जोधपुर (अक्टूबर 2018) बंद थे।

विशिष्ट शासन सचिव, सान्याअवि द्वारा राज्य में संचालित स्वाधार गृहों और उज्जवला गृहों के लेखों के संबंध में एक जाँच समिति का गठन (अप्रैल 2018) अभिलेखों की जाँच करने और वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 से संबंधित बकाया राशियों पर एक महीने के भीतर विशेष सिफारिशें देने के लिए किया गया था। लेखापरीक्षा ने देखा कि निदेशक, सान्याअवि द्वारा 2019-20 में टोंक, बारां और उदयपुर में स्वाधार गृहों को ₹ 13.87 लाख का बकाया भुगतान किया गया। स्वाधार गृह टोंक, बारां एवं उदयपुर को वर्ष 2016-17 से संबंधित ₹ 4.51 लाख, ₹ 4.08 लाख, ₹ 5.28 लाख का भुगतान किया गया। स्वाधार गृह टोंक को भुगतान समिति की सिफारिशों के आधार पर किया गया था।

आगे नमूना जाँच किए गए तीन उप/सहायक निदेशकों, सान्याअवि, (टोंक में सितंबर 2020 और शेष दो जिलों में सितंबर-अक्टूबर 2021) के अभिलेखों की संवीक्षा में प्रकट हुआ कि 2017-

42 सौन्दर्य और स्वास्थ्य, कपड़ा और परिधान क्षेत्र, यात्रा, पर्यटन और आतिथ्य आदि।

20 के दौरान स्वाधार गृहों के बारे मे किये गये व्यय से संबंधित बिलों/वाउचरों के सम्बन्ध में, समस्या के निदान के लिए काउंसलर/अधीक्षक द्वारा आवासनियों का प्राथमिक साक्षात्कार, नजदीकी पुलिस थाने को भेजी गई सूचना, आवासनियों की चिकित्सकीय जाँच आदि के सम्बन्ध में जानकारी जिला कार्यालयों में उपलब्ध नहीं थी। इसके अलावा, सहायक निदेशक टोंक के पास स्वाधार गृह के बंद होने के समय रहने वाली आवासनियों (25) के पुनर्वास की स्थिति के बारे में जानकारी नहीं थी।

इन निष्कर्षों से पता चलता है कि स्वाधार गृह की कार्यप्रणाली उचित नहीं थी और विभाग के पास उन आवासनियों के पुनर्वास की स्थिति के बारे में जानकारी नहीं है, जिन्हें इसके बंद होने पर स्वाधार गृह छोड़ना पड़ा था।

सान्याअवि, राजस्थान सरकार ने प्रारूप प्रतिवेदन (दिसम्बर 2020) पर अपने प्रतिउत्तर (जनवरी 2021) में अवगत कराया कि इस संबंध में सहायक निदेशक, सान्याअवि, टोंक से जानकारी मांगी गई थी।

सान्याअवि, राजस्थान सरकार ने प्रारुप प्रतिवेदन (नवंबर 2021) पर अपने प्रतिउत्तर (फरवरी 2022) में अवगत कराया कि इस संबंध में सहायक निदेशक, सान्याअवि टोंक से दिसंबर 2021 और जनवरी 2022 में जानकारी मांगी गई थी।

तथापि, बारां और उदयपुर जिलों के गैर-सरकारी संगठनों को भुगतान के लिए समिति की सिफारिशों के संबंध में सूचना प्रस्तुत नहीं की गई थी।

3.3.3 उज्जवला योजना

उज्जवला[43] योजना का उद्देश्य वाणिज्यिक यौन शोषण के लिये महिलाओं और बच्चों की तस्करी की रोकथाम करना है। भारत सरकार ने इसे 2007 में शुरू किया और अप्रैल 2016 में संशोधित किया था। वर्ष 2016-17 से केंद्र सरकार, राज्य सरकार और कार्यकारी गैर सरकारी संगठनों द्वारा साझा किए जाने के लिए वित्त पोषण प्रणाली को 60:30:10 के अनुपात में संशोधित किया गया है। यह योजना पीड़ितों को बुनियादी सुविधाएं/आवश्यकताएं, परामर्श सहित चिकित्सा उपचार, कानूनी सहायता और मार्गदर्शन तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान कर पुनर्वास सेवाओं की सुविधा प्रदान करती है। इस योजना के पांच घटक यथा तस्करी पीड़ितों की रोकथाम, बचाव, पुनर्वास, पुनः एकीकरण और प्रत्यावर्तन है। इन्हें सामाजिक जुड़ाव, स्थानीय समुदायों की भागीदारी, जागरूकता सृजन कार्यक्रमों और पीड़ितों को उनके शोषण के स्थान से बचाने, उन्हें सुरक्षित अभिरक्षा में रखने और पीड़ितों के परिवार और समाज में समग्र रूप से पुनः एकीकरण की सुविधा प्रदान करने के माध्यम से हासिल किया जाना है।

मार्च 2016 तक राज्य में आठ संरक्षात्मक और पुनर्वास गृह (संपु) कार्यशील थे।

---

43 यहां चर्चा की गई उज्जवला योजना प्रधानमंत्री उज्जवला योजना (पीएमयूवाई) से अलग है। जिसका उद्देश्य महिलाओं और बच्चों को स्वच्छ खाना पकाने वाला ईंधन-एलपीजी प्रदान करके उनके स्वास्थ्य की रक्षा करना है।

योजना के क्रियान्वयन की नमूना जाँच तीन जिलों (भरतपुर, बारां और टोंक) में की गई और दो संरक्षात्मक और पुनर्वास गृहों[44] के अभिलेखों की भी नमूना जाँच की गई। महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों को आगामी अनुच्छेदों में विस्तार से बताया गया है।

3.3.3.1 आवासनियों को सेवा का प्रावधान

(अ) बुनियादी सुविधाओं के प्रावधान के लिए मानदंडों का पालन नहीं किया गया

उज्जवला योजना के दिशानिर्देशों के खण्ड-जी के अनुच्छेद 3.2 के अनुसार, प्रत्येक आवासनी को मूलभूत सुविधाएं जैसे कपड़े, प्रसाधन और स्वास्थ्य/स्वच्छता संबंधी वस्तुएं आदि प्रदान किए जाने थे। गैर सरकारी संगठनों को प्रतिपूर्ति की दर ₹175 प्रतिमाह प्रति आवासनी थी। योजना के दिशा-निर्देशों में मूलभूत सुविधाओं के बदले आवासनियों को नकद भुगतान के लिये कोई प्रावधान नहीं था।

बारां में संरक्षात्मक और पुनर्वास गृह के अभिलेखों की संवीक्षा में प्रकट हुआ कि 2013-17 के दौरान आवासनियों को मूलभूत सुविधाओं के अंतर्गत वितरित की जाने वाली कोई वस्तु ना तो क्रय की गई या किसी दानदाता से प्राप्त हुई और न ही उपलब्ध कराई गई थी। हालांकि 2013-17 के दौरान कार्यान्वयन एजेन्सी द्वारा आवासनियों को ₹175 प्रतिमाह की दर से नगद भुगतान किया गया था।

राजस्थान सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया और अवगत कराया (दिसम्बर 2018) कि आवासनियों को किया गया भुगतान नियमानुसार नहीं था, इसलिये गैर सरकारी संगठनों को 2016-18 के लिये प्रतिपूर्ति नहीं की जायेगी।

आगे, राजस्थान सरकार ने प्रारूप प्रतिवेदन (दिसम्बर 2020) पर अपने प्रतिउत्तर (जनवरी 2021) में अवगत कराया कि विभाग ने महिला उद्योग प्रशिक्षण समिति (बारां) द्वारा संचालित उज्जवला गृह के अभिलेखों का निरीक्षण किया था और वर्ष 2016-18 के बकाया अनुदान को निरस्त कर दिया। हालांकि, 2013-16 के दौरान किए गए अनियमित भुगतान की वसूली के बारे में उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया।
सान्याअवि, राजस्थान सरकार ने प्रारुप प्रतिवेदन (नवंबर 2021) पर अपने प्रतिउत्तर (फरवरी 2022) में अवगत कराया कि सहायक निदेशक, बारां को उज्ज्वला योजना के तहत 2013-16 के दौरान किए गए भुगतान की जांच करने का निर्देश दिया गया था।

(ब) आवासनियों के लिये अपर्याप्त आवास

योजना के आवास मानदंडों के अनुसार कार्यकारी संस्था प्रति आवासनी को लगभग 80 वर्ग फुट आवासीय स्थान, सामान्य स्थान और सुविधाओं को छोड़कर उपलब्ध करायेगी। इसके अतिरिक्त, संरक्षात्मक और पुनर्वास गृह स्नानगृह, शौचालय, डाइनिंग हॉल और एक बहुउद्देशीय हॉल, जिसे

44 संरक्षात्मक और पुनर्वास गृह महिला उद्योग प्रशिक्षण समिति (बारां में) और गुरूकुल सेवा समिति (टोंक में) द्वारा चलाए जा रहे हैं।

एक कॉमन कक्ष/मनोरंजन कक्ष/प्रशिक्षण हॉल के रूप में उपयोग किया जा सके, की पर्याप्त बुनियादी सुविधाओं के साथ ठीक से हवादार होना चाहिये।

संरक्षात्मक और पुनर्वास गृह टोंक में 2013-17 के दौरान 47 से 50 आवासनियां थी। संरक्षात्मक और पुनर्वास गृह टोंक के संयुक्त भौतिक निरीक्षण में पाया गया कि गृह 50 आवासनियों के लिये निर्धारित 4,000 वर्ग फुट के विरूद्ध 500 वर्ग फुट के एक भवन, जिसमें तीन कमरे, एक लाउंज (लगभग 14x12 फुट), एक शौचालय एवं एक रसोई थी, में चल रहा था। यह भी पाया गया कि आवासनियों को बिस्तर, पंखे और वाटर कूलर आदि जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई गई थी।

सान्याअवि, राजस्थान सरकार ने प्रारुप प्रतिवेदन (नवंबर 2021) पर अपने प्रतिउत्तर (फरवरी 2022) में अवगत कराया कि सहायक निदेशक, टोंक से प्रतिउत्तर प्राप्त किया जा रहा था।

3.3.3.2 वित्तीय मुद्दें

उज्जवला योजना के अंतर्गत योजना को क्रियान्वित करने वाले गैर-सरकारी संगठनों को विभिन्न कार्यो और गतिविधियों जैसे कानूनी सहायता, चिकित्सा/परामर्श, शिक्षा और रोकथाम गतिविधियों आदि को पूर्ण करने के लिये धन उपलब्ध कराया जाता है। योजना के दिशानिर्देश प्रावधान करते है कि भारत सरकार द्वारा अनुमोदन के पश्चात् इन गतिविधियों को प्रारम्भ करने के लिये अनुदानों का भुगतान किश्तों में किया जायेगा। प्रथम किश्त सामान्य रूप से परियोजना की स्वीकृति के साथ जारी की जाती है, दूसरी और आगामी किश्तें राज्य सरकार के अनुरोध पर जारी की जाती है। लेखापरीक्षा के दौरान पाई गई वित्तीय अनियमिततायें जो कि गैर-सरकारी संगठनों की इन गतिविधियों से सम्बन्धित थी, पर नीचे चर्चा की गई हैः

(अ) गैर सरकारी संगठनों को संदिग्ध भुगतान

उज्जवला योजना के दिशानिर्देशों के खंड-जी के अनुच्छेद 3.4 के अनुसार पीड़िताओं को कानूनी सहायता प्रदान करना महत्वपूर्ण है क्योंकि वे तस्करों/दलालों/अपराधियों के विरुद्ध मुख्य गवाह है और सम्पत्ति, वैवाहिक अधिकार, तलाक, भरण-पोषण और बच्चों की अभिरक्षा जैसे अन्य अधिकारों की हक़दार भी है। इस सम्बन्ध में,

- टोंक जिलें में संचालित गैर-सरकारी संगठनों को कानूनी सहायता हेतु राशि ₹ 4.25 लाख का पुनर्भरण किया था हालांकि नवम्बर 2013 से मार्च 2017 के दौरान किसी भी आवासनी का कोई मामला अदालत में विचाराधीन या लंबित नहीं था। आगे, यह पुनर्भरण बिना किसी सहायक बिलों/रसीदों के किया गया था।

सान्याअवि, राजस्थान सरकार ने अपने प्रतिउत्तर (फरवरी 2022) में अवगत कराया कि सहायक निदेशक, टोंक से प्रतिउत्तर प्राप्त किये जा रहे थे।

- बारां में, कानूनी सहायता के नाम पर आवासनियों (20 से 26 प्रतिमाह) को व्यक्तिगत रूप से प्रति माह नगद ₹ 200 का भुगतान दर्शाया गया था और इस राशि को संचालित गैर-सरकारी संगठनों द्वारा कानूनी सहायता पर व्यय के रूप में दावा किया गया था। विभाग द्वारा गैर-सरकारी संगठनों को, इस तथ्य के बावजूद कि किसी भी आवासनी का अदालती मामला विचाराधीन नहीं था, इस राशि का पुनर्भरण किया गया था। इसके परिणामस्वरूप 2013-17 के दौरान कानूनी सहायता के लिये राशि ₹ 2.00 लाख का अनियमित दावा/व्यय हुआ।

- यह योजना डॉक्टर की फीस, दवाओं की लागत, अस्पताल में भर्ती होने और नशा मुक्ति केन्द्रों के लिए उचित संयोजन प्रदान करती है। इसके अलावा, चूंकि तस्करी के पीड़ितों को अत्यधिक मनोवैज्ञानिक आघात से गुजरना पड़ता है, इसलिए एक योग्य नैदानिक मनोवैज्ञानिक और मनोचिकित्सक के माध्यम से पेशेवर परामर्श सेवाएं प्रदान की जानी चाहिए। दिशा-निर्देशों में चिकित्सा देखभाल के लिये प्रतिपूर्ति की जाने वाली अधिकतम राशि ₹ 200 प्रति माह प्रति आवासनी निर्धारित की गई थी। संरक्षात्मक और पुनर्वास गृह बारां में आवासनियों को व्यक्तिगत रूप से चिकित्सा देखभाल के नाम पर प्रति माह ₹ 200 नकद भुगतान किया जाना दर्शाया गया था तथा संचालक गैर-सरकारी संगठन द्वारा 2013-17 के दौरान चिकित्सा देखभाल पर खर्च के रूप में दर्शाया गया एवं राशि ₹ 2.30 लाख का दावा किया, जबकि आवासनियों को वास्तविक रूप से चिकित्सा देखभाल सेवाएं प्रदान की जानी चाहिए थी। संरक्षात्मक एवं पुनर्वास गृह बारां में कोई बच्चा नहीं रह रहा था इसके बावजूद औपचारिक शिक्षा के लिए आवासनियों को व्यक्तिगत रूप से ₹ 200 प्रति माह प्रति बचाए गए पीड़ित बच्चे का नकद भुगतान दर्शाया गया। इस प्रकार 2013-17 के दौरान औपचारिक स्कूली शिक्षा के लिए आवासनियों को ₹1.60 लाख की राशि का अनियमित रूप से भुगतान किया गया।

- इसी तरह, संरक्षात्मक और पुनर्वास गृह, टोंक में वर्ष 2013-17 के दौरान बिना किसी सहायक बिल और वाउचर के शिक्षा खर्च के पेटे राशि ₹ 2.52 लाख का व्यय दिखाया और दावा किया गया था।

इस प्रकार, योजना के दिशा-निर्देशों में लाभार्थियों के साथ-साथ नकद भुगतान के लिए प्रावधान की अनुपस्थिति में, चिकित्सा देखभाल और औपचारिक स्कूल शिक्षा पर किया गया ₹ 6.42 लाख (₹ 2.30 लाख, ₹ 1.60 लाख और ₹ 2.52 लाख) का भुगतान अनियमित और संदिग्ध प्रतीत होता है।

राजस्थान सरकार ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए अवगत कराया (दिसम्बर 2018) कि वर्ष 2015-16 तक चिकित्सा देखभाल और शिक्षा के पेटे भुगतान महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया गया था और तत्पश्चात् समस्त बिलों को प्राप्त करने के पश्चात् भुगतान विभाग द्वारा किया जाएगा। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि भारत सरकार द्वारा वर्ष 2013-16 के

दौरान चिकित्सा देखभाल और शिक्षा पर किया गया भुगतान सान्याअवि द्वारा अनुदान जारी करने के लिए भेजे गए अनुरोध के आधार पर किया गया था।

- उज्जवला योजना के दिशानिर्देशों में उज्जवला होम में रहने वाली पीड़ित आवासनियों को परामर्श और इलाज के लिए नैदानिक मनोवैज्ञानिक और अंशकालीन मनोचिकित्सक का प्रावधान है। संरक्षात्मक और पुनर्वास गृह, बारां के अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि आवासनियों को नैदानिक मनोवैज्ञानिक द्वारा परामर्श के संबंध में कोई अभिलेख संधारित नहीं थे। इन सेवाओं के लिए 2013-17 के दौरान ₹ 4.24 लाख की राशि का दावा और भुगतान किया गया था, लेकिन अभिलेखों के अभाव में नैदानिक मनोवैज्ञानिक/मनोचिकित्सक द्वारा प्रदान की गई सेवाओं का लेखापरीक्षा में सत्यापन नहीं किया जा सका।

संयुक्त भौतिक निरीक्षण (अक्टूबर 2017) में भी इस तथ्य की पुष्टि की गई जिसके दौरान आवासनियों ने यह भी कहा था कि उन्हें कभी भी किसी नैदानिक मनावैज्ञानिक/मनोचिकित्सक द्वारा सलाह नहीं दी गई थी। इस प्रकार, नैदानिक मनोवैज्ञानिक (₹ 2.47 लाख) और मनोचिकित्सक (₹ 1.77 लाख) के लिए ₹ 4.24 लाख का खर्च संदिग्ध प्रतीत होता है।

राज्य सरकार ने सूचित किया (दिसम्बर 2018) कि मनोवैज्ञानिकों की सेवाएं प्रदान की गई थी। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि संयुक्त भौतिक निरीक्षण के दौरान आवासनियों द्वारा इस तथ्य की पुष्टि की गई थी। इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा उत्तर के साथ कोई पुष्टिकारक साक्ष्य नहीं दिए गए थे।

सान्याअवि, राजस्थान सरकार ने प्रारूप प्रतिवेदनों (दिसम्बर 2020 एवं नवंबर 2021) पर अपने प्रतिउत्तरों (जनवरी 2021 एवं फरवरी 2022) में अवगत कराया कि विभाग ने उज्जवला गृह, बारां के अभिलेखों का निरीक्षण किया और वर्ष 2016-18 के बकाया अनुदान को निरस्त कर दिया तथा वर्ष 2015-16 से संबंधित भुगतान भारत सरकार द्वारा नहीं किया गया। राजस्थान सरकार ने उज्जवला गृह, टोंक के संबंध में उत्तर प्रस्तुत नहीं किया (जनवरी 2021)।

तथापि, वर्ष 2013-15 के दौरान किए गए भुगतान के संबंध में प्रतिउत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया था।

(ब) रोकथाम एवं परामर्श गतिविधियों पर संदिग्ध व्यय

उज्जवला योजना के दिशानिर्देशों के रोकथाम घटक के अंतर्गत संवेदनशील क्षेत्रों (देश और सीमा पार से तस्करी दोनों के लिए स्रोत, पारगमन या गंतव्य) में कार्यशालाओं/सेमिनारों के माध्यम से जागरूकता सृजन के लिए कार्यक्रम चलाए जाने थे।

लेखापरीक्षा संवीक्षा में प्रकट हुआ कि वर्ष 2013-17 के दौरान उज्जवला योजना के अंतर्गत रोकथाम गतिविधियों पर बारां और भरतपुर में क्रमशः ₹ 5.99 लाख और ₹ 5.76 लाख का व्यय किया गया था। हालांकि, यह पुष्टि करने के लिए कोई अभिलेख नहीं था कि महिलाओं और बच्चों की तस्करी के प्रति उनकी संवेदनशीलता के आधार पर स्थलों का चयन किया गया था और इसके अलावा, संचालक संस्थायें (गैर सरकारी संगठन) इस बात का औचित्य प्रस्तुत नहीं कर सकीं कि इन गतिविधियों से तस्करी को कैसे रोका जा सकेगा।

निदेशक, सान्याअवि के अभिलेखों की आगे की संवीक्षा (सितंबर 2020) में प्रकट हुआ कि मार्च 2016 तक राज्य में संचालित आठ सुरक्षात्मक और पुनर्वास गृहों में से, केवल एक सुरक्षात्मक और पुनर्वास गृह डूंगरपुर मार्च 2020 तक संचालित था। सात सुरक्षात्मक और पुनर्वास गृह 2016-19 के दौरान (2016-17: 2, 2017-18: 4 और 2018-19: 1) बंद कर दिए गए थे।

सान्याअवि, राजस्थान सरकार ने प्रारूप प्रतिवेदनों (दिसम्बर 2020 एवं नवंबर 2021) पर अपने प्रतिउत्तरों (जनवरी 2021 एवं फरवरी 2022) में अवगत कराया कि व्यय समुदाय सतर्कता समूहों द्वारा किया गया था जिसमें महिलायें शामिल थी। हालांकि, आयोजित की गई रोकथाम और परामर्श गतिविधियों का विवरण उपलब्ध नहीं करवाया गया।

बाल अधिकारिता विभाग

3.3.4 बालिका गृह और खुला आश्रय गृह

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और सुरक्षा) अधिनियम 2000 की धारा 34 के अनुसार किसी की भी जाँच के लम्बित रहने के दौरान देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के ग्रहण और उसके बाद में बच्चों की देखभाल, उपचार, शिक्षा, प्रशिक्षण, विकास और पुनर्वास के लिये मार्च 2017 तक राज्य में सात सरकारी और 22 गैर सरकारी बालिका गृह और नौ खुले आश्रय गृह क्रियाशील थे। गृहों एवं आश्रय गृहों के लिये नियम,1970 राज्य बालिका गृहों और खुले आश्रय गृहों पर भी लागू होते है।

नमूना जाँच किये गये आठ जिलों में क्रियाशील 19 बालिका गृह (सरकारी: 04 और गैर सरकारी: 15) और चार खुले आश्रय गृह में से, आठ बालिका गृहों[45] (सरकारी: 4 और गैर सरकारी: 4) और दो खुले आश्रय गृहों[46] के अभिलेखों की नमूना जाँच सितम्बर 2017 से अक्टूबर 2018 के दौरान की गई।

बाद में, निदेशक बाल अधिकारिता विभाग ने सूचित किया (अगस्त 2020) कि मार्च 2020 तक, राज्य में सात सरकारी और 48 गैर-सरकारी बालिका गृह तथा 6 खुले आश्रय गृह क्रियाशील थे। नमूना जांच किए गए चार सरकारी बालिका गृहों के अभिलेखों की संवीक्षा (अगस्त-सितंबर 2020 जयपुर में एवं शेष तीन सरकारी बालिका गृहों की अगस्त-अक्टूबर 2021 में) के परिणामों को अनुवर्ती अनुच्छेदों में शामिल किया गया है।

बाअवि, राजस्थान सरकार ने प्रारूप प्रतिवेदन (दिसम्बर 2020) पर अपने प्रतिउत्तर (जनवरी 2021) में अवगत कराया कि बालिका गृह एवं खुला आश्रय गृह सहित समस्त बाल देखभाल

45 बालिका गृह-सरकारी: कोटा, जयपुर, भरतपुर एवं उदयपुर। गैर सरकारी: (i) उद्यन घर, जयपुर; (ii) एसओएस चिल्ड्रन विलेज ऑफ राजस्थान, जयपुर; (iii) मीरा निराश्रित बालिका गृह, उदयपुर; (iv) मधु स्मृति महिला एवं बाल कल्याण उत्थान संस्थान, कोटा।

46 खुले आश्रय गृह: (i) जन कला साहित्य मंच संस्थान, जयपुर; (ii) मनु सेवा संस्थान, उदयपुर।

संस्थानों को 'गृह और आश्रयों के लिए नियम, 1970' द्वारा शासित नहीं किया गया था, हालाँकि ये समस्त बालिका गृहों एवं खुला आश्रय गृह किशोर न्याय अधिनियम 1986 द्वारा शासित थे ।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि ''गृहों एवं आश्रयों में व्यक्तियों के प्रशासन, प्रवेश और पुनर्वास के लिए नियम, 1970'' का अध्याय I स्पष्ट रूप से अवगत कराता है कि ये नियम समाज कल्याण विभाग द्वारा नैतिक और सामाजिक स्वच्छता और पश्चातवर्ती देखभाल कार्यक्रमों के अंतर्गत स्थापित समस्त गृहों और आश्रयों पर लागू होंगे ।

बाअवि, राजस्थान सरकार ने प्रारुप प्रतिवेदन (नवंबर 2021) पर अपने प्रतिउत्तर (जनवरी 2022) में अवगत कराया कि किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के प्रावधान "गृहों और आश्रय स्थलों के प्रशासन, प्रवेश और व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए नियम, 1970" का उन्मूलन करते हैं ।

प्रतिउत्तर तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि किशोर न्याय अधिनियम, 2015 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था जो स्पष्ट रूप से "गृहों और आश्रय स्थलों के प्रशासन, प्रवेश और व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए नियम, 1970" को अधिभावी कर रहा था । इसके अतिरिक्त, इस संबंध में कोई आदेश/परिपत्र आदि, यदि राजस्थान सरकार द्वारा जारी किये गये थे, लेखा परीक्षा को उपलब्ध नहीं कराये गये थे ।

3.3.4.1 आवासनियों के लिए सुरक्षा व्यवस्था का अभाव

वर्ष 2012-17 के दौरान, चार राजकीय बालिका गृहों से तेरह बालिकाएं (भरतपुर-एक, जयपुर-पांच, कोटा- पांच और उदयपुर-दो) फरार हो गयी थी, जिनमें से छह बालिकाओं (भरतपुर-एक, जयपुर-दो, कोटा-दो और उदयपुर-एक) का अगस्त 2018 तक पता नहीं लगाया जा सका था।

- गैर-सरकारी बालिका गृह (मधु स्मृति महिला एवं बाल कल्याण उत्थान संस्थान, कोटा) से एक बालिका और दो खुले आश्रय गृहों से चार (जन कला साहित्य मंच संस्थान, जयपुरः तीन और मनु सेवा संस्थान, उदयपुरः एक) बालिकाएं जो फरार हुई थी, वर्ष 2012-17 के दौरान गृहों में वापस लाई गई, लेकिन उनमें से एक के साथ बलात्कार होना पाया गया ।

राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकारते हुए अवगत कराया (फरवरी 2019) कि बालिकाओं का पता लगाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और सुरक्षा गार्ड तीन शिफ्टों में पदस्थापित किए गए हैं ।

- नमूना जाँच किए गए चार राजकीय बालिका गृहों के अभिलेखों की आगे संवीक्षा (अगस्त-सितंबर 2020 जयपुर में और शेष तीन सरकारी बालिका गृहों कोटा, भरतपुर और उदयपुर की अगस्त-अक्टूबर 2021 में) में प्रकट हुआ कि 2017-20 के दौरान, सत्रह बालिकाएं (जयपुरः सात, कोटाः चार और भरतपुरः छः) फरार हो गई थीं, जिनमें से छः बालिकाओं (जयपुरः चार और भरतपुरः दो) का (सितम्बर 2021) तक पता नहीं लगाया जा सका ।

इंगित किये जाने (अगस्त 2020) पर बालिका गृह, जयपुर ने उत्तर दिया कि फरार बालिकाओं के बारे में पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कर दी गई थी और आसपास के क्षेत्रों में उनकी तलाश

की जा रही थी। 2012-17 के दौरान फरार दो बालिकाओं के संबंध में बालिका गृह ने उत्तर दिया कि अभी भी एक बालिका का पता नहीं लगाया गया। बालिका गृह, भरतपुर ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2021) कि पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है और तदनुसार रिश्तेदारों को सूचित कर दिया गया है।

बाअवि, राजस्थान सरकार ने प्रारूप प्रतिवेदन (दिसम्बर 2020) पर अपने प्रतिउत्तर (जनवरी 2021) में तथ्यों को स्वीकार करते हुए अवगत कराया कि बालिकाओं के फरार होने और भागने के मामले विशिष्ट गृहों में पाए गए थे। इसमें शामिल मानव संसाधन और सुरक्षा प्रणाली को नियंत्रित करने के लिए सीसीटीवी, मोबाइल उपयोग पर प्रतिबंध के लिए जैमर आदि को तैनात कर बुनियादी ढांचे को नियमित रूप से मजबूत किया गया था। प्रत्येक बालिका गृह में सुरक्षा गार्डों की संख्या बढ़ाकर प्रति पारी तीन गार्ड कर दी गई थी। निरीक्षण तंत्र को भी मजबूत कर दिया गया था।

बाअवि, राजस्थान सरकार ने प्रारुप प्रतिवेदन (नवंबर 2021) पर अपने प्रतिउत्तर (जनवरी 2022) में अवगत कराया कि बालिका गृहों में गार्डों द्वारा निगरानी सहित अन्य सुरक्षा उपायों के साथ पर्याप्त संसाधन नियोजित किये गये थे।

हालांकि, उपर्युक्त दावों को प्रमाणित करने के लिए पुष्टिकारक दस्तावेज़ प्रस्तुत नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा का मत है कि बालिका गृहों/खुले आश्रयों में खराब सुरक्षा और अपर्याप्त जनशक्ति के कारण अपर्याप्त नियंत्रण बालिकाओं के फरार होने में योगदान देता था।

3.3.4.2 आवासनियों के लिये सेवाओं का प्रावधान

(अ) बालिकाओं को स्कूली शिक्षा प्रदान नहीं किया जाना

गृहों एवं आश्रय गृहों के लिये नियम, 1970 के नियम 18 में उपबन्धित किया गया है कि आवासनियों को गृह या बाहर शिक्षण संस्थानों में राजकीय खर्च पर उपयुक्त शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की जाएगी।

नमूना जाँच किये गये चार राजकीय बालिका गृहों के अभिलेखों की संवीक्षा में प्रकट हुआ कि 2012-17 के दौरान 113 बालिकाओं (कोटाः 15, भरतपुरः 20, जयपुरः 63 और उदयपुरः 15) ने एक वर्ष से अधिक समय तक निवास किया, लेकिन किसी भी बालिका को इन बालिका गृहों द्वारा शिक्षा उपलब्ध नहीं कराई गई थी।

राजस्थान सरकार ने अवगत कराया (फरवरी 2019) कि इच्छुक बालिकाओं को शिक्षा प्रदान करवाई जा रही है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार

अधिनियम, 2009 के अनुसार 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा दिया जाना अनिवार्य था। यह शिक्षा के लिए बालिकाओं को परामर्श की कमी को भी दर्शाता है।

नमूना जाँच किए गए चार राजकीय बालिका गृहों (अगस्त-सितंबर 2020 में जयपुर और अगस्त-अक्टूबर 2021 में शेष तीन सरकारी बालिका गृह) के अभिलेखों की आगे संवीक्षा में प्रकट हुआ (अगस्त 2020) कि 2017-20 के दौरान 71 बालिकाओं (जयपुरः 17, उदयपुरः 26 और कोटाः 28) ने एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए निवास किया। इन 71 बालिकाओं में से 34 बालिकाओं (जयपुरः 13, उदयपुरः 18 और कोटाः 03) को इन बालिका गृहों द्वारा शिक्षा प्रदान नहीं की गई थी। इसके अतिरिक्त, बालिका गृह भरतपुर ने एक वर्ष से अधिक समय से रह रही बालिकाओं के संबंध में कोई सूचना प्रस्तुत नहीं की।

इंगित करने पर, राजकीय बालिका गृह, जयपुर ने उत्तर दिया (अगस्त 2020) कि अल्प अवधि के प्रवास और रुझान की कमी के कारण, शिक्षा प्रदान नहीं की जा सकी। यह उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि 13 बालिकाओं जिनको स्कूल शिक्षा प्रदान नहीं की गई थी, द्वारा बालिका गृह में एक साल से अधिक समय तक निवास किया गया था। राजकीय बालिका गृह, उदयपुर ने उत्तर दिया (अगस्त 2021) कि बालिकाओं के पूर्व शिक्षा से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने के कारण स्कूली शिक्षा नहीं दी जा सकी। राजकीय बालिका गृह, कोटा ने उत्तर दिया (सितम्बर 2021) कि रूचि के अभाव में बालिकाओं को शिक्षा प्रदान नहीं की जा सकी।

बाअवि, राजस्थान सरकार ने प्रारूप प्रतिवेदनों (दिसम्बर 2020 एवं नवंबर 2021) पर अपने प्रतिउत्तरों (जनवरी 2021 एवं जनवरी 2022) में अवगत कराया कि किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 और किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) नियम, 2016 बाल देखभाल संस्थानों (बादेसं) में निवास करने वाले बच्चों को शिक्षा का आदेश प्रदान करता है। औपचारिक या अनौपचारिक शिक्षा के साथ बच्चों को जोड़ने के लिए समग्र प्रयास किए जा रहे थे, हालांकि पैरा में उल्लेखित बालिकाएं कम अवधि के लिए बादेसं में आवासित थी और उन्हें औपचारिक शिक्षा से जोड़ना संभव नहीं था। बादेसं में लम्बे समय तक निवास करने वाले किसी भी बच्चें (बालिका) के लिए यह सुनिश्चित किया जाना था कि बच्चा शिक्षा से जुड़ा हो। समेकित बाल संरक्षण योजना के अन्तर्गत बाल देखभाल संस्थान और जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा परामर्शदाताओं को अतिथि के आधार पर नियुक्त किया गया था। राज्य सरकार ने परामर्शदाताओं के संदर्भ के लिए विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए थे। नियमित परामर्श सेवाओं की आपात आवश्यकता को देखते हुए, हाल ही में, राज्य सरकार ने प्रति गृह एक परामर्शदाता की सेवाएं स्वीकृत की थीं।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा आक्षेप उन बालिकाओं के संबंध में था जो 2017-20 के दौरान एक वर्ष से अधिक समय तक बालिका गृह में आवासित थी, लेकिन उन्हें स्कूली शिक्षा प्रदान नहीं की गई थी। इसके अलावा, शिक्षा के प्रति उन्मुखीकरण के लिए परामर्श के संबंघ में कोई साक्ष्य नहीं दिया गया।

इस प्रकार, बालिका गृहों में रहने वाली बालिकाओं को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान नहीं किया गया, जिससे समाज में उनकी पुनः एकीकरण और भी कठिन हो गया।

(ब) अपर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं

राजस्थान किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) नियम, 2011 का नियम 45 उपबन्धित करता है कि बालिका गृह और खुला आश्रय गृह सहित प्रत्येक संस्थान मासिक चिकित्सा जाँच के आधार पर प्रत्येक बच्चे का चिकित्सा रिकॉर्ड संधारित करेगा। उन्हें नियमित चिकित्सा जांच एवं उपचार हेतु डॉक्टर उपलब्धता की सुविधा के साथ-साथ आवश्यक चिकित्सा सुविधाएँ भी प्रदान करेगा, स्थानीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/राजकीय चिकित्सालय के चिकित्सकों एवं मेडिकल छात्रों को नियमित दौरों के लिए उनसे सम्बद्ध किया जायेगा।

इसके अलावा, राजस्थान किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) नियम, 2016 के नियम 34 में भी यह उपबन्धित है कि नर्स या पैरा मेडिकल चौबीसों घंटे उपलब्ध रहेंगे।

2012-17 के लिए नमूना जाँच किये गये 10 सरकारी/गैर-सरकारी बालिका गृहों/खुले आश्रय गृहों के अभिलेखों की संवीक्षा में प्रकट हुआ किः

- नमूना जाँच किये गये किसी भी बालिका गृह/खुला आश्रय गृह में प्रवेशित बालिकाओं के प्रवेश की 24 घंटे के भीतर चिकित्सा जाँच, उनकी मासिक चिकित्सा जाँच, स्थानीय पीएचसी के साथ सम्बद्धता, राजकीय अस्पतालों के डॉक्टरों एवं मेडिकल छात्रों द्वारा नियमित दौरें, बालिकाओं की मनो-सामाजिक रूपरेखा तैयार नहीं की गई थी।
- अनुबंध के आधार पर चिकित्सा अधिकारी को प्रति दौरा ₹ 400 का पारिश्रमिक (एक महीने में 20 यात्रा तक) देय था। तथापि, बालिका गृह उदयपुर में एक चिकित्सा अधिकारी को 14 वास्तविक दौरों के विरूद्ध अनियमित रूप से 300 दौरों का पारिश्रमिक (₹1.20 लाख) का भुगतान किया गया।

राज्य सरकार ने अवगत कराया (फरवरी 2019) कि चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की गई हैं और आवासनियों की नियमित तिमाही जाँच की गई थी। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि नियमित चेक-अप से संबंधित कोई अभिलेख संधारित नहीं किये गए थे।

नमूना जाँच किए गए चार राजकीय बालिका गृहों (अगस्त-सितंबर 2020 में जयपुर और अगस्त-अक्टूबर 2021 में शेष तीन सरकारी बालिका गृह) के अभिलेखों की आगे की संवीक्षा में प्रकट हुआ कि :

- 2017-18 के दौरान प्रवेशित बालिकाओं की 24 घंटे के भीतर चिकित्सा जाँच नहीं की गई लेकिन राजकीय बालिका गृह जयपुर में यह 2018-19 से शुरू की गई। 2017-20 के दौरान राजकीय बालिका गृह उदयपुर एवं भरतपुर में प्रवेश के 24 घंटे के भीतर प्रवेशित बालिकाओं का चिकित्सीय परीक्षण नहीं किया गया था। राजकीय बालिका गृह कोटा में प्रवेश के 24 घंटे के भीतर भर्ती बालिकाओं का मेडिकल परीक्षण किया जा रहा था।

- नमूना जाँच किए गए किसी भी राजकीय बालिका गृह में स्थानीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के साथ मासिक चिकित्सा जाँच गठजोड़, सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों और छात्रों द्वारा नियमित दौरा नहीं किया गया था। तथापि, 2017-20 के दौरान चिकित्सा अधिकारी द्वारा राजकीय बालिका गृह जयपुर एवं कोटा में साप्ताहिक दौरा किया जा रहा था। इसके अतिरिक्त राजकीय बालिका गृह जयपुर, उदयपुर एवं भरतपुर में 2017-20 के दौरान बालिकाओं की मनो-सामाजिक रूपरेखा तैयार नहीं की गई थी।

बाअवि, राजस्थान सरकार ने प्रारूप प्रतिवेदनों (दिसम्बर 2020 एवं नवंबर 2021) पर अपने प्रतिउत्तरों (जनवरी 2021 एवं जनवरी 2022) में अवगत कराया कि चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जा रही थी एवं आवासनियों की नियमित तिमाही जाँच करवाई जा रही थीं। हालाँकि, स्थानीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के साथ समबद्धता और बालिकाओं की मनो-सामाजिक रुपरेखा तैयार करने के बारे में साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराये गए थे।

(स) कपड़ों का वितरण नहीं करना

राजस्थान किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) नियम, 2011 के नियम 41 में उपबंधित है कि कपड़े और बिस्तर मानदण्ड और जलवायु परिस्थितियों के अनुसार होंगे। प्रत्येक बालिका के लिए कपड़ों के न्यूनतम मानदण्ड **तालिका 12** में वर्णित हैं:

तालिका 12

क्र.सं.	वस्तु	मात्रा
1	स्कर्टस् एवं ब्लाउज या सलवार कमीज या ब्लाउज एवं पेटीकोट के साथ आधी साड़ी	बलिकाओं की आयु एवं क्षेत्रीय प्राथमिकता के आधार पर 5 सेट प्रतिवर्ष
2	नहाने का तौलिया	4 सेट प्रतिवर्ष
3	ऊनी स्वेटर	02 स्वेटर दो वर्ष में
4	ऊनी शाल	01 दो वर्ष में

स्रोतः राजस्थान किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) नियम, 2011 की अनुसूची-I

नमूना जाँच किये गये 10 सरकारी/गैर-सरकारी बालिका गृह तथा खुला आश्रय गृहों के अभिलेखों की संवीक्षा में प्रकट हुआ किः-

(i) राजकीय बालिका गृह

- बालिका गृह कोटा में, 2012-13 और 2015-16 के दौरान आवासित बालिकाओं को तौलिया उपलब्ध नहीं कराया गया।
- बालिका गृह उदयपुर में, 2013-17 के दौरान आवासित बालिकाओं को मानदंडों के अनुसार ऊनी स्वेटर और ऊनी शाल उपलब्ध नहीं कराई गई।
- बालिका गृह भरतपुर में, 2014-17 के दौरान आवासित बालिकाओं को स्वेटर और ऊनी शाल वितरित नहीं किया गया था। इसके अलावा, 2014-15 और 2016-17 के दौरान तौलिए भी वितरित नहीं किये गये थे, जबकि 2015-16 में 128 आवासनियों को तीन तौलिए वितरित किए गए थे।

अग्रेत्तर नमूना जाँच किए गए चार राजकीय बालिका गृहों (अगस्त-सितंबर 2020 में जयपुर और अगस्त-अक्टूबर 2021 में शेष तीन सरकारी बालिका गृह) के अभिलेखों की आगे की संवीक्षा में प्रकट हुआ कि:

- 2017-20 के दौरान बालिका गृह जयपुर में आवासित पांच बालिकाओं को ऊनी शॉल और 2017-18 के दौरान 17 बालिकाओं को ऊनी शॉल तथा स्वेटर उपलब्ध नहीं कराये गए थे। इसके अलावा, 2018-19 के दौरान 14 बालिकाओं को ऊनी शॉल उपलब्ध नहीं कराई गई। 2017-20 के दौरान 825 बालिकाओं[47] में से 103 बालिकाओं[48] को नहाने के तौलिए और 218 बालिकाओं[49] को सलवार कमीज उपलब्ध कराये गए थे।
- 2017-20 के दौरान बालिका गृह कोटा में आवासित बालिकाओं के लिए 167 बालिकाओं[50] को ऊनी शॉल और 159 बालिकाओं[51] को स्वेटर उपलब्ध नहीं कराये गए थे। 2017-20 के दौरान 1018 बालिकाओं[52] में से केवल 80 बालिकाओं[53] को नहाने के लिए तौलिए और 135 बालिकाओं[54] को सलवार कमीज उपलब्ध कराये गए थे।
- 2017-20 के दौरान बालिका गृह भरतपुर में आवासित बालिकाओं के लिए अप्रैल 2017 से 6 दिसंबर 2018 के दौरान न तो कपड़ा खरीदा गया था और न ही कपड़ा वितरण रजिस्टर का रखरखाव किया गया था। इसके अलावा, सलवार कमीज, स्वेटर, ऊनी शॉल केवल दो तारीखों अर्थात् 7 दिसंबर 2018 (36 बालिकाओं) और 16 अक्टूबर 2019 (28 बालिकाओं) को उपलब्ध कराये गए थे। आगे, 2017-20 के दौरान आवासित किसी भी बालिका को नहाने का तौलिया उपलब्ध नहीं कराया गया था। यधपि मांगे जाने पर, बालिका गृह में रहने वाले कुल आवासनियों की जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई।

इस प्रकार बालिका गृहों में रहने वाली बालिकाओं को सुविधा और स्वास्थ्य के लिए आवश्यक बुनियादी कपड़ों की वस्तुओं से वंचित रहना जारी रहा।

(ii) गैर-राजकीय बालिका गृह

- 2012-17 के दौरान मधु स्मृति महिला एवं बाल कल्याण उत्थान संस्थान, कोटा द्वारा 2013-14 के दौरान पांच ऊनी स्वेटर को छोड़कर कोई ऊनी स्वेटर प्रदान नहीं किया गया था,
- 2012-17 के दौरान मीरा निराश्रित बालिका गृह, उदयपुर और मधु स्मृति महिला एवं बाल कल्याण उत्थान संस्थान, कोटा (2012-13 में पांच और 2016-17 में 10 शॉल को छोड़कर) द्वारा कोई शॉल उपलब्ध नहीं कराया गया था।

---

47 825 बालिकाएं (2017-18: 236, 2018-19: 252 और 2019-20: 337)।

48 103 बालिकाएं (2017-18: 22, 2018-19: 39 और 2019-20: 42)।

49 218 बालिकाएं (2017-18: 8, 2018-19: 120 और 2019-20: 90)।

50 167 बालिकाएं (2017-18: 41, 2018-19: 68 और 2019-20: 58)।

51 159 बालिकाएं (2017-18: 41, 2018-19: 66 और 2019-20: 52)।

52 1,018 बालिकाएं (2017-18: 316, 2018-19: 372 और 2019-20: 330)।

53 80 बालिकाएं (2017-18: 11, 2018-19: 56 और 2019-20: 13)।

54 135 बालिकाएं (2017-18: 30, 2018-19: 75 और 2019-20: 30)।

(iii) खुला आश्रय गृह

- जन कला साहित्य मंच संस्थान, जयपुर में आवासित बालिकाओं को तौलिए (2013-17), ऊनी स्वेटर (2013-14) और शॉल (2013-15) उपलब्ध नहीं कराये गये थे ।
- मनु सेवा संस्थान, उदयपुर द्वारा स्थापना (मार्च 2015 से मार्च 2017) से आवासित बालिकाओं को कोई कपड़े उपलब्ध नहीं कराये गए थे ।

राज्य सरकार ने अवगत कराया (फरवरी 2019) कि बालिकाओं को मानदंडों के अनुसार कपड़े उपलब्ध कराये जा रहे हैं । अभिलेखों के उचित रखरखाव के लिए पुनः निर्देश जारी किये जाएंगे। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि निर्धारित कपड़ों को वितरित नहीं किया गया था जैसा लेखापरीक्षा के दौरान देखा गया । कपड़े और अन्य वस्तुओं की प्राप्ति और वितरण के अभिलेख भी उचित रुप से संधारित नहीं किये गये थे ।

बाअवि, राजस्थान सरकार ने प्रारूप प्रतिवेदनों (दिसम्बर 2020 एवं नवंबर 2021) पर अपने प्रतिउत्तरों (जनवरी 2021 एवं जनवरी 2022) में अवगत कराया कि बालिकाओं को कपड़े बांटे जाने के तथ्य को नकारा नहीं जा सकता है, हालांकि अभिलेखों को अद्यतन नहीं किया गया था। इसके अलावा, समस्त बाल देखभाल संस्थानों को नियमित वितरण और अभिलेखों के संधारण के लिए निर्देश जारी किए गए थे ।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा निष्कर्ष सरकार द्वारा अवगत कराये गए तथ्यों की पुष्टि नहीं करते हैं । उचित अभिलेख संधारण संबंधित प्राधिकारियों की जिम्मेदारी है ।

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

3.3.5 राराविसेप्रा द्वारा विधिक सहायता और पीड़ित प्रतिकर

3.3.5.1 विधिक सहायता मांगने वाले आवेदनों का निपटान नहीं करना

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण विनियम, 1999 के विनियम 20 (i) में प्रावधान है कि विधिक सहायता प्राप्त करने के लिए आवेदन पर एक माह के भीतर कार्यवाही की जाएगी । 2012-17 के दौरान नमूना जाँच किये गये नौ जिविसेप्रा में महिलाओं के विरुद्ध अपराध के मामलों में विधिक सहायता के लिए प्राप्त आवेदनों और उनके निपटान का ब्यौरा **तालिका 13** में दिया गया है ।

तालिका 13

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण	विधिक सहायता के लिए आवेदन	एक माह के भीतर निपटाए गए आवेदन	एक माह की निर्धारित अवधि के बाद निपटाए गए आवेदन			
			तीन माह के भीतर	तीन माह के बाद और छः माह के भीतर	छः माह के बाद और एक वर्ष के भीतर	एक वर्ष के बाद
टोंक	155	02	08	20	37	88
कोटा	67	00	40	00	16	11
बारां	26	00	00	13	03	10
उदयपुर	61	16	05	15	25	00
प्रतापगढ़	51	00	00	00	40	11
भरतपुर	60	06	14	00	00	40

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण	विधिक सहायता के लिए आवेदन	एक माह के भीतर निपटाए गए आवेदन	एक माह की निर्धारित अवधि के बाद निपटाए गए आवेदन			
			तीन माह के भीतर	तीन माह के बाद और छः माह के भीतर	छः माह के बाद और एक वर्ष के भीतर	एक वर्ष के बाद
जयपुर जिला	21	08	09	03	01	00
जयपुर मेट्रो	177	00	73	22	14	07
पाली	171	47	56	44	24	00
कुल	789	79 (10.01 प्रतिशत)	205	117	160 (20.27 प्रतिशत)	167 (21.17 प्रतिशत)

इस प्रकार, एक माह की निर्धारित समय-सीमा के भीतर केवल 10.01 प्रतिशत आवेदनों का ही निस्तारण किया गया था। 41.44 प्रतिशत मामलों में पीड़ितों को विधिक सहायता छः महीने के बाद प्रदान की गई।

इसके अलावा, जिविसेप्रा प्रतापगढ़ और बारां में तीन माह की अवधि के भीतर एक भी आवेदन का निस्तारण नहीं किया गया, जबकि जिविसेप्रा टोंक और भरतपुर ने एक माह के निर्धारित मानक के विपरीत क्रमशः 56.77 प्रतिशत और 66.67 प्रतिशत आवेदन एक वर्ष बाद निस्तारित किए। जिविसेप्रा, जयपुर मेट्रो ने विधिक सहायता के लिए प्राप्त 61 आवेदनों का एक वर्ष से अधिक की अवधि के पश्चात् दिसम्बर 2018 तक निस्तारण नहीं किया।

चार्ट 14- 2012-17 के दौरान कानूनी सहायता के लिए प्राप्त आवेदन तथा उनके निपटान की स्थिति

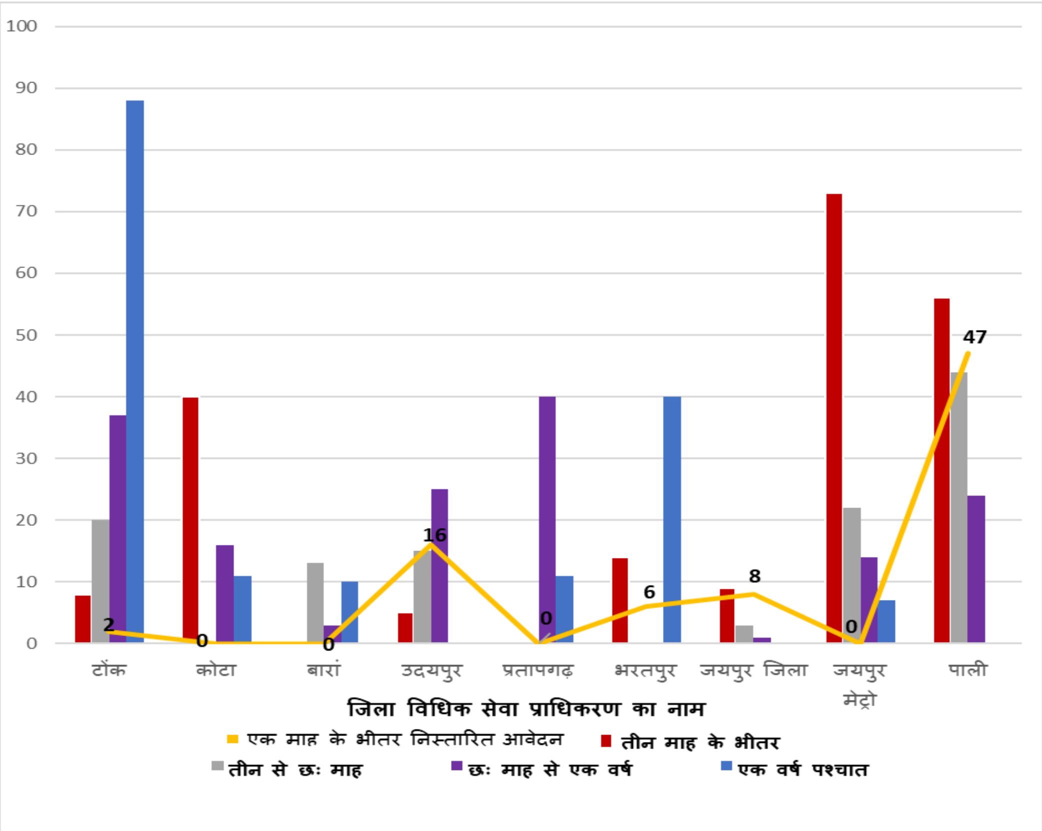

जिविसेप्रा, जयपुर मेट्रो ने उत्तर दिया (सितंबर 2020) कि 61 लंबित कानूनी सहायता आवेदनों का निपटारा कर दिया गया है

तीन जिविसेप्रा (अगस्त-सितंबर 2020 में जयपुर जिला, जयपुर मेट्रो और टोंक) की तथा शेष छः जिविसेप्रा की अगस्त-अक्टूबर 2021 में आगे लेखापरीक्षा विश्लेषण में 2017-20 के दौरान कानूनी सहायता के लिए प्राप्त आवेदनों और उनके निपटान का विवरण **तालिका 14** में दिया गया है।

तालिका 14

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण	विधिक सहायता के लिए आवेदन	एक माह के भीतर निपटाए गए आवेदन	एक माह की निर्धारित अवधि के बाद निपटाए गए आवेदन			
			तीन माह के भीतर	तीन माह के बाद और छः माह के भीतर	छः माह के बाद और एक वर्ष के भीतर	एक वर्ष के बाद
टोंक	25	10	14	01	00	00
कोटा	69	66	02	01	00	00
बारां	53	53	00	00	00	00
उदयपुर	85	34	51	00	00	00
प्रतापगढ़	17	02	00	00	15	00
भरतपुर	65	63	02	00	00	00
जयपुर जिला	15	10	03	02	00	00
जयपुर मेट्रो	351	112	109	27	43	60
पाली	31	15	15	01	00	00
कुल	**711**	**365 (51.34 प्रतिशत)**	**196**	**32**	**58 (8.16 प्रतिशत)**	**60 (8.44 प्रतिशत)**

चार्ट 15: 2017-20 के दौरान कानूनी सहायता के लिए प्राप्त आवेदनों और उनके निपटान की स्थिति

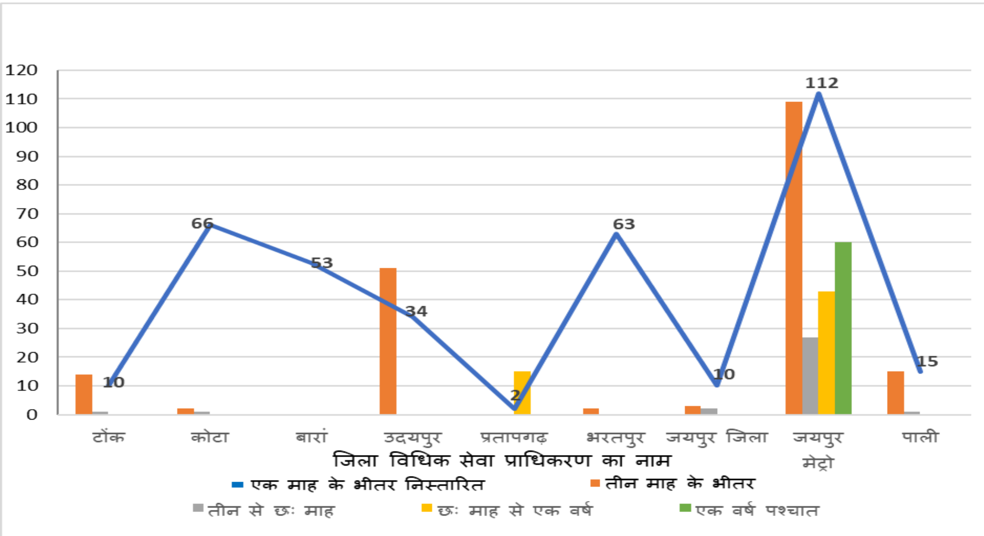

इस प्रकार, 2017-20 के दौरान 51.34 प्रतिशत आवेदनों का एक महीने की निर्धारित समय सीमा के भीतर निपटारा किया गया जो 2012-17 की अवधि से एक महत्वपूर्ण सुधार दर्शाता है। यधपि, 16.60 प्रतिशत मामलों में पीड़ितों को छः महीने के बाद कानूनी सहायता प्रदान की गई।

पांच जिविसेप्रा टोंक, कोटा, पाली, प्रतापगढ़ और उदयपुर ने तथ्यों को स्वीकार किया (अगस्त 2020 तथा अगस्त-अक्टूबर 2021) एवं चार जिविसेप्रा जयपुर जिला, जयपुर मेट्रो, भरतपुर और बारां ने जवाब नहीं दिया।

विधि और विधिक विभाग, राजस्थान सरकार ने प्रारूप प्रतिवेदन (दिसम्बर 2020) पर अपने प्रतिउत्तर (जनवरी 2021) में अवगत कराया कि राज्य में 2016 से मार्च 2020 के दौरान 34,013 महिलाओं और अन्य व्यक्तियों को निःशुल्क कानूनी सहायता से लाभान्वित किया गया।

आवेदन प्रपत्रों का निपटान निर्धारित अवधि के भीतर नहीं करने के संबंध में उत्तर लेखापरीक्षा आक्षेप के अनुरूप नहीं है।

3.3.5.2 कानूनी सहायता क्लिनिक

(अ) कानूनी सहायता क्लिनिक की स्थापना

राराविसेप्रा ने (सितम्बर 2015) समस्त जिविसेप्रा को प्रारंभिक सलाह देने, अभ्यावेदन और नोटिस तैयार करने में सहायता करने, विभिन्न सरकारी योजनाओं आदि के अंतर्गत उपलब्ध लाभों के लिए फार्म भरने के लिए समस्त शहरी स्थानीय निकायों, पुलिस थानों, जेलों और ग्राम पंचायत मुख्यालयों में कानूनी सहायता क्लिनिक (कासक्लि) की स्थापना हेतु निर्देश दिये। राराविसेप्रा द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना की संवीक्षा में दृष्टिगत हुआ कि 11,037 कासक्लि के लक्ष्यों के समक्ष मार्च 2017 तक केवल 6,900 कासक्लि (62.52 प्रतिशत) की स्थापना की गई थी।

आगे राराविसेप्रा द्वारा उपलब्ध करायी गयी जानकारी की समीक्षा में पाया गया (अगस्त 2020) कि मार्च 2020 तक यह आंकड़ा बढ़कर 8,576 कासक्लि (77.70 प्रतिशत) हो गया हैं।

विधि और विधिक विभाग, राजस्थान सरकार ने प्रारूप प्रतिवेदन (दिसम्बर 2020) पर अपने प्रतिउत्तर (जनवरी 2021) में अवगत कराया कि वर्तमान में राराविसेप्रा द्वारा 8,886 कानूनी सहायता क्लिनिक स्थापित किए गए हैं।

इस प्रकार, हालांकि प्रगति देखी गई है, तथ्य यह है कि 2,151 (19.49 प्रतिशत) कानूनी सहायता क्लीनिक अभी भी स्थापित किए जाने हैं।

(ब) पैरा लीगल वालंटियर्स का कम पदस्थापन

राराविसेप्रा द्वारा समस्त जिविसेप्रा को जारी परिपत्र (सितंबर 2015) के अनुसार प्रत्येक पुलिस थाने में निःशुल्क विधिक सहायता सेवाएं प्रदान करने, पीड़ितों को सुविधा देने और प्रतिकर के

लिए आवेदन करने में सहायता करने के लिए एक पैरा लीगल वालंटियर (पीएलवी) पदस्थापित किया जाना था ।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार राज्य के 861 पुलिस थानों में से, केवल 337 पुलिस थानों (39.14 प्रतिशत) में ही पीएलवी पदस्थापित किये गये थे । इसके अलावा, आठ जिविसेप्रा (35 जिविसेप्रा में से) के अधीन 153 पुलिस थानों में पीएलवी उपलब्ध नहीं थे ।

इसी तरह, नमूना जाँच किये गये नौ जिविसेप्रा में केवल 37.55 प्रतिशत पुलिस थानों पर ही पीएलवी की सेवाएं उपलब्ध थी । इसके अलावा, टोंक और प्रतापगढ़ जिलों के किसी भी पुलिस थाने पर एक भी पीएलवी पदस्थापित नहीं किया गया था, जबकि 2012-17 की अवधि के दौरान क्रमशः 199 और 961 बलात्कार के मामले दर्ज किए गए । इस प्रकार पीएलवी की अनुपलब्धता से पीड़ितों को उचित सलाह और निःशुल्क विधिक सहायता सेवाओं से वंचित होना पड़ा तथा साथ ही पीड़ितों को प्रतिकर प्रदान करने का उद्देश्य असफल रहा ।

पीएलवी की कमी को इस तथ्य के परिपेक्ष में देखने की आवश्यकता हैं कि नमूना जाँच किये गये आठ जिलों में 2012-17 के दौरान बलात्कार, दहेज हत्या, अपहरण और व्यपहरण तथा महिलाओं और बालिकाओं की अनैतिक तस्करी के अंतर्गत 16,799 मामले पंजीकृत किये गये थे ।

आगे राराविसेप्रा द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी (अगस्त 2020) से प्रकट हुआ कि राज्य में मार्च 2020 तक 861 पुलिस थानों में से केवल 52 पुलिस थानों (6.04 प्रतिशत) पर ही पीएलवी को पदस्थापित किया गया था ।

नमूना जाँच किए गए नौ जिविसेप्रा (अगस्त-सितंबर 2020 में जयपुर जिला, जयपुर मेट्रो और टोंक एवं शेष छः जिविसेप्रा अगस्त-अक्टूबर 2021 में) के अभिलेखों की आगे की संवीक्षा में प्रकट हुआ कि मार्च 2020 तक आठ जिविसेप्रा के तहत 246 पुलिस थानों[55] में पीएलवी उपलब्ध नहीं थे । पाली जिविसेप्रा में सभी आवश्यक 27 पीएलवी तैनात किए गए थे ।

इंगित किए जाने पर, जिविसेप्रा, जयपुर जिला, जयपुर मेट्रो एवं टोंक ने अगस्त-सितम्बर 2020 में और उदयपुर, भरतपुर, कोटा, प्रतापगढ़ और बारां ने अगस्त-अक्टूबर 2021 में अवगत कराया कि पीएलवी का कार्य संतोषजनक नहीं होने तथा कार्य में रूचि नहीं लेने के कारण, राराविसेप्रा द्वारा 2019-20 में पीएलवी के पदस्थापन नहीं करने के निर्देश जारी किये गये थे ।

पीएलवी की कमी को इस तथ्य के परिपेक्ष में देखने की आवश्यकता हैं कि आठ जिविसेप्रा (नमूना जाँच किये गये आठ जिलों) में जनवरी 2018 से मार्च 2020 के दौरान बलात्कार, दहेज हत्या, अपहरण और व्यपहरण तथा महिलाओं और बालिकाओं की अनैतिक तस्करी के अंतर्गत 7,644 मामले पंजीकृत थे ।

---

55 246 पुलिस थाने (जयपुर मेट्रो (70), जयपुर जिला (22), टोंक (26), उदयपुर (43), प्रतापगढ़ (15), बारां (09), भरतपुर (26) और कोटा (35) ।

विधि और विधिक विभाग, राजस्थान सरकार ने प्रारूप प्रतिवेदन (दिसम्बर 2020) पर अपने प्रतिउत्तर (जनवरी 2021) में अवगत कराया कि राजस्थान राज्य में 3,915 पीएलवी की एक मजबूत टीम थी, जो पुलिस थाना और जेल विधिक सहायता क्लीनिक, ग्राम विधिक सहायता क्लीनिक और जिविसेप्रा के प्रमुख कार्यालय में लगे हुए थे।

हालांकि, उत्तर पुलिस थानों पर पीएलवी के कम पदस्थापन के बारे में जानकारी प्रदान नहीं करता।

लेखापरीक्षा का मत है कि पीएलवी की अनुपलब्धता पीड़ितों को उचित सलाह से वंचित करेगी और पीड़ितों को प्रतिकर के साथ-साथ निःशुल्क विधिक सहायता सेवाएं प्रदान करने के वास्तविक उद्देश्य को निष्फल कर देती है।

3.3.5.3 राजस्थान पीड़ित प्रतिकर योजना

जब भी न्यायालय द्वारा सिफारिश की जाती है या पीड़ित या उसके/उसकी आश्रित द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को आवेदन किया जाता है, वे मामले की जाँच करेंगे और रिपोर्ट किये गये आपराधिक क्रियाकलाप से उत्पन्न और पीड़ित/दावेदार को होने वाले नुकसान या चोट के सम्बन्ध में दावे की विषयवस्तु का सत्यापन करेंगे और इस योजना के उपबंधों के अनुसार दो माह के भीतर प्रतिकर प्रदान किया जाएगा।

राजस्थान पुलिस विभाग के आंकड़ों के अनुसार 2012-17 के दौरान राजस्थान में बलात्कार, दहेज हत्या, अपहरण और व्यपहरण तथा महिलाओं और बालिकाओं की अनैतिक तस्करी के अंतर्गत 46,077 मामले दर्ज किए गए थे। हालांकि, लेखापरीक्षा में देखा गया कि 2012-17 के दौरान प्रतिकर के लिए विधिक सेवा प्राधिकरणों में केवल 2,644 आवेदन[56] (5.74 प्रतिशत) प्राप्त हुए थे। प्राप्त आवेदनों में से उक्त अवधि के दौरान 1,319 पीड़ितों (49.89 प्रतिशत) को ही प्रतिकर का भुगतान किया गया तथा शेष योग्य नहीं पाये गये थें।

आगे उपर्युक्त अपराधों के संबंध में राजस्थान पुलिस विभाग के आंकड़ों से प्रकट होता हैं कि जनवरी 2018 से मार्च 2020 के दौरान राजस्थान में 24,000 मामले दर्ज किए गए थे। लेखापरीक्षा ने पाया कि प्राप्त आवेदनों और प्रतिकर प्रदान करने के मामले में सुधार हुआ है क्योंकि 2017-20 के दौरान प्रतिकर के लिए विधिक सेवा प्राधिकरणों में 4,013 आवेदन (16.72 प्रतिशत) प्राप्त हुए थे और प्राप्त आवेदनों में से 2,681 पीड़ितों (66.81 प्रतिशत) को उस अवधि के दौरान प्रतिकर का भुगतान किया गया और शेष योग्य नहीं पाये गये।

राजस्थान सरकार द्वारा विशिष्ट उत्तर (जनवरी 2021) उपलब्ध नहीं कराया था; प्राप्त उत्तर में कहा गया कि पीड़ित को मुआवजा प्रदान करना कल्याणकारी राज्य का कर्तव्य है और यह तब प्रदान किया जाता है जब पुलिस/अदालत द्वारा सिफारिश की जाती है।

56 2012-13: 316 मामले; 2013-14: 276 मामले; 2014-15: 467 मामले; 2015-16: 680 मामले और 2016-17: 905 मामले।

3.3.5.4 पीड़ितों को प्रतिकर प्रदान करने में देरी

योजना के प्रावधानों के अनुसार, पोक्सो अधिनियम, 2012 के अंतर्गत विशेष न्यायालय द्वारा प्रतिकर प्रदान करने का अधिनिर्णय, विशेष न्यायालय के आदेश की प्राप्ति की तारीख से 30 दिन के भीतर भुगतान किया जाएगा।

राराविसेप्रा से अनुरोध किया गया था कि वह पूरे राज्य से संबंधित मामलों की जानकारी उपलब्ध करावें, जहां प्रतिकर प्रदान करने में देरी हुई थी। तथापि, राराविसेप्रा द्वारा प्रतिकर के अधिनिर्णय/भुगतान में विलम्ब की स्थिति उपलब्ध नहीं करायी गयी थी और इस प्रकार से लेखापरीक्षा उन मामलों की संख्या सत्यापित नहीं कर सकी जिनमें प्रतिकर का भुगतान विलम्ब से किया गया था।

2012-17 के दौरान नमूना जाँच किये गये नौ जिविसेप्रा में प्राप्त आवेदनों की स्थिति (पोक्सो मामलों सहित), पात्रता के मामले और प्रतिकर प्रदान करने में विलम्ब के मामले **तालिका 15** में दिये गये है।

तालिका 15

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण	मुआवजे के लिए प्राप्त आवेदन	पात्र आवेदन	जिन मामलों में प्रतिकर अधिनिर्णित किया गया था	जिन मामलों में प्रतिकर अधिनिर्णित किया गया था			
				02 महीने के भीतर	02 से 06 महीने के भीतर	06 से 12 महीने के भीतर	12 महीनें के बाद
टोंक	96	28	28	04	05	08	11
कोटा	245	94	94	04	48	32	10
बारां	76	23	23	10	06	03	04
उदयपुर	455	127	127	23	43	50	11
प्रतापगढ़	29	21	21	06	07	04	04
भरतपुर	86	35	35	21	13	01	00
जयपुर जिला	145	65	65	27	28	09	01
जयपुर मेट्रो	177	122	94	05	27	47	15
पाली	63	23	23	18	04	00	01
कुल	**1372**	**538**	**510**	**118**	**181**	**154**	**57**

तालिका से यह देखा जा सकता है किः

(i) 510 मामलों में से केवल 118 मामलों में (23.14 प्रतिशत) ही दो माह के भीतर प्रतिकर प्रदान किया गया था। इंगित किये जाने पर, संबंधित जिविसेप्रा द्वारा अवगत कराया गया (अगस्त-दिसंबर 2017 और जनवरी, अप्रैल-मई 2018) कि पीड़ितों द्वारा दस्तावेजों और बैंक विवरण विलम्ब से प्रस्तुत करने तथा संबंधित पुलिस थाने से सूचना विलंब से प्राप्त होने आदि कारणों से मुआवजे के भुगतान में विलम्ब की घटनाएं हुई। आगे, जिविसेप्रा बारां ने अवगत कराया (अक्टूबर 2017) कि पीड़ितों को यथाशीघ्र प्रतिकर का भुगतान प्रदान करने के लिए प्रयास किए जाएंगे।

वर्ष 2012-17 के दौरान नौ जांच किए गए जिविसेप्रा में पात्रता मामलों की स्थिति और विलंब से भुगतान किये गये प्रतिकर की स्थिति को **चार्ट 16** में दर्शाया गया हैं।

चार्ट 16- प्रतिकर के अधिनिर्णय में देरी के मामले (2012-17)

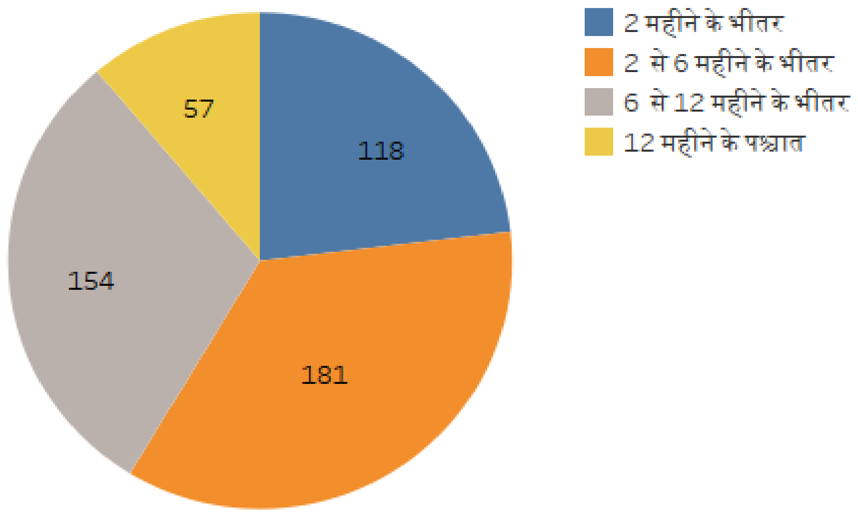

(ii) जिविसेप्रा जयपुर मेट्रो ने 28 पीड़ितों का ब्यौरा उपलब्ध नहीं होने के कारण प्रतिकर अधिनिर्णित नहीं किया। इसके अलावा, नवंबर 2014 से अक्टूबर 2017 के दौरान इन जिविसेप्रा की बैठकों में प्रतिकर के लिए गए निर्णयों के बाद भी जयपुर जिले (नौ पीड़ित) और जयपुर मेट्रो (आठ पीड़ित) के 17 पीड़ितों को **₹** 43.35 लाख रुपये का प्रतिकर जून 2018 तक भुगतान नहीं किया गया था।

आगे, जयपुर मेट्रो और जयपुर जिला (अगस्त-सितंबर 2020) के अभिलेखों की जाँच में प्रकट हुआ कि 17 पीड़ितों में से 8 पीड़ितों, जयपुर जिला (दो पीड़ितों) और जयपुर मेट्रो (छः पीड़ितों) को **₹** 20.75 लाख,[57] को प्रतिकर का भुगतान किया गया था। शेष 9 पीड़ितों (जयपुर जिला-7 पीड़ितों) और (जयपुर मेट्रो-2 पीड़ितों) को बैंक खाता न खोलने और पास बुक की प्रति जमा नहीं कराने के कारण प्रतिकर का (सितंबर 2020) (चार से छः साल से लंबित हैं) भुगतान नहीं किया गया था।

नमूना जाँच किए गए नौ जिविसेप्रा (अगस्त-सितंबर 2020 में जयपुर जिला, जयपुर मेट्रो और टोंक एवं शेष छः जिविसेप्रा अगस्त-अक्टूबर 2021 में) के अभिलेखों के आगे विश्लेषण में 2017-20 के दौरान प्राप्त आवेदनों की स्थिति (पोक्सो मामलों सहित), पात्रता मामलों और प्रतिकर के विलंबित अधिनिर्णय के प्रकरणों की स्थिति का विवरण **तालिका 16** में दिया गया हैं।

57 ₹ 20.75 लाखः जयपुर जिला (2 पीड़िताऐंः ₹ 4.00 लाख) तथा जयपुर मेट्रो (6 पीड़िताऐंः ₹ 16.75 लाख)।

तालिका 16

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण	मुआवजे के लिए प्राप्त आवेदन	पात्र आवेदन	जिन मामलों में प्रतिकर अधिनिर्णय किया गया था	जिन मामलों में प्रतिकर अधिनिर्णय किया गया था			
				02 महीने के भीतर	02से 06 महीने के भीतर	06 से 12 महीने के भीतर	12 महीनों के बाद
जयपुर जिला	160	66	66	39	27	00	00
जयपुर मेट्रो	480	390	350	135	123	53	39
टोंक	127	67	67	44	14	07	02
उदयपुर	125	90	55	31	12	06	06
प्रतापगढ़	30	13	13	02	04	04	03
पाली	85	70	69	31	35	02	01
बारां	87	64	64	56	08	0	0
कोटा	207	154	154	88	45	17	04
भरतपुर	126	101	101	51	43	7	0
कुल	**1,427**	**1,015**	**939**	**477**	**311**	**96**	**55**

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है किः

(i) 939 मामलों में जहां मुआवजा दिया गया था, 477 मामलों (50.80 प्रतिशत) में दो महीने के भीतर मुआवजा दिया गया था। उत्तर में, जिविसेप्रा जयपुर मेट्रो, जयपुर जिला और टोंक (अगस्त-सितंबर 2020 में) एवं उदयपुर, भरतपुर, कोटा, पाली, प्रतापगढ़ और बारां (अगस्त-अक्टूबर 2021 में) ने अवगत कराया कि मासिक बैठकों का आयोजन नहीं होने, पीड़ितों से आवश्यक दस्तावेज प्राप्त नहीं होने, बजट की कमी, अन्य विभागों से आवश्यक दस्तावेज प्राप्त नहीं होना मुआवजा देने में देरी के मुख्य कारण थे।

(ii) आगे, 152 पीड़ितों जयपुर जिला (14 पीड़ितों) और जयपुर मेट्रो (137 पीड़ितों) और उदयपुर (एक पीड़ित) को राशि ₹ 233.45 लाख जयपुर जिला (₹ 23.50 लाख) और जयपुर मेट्रो (₹ 209.70 लाख) अगस्त 2020 तक तथा उदयपुर (₹ 0.25 लाख) को अगस्त 2021 तक प्रतिकर का भुगतान मई 2017 से मई 2020 तक की बैठकों में प्रतिकर के निर्णय लिए जाने के बाद भी नहीं किया गया था।

उत्तर में, जिविसेप्रा जयपुर मेट्रो और जयपुर जिला (सितंबर 2020 में) एवं उदयपुर (अगस्त 2021 में) ने अवगत कराया कि पीड़ितों से आवश्यक दस्तावेज प्राप्त न होना, बैंक खाता नहीं खुलवाना मुख्य कारण थे,यदपि, पीड़ितों को जल्द से जल्द भुगतान प्रदान करने के लिए प्रयास किए जा रहे थे।

विधि और विधिक विभाग, राजस्थान सरकार ने प्रारूप प्रतिवेदन (दिसम्बर 2020) पर अपने प्रतिउत्तर (जनवरी 2021) में अवगत कराया कि 2016 से मार्च 2020 के दौरान 6,844 लाभार्थियों को ₹ 97.99 करोड़ की राशि के प्रतिकर का भुगतान किया गया था। तथापि, पीड़ितों को प्रतिकर के भुगतान में देरी के संबंध में लेखापरीक्षा आक्षेप का उत्तर नहीं दिया गया था।

निष्कर्ष

कठिन परिस्थितियों में महिलाओं को संबंल प्रदान करने के लिए गैर-सरकारी संगठनों द्वारा चलाए जा रहे स्वाधार गृहों ने आवासनियों के प्रवेश की प्रक्रिया का पालन नहीं किया और प्रवेश की सूचना पुलिस को नहीं दी गयी थी। राज्य में मार्च 2017 तक कार्यरत सात स्वाधार गृहों में से मार्च 2020 तक केवल चार क्रियाशील रहे, जबकि शेष तीन बंद कर दिए गए थे। स्वाधार गृहों में जो क्रियाशील थे, आवासनियों को व्यावसायिक/कौशल उन्नयन प्रशिक्षण प्रदान नहीं कराया गया था।

'उज्जवला योजना' सामाजिक संघटन, स्थानीय समुदायों की भागीदारी आदि के माध्यम से वाणिज्यिक यौन शोषण से महिलाओं और बच्चों की तस्करी को रोकने के लिए शुरू की गई थी। इस योजना के अंतर्गत, आवासनियों को चिकित्सा देखभाल, आवासनियों के बच्चों को शिक्षा और दैनिक जरूरतों के बुनियादी सामान उपलब्ध नहीं कराए गए। इस योजना के तहत राज्य में मार्च 2016 तक स्थापित एवं संचालित आठ संरक्षात्मक और पुनर्वास (सं और पु) गृहों में से मार्च 2020 तक केवल एक सं और पु गृह डूंगरपुर में क्रियाशील था। क्रियाशील सं और पु गृह में उपापन और भुगतान के लिए पारदर्शी प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया था। इस प्रकार, कमजोर पुनर्वास रचना, आधारभूत ढांचा और प्रयास प्रभावित महिलाओं को कम विकल्प और बिना किसी वास्तविक सुरक्षित घर के छोड़ देता है।

इसके अलावा, 2012-17 के दौरान, नमूना जाँच किए गए बालिका गृहों/खुले आश्रय गृहों से अठारह बालिकाएं अपर्याप्त सुरक्षा के कारण फरार हुई, जिनमें से छः बालिकाओं का अगस्त 2018 तक भी पता नहीं लगाया जा सका। बालिका गृह, जयपुर और भरतपुर से 2017-20 के दौरान छः बालिकाएं फरार हो गई थी उनका पता नही लगाया जा सका। स्कूली शिक्षा प्रदान नहीं करना, अपर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं, मानदंडों के अनुसार कपड़े वितरित न करना आदि जैसी अनियमितताओं भी पायी गईं।

विधिक सहायता मांग करने वाले आवेदनों का जिविसेप्रा द्वारा विलम्ब से निस्तारण किया गया। मार्च 2020 तक राज्य में बहुत कम पुलिस थानों में पैरा लीगल वालंटियर्स पदस्थापित किये गये थे। राजस्थान पीड़ित प्रतिकर योजना, 2011 के अंतर्गत, उन मामलों की संख्या कम थी, जिनमें निर्धारित अवधि के भीतर प्रतिकर प्रदान किया गया, और कुछ मामलों में, एक वर्ष से भी बाद में प्रदान किया गया।

अनुशंसा

8. समस्त शहरी स्थानीय निकायों, पुलिस थानों, जेलों और ग्राम पंचायत मुख्यालयों में कानूनी विधिक सहायता केन्द्र स्थापित किए जाने चाहिए और महिलाओं के विरूद्ध अपराध के पीड़ितों की सहायता सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक पुलिस थाने में पैरा लीगल वालंटियर्स पदस्थापित किए जाने चाहिए।

3.4 प्रशिक्षण और जन जागरूकता के माध्यम से लिंग संवेदीकरण

महिलाओं के विरूद्ध हिंसा और भेदभाव को रोकने के लिए जन जागरूकता और एक प्रबुद्ध समाज प्रमुख आवश्यकताएं हैं। सरकार की विभिन्न शाखाओं और गैर-सरकारी संगठनों को समाज में जागरूकता सृजन का काम सौंपा गया है, जिसके लिए महिलाओं के लिए नीति में और प्रासंगिक विशेष और स्थानीय कानूनों में प्रावधान शामिल किए गए हैं। महिलाओं के विरूद्ध हिंसा और अत्याचार जैसे घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा, कार्यस्थलों पर लैंगिक उत्पीड़न, बाल विवाह, डायन-प्रताड़ना, दहेज प्रतिषेध, पोक्सो आदि के बारे में संबंधित विभागों द्वारा इलेक्ट्रोनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया आदि के माध्यम से समाज में जागरूकता उत्पन्न किया जाना था। सरकार के विभिन्न स्तरों पर कर्तव्यों का निर्वहन करने वाले अधिकारियों को लिंग संवेदीकरण प्रशिक्षण दिया जाना था। राज्य स्तरीय कार्यालयों द्वारा जन-साधारण और संबंधित अधिकारियों के बीच जागरूकता लाने और प्रसार करने के लिए उठाए गए उपायों की भूमिका, जिम्मेदारी और प्रभाव पर यहां चर्चा की गई है:

महिला अधिकारिता निदेशालय

3.4.1 घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005

जन जागरूकता सृजन के लिए पहल की कमी

घहिंमसं अधिनियम की धारा 11 (क) और 11 (ख) प्रावधित करती है कि राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रावधानों को टेलीविजन, रेडियो और प्रिंट मीडिया के माध्यम से नियमित अंतरालों पर व्यापक प्रचार सुनिश्चित करने के लिए सभी उपाय करेगी तथा पुलिस अधिकारियों और न्यायिक सेवाओं के सदस्यों सहित राज्य सरकार के अधिकारियों को समय-समय पर सुग्राहीकरण एवं सुजागरूकता प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

मअनि के अभिलेखों की समीक्षा में जन जागरूकता सृजन और अधिकारियों के प्रशिक्षण में निम्नलिखित कमियां पायी गयी :

- राज्य सरकार द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के प्रचार के लिए 2013-17 के दौरान कोई निर्दिष्ट बजट आवंटित नहीं किया गया था, हालांकि इसके लिए बजट शीर्ष सृजित/निर्धारित किया गया था।

- मअनि के नमूना जांच किए गए आठ सहायक निदेशक कार्यालयों में से किसी के भी द्वारा नियमित जागरूकता कार्यक्रम नहीं चलाये गए थे। नमूना जाँच किए गए पाँच जिलों में केवल कुछ अलग-अलग गतिविधियाँ जैसे कि ग्राम पंचायतों में रैलियां और समाचार पत्रों के माध्यम से प्रचार (केवल प्रतापगढ़ में), कठपुतली कार्यक्रम और नुक्कड़ नाटक (केवल उदयपुर में 2014-15 में) और कार्यशालाएं, जागरूकता सत्र, पर्चे वितरण (बारां में 2014-15 और 2016-17 के दौरान), जागरूकता सत्र और आईईसी (सूचना, शिक्षा एवं संचार) सामग्री का वितरण (केवल पाली में 2016-17 में) और स्कूलों में कार्यशाला (केवल 2016-17 में जयपुर में) की गई थी।

- नमूना जाँच किए गए दो सहायक निदेशक कार्यालयों में 2012-17 के दौरान केवल 67 कार्मिक (बारां में सात और उदयपुर में 60) जिनमें मअनि (57), पुलिस (5), कानून और अन्य विभाग (5) के कार्मिको को प्रशिक्षित किया गया, वह भी केवल 2014-15 के दौरान प्रत्येक जिले में एक प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से किया गया था।

राज्य सरकार ने अवगत कराया (फरवरी 2019) कि 2014-15 के दौरान संरक्षण अधिकारियों के लिए एक दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यक्रम और 2016-17 के दौरान महिलाओं के विरुद्ध अपराध का विरोध करने के लिए एक दिवसीय कार्यशाला भी आयोजित की गई थी । राज्य सरकार ने आगे बताया कि इलेक्ट्रोनिक मीडिया, टीवी, रेडियो, आदि के माध्यम से जागरूकता उत्पन्न करने के लिए और अधिक प्रयास किए जाएंगे।

आगे, मअनि के अभिलेखों की संवीक्षा (अगस्त 2020) में पाया गया कि अधिनियम के प्रावधानों के प्रचार के लिए निर्दिष्ट बजट राज्य सरकार द्वारा 2017-20 के दौरान आवंटित नहीं किया गया था। इसके अलावा, नमूना जांच किए गए मअनि के आठ जिलों (अगस्त-सितंबर 2020 में जयपुर एवं टोंक और अगस्त-अक्टूबर 2021 में शेष छह जिलों) के अभिलेखों की जांच से पता चला कि धनराशि की अनुपलब्धता के कारण पांच जिलों (जयपुर, टोंक, प्रतापगढ़, भरतपुर और बारां) में अधिनियम के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित नहीं किये गये थे। शेष तीन जिलों (कोटा, पाली और उदयपुर) में यह बताया गया कि मसुसकें, वन स्टॉप सेंटर, साथिन आदि के माध्यम से जागरूकता पैदा की गई थी। 2017-20 के दौरान नमूना जांच किए गए किसी भी जिले में कोई प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया था।

मबावि विभाग, राजस्थान सरकार ने प्रारूप प्रतिवेदन (दिसम्बर 2020) पर अपने प्रतिउत्तर (फरवरी 2021) में अवगत कराया कि जागरूकता के लिए पृथक से बजट आवंटित नहीं किया गया था क्योंकि अधिनियम संबंधी जागरूकता गतिविधियाँ गांवों में साथिनों द्वारा बैठकों के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही थी। साथ ही, मसुसकें और वन स्टॉप केन्द्र के परामर्शदाताओं को समय-समय पर प्रशिक्षण दिया गया और इन केन्द्रों से सम्पर्क करने वाले पीड़ितों और उनके रिश्तेदारों के बीच जागरूकता उत्पन्न करने के लिए प्रयास किए गए। आगे, जिलों में मुद्रित पोस्टर वितरित किए गए। अगस्त 2020 और जनवरी 2021 में संरक्षण अधिकारियों की क्षमता निर्माण के लिए उन्मुखीकरण प्रशिक्षण भी आयोजित किए गए थे।

प्रत्युत्तर मान्य नहीं है क्योंकि अधिकांश साथिन मूल जानकारी जैसे मसुसकें के स्थान और कार्यों, स्थानीय एवं विशेष अधिनियम में दी गई सुविधाओं आदि के बारे में जागरूक नहीं थी, जैसा कि अनुच्छेद 3.4.6 में चर्चा की गई है। इसके अतिरिक्त, जनता के लिए नियमित जागरूकता कार्यक्रम भी संचालित नहीं किये गए।

इस प्रकार, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि इस अधिनियम के प्रावधानों के बारे में प्रचार और इस अधिनियम को कार्यान्वित करने हेतु अधिकारियों के प्रशिक्षण की कमी थी। केवल कुछ ही छिटपुट कार्यक्रम आयोजित किए गए थे और इस प्रकार उनकी प्रभावशीलता कम रही। इसने जन-साधारण में जागरुकता उत्पन्न करने तथा अधिनियम और नियमों के विभिन्न प्रावधानों के बारे में अधिकारियों को सुग्राही बनाने के लिए योजना तथा ध्यान केन्द्रित की कमी को दर्शाया।

इसके परिणामस्वरूप पीड़ित महिलाओं को अधिनियम के तहत उपलब्ध उनके अधिकारों/लाभों के बारे में जागरूकता पैदा नहीं करने के साथ-साथ अधिकारियों को घरेलू हिंसा का सामना करने वाली महिलाओं को सुरक्षा और सहायता प्रदान करने में उनकी भूमिका और जिम्मेदारी के बारे में जागरूक नहीं किया जा रहा है।

मबावि विभाग, राजस्थान सरकार ने प्रारूप प्रतिवेदन (नवम्बर 2021) पर अपने प्रतिउत्तर (फरवरी 2022) में अवगत कराया कि घहिंमसं अधिनियम और मसुसकें की आवश्यक जानकारी फरवरी और जुलाई 2021 में ऑनलाइन प्रशिक्षण के माध्यम से साथिनों को प्रदान की गई थी। यह बताया गया कि समाचार पत्रों और टीवी चैनलों के माध्यम से जन जागरूकता प्रदान की जा रही है।

3.4.2 महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013

लिंग संवेदीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित नहीं करना

अधिनियम की धारा 19 (ग) के अनुसार, प्रत्येक नियोक्ता अधिनियम के प्रावधानों के बारे में आंतरिक समिति के सदस्यों को संवेदनशील बनाने के लिए नियमित अंतराल पर कार्यशालाओं, कर्मचारियों के लिए जागरूकता कार्यक्रम और उन्मुखीकरण कार्यक्रम आयोजित करेगा।

आयुक्त मअनि की लेखापरीक्षा संवीक्षा में पाया गया कि अधिनियम के लागू होने के चार साल बाद भी 12 जिलों में आंतरिक समिति के सदस्यों को लिंग संवेदीकरण प्रशिक्षण प्रदान नहीं किया गया था। इसके अलावा, 19 कार्यस्थलों में से, जहां आंतरिक समिति का गठन किया गया था, केवल तीन[58] कार्यस्थलों में आंतरिक समिति के सदस्यों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया था।

राज्य सरकार ने अवगत कराया (फरवरी 2019) कि सभी जिलों में आंतरिक समिति/स्थानीय समिति के सदस्यों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये थे। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि 12 जिलों में प्रशिक्षण आयोजित करने के समर्थित साक्ष्य उपलब्ध नहीं था।

आगे आयुक्त मअनि के अभिलेखों की संवीक्षा (सितंबर 2020) में पाया गया कि जनवरी 2020 में जयपुर में विभिन्न विभागों से संबंधित आंतरिक समिति के 50 सदस्यों को लिंग संवेदीकरण प्रशिक्षण प्रदान किया गया था। पूछने पर (सितंबर 2020) बताया गया कि जिलों में आयोजित प्रशिक्षणों की जानकारी विशिष्ट जिलों में संधारित की गई थी।

नमूना जांच किए गए मअनि के आठ जिलों (सितंबर 2020 में जयपुर एवं टोंक और अगस्त-अक्टूबर 2021 में शेष छह जिलों) के अभिलेखों की आगे संवीक्षा में प्रकट हुआ कि नमूना जांच किए गए जिलों में बारां जिले को छोड़कर जहां वर्ष 2017-18 के दौरान आंतरिक समिति के

58 जीबीएच अमेरिकन हॉस्पिटल, उदयपुर; रुक्मणी बिड़ला मॉडर्न हाई स्कूल, जयपुर और अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल, जयपुर।

सदस्यों के लिए तीन दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया था, आंतरिक समिति/स्थानीय समिति के कर्मचारियों और सदस्यों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित नहीं किए गए थे।

मबावि विभाग, राजस्थान सरकार ने प्रारूप प्रतिवेदनों (दिसम्बर 2020 एवं नवंबर 2021) पर अपने प्रतिउत्तरों (फरवरी 2021 एवं फरवरी 2022) में अवगत कराया कि मसुसकें आदि के परामर्शदाताओं को समय-समय पर प्रशिक्षण दिया गया था, वन स्टॉप सेंटरों और मसुसकें द्वारा अधिनियम के बारे में आवश्यक जानकारी प्रदान की गई थी तथा जागरूकता पैदा करने के लिए इसे स्थानीय समाचार पत्रों में भी प्रकाशित किया गया था।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि उपर्युक्त प्रयासों का उद्देश्य जनता में सामान्य जागरूकता पैदा करना है। हालांकि, आंस के सदस्यों के लिए लिंग संवेदीकरण प्रशिक्षण आयोजित करने के संबंध में उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया था।

3.4.3 बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006

(क) बाल विवाह की रोकथाम के लिए पहल की कमी होना

अधिनियम में यह प्रावधान है कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी को बाल विवाह पर रोक लगाने, जागरूकता उत्पन्न करने और बाल विवाह के मुद्दे पर समाज को संवेदनशील बनाने की आवश्यकता है।

समाज में जागरूकता और सवेंदनशीलता उत्पन्न करने के लिए बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी को समय-समय पर इलाके के सम्मानित सदस्य, ग्राम पंचायत या नगरपालिका के अधिकारी या सरकारी/निजी उपक्रम या गैर सरकारी संगठन के पदाधिकारी की सहायता लेने के लिए निर्देश जारी किए गए थे। तथापि, नमूना जांच किए गए 14 बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी में इन निर्देशों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए तंत्र स्थापित नहीं किया गया था। इस प्रकार, बाल विवाह के संबंध में जागरूकता और संवेदनशीलता उत्पन्न करने के प्रयासों/गतिविधियों की स्थिति का सत्यापन लेखापरीक्षा द्वारा नहीं किया जा सका।

मबावि विभाग, राजस्थान सरकार ने प्रारूप प्रतिवेदनों (दिसम्बर 2020 एवं नवंबर 2021) पर अपने प्रतिउत्तरों (फरवरी 2021 एवं फरवरी 2022) में अवगत कराया कि अधिनियम के प्रावधानों को निदेशालय द्वारा गृह, शिक्षा, चिकित्सा विभागों के साथ प्रभावी रूप से लागू किया जा रहा था और क्षेत्र के अधिकारियों जैसे पटवारी, ग्राम सेवक, सीडीपीओ, आंगनबाडी कार्यकर्ताओं, प्रचेताओं और साथिनों के माध्यम से बाल विवाह को रोकने के लिए प्रयास किए जा रहे थे। साथ ही, विभिन्न जागरूकता गतिविधियां जैसे रैलियां, कठपुतली शो और कार्यशालाएं आयोजित की जा रही थी।

(ख) वित्तीय संसाधनों का खराब उपयोग

विभाग को बाल विवाह के दुष्प्रभावों के बारे में जन जागरूकता उत्पन्न करनी चाहिए। तथापि, आयुक्त मअनि के अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि 2012-17 के दौरान राज्य में

जागरूकता उत्पन्न करने के लिए प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रचार-प्रसार पर केवल ₹ 15.23 लाख[59] (औसत ₹ 3.05 लाख प्रति वर्ष) खर्च किए गए थे। इसके अलावा, नमूना जांच किए गए आठ जिलों में, बजट आंवटन के अभाव में जागरुकता सृजन गतिविधियां नहीं की गई थी।

राज्य सरकार ने अवगत कराया (फरवरी 2019) कि अप्रैल 2017 में बाल विवाह के विरूद्ध जागरूकता सृजन हेतु प्रति जिला ₹ 10,000 और प्रति ब्लॉक ₹ 5,000 की राशि प्रदान की गई थी तथा प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, दूरदर्शन, आदि के माध्यम से जागरूकता उत्पन्न करने के लिए और अधिक प्रयास किए जाएंगे।

आगे मअनि के अभिलेखों की संवीक्षा (अगस्त-नवंबर 2020) में पाया कि मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम के तहत 2017-20 के दौरान राज्य में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए ₹ 52.78 लाख (औसतन ₹ 17.59 लाख प्रति वर्ष) प्रचार पर खर्च किए गए थे। इसमें से 2017-18 में, जिला स्तर पर केवल ₹ 6.05 लाख खर्च किए गए थे। इसके अलावा, 2018-20 की अवधि में, व्यय केवल निदेशालय स्तर पर किया गया था न कि जिला स्तर पर।

नमूना जांच किए गए मअनि के आठ जिलों (सितंबर 2020 में जयपुर एवं टोंक और अगस्त-अक्टूबर 2021 में शेष छह जिलों) के अभिलेखों की आगे संवीक्षा में प्रकट हुआ कि 2017-18 के दौरान जागरूकता के लिए ₹ 2.25 लाख[60] आवंटित किए गए थे लेकिन जागरूकता पैदा करने के लिए केवल ₹ 1.62 लाख[61] खर्च किए गए थे।

मबावि विभाग, राजस्थान सरकार ने प्रारूप प्रतिवेदन (दिसम्बर 2020) पर अपने प्रतिउत्तर (फरवरी 2021) में अवगत कराया कि बाल विवाह की रोकथाम के लिए जागरूकता हेतु कोई अलग बजट प्रावधान नहीं था। इसके अलावा, विशेष अभियान 'साझा अभियान' बाल विवाह के विरूद्ध 2017-18 के दौरान आयोजित किया गया था और 2017-18 के दौरान आवंटित राशि ₹ 39.00 लाख में से, बाल विवाह के विरुद्ध जागरूकता अभियानों पर होने वाले व्यय पर राज्य में ₹ 26.20 लाख का उपयोग किया गया। इसके अलावा, संबंधित गतिविधियों को 'बेटी बचाओ और बेटी पढाओ' के तहत नियमित रूप से आयोजित किया गया था।

इस प्रकार, बाल विवाह की रोकथाम के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के लिए 2018-19 और 2019-20 के दौरान जिलों को धन जारी नहीं किया गया था। इसके अलावा, विभाग ने नमूना जांच किये गये तीन जिलों बारां, जयपुर और टोंक में आवंटित निधि के उपयोग नहीं किये जाने के संबंध में उत्तर प्रस्तुत नहीं किया।

59 2012-13: शून्य, 2013-14: ₹ 0.34 लाख, 2014-15: ₹ 7.18 लाख, 2015-16: शून्य और 2016-17: ₹ 7.71 लाख।

60 जयपुर: ₹ 0.30 लाख; टोंक: ₹ 0.45 लाख; भरतपुर: ₹ 0.40 लाख; पाली: ₹ 0.40 लाख; बारां: ₹ 0.40 लाख; प्रतापगढ़: ₹ 0.30 लाख; कोटा: शून्य और उदयपुर: शून्य।

61 जयपुर: ₹ 0.23 लाख; टोंक: ₹ 0.10 लाख; भरतपुर: ₹ 0.39 लाख; पाली: ₹ 0.40 लाख; बारां: ₹ 0.21 लाख; प्रतापगढ़: ₹ 0.29 लाख; कोटा: शून्य और उदयपुर: शून्य।

इस प्रकार, हालांकि जागरूकता उत्पन्न करने की दिशा में आवंटन और व्यय में वृद्धि हुई थी, लेकिन जिला स्तर पर, पूर्ण बजट का उपयोग नहीं किया गया था। यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (रापस्वास) 4 (2015-16) के सर्वेक्षण आंकड़े बताते है कि अखिल भारतीय (26.80 प्रतिशत) और अन्य पड़ोसी राज्यों जैसे गुजरात (24.90 प्रतिशत) और उत्तर प्रदेश (21.20 प्रतिशत) की तुलना में राजस्थान में 35.40 प्रतिशत बालिकाओं की शादी 18 वर्ष से कम उम्र में हुई थी।

मबावि विभाग, राजस्थान सरकार ने प्रारूप प्रतिवेदन (नवम्बर 2021) पर अपने प्रतिउत्तर (फरवरी 2022) में अवगत कराया कि गैर सरकारी संगठनों की सहायता से सरकारी भवनों में जागरूकता कार्यक्रमों के आयोजन के कारण, ऐसी गतिविधियों के लिए आवंटित धनराशि से कम का उपयोग किया गया था।

3.4.4 राजस्थान डायन-प्रताडना निवारण अधिनियम, 2015

जन जागरूकता सृजन के लिए पहल की कमी

अधिनियम के अन्तर्गत नियुक्त विशेष अधिकारी[62] (विअ) जागरूकता केन्द्रों को स्थापित करने और जनता को उनके कर्तव्यों और पीड़ित महिलाओं को इस अधिनियम और संबंधित नियम/विनियम/योजनाओं के अंतर्गत उपलब्ध संरक्षण के बारे में शिक्षित करने के लिए कार्यशालाओं का आयोजन करने के लिए उत्तरदायी थे। राज्य सरकार को जागरूकता केंद्रों की स्थापना और रखरखाव तथा कार्यशालाएं आयोजित करने के लिए गैर सरकारी संगठनों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता थी।

नमूना जाँच किए गए आठ जिलों में सनि, मअनि के अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि अनिवार्य कार्यों को करने के लिए किसी भी जिले में जागरूकता केंद्र स्थापित नहीं किये गये थे। इसके अलावा, मअनि द्वारा जागरूकता केंद्रों को स्थापित करने तथा उनका संधारण करने के लिए गैर-सरकारी संगठनों को प्रोत्साहित करने के प्रयास नहीं किए गए थे।

राज्य सरकार ने अवगत कराया (फरवरी 2019) कि सखी केंद्र, मसुसकें और जिविसेप्रा के माध्यम से जागरूकता कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि उत्तर के साथ कोई ठोस प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया था।

निदेशालय, महिला अधिकारिता विभाग के अभिलेखों की संवीक्षा में (अगस्त 2020) पाया गया कि अभी भी राज्य में जागरूकता केंद्र स्थापित नहीं किए गए थे और बजट की अनुपलब्धता के कारण गैर-सरकारी संगठनों को जागरूकता केंद्र स्थापित करने और संधारण करने के लिए प्रोत्साहित करने के प्रयास नहीं किए गए थे।

मबावि विभाग, राजस्थान सरकार ने प्रारूप प्रतिवेदन (दिसम्बर 2020) पर अपने प्रतिउत्तर (फरवरी 2021) में अवगत कराया कि जागरूकता उत्पन्न करने के लिए मसुसकें और वन स्टॉप

62 विशेष अधिकारी महिला अधिकारिता विभाग के कार्यक्रम अधिकारी के पद के समकक्ष या इस पद से कम नहीं।

केन्द्र के परामर्शदाताओं को समय-समय पर प्रशिक्षण दिया गया था। निदेशालय ने प्रशिक्षण कार्यक्रमों, ऑनलाइन प्रशिक्षण आयोजित कर, पोस्टर और पुस्तकों के माध्यम से जागरूकता उत्पन्न की। निदेशालय द्वारा मसुसकें को जागरूकता केंद्र के रूप में उपयोग किया जा रहा था। इसके अलावा, यह अवगत कराया कि जागरूकता सृजन के लिए गैर सरकारी संगठनों की नियुक्ति के लिए अधिनियम/निर्देशों में कोई प्रावधान नहीं था।

प्रत्युत्तर मान्य नहीं है क्योंकि अति संवेदनशील जिलों में जागरूकता केंद्र स्थापित नहीं किए गए थे और राजस्थान डायन-प्रताडना निवारण नियम, 2016 के नियम 5 (v) के अनुसार स्वयंसेवी संस्थाओं को जागरूकता केन्द्रों की स्थापना के लिए प्रोत्साहित नहीं किया गया था।

मबावि विभाग, राजस्थान सरकार ने प्रारूप प्रतिवेदन (नवम्बर 2021) पर अपने प्रतिउत्तर (फरवरी 2022) में अवगत कराया कि साथिन के माध्यम से संवेदनशील क्षेत्रों में जागरूकता पैदा की जा रही थी।

3.4.5 राजस्थान राज्य महिला आयोग

जन सुनवाई के संचालन में पहल का अभाव

रारामआ जिला स्तर और राज्य स्तर पर महिला अधिकारिता विभाग, पुलिस विभाग और स्थानीय गैर सरकारी संगठनों की मदद से सार्वजनिक सुनवाई का आयोजन करता है, जिसमें पीड़ित महिलाओं से प्राप्त शिकायतों की मौके पर सुनवाई कर निस्तारण किया जाता है। रारामआ द्वारा जिले में आयोजित की जाने वाली जन सुनवाई के व्यापक प्रचार के लिए जिला प्रशासन और मअनि जिम्मेदार हैं।

2012-17 के दौरान, कुल 51 जन सुनवाई हुईं, जिसमें रारामआ द्वारा विभिन्न प्रकार की 3,208 शिकायतों पर चर्चा की गई और उत्तरदायी विभागों को उपयुक्त निर्देश दिए गए। तथापि, लेखापरीक्षा संवीक्षा में पाया गया कि 2013-17 के दौरान पांच जिलों (जयपुर, जालोर, करौली, सवाई माधोपुर और सिरोही) में और 2014-17 के दौरान 16 जिलों[63] में जन सुनवाई का आयोजन नहीं किया गया था।

राज्य सरकार ने अवगत कराया (फरवरी 2019) कि रारामआ एक राज्य स्तरीय कार्यालय है और संसाधन की कमी के कारण जिला स्तर से नीचे जन सुनवाई करना कठिन है।

आगे, रारामआ के अभिलेखों की संवीक्षा (अगस्त 2020) में पाया गया कि 2017-20 के दौरान रारामआ द्वारा कुल 10 जन सुनवाई हुई, जिसमें विभिन्न प्रकृति की 359 शिकायतों पर चर्चा की गई।

---

63 अजमेर, बांसवाड़ा, बारां, बाड़मेर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, धौलपुर, डूंगरपुर, जैसलमेर, झालावाड़, झुंझुनू, प्रतापगढ़, राजसमंद, सीकर और उदयपुर।

लेखापरीक्षा ने देखा कि 2013-20 के दौरान तीन जिलों (जालोर, सवाईमाधोपुर और सिरोही) में, 2014-20 के दौरान 8 जिलों[64] में, 2015-20 के दौरान एक जिला (चूरू) और 2017-20 के दौरान 11 जिलों[65] में कोई जन सुनवाई आयोजित नहीं की गई थी। राज्य में जुलाई 2018 से कोई जन सुनवाई नहीं हुई।

मबावि विभाग, राजस्थान सरकार ने प्रारूप प्रतिवेदनों (दिसम्बर 2020 एवं नवंबर 2021) पर अपने प्रतिउत्तरों (फरवरी 2021 एवं फरवरी 2022) में अवगत कराया कि जन सुनवाई आयोजित किया जाना आयोग के सदस्य सचिव/सदस्यों का विवेकाधिकार था। आगे, यह अवगत कराया कि सदस्य सचिव और सदस्यों के नामांकन न होने के कारण जन सुनवाई आयोजित करना संभव नहीं हो पाया। अक्टूबर 2018 से राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन भी नहीं किया गया था।

इस प्रकार, मअनि ने रारामआ और अन्य हितधारकों की मदद से जन सुनवाई के माध्यम से पूरे राज्य की पीड़ित महिलाओं तक पहुचने का अवसर भी गवां दिया। इसके अलावा, जिला स्तर से नीचे जन सुनवाई के संचालन के लिए भी प्रयास नहीं किए गए थे।

3.4.6 बुनियादी स्तर के प्रमुख कर्मियों द्वारा कर्तव्यों का निष्पादन

प्रचेता, खण्ड/पंचायत समिति स्तर के प्रमुख कार्मिक हैं जो ग्राम पंचायत स्तर पर साथिन के माध्यम से कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। बाल विवाह, दहेज प्रथा, घरेलू हिंसा और अन्य अत्याचारों, डायन-प्रताडना तथा लिंग भेदभाव को रोकने के उद्देश्य से लागू अधिनियमों और नियमों के विभिन्न प्रावधानों के बारे में समाज में जागरूकता उत्पन्न करने में, जाजम बैठक[66] का आयोजन करने में प्रचेता/साथिन की विशेष भूमिका है। दोनों कर्मी विभिन्न विशिष्ट योजनाओं से लाभ/राहत पाने के लिए पीड़ितों की सहायता करने के लिए भी जिम्मेदार हैं।

साथिनों को शिक्षित करने के प्रयासों में कमी

महिला अधिकारिता निदेशालय साथिनों को उनके कर्तव्यों तथा जिम्मेदारियों और महिलाओं से संबंधित विभिन्न अधिनियमों, नियमों और विनियमों से अवगत कराने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण पाठयक्रम आयोजित करने के लिए जिम्मेदार है।

लेखापरीक्षा के दौरान (अगस्त 2017-मई 2018) साथिनों द्वारा उनके लिए परिकल्पित भूमिकाओं[67] को निभाने के लिये किए गए प्रयासों के प्रभाव का आंकलन करने के लिए एक

---

64 बांसवाड़ा, बाड़मेर, धौलपुर, डूंगरपुर, जैसलमेर, प्रतापगढ़, राजसमंद और उदयपुर।

65 अलवर, भरतपुर, बीकानेर, दौसा, हनुमानगढ़, जोधपुर, कोटा, नागौर, पाली, श्रीगंगानगर और टोंक।

66 साथिन ग्राम पंचायत के प्रत्येक गाँव में प्रत्येक शुक्रवार को 'जाजम बैठक' का योजन करते हैं। साथिन महिलाओं को महिलाओं के विरूद्ध अपराध की रोकथाम, संरक्षण और निवारण के बारे में विभिन्न विभागों द्वारा कार्यान्वित विभिन्न कृत्यों और योजनाओं के बारे में जागरुक करेंगे।

67 विभिन्न अधिनियमों, कानूनों और योजनाओं, शिकायत निवारण, पुनर्वास और सहायता के प्रावधानों के बारे में जागरूकता पैदा करना।

सर्वेक्षण किया गया था। आठ नमूना जांच किए गए जिलों में 80 साथिनों से प्राप्त प्रतिक्रियाओं में बुनियादी स्तर की निष्फल स्थिति को दर्शाया हैः

- 71.25 प्रतिशत उनके क्षेत्र में मसुसकें के स्थान और कार्यों तथा बाल विवाह की रोकथाम के लिए नामित अधिकारियों के बारे में अवगत नहीं थी,
- 80.00 प्रतिशत को महिलाओं के विरूद्ध हिंसा से निपटने से संबंधित भादसं की धाराओं की जानकारी नहीं थी,
- 76.25 प्रतिशत विशेष और स्थानीय अधिनियमों के प्रावधानों के बारे में जागरूक नहीं थी,
- 87.50 प्रतिशत साथिनों (80 में से 70) ने बताया कि 2012-17 के दौरान उन्हें उनके कर्तव्यों और जिम्मेदारियों तथा महिलाओं से संबंधित विभिन्न अधिनियमों के प्रावधानों के बारे में प्रशिक्षण नहीं दिया गया था।
- उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने डायन-प्रताड़ना, बाल विवाह, दहेज प्रथा जैसी कुप्रथाओं को रोकने के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए कदम नहीं उठाये।

इसके अलावा, उनके अधिकार क्षेत्र में जनता को शिक्षित करने के लिए साथिनों द्वारा किए गए प्रयासों के प्रभाव का आंकलन करने हेतु लेखापरीक्षा द्वारा 14 ग्राम पंचायतों की (चयनित आठ जिलों की) 140 ग्रामीण महिलाओं का सर्वेक्षण किया गया था। सर्वेक्षण में पाया गया किः

- महिलाओं को न तो विभिन्न विशेष और स्थानीय कानूनों (52.86 प्रतिशत) और न ही भादसं की संबंधित धाराओं के तहत दंडनीय अपराधों (क्रमशः 54.29 प्रतिशत) के बारे में जानकारी थी।
- राजस्थान पीड़ित प्रतिकर योजना (70.71 प्रतिशत), कानूनी सहायता (70.00 प्रतिशत) और पैरा लीगल वालिंटियर्स (80.71 प्रतिशत) के माध्यम से उन्हें उपलब्ध सहायता और राहत के बारे में भी अवगत नहीं कराया गया था।

राज्य सरकार ने अवगत कराया (फरवरी 2019) कि महिलाओं और बालिकाओं से संबंधित विभिन्न अधिनियमों और कानूनों को शामिल करके 15 दिनों का पुनश्चर्या प्रशिक्षण तैयार किया जा रहा है। तद्नुसार, 2019-20 से सभी साथिनों को पुनश्चर्या प्रशिक्षण दिया जाएगा।

मअनि के अभिलेखों की संवीक्षा में (सितंबर 2020) पाया गया कि राज्य सरकार के दावों के विपरीत साथिनों के लिए पुनश्चर्या प्रशिक्षण कार्यक्रम 2019-20 के दौरान आयोजित नहीं किया गया था।

मबावि विभाग, राजस्थान सरकार ने प्रारूप प्रतिवेदन (दिसम्बर 2020) पर अपने प्रतिउत्तर (फरवरी 2021) में अवगत कराया कि साथिनों और ग्रामीण महिलाओं के सर्वेक्षण के लिए नमूना आकार अपर्याप्त था और नमूना आकार में बदलाव से सर्वेक्षण के परिणामों में बदलाव हो सकता है। इसके अलावा, यह अवगत कराया कि साथिनों की न्यूनतम योग्यता 10 वीं कक्षा पास थी

और इसलिए उनसे विभिन्न कानूनी प्रावधानों और अधिनियमों का ज्ञान होने की उम्मीद नहीं की जा सकती थी । यह अवगत कराया कि जुलाई-सितंबर 2020 के दौरान सभी साथिनों को ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रमों और एक दिन के पुनश्चर्या प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किया गया । उन्हें ई-मित्र प्लस मशीनों के बारे में भी प्रशिक्षित किया गया । साथिनों को अधिक प्रभावी बनाने के लिये उन्हें आंगनबाड़ी केंद्रों का उपयोग, उनके कार्यालय के रूप में करने की अनुमति दी गई और जिला अधिकारियों द्वारा विभागीय योजनाओं का ज्ञान भी समय-समय पर प्रदान किया जाता है ।

प्रत्युत्तर मान्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा ने उन तथ्यों को सामान्यकृत नहीं किया है जो सर्वेक्षण से सामने आए हैं । बल्कि, लेखापरीक्षा का उद्देश्य बुनियादी स्तर पर स्थिति को उजागर करना था, जिसके आधार पर विभाग बुनियादी स्तर के अधिकारियों जैसे साथिनों की क्षमता का पता लगाने के लिए स्वयं का गहन और व्यापक अध्ययन कर सकता था और तदनुसार उनके प्रशिक्षण कार्यक्रम में बदलाव ला सकता था । इसके अलावा, विभाग ने अपने पिछले उत्तर (फरवरी 2019) में सूचित किया कि 15 दिनों के लिए पुनश्चर्या प्रशिक्षण 2019-20 से संचालित किया जाएगा । इसके बावजूद विभाग ने जुलाई और अगस्त 2020 में केवल एक दिन के पुनश्चर्या प्रशिक्षण का आयोजन किया ।

इस प्रकार, साथिनों को सौंपे गए कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के बारे में उनका जागरूकता स्तर पर्याप्त नहीं था और तदनुसार महिलाओं को उनके लिए उपलब्ध सुरक्षा उपायों और सहायता के बारे में जानकारी नहीं थी ।

मबावि विभाग, राजस्थान सरकार ने प्रारूप प्रतिवेदन (नवम्बर 2021) पर अपने प्रतिउत्तर (फरवरी 2022) में अवगत कराया कि साथिनों को उनके काम की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए दिसंबर 2020, फरवरी, अप्रैल और जुलाई 2021 में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किए गए थे ।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

3.4.7 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961

जन जागरूकता सृजन के लिए पहल की कमी

अधिनियम के तहत नियुक्त मुख्य दहेज प्रतिषेध अधिकारी (मुदप्रअ) पूरे राज्य में दहेज प्रतिषेध से संबंधित कार्य के संचालन और समन्वय के लिए भी जिम्मेदार था । मुदप्रअ जनता के बीच चेतना और जागरूकता उत्पन्न करने के लिए भी जिम्मेदार होगा और दहेज प्रथा की बुराई को जड़ से नष्ट करने के उद्देश्य से कार्यक्रम तय करेगा ।

इसी प्रकार, जिला स्तर पर दहेज प्रतिषेध अधिकारी (दप्रअ) दहेज के विरुद्ध शिविरों का आयोजन करने, सूचना और प्रसारण विभाग, पंचायत समितियों और अन्य साधनों के माध्यमों से प्रचार कर जनता में जागरूकता उत्पन्न करने और दहेज की रोकथाम के लिए स्थानीय लोगों को शामिल करने के लिए जिम्मेदार थे ।

आयुक्त, सान्याअवि के अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि यद्यपि राज्य सरकार ने अधिनियम के तहत कार्यों का संचालन करने के लिए अतिरिक्त निदेशक, सान्याअवि और उप/सहायक निदेशक, सान्याअवि को क्रमशः मुदप्रअ (राज्य स्तर पर) और दप्रअ (जिला स्तर पर) के रूप में नामित किया (2004), धन की अनुपलब्धता के कारण राज्य में जन जागरूकता उत्पन्न करने के लिए कोई महत्वपूर्ण गतिविधि नहीं की गई । इसके अलावा, नमूना जाँच किये गये आठ जिलों के किसी भी दप्रअ ने 2012-17 के दौरान जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया । दप्रअ ने तथ्यों को स्वीकार किया और अवगत कराया (जुलाई-दिसम्बर 2017 और अप्रैल-मई 2018) कि जागरूकता कार्यक्रमों के आयोजन के लिए कोई धन राशि उपलब्ध नहीं कराई गई थी ।

राज्य सरकार ने अवगत कराया (दिसम्बर 2018) कि विभाग हर साल अक्टूबर में समाज कल्याण सप्ताह का आयोजन करता है जिसमें एक दिन जन चेतना दिवस के रूप में मनाया जाता है । इसके अलावा, प्रत्येक वर्ष 17 जुलाई को दहेज प्रतिषेध दिवस के रुप में मनाने और जन जागरूकता उत्पन्न करने के लिए निर्देश भी जारी किए गए थे ।

आगे निदेशक, सान्याअवि के अभिलेखों की संवीक्षा (सितम्बर 2020) में पाया गया कि समाज कल्याण सप्ताह और दहेज निषेध दिवस उत्सव प्रत्येक वर्ष आयोजन किये जाने को छोड़कर 2017-20 के दौरान अलग से धन उपलब्ध नहीं होने के कारण इस अधिनियम से संबंधित जन जागरूकता उत्पन्न करने के लिए कोई अन्य महत्वपूर्ण गतिविधि नहीं की गई थी । नमूना जांच किए गए आठ जिला कार्यालयों (अगस्त-सितंबर 2020 में जयपुर एवं टोंक और अगस्त-अक्टूबर 2021 में शेष छः) द्वारा इसी तरह की जानकारी प्रदान की गई थी ।

सान्याअवि, राजस्थान सरकार ने प्रारूप प्रतिवेदनों (दिसम्बर 2020 एवं नवंबर 2021) पर अपने प्रतिउत्तरों (जनवरी 2021 एवं फरवरी 2022) में अवगत कराया कि विभाग ने हर साल अक्टूबर में समाज कल्याण सप्ताह का आयोजन किया जिसमें एक दिन को सार्वजनिक चेतना दिवस के रूप में मनाया गया । इसके अलावा, प्रत्येक वर्ष 17 जुलाई को दहेज निषेध दिवस के रूप में मनाने और सार्वजनिक जागरूकता उत्पन्न करने के निर्देश भी जारी किए गए थे ।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि दहेज प्रतिषेध दिवस 2019 में आठ नमूना जाँच किये गये जिलों (कोटा को छोड़कर) में आयोजित नहीं किया गया था ।

इसके अलावा प्रतिउत्तर दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत उपलब्ध प्रावधानों, सुविधा या वैकल्पिक उपायों के सम्बन्ध में जन जागरूकता सृजन में विभाग के ठोस प्रयासों की कमी को दर्शाता है ।

बाल अधिकारिता विभाग

3.4.8 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012

(अ) जन जागरूकता सृजन के लिए पहल की कमी

पोक्सो अधिनियम की धारा 43 उपबंधित करती है कि आम जनता, बच्चों के साथ-साथ उनके

माता-पिता और अभिभावकों को अधिनियम के प्रावधानों से जागरुक करने के लिए टेलीविजन, रेडियो और प्रिंट मीडिया सहित मीडिया के माध्यम से नियमित अन्तराल पर व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाये।

निदेशक, बाल अधिकारिता विभाग और नमूना जांच की गई आठ जिला बाल संरक्षण इकाई के अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि विभाग ने नियमित अन्तराल पर टेलीविजन, रेडियो और प्रिंट मीडिया सहित मीडिया के माध्यम से जनता को जागरूक करने के लिए कोई गतिविधि आयोजित नहीं की।

राज्य सरकार ने अवगत कराया (फरवरी 2019) कि स्कूलों में विविध पुस्तकों का वितरण किया गया था और स्कूलों/पुलिस थानों में पोस्टर चिपकाए गए थे। हालांकि, इन पुस्तक वितरण गतिविधि और पोस्टर के उपयोग के बारे में विवरण लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराये गये। इसके अलावा निदेशक, बाअवि से प्राप्त सूचना (जुलाई 2017) के अनुसार, विभाग ने 2012-17 के दौरान टेलीविजन, रेडियो और प्रिंट मीडिया सहित मीडिया के माध्यम से जन जागरूकता के लिए कोई गतिविधि नहीं की। स्पष्ट रुप से, एक अनुकूल जन जागरूकता अभियान की योजना नहीं बनाई गई थी और इसे क्रियान्वित नहीं किया गया था।

निदेशक, बाल अधिकारिता विभाग की आगे की संवीक्षा करने पर (अगस्त 2020) यह पता चला कि किताबों, सन बोर्ड और रेलवे कोच पर स्टिकर के माध्यम से जागरूकता उत्पन्न की गई थी। हालांकि, इसकी पुष्टि करने वाली जानकारी लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराई गई थी। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह हैं कि एक व्यवस्थित योजना बनाने और क्रियान्वित करने की दिशा में केन्द्रित प्रयास का अभी भी अभाव था।

नमूना जांच किए गए आठ जिला बाल संरक्षण इकाईयों (अगस्त-सितंबर 2020 में जयपुर और टोंक और अगस्त-अक्टूबर 2021 में शेष छः) के अभिलेखों की आगे संवीक्षा में पाया गया कि विभाग ने 2017-20 के दौरान मीडिया के माध्यम से टेलीविजन, रेडियो और प्रिंट मीडिया सहित जन जागरूकता के लिए कोई गतिविधि नहीं की।

विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना से यह स्पष्ट है कि इस अधिनियम के महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में प्रचार बढ़ाने के लिए बहुत गुंजाइश थी।

बाअवि, राजस्थान सरकार ने प्रारूप प्रतिवेदनों (दिसम्बर 2020 एवं नवंबर 2021) पर अपने प्रतिउत्तरों (जनवरी 2021 एवं जनवरी 2022) में अवगत कराया कि जागरूकता सृजन एक सतत प्रक्रिया थी और इस प्रक्रिया में राज्य और केंद्र स्तरीय अनेक अन्य अभिकरण भी शामिल थे। पुस्तकें, पोस्टर्स और अन्य सूचना, शिक्षा एवं संचार सामग्री तैयार की गई तथा वितरित की गई, साथ ही संदेश एवं स्टीकर रेलवे कोच पर लगाए गए थे तथा विभाग के पास ऐसी गतिविधियों के संचालन के बारे में अभिलेख उपलब्ध थे। इसके अलावा, पिछले साल के दौरान इनमें से अधिकांश गतिविधियाँ प्रभावी रूप में की गई थीं।

लेखापरीक्षा विभाग द्वारा संचालित विभिन्न जागरूकता सृजन गतिविधियों को स्वीकार करता है। हालांकि, विभाग ने मीडिया के माध्यम से टेलीविजन, रेडियो और प्रिंट मीडिया सहित,

आयोजित जागरूकता कार्यक्रमों और लक्षित जनसंख्या पर उनके प्रभाव के बारे में अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये।

(ख) सरकारी अधिकारियों के लिए आवधिक प्रशिक्षण का आयोजन नहीं करना

पोक्सो अधिनियम की धारा 43 (ख) के अनुसार, राज्य सरकार के अधिकारियों और अन्य संबंधित व्यक्तियों (पुलिस अधिकारियों सहित) को अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन से संबंधित मामले पर आवधिक प्रशिक्षण दिया जाना अपेक्षित था।

निदेशक, बाल अधिकारिता विभाग के अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि 2012-17 के दौरान अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन से संबंधित आवधिक प्रशिक्षणों का आयोजन, अप्रैल 2015 में एक दिन के प्रशिक्षण कार्यक्रम को छोड़कर, नहीं किया गया था।

राज्य सरकार ने अवगत कराया (फरवरी 2019) कि राजस्थान लोक प्रशासन संस्थान के माध्यम से नवंबर 2016 से जनवरी 2019 तक 71 प्रशिक्षण कार्यक्रम/उन्मुखीकरण आयोजित किए गये थे। यद्यपि उत्तर के समर्थन में, पोक्सो पर पुलिस कर्मियों और संबंधित अन्य व्यक्तियों के प्रशिक्षण से संबंधित अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये।

आगे निदेशक, बाल अधिकारिता विभाग के अभिलेखों की जांच से पता चला (अगस्त 2020) कि अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन से संबंधित आवधिक प्रशिक्षण 2017-20 के दौरान आयोजित नहीं किए गए थे। बाल अधिकारिता विभाग ने अवगत कराया (अगस्त 2020) कि 39 प्रशिक्षण/कार्यशालायें आयोजित की गई। हालांकि, प्रत्युत्तर को प्रमाणित करने के लिए सम्पूर्ण अवधि (2012-2020) के दौरान पोक्सो पर पुलिस कर्मियों और अन्य संबंधित प्राधिकारियों के प्रशिक्षण से संबंधित अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये।

बाअवि, राजस्थान सरकार ने प्रारूप प्रतिवेदनों (दिसम्बर 2020 एवं नवंबर 2021) पर अपने प्रतिउत्तरों (जनवरी 2021 एवं जनवरी 2022) में अवगत कराया कि पोक्सो पर प्रशिक्षण/कार्यशालाएं आयोजित की गई। प्रशिक्षण की जरूरतों को पूरा करने के लिए हरीश चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान जयपुर[68] के सहयोग से बाल संसाधन केन्द्र (एक पृथक संस्थान) की भी स्थापना की गई थी। इसमें कहा गया है कि केंद्र द्वारा 153 प्रशिक्षण/कार्यशालाएँ और 118 विशेष सत्र आयोजित किए गए थे एवं आयोजित प्रशिक्षणों से संबंधित आंकडें लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराये गये थे। यह भी अवगत कराया कि पोक्सो और बाल यौन उत्पीड़न संबंधी कार्य विभिन्न एजेंसियों यथा पुलिस, न्यायपालिका, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, मेडिकल इत्यादि के बीच विस्तारित था और इन सभी एजेंसियों/अभिकरणों द्वारा लगातार प्रशिक्षण आयोजित कर प्रशिक्षण प्रदान किये जा रहे हैं।

प्रत्युत्तर मान्य नहीं है क्योंकि आयोजित प्रशिक्षणों का पूर्ण विवरण यथा प्रशिक्षण की अनुसूची, प्रशिक्षित कार्मिकों का नाम, प्रशिक्षण पर किए गए व्यय आदि लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराये

68 हरीश चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान

गये थे। इसलिए, विशेष रूप से पोक्सो पर प्रशिक्षण प्राप्त किये गये विभागीय कार्मिकों के विवरण को लेखापरीक्षा द्वारा सत्यापित नहीं किया जा सका।

इस प्रकार, लेखापरीक्षा 2012-20 के दौरान पोक्सो अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के बारे मे जागरूकता उत्पन्न करने, समाज में सूचना प्रसारित करने और सरकारी कार्मिको को संवेदनशील बनाने में विभाग द्वारा किये गये प्रयासों के बारे में दावों को सत्यापित करने में असमर्थ है।

पुलिस (गृह विभाग)

3.4.9 जन जागरूकता सृजन के लिए पहल की कमी

(क) प्रशिक्षण में महिलाओं के विरूद्ध अपराध के विषय को ठीक से शामिल न करना

नव नियुक्त कांस्टेबलों, हैड कांस्टेबलों और सहायक उप निरीक्षकों को बुनियादी प्रशिक्षण और पुनश्चर्या पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए पुलिस प्रशिक्षण स्कूल (पीटीएस), खेरवाड़ा और भरतपुर की स्थापना की गई।

कमाण्डेंट, पुलिस प्रशिक्षण स्कूल, खेरवाड़ा और भरतपुर के अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि प्रशिक्षण स्कूलों द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के पाठ्यक्रम में महिलाओं के विरूद्ध अपराध पर स्थानीय एवं विशेष अधिनियमों से संबंधित विषय शामिल नहीं थे।

राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया और अवगत कराया (मार्च 2019) कि बुनियादी/पुनश्चर्या/पदोन्नति संवर्ग पाठ्यक्रम में महिलाओं के विरूद्ध अपराध पर स्थानीय एवं विशेष अधिनियमों से संबंधित विषयों को सम्मिलित करने के लिए सहायक पुलिस महानिरीक्षक (प्रशिक्षण मुख्यालय), जयपुर को निर्देश जारी कर दिये गए हैं (नवम्बर 2018)।

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (प्रशिक्षण) से जवाब (सितम्बर 2020)प्राप्त हुआ कि केवल “डायन प्रताडना निवारण अधिनियम, 2015” विषय पर कांन्स्टेबल से हैड कांस्टेबल रैंक पर पदोन्नत किये गए कार्मिकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम के पाठयक्रम में शामिल किया गया था। इसके अलावा, यह देखा गया कि बुनियादी/पुनश्चर्या/पदोन्नति संवर्ग पाठयक्रम के व्याख्यान में महिलाओं के विरूद्ध अपराध के लिए विशेष और स्थानीय कानूनों से सम्बंधित विषय (उक्त अधिनियम के अलावा) शामिल नहीं थे।

कमाण्डेंट, पीटीएस, खेरवाड़ा ने (अक्टूबर 2020) बताया कि घरेलू हिंसा, कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न और पोक्सो से संबंधित विषय कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल के लिए पुनश्चर्या पाठयक्रम के व्याख्यान में शामिल किये गये है।

गृह विभाग, राजस्थान सरकार ने प्रारूप प्रतिवेदन (दिसम्बर 2020) पर अपने प्रतिउत्तर (फरवरी 2021) में अवगत कराया कि 2020 के दौरान 439 पाठ्यक्रमों का आयोजन किया गया जिसमें 1852 अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया। हालांकि, खेरवाड़ा और भरतपुर के पुलिस प्रशिक्षण स्कूलों में महिलाओं के विरूद्ध अपराध से संबंधित विषयों के कम शामिल करने के संबंध में उत्तर उपलब्ध नहीं कराया गया।

(ख) अपने छात्र को जाने–अपनी पुलिस को जाने (केवाईएस–केवाईपी) कार्यक्रम

पुलिस और छात्रों के बीच विश्वास और संवाद स्थापित करने के माध्यम से छात्रों के विरूद्ध यौन उत्पीड़न, हमले और अत्याचार की घटनाओं का मुकाबला करने के लिए पुलिस विभाग द्वारा एक जागरूकता कार्यक्रम 'अपने छात्र को जाने-अपनी पुलिस को जाने' (केवाईएस-केवाईपी) शुरू (2013) किया गया था । इस कार्यक्रम के तहत, राजस्थान के विभिन्न विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में पढ़ने वाले 1.21 करोड़ छात्रों (45.80 प्रतिशत छात्राऐं) को महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षण से संबंधित विभिन्न अधिनियमों और नियमों से संबंधित जानकारी का प्रसार किया जाना था (2019-20)।

नमूना जाँच किए गए 11 पुलिस जिलों में से, टोंक को छोड़कर किसी भी जिले में केवाईएस-केवाईपी कार्यक्रम प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया गया था, जहां 2015 और 2016 के दौरान जागरूकता कार्यक्रम के तहत 2.40 लाख छात्र (2015: 1.91 लाख छात्र और 2016: 0.49 लाख छात्र) शामिल किए गए थे। लेखापरीक्षा के दौरान, आठ पुलिस अधीक्षकों ने स्वीकार किया (अप्रैल 2017-मई 2018) कि उन्होंने कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं किया। तथापि, दो पुलिस अधीक्षकों (कोटा शहर और भरतपुर) ने सूचित किया (अक्टूबर 2017 और मई 2018) कि जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए थे लेकिन अभिलेख संधारित नहीं किये गए, इसलिए, उनके उत्तरों की लेखापरीक्षा में पुष्टि नहीं की जा सकी।

राज्य सरकार ने अवगत कराया (मार्च 2019) कि केवाईएस-केवाईपी कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सभी पुलिस अधीक्षकों/पुलिस उपायुक्तों को निर्देश (जुलाई 2018) जारी किये गये थे और 2018 के दौरान, राज्य में 4.71 लाख छात्रों को इस कार्यक्रम के तहत शामिल किया गया था। हालांकि, तथ्य यह है कि राज्य के कुल छात्रों में से 95.56 प्रतिशत (106.15 लाख छात्रों में से) अभी भी इस कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल नहीं किये गये थे।

नमूना जाँच किये 11 पुलिस जिलों (जयपुर पूर्व, जयपुर पश्चिम, जयपुर ग्रामीण तथा टोंक अगस्त-सितम्बर 2020 में एवं शेष सात पुलिस जिलों में अगस्त-अक्टूबर 2021 में) के अभिलेखों की आगे संवीक्षा में प्रकट हुआ कि नमूना जाँच किये गये छः पुलिस जिलों में 35.91 लाख में से केवल 0.90 लाख छात्रों[69] ने केवाईएस/केवाईपी कार्यक्रम में भाग लिया था और 2017-20 के दौरान पांच पुलिस जिलों[70] में कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया था। नमूना जाँच किए गए पुलिस जिलों द्वारा केवाईएस/केवाईपी कार्यक्रम से संबंधित अभिलेख अभी भी संधारित नहीं किए गए थे।

गृह विभाग, राजस्थान सरकार ने प्रारूप प्रतिवेदन (दिसम्बर 2020) पर अपने प्रतिउत्तर (फरवरी 2021) में अवगत कराया कि केवाईएस-केवाईपी कार्यक्रम के अन्तर्गत, पुलिस द्वारा

---

69 जयपुर-पश्चिमः 2,935; जयपुर-ग्रामीणः 5,595; टोंकः 7,860; कोटा शहरः 1,840; बारांः 9,317 तथा भरतपुरः 62,350

70 जयपुर-पूर्व; कोटा-ग्रामीण; पाली; उदयपुर तथा प्रतापगढ़

स्कूलों/कॉलेजों में अध्ययनरत 2.74 लाख (2018) और 1.93 लाख (2019) छात्रों को विधि/अधिकारों के बारे में जागरूक किया गया था।

प्रत्युत्तर मान्य नहीं है क्योंकि विभाग द्वारा नमूना जांच किए गए जिलों के स्कूलों/कॉलेजों में आयोजित केवाईएस/केवाईपी कार्यक्रमों का ब्यौरा प्रस्तुत नहीं किया था।

(ग) आत्मरक्षा कौशल कार्यक्रम

कठिन परिस्थितियों में लड़कियों को खुद का बचाव करने के लिये प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राज्य में अगस्त 2014 में 'आत्मरक्षा कौशल कार्यक्रम' शुरू किया गया था।

अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा में पाया गया कि फरवरी 2018 तक राज्य में आत्मरक्षा कौशल कार्यक्रम में 2.95 लाख बालिकाओं ने भाग लिया था। इसके अतिरिक्त, परीक्षण किए गए 11 पुलिस जिलों की नमूना जांच में पाया गया कि कार्यक्रम के तहत केवल 0.65 लाख छात्राओं[71] (14.07 लाख में से) को आत्मरक्षा प्रशिक्षण प्रदान किया गया था।

राज्य सरकार ने अवगत कराया (मार्च 2019) कि राज्य में 'आत्मरक्षा कौशल कार्यक्रम' लागू किया गया और दिसम्बर 2018 तक 3.47 लाख छात्राओं को प्रशिक्षण दिया गया। तथ्य यह है कि राज्य में 92.66 प्रतिशत योग्य बालिकाओं को अभी भी प्रशिक्षण प्रदान किया जाना था।

नमूना जांच किए गए 11 पुलिस जिलों (जयपुर पूर्व, जयपुर पश्चिम, जयपुर ग्रामीण तथा टोंक अगस्त-सितम्बर 2020 में एवं शेष सात पुलिस जिलों में अगस्त-अक्टूबर 2021 में) के अभिलेखों की आगे संवीक्षा में प्रकट हुआ कि 2017-20 के दौरान 16.62 लाख में से केवल 0.46 लाख छात्राओं[72] को 10 नमूना जांच किये गये पुलिस जिलों में आत्मरक्षा कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया गया था तथा जयपुर-पश्चिम में छात्रों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया।

गृह विभाग, राजस्थान सरकार ने प्रारूप प्रतिवेदन (दिसम्बर 2020) पर अपने प्रतिउत्तर (फरवरी 2021) में अवगत कराया कि आत्मरक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत 0.68 लाख (2018), 0.85 लाख (2019) और 0.13 लाख (2020) छात्राओं को पुलिस ने आत्मरक्षा के लिए प्रशिक्षित किया था। इसके अलावा, 0.22 लाख (जयपुर-ग्रामीण), 0.02 लाख (टोंक) तथा 0.05 लाख (जयपुर आयुक्तालय) छात्राओं को आत्मरक्षा के लिए प्रशिक्षित किया गया था।

राज्य सरकार ने जयपुर पूर्व और जयपुर पश्चिम में छात्राओं के आत्मरक्षा कार्यक्रम का विवरण उपलब्ध नहीं कराया। इसके अलावा, जयपुर-ग्रामीण और टोंक में आयोजित आत्मरक्षा प्रशिक्षण

---

71 उदयपुर (2,461); जयपुर पूर्व (475); कोटा ग्रा,मीण (4,039); प्रतापगढ़ (2,153); बारां (2,989); टोंक (2,789); जयपुर ग्रामीण (40,184); भरतपुर (2,218) एवं पाली (8,057)।

72 जयपुर-पूर्वः 2,273; जयपुर-ग्रामीणः 14,825 टोंकः 125; उदयपुरः 1,949; कोटा शहरः 1,840; कोटा ग्रामीणः 9,898; प्रतापगढ़ः 540; बारांः 7,689; भरतपुरः1,606 तथा पालीः 4,822।

कार्यक्रम का विवरण जो उत्तर के साथ प्रस्तुत किया गया, वह लेखापरीक्षा के दौरान उपलब्ध कराये गए विवरण के साथ मेल नहीं खाता।

(घ) चालकों एवं परिचालकों में जागरूकता उत्पन्न करना

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (नागरिक अधिकार) जयपुर ने सभी पुलिस थानों को उनके क्षेत्राधिकार में आने वाले बस/टैक्सी चालकों और परिचालकों के डाटाबेस संधारित करने और अपराध की रोकथाम, विशेष तौर पर महिलाओं एवं बालिकाओं के विरूद्ध, के बारे में जागरूक करने हेतु बसों एवं टैक्सियों के चालकों और परिचालकों के साथ मासिक बैठकें आयोजित करने के लिए निर्देश जारी किए (मार्च और नवंबर 2016)।

अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा में पाया गया कि नमूना जांच किए गए 11 पुलिस जिलों में कार्यक्रम लागू नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, नमूना जांच किये गये 36 पुलिस थानों (पुथा) में भी यह पाया गया कि उनके क्षेत्राधिकार में आने वाले बस/टैक्सी चालकों और परिचालकों का डाटाबेस पुलिस थानों में नहीं था।

राज्य सरकार ने अवगत कराया (मार्च 2019) कि सभी पुलिस अधीक्षकों/पुलिस उपायुक्तों को बसों एवं टैक्सियों के चालकों और परिचालकों के साथ बैठकें आयोजित करने अपराध की रोकथाम, विशेषकर महिलाओं और बालिकाओं के विरूद्ध, के बारे में जागरूक करने के लिए निर्देश जारी (जुलाई 2018) किए गए हैं।

नमूना जाँच किए गए 11 पुलिस जिलों (जयपुर पूर्व, जयपुर पश्चिम, जयपुर ग्रामीण तथा टोंक अगस्त-सितम्बर 2020 में एवं शेष सात पुलिस जिलों में अगस्त-अक्टूबर 2021 में) के अभिलेखों की आगे संवीक्षा में प्रकट हुआ कि 2017-20 की अवधि में यह कार्यक्रम अभी भी नमूना जांच किये गये पाँच पुलिस जिलों (जयपुर-पूर्व, जयपुर-ग्रामीण, कोटा शहर, कोटा ग्रामीण तथा उदयपुर) में क्रियान्वित नहीं किया जा रहा था। इसके अलावा नमूना जाँच किये गये छः पुलिस जिलों ने कार्यशाला के माध्यम से 5,546 चालकों एवम् परिचालकों[73] को विशेष रूप से महिलाओं और बालिकाओं के विरूद्ध अपराध की रोकथाम के बारे में जागरूक करने हेतु प्रशिक्षित किया।

36 नमूना जाँच किए गए पुलिस थानों (10 पुलिस थाने चार जिलों, जयपुर पूर्व, जयपुर पश्चिम, जयपुर ग्रामीण तथा टोंक में अगस्त-सितम्बर 2020 में एवम् शेष 26 पुलिस थाने सात पुलिस जिलो में अगस्त-अक्टूबर 2021 में) के अभिलेखों की आगे संवीक्षा में प्रकट हुआ कि इन पुलिस थानों द्वारा 2017-20 के दौरान पुलिस थाना *नरेना* (जयपुर-ग्रामीण), *सांडेराव* (पाली), *भीमगंज मंडी* (कोटा शहर) को छोड़कर बैठकों का आयोजन नहीं किया गया था। पांच पुलिस थानों *ओगणा* (उदयपुर), *प्रतापगढ़, परसोला* (प्रतापगढ़), *सदर* (टोंक) और *ट्रांसपोर्ट नगर* (जयपुर पूर्व) ने अवगत कराया की बैठकों का आयोजन किया गया था, तथापि साक्ष्य हेतु दस्तावेज़ लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराये गये।

---

73 5,546 चालक एवं परिचालकः (जयपुर पश्चिमः 2,891; टोंकः 149; बारांः 441; प्रतापगढः 448; पालीः 542 तथा भरतपुरः 1,075)।

गृह विभाग, राजस्थान सरकार ने प्रारूप प्रतिवेदन (दिसम्बर 2020) पर अपने प्रतिउत्तर (फरवरी 2021) में अवगत कराया कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए जागरूकता के सृजन और अभिलेखों के रखरखाव के संबंध में चालकों/परिचालकों के साथ बैठकें आयोजित करने के लिए पुलिस अधीक्षकों/पुलिस उपायुक्तों को निर्देश जारी (जुलाई 2018) किए गए थे । इसके अलावा, महिलाओं के लिए सुगम व सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए सभी परिवहन वाहनों में पैनिक बटन लगाए जा रहे थे ।

लेखापरीक्षा का मत है कि पूर्व अनुभव से ज्ञात होता है कि निर्देश जारी करना तब तक इच्छित उद्देश्य की पूर्ति नहीं करेगा जब तक कि उचित अनुवर्ती कार्रवाई और निगरानी न हो ।

3.4.10 राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण विनियम 1999 के उपबंधों के अनुसार, समाज में विशेष रूप से महिलाओं और समाज के कमजोर वर्गों में विधिक जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक जिला और तालुक स्तर पर एक विधिक जागरूकता समिति गठित करने की आवश्यकता थी । समिति को विधिक साक्षरता शिविरों का आयोजन, विधिक जागरूकता के लिए पर्चे, पुस्तिकाएं और अन्य समाचार पत्र प्रकाशित/वितरित करना, विधिक जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए पैरा लीगल क्लीनिक स्थापित और नियंत्रित करना था । इन समितियों के सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष निर्धारित किया गया है ।

इसके अलावा, संगोष्ठियों/विधिक साक्षरता शिविरों की आवृति बढ़ाने के उद्देश्य से जिला और तालुक स्तर पर दो अधिवक्ताओं और दो पैरा लीगल वोलेंटीयर्स (पीएलवी) वाले विधिक जागरुकता दलों के सृजन के लिए राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने दिशा-निर्देश जारी किए (जुलाई 2012 और जुलाई 2018) । इन समितियों/दलों को संबंधित विधिक सेवा प्राधिकरणों के निर्देशों के अंतर्गत कार्य करना अपेक्षित था ।

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और नमूना जांच किये गये जिला विधिक सेवा प्राधिकरण[74] के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा में निम्न दृष्टिगत हुआः

(क) विधिक जागरूकता समितियों का गठन नहीं करना

2012-19 के दौरान विधिक जागरूकता समितियों का अंसतत गठन किया गया था । लेखापरीक्षा के दौरान संवीक्षा में पाया गया (अगस्त 2020) कि सितम्बर 2019 में उनकी दो साल की समय-सीमा पूरे होने के बाद भी राज्य में जिला और तालुका स्तर की जागरूकता समितियों का पुनर्गठन नहीं किया गया था ।

नमूना जांच किये गये आठ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में 2012-14 में दौरान जागरूकता समितियों द्वारा आयोजित बैठकों के अभिलेख लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराये गये थे । नमूना

74 लेखापरीक्षा अवधि 2012-20 के लिएः 9 जांच किये गये जिविसेप्रा (टोंक, कोटा, बारां, उदयपुर, प्रतापगढ़, भतरपुर, जयपुर जिला, जयपुर मेट्रो और पाली) ।

जांच किये आठ जिविसेप्रा[75] के सचिवों द्वारा (अगस्त 2017 और जनवरी-मई 2018) सूचित किया गया कि समितियां कार्यरत नहीं थी तथा अभिलेख संधारित नहीं थे।

नमूना जांच किये गये नौ जिविसेप्रा (तीन जिविसेप्रा जयपुर मेट्रो, जयपुर जिला और टोंक अगस्त-सितंबर 2020 में और शेष छः जिविसेप्रा अगस्त-अक्टूबर 2021 में) के अभिलेखों की आगे संवीक्षा में पाया गया कि 2017-20 के दौरान दो जिविसेप्रा जयपुर मेट्रो और प्रतापगढ़ द्वारा बैठकें आयोजित नहीं की गई थी। इसके अलावा, 2017-20 के दौरान सात जिविसेप्रा द्वारा निर्धारित 84 बैठकों[76] में से कुल मिलाकर केवल 20 बैठकें[77] आयोजित की गईं। इंगित किये जाने पर, जयपुर जिला, जयपुर मेट्रो और टोंक जिविसेप्रा ने अगस्त-सितंबर 2020 में और कोटा, पाली और बारां ने अगस्त-अक्टूबर 2021 में बैठकों के नहीं/कम आयोजन के लिए तथ्यों को स्वीकार किया। शेष तीन जिविसेप्रा भरतपुर, उदयपुर एवं प्रतापगढ़ ने उत्तर प्रस्तुत नहीं किया।

यह पता चला (अगस्त 2021) कि राज्य के सभी जिविसेप्रा में अगस्त 2021 में जिला कानूनी जागरूकता समितियों का पुनर्गठन कर दिया था।

विधि और विधिक विभाग, राजस्थान सरकार ने प्रारूप प्रतिवेदन (दिसम्बर 2020) पर अपने प्रतिउत्तर (जनवरी 2021) में अवगत कराया कि 35 जिविसेप्रा में जिला विधिक सेवा समितियों का गठन सितंबर 2017 में किया गया था और अवगत कराया कि विभिन्न स्तरों पर विधिक जागरूकता समितियों की स्थापना प्रक्रियाधीन थी।

हालांकि, विभाग ने विधिक जागरूकता समितियों के तालुका स्तर पर गठन के संबंध में कोई उत्तर नहीं दिया और न ही सितंबर 2019 में उनकी दो साल की अवधि पूरी होने के बाद भी राज्य में जागरूकता समितियों का पुनर्गठन नहीं किये जाने की सूचना प्रस्तुत की।

(ख) विधिक जागरूकता दल

लेखापरीक्षा के दौरान जिला/तालुक स्तर के विधिक जागरूकता दलों के गठन में कमी पाई गई। राज्य स्तर (मार्च 2017) के साथ-साथ नमूना जांच किए गए जिलों में (मार्च 2020) कमी की सीमा को **चार्ट** 17 में नीचे दर्शाया गया हैं। गौरतलब हैं कि मार्च 2017 तक जालौर को छोड़कर सभी जिलों में जिला स्तरीय जागरूकता दलों का गठन किया गया था।

75 टोंक, कोटा, बारां, उदयपुर, प्रतापगढ़, भरतपुर, जयपुर जिला और पाली।

76 84 बैठकें: (जयपुर जिला-12 बैठकें; टोंक-12 बैठकें; बारां-12 बैठकें; उदयपुर-12 बैठकें; भरतपुर-12 बैठकें; कोटा-12 बैठकें और पाली-12 बैठकें)।

77 20 बैठकें: (जयपुर जिला-चार बैठकें; टोंक-चार बैठकें; कोटा-एक बैठक; बारां-तीन बैठकें; उदयपुर-चार बैठकें; भरतपुर-दो बैठकें; और पाली-दो बैठकें)।

चार्ट 17: राज्य में जिला/तालुका स्तर की जागरूकता टीमों का गठन

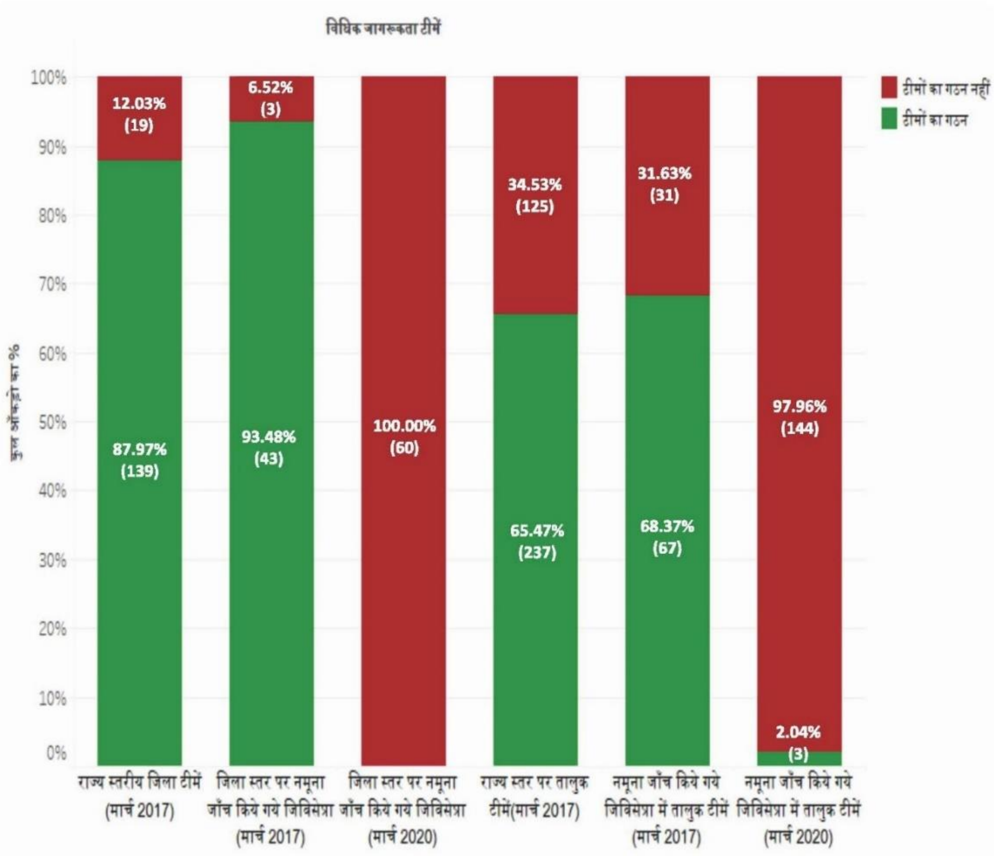

इंगित करने पर जिविसेप्रा जयपुर जिला, कोटा और उदयपुर ने बताया (सितम्बर 2017 से जनवरी 2018) कि तालुका स्तरीय टीमों का गठन नहीं किया गया था क्योंकि पैरा लीगल वालंटियर्स ने गतिविधियों में रूचि नहीं ली।

नमूना जांच किये गये नौ जिविसेप्रा (तीन जिविसेप्रा जयपुर मेट्रो, जयपुर जिला और टोंक अगस्त-सितंबर 2020 में और शेष छः जिविसेप्रा अगस्त-अक्टूबर 2021 में) के अभिलेखों की आगे संवीक्षा में पाया गया कि नमूना जांच किए गए किसी भी जिविसेप्रा में 2019-20 के दौरान विधिक जागरूकता टीम नहीं थी। इसी प्रकार, नमूना जांच किए गए सभी नौ जिविसेप्रा में तालुक स्तर पर निर्धारित 147 विधिक जागरूकता टीमों में से कोई भी कार्य नहीं कर रहीं थी, सिवाय उदयपुर के जहां 2019-20 में तीन टीम कार्य कर रही थी।

इंगित किए जाने पर, जयपुर जिला और टोंक जिविसेप्रा ने अगस्त-सितंबर 2020 में और कोटा, पाली, प्रतापगढ़ और उदयपुर ने अगस्त-अक्टूबर 2021 में विधिक जागरूकता टीमों के नहीं/कम गठन पर तथ्यों को स्वीकार किया। शेष तीन जिविसेप्रा जयपुर मेट्रो, भरतपुर एवं बारां ने उत्तर प्रस्तुत नहीं किया।

विधि और विधिक विभाग, राजस्थान सरकार ने प्रारूप प्रतिवेदन (दिसम्बर 2020) पर नमूना जांच किए गए जिविसेप्रा और राराविसेप्रा में विधिक जागरूकता टीमों के गठन तथा कार्यप्रणाली के बारे में में कोई उत्तर नहीं दिया।

(ग) विधिक साक्षरता शिविरों के संबंध में कमियाँ

विधिक जागरूकता समितियों/टीमों को समाज में विधिक जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए 'विधिक साक्षरता शिविरों' का आयोजन करने की आवश्यकता थी। सदस्य सचिव, राराविसेप्रा ने (जुलाई 2012) जिविसेप्रा को कानून के विभिन्न विषयों पर लोगों में जागरूकता उत्पन्न करने, शिकायतें प्राप्त करने और स्थानीय समस्याओं, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों से संबंधित, की पहचान करने के संबंध में निर्देश जारी किए।

यह भी देखा गया कि घरेलू हिंसा अधिनियम, बाल श्रम, पोक्सो अधिनियम, आत्मरक्षा की तकनीक, पीसीपीएनडीटी अधिनियम, बाल तस्करी की रोकथाम आदि से संबंधित मुद्दे विधिक साक्षरता शिविरों में शामिल थे। हालांकि 'स्त्री अशिष्ट रूपण' और 'डायन-प्रताड़ना' से संबंधित मुद्दों को विधिक साक्षरता शिविरों में शामिल नहीं किया गया क्योंकि इन विषयों को 2012-17 के दौरान राराविसेप्रा की वार्षिक कार्य योजनाओं में शामिल नहीं किया गया था। इसके अलावा, नौ नमूना जांच किये गये जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से ज्ञात हुआ किः

- उनमें से किसी के द्वारा भी 2012-17 के दौरान विधिक सेवाओं के कार्यक्रमों के विभिन्न पहलुओं के बारे में वीडियो/वृत्तचित्र फिल्मों के माध्यम से प्रचार नहीं किया गया था।

- नमूना जांच किए गए नौ जिविसेप्रा (तीन जिविसेप्रा जयपुर मेट्रो, जयपुर जिला और टोंक अगस्त-सितंबर 2020 में और शेष छः जिविसेप्रा अगस्त-अक्टूबर 2021 में) के अभिलेखों की आगे की संवीक्षा में पता चला कि इनमें से किसी ने भी 2017-20 के दौरान वीडियो/वृत्तचित्र फिल्मों के माध्यम से विधिक सेवाओं के कार्यक्रमों के विभिन्न पहलुओं के बारे में प्रचार-प्रसार नहीं किया। जिविसेप्रा जयपुर जिला, जयपुर मेट्रो और टोंक ने अगस्त-सितंबर 2020 में और उदयपुर, प्रतापगढ़, कोटा, बारां, भरतपुर और पाली ने अगस्त-अक्टूबर 2021 में तथ्यों को स्वीकार किया।

- राराविसेप्रा की वार्षिक कार्य योजनाओं के अनुसार बच्चों और महिलाओं के अधिकार के मुद्दों पर उच्च विद्यालयों और महाविद्यालयों में विधिक साक्षरता कक्षाएं वार्षिक आयोजित की जानी थीं। इस आवश्यकता के विरूद्ध 2012-15 के दौरान, दो जिविसेप्रा (भरतपुर और जयपुर जिले) द्वारा विधिक साक्षरता कक्षाएं आयोजित नहीं की गई।

- आगे, लेखापरीक्षा द्वारा (अगस्त-सितंबर 2020) पूछे जाने पर जिविसेप्रा, जयपुर जिला द्वारा 2018-20 के दौरान विधिक साक्षरता कक्षाओं के संचालन से संबंधित जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई।

- प्रतिवर्ष महिला दिवस के अवसर पर विधिक साक्षरता शिविरों का आयोजन किया जाना अपेक्षित था, लेकिन जयपुर जिले (2012-16 के दौरान), भरतपुर (2014-15 के दौरान) और पाली (2014-16 के दौरान) में जिविसेप्रा द्वारा शिविरों का आयोजन नहीं किया गया।

- नमूना जांच किए गए नौ जिविसेप्रा (तीन जिविसेप्रा जयपुर मेट्रो, जयपुर जिला और टोंक अगस्त-सितंबर 2020 में और शेष छः जिविसेप्रा अगस्त-अक्टूबर 2021 में) के द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना से पता चला कि प्रतिवर्ष महिला दिवस के अवसर पर विधिक साक्षरता शिविरों का आयोजन किया जाना अपेक्षित था, लेकिन जिविसेप्रा जयपुर मेट्रो द्वारा 2017-18 के दौरान कोई शिविर आयोजित नहीं किया गया था। यद्यपि, शेष आठ नमूना जाँच किये गये जिविसेप्रा में शिविरों का आयोजन किया गया था।

विधि और विधिक विभाग, राजस्थान सरकार ने प्रारूप प्रतिवेदन (दिसम्बर 2020) पर अपने प्रतिउत्तर (जनवरी 2021) में अवगत कराया कि जनवरी 2016 से मार्च 2020 की अवधि के दौरान 1,02,276 विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किए गए एवं 1,50,94,827 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया। राज्य सरकार ने नमूना जांच किए गए जिविसेप्रा और राराविसेप्रा के आक्षेपों के संबंध में कोई जवाब नहीं दिया।

निष्कर्ष

लेखापरीक्षा निष्कर्षों ने महिलाओं के विरूद्ध हिंसा और अत्याचार के बारे में समाज में जागरूकता उत्पन्न करने और पीड़ितों के पुनर्वास के लिए अपर्याप्त प्रयासों को इंगित किया हैं। घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा, बाल विवाह, कार्यस्थलों पर लैंगिक उत्पीड़न, डायन प्रताडना, दहेज प्रतिषेध और यौन अपराधों से बालकों के संरक्षण के बारे में पर्याप्त लिंग संवेदीकरण/जागरूकता प्रशिक्षण का संचालन नहीं किया गया।

पीड़ितों की शिकायतों के निवारण के प्रयासों में कमी थी क्योंकि लेखापरीक्षा की पूरी अवधि के दौरान जिलों में पीड़ित महिलाओं की शिकायतों के त्वरित निपटान के लिए मौके पर सुनवाई के माध्यम से जन सुनवाई का संचालन बहुत कम था।

ग्राम पंचायत स्तर पर साथिनें जानकारी के अभाव के कारण जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से जागरूकता सृजन करने में सक्षम नहीं थी। जागरूकता पहल जैसे कि 'अपने छात्र को जाने/अपनी पुलिस को जाने (केवाईएस/केवाईपी) कार्यक्रम', आत्मरक्षा कौशल एवं बसों/टैक्सी के चालकों/परिचालकों के साथ बैठक को प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया गया।

अनुशंसा

9. राज्य सरकार को महिलाओं की सुरक्षा के लिए सांविधिक उपायों के बारे में लक्षित समूहों के बीच जागरूकता उत्पन्न करने और बढ़ाने में नागरिक समाज समूहों और गैर-सरकारी संगठनों के साथ मिलकर कदम उठाने चाहिए। जिम्मेदार अधिकारियों को बड़े पैमाने पर समाज में जागरूकता पैदा करने के लिए सोशल मीडिया विकल्पों का उपयोग करने की योजना बनानी

चाहिए। पुलिस अधिकारियों को वार्षिक आधार पर 'अपने छात्र को जाने-अपनी पुलिस को जाने' कार्यक्रम आयोजित करना चाहिए।

3.5 मानव संसाधन और आधारभूत संरचना

लेखापरीक्षा ने पीड़ितों (महिलाओं/बच्चों) को राहत/पुनर्वास प्रदान करने के लिए बनाए गए नौ[78] स्थानीय एवं विशेष अधिनियमों के कार्यान्वयन की नमूना जाँच की। नौ अधिनियमों में से, इन छह अधिनियमों में सुचारू और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए विशिष्ट अधिकारियों की नियुक्ति, जैसे दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अन्तर्गत दहेज प्रतिषेध अधिकारियों, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अन्तर्गत संरक्षण अधिकारियों, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारियों, राजस्थान डायन-प्रताडना निवारण नियम 2016 के अन्तर्गत विशेष अधिकारी, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के अन्तर्गत विशेष लोक अभियोजक, अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत विशेष पुलिस अधिकारी/ट्रैफिकिंग पुलिस अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान था।

संबंधित विभागों के अभिलेखों की संवीक्षा में प्रकट हुआ कि केवल घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अन्तर्गत, आवश्यक 33 के विरूद्ध 17 संरक्षण अधिकारियों को नियमित रूप से पदस्थापित किया गया था (जैसा कि **अनुच्छेद 3.2.1 (क)** में चर्चा की गई है); शेष के लिए वैधानिक कार्य विभिन्न राज्य सरकार के अधिकारियों को उनके नियमित कर्तव्यों के अतिरिक्त आवंटित किया गया था अर्थात्

- उपखण्ड मजिस्ट्रेटों और तहसीलदारों को बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारियों के रूप में (जैसा कि **अनुच्छेद 3.2.3** में चर्चा की गई है),
- महिला अधिकारिता निदेशालय के उप निदेशक/सहायक निदेशक को राजस्थान डायन-प्रताडना निवारण नियम 2016 के अन्तर्गत विशेष अधिकारी के रूप में,
- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उप निदेशक/सहायक निदेशक को दहेज प्रतिषेध अधिकारी के रूप में (जैसा कि **अनुच्छेद 3.4.7** में चर्चा की गई है),
- लोक अभियोजक और सरकारी अधिवक्ता, विशेष लोक अभियोजक के रूप में, और
- प्रभारी (निरीक्षक) को विशेष पुलिस अधिकारी के रूप में तथा एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को नोडल अधिकारी के रूप में।

78 (i) घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 (ii) महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 (iii) बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 (iv) राजस्थान डायन-प्रताडना निवारण अधिनियम, 2015 (v) दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 (vi) लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (vii) अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 (viii) स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986 और (ix) सती (निवारण) अधिनियम, 1987।

लेखापरीक्षा में यह भी देखा गया कि महिला अधिकारिता निदेशालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, बाल अधिकारिता विभाग और पुलिस (गृह) में नीचे के संवर्गों में रिक्तियां थी, जैसा कि अनुवर्ती अनुच्छेदों में चर्चा की गई है। इस प्रकार, वैधानिक अधिकारियों की नियुक्ति नहीं होने और उनके साथ उचित सहायता प्रणाली उपलब्ध न होने के कारण, महिलाओं की देखभाल, सुरक्षा और न्याय प्रदान करने के लिए लागू की गई पूर्वोक्त विधानों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

3.5.1 महिला अधिकारिता निदेशालय

मअनि के उप/सहायक निदेशक कार्यालयों में मानव संसाधन

जिलों में उप/सहायक निदेशक कार्यालय, महिला अधिकारिता निदेशालय के महत्वपूर्ण कार्यक्षेत्र संरचनात्मक दल हैं, जो महिलाओं के विरूद्ध अपराध सहित विभाग की विभिन्न गतिविधियों को सुगम बनाते हैं और कार्यान्वयन करते हैं। मार्च 2017 तक नमूना जांच किए गए आठ जिलों में मानव संसाधन की स्थिति के अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि उप निदेशक/सहायक निदेशक के कार्यालय विभिन्न संवर्गों में 50.00 से 91.67 प्रतिशत तक की कमी का सामना कर रहे थे, प्रतापगढ़ (91.67 प्रतिशत), भरतपुर (82.35 प्रतिशत), बारां (78.57 प्रतिशत) और टोंक (58.33 प्रतिशत) जिलों में कमी बहुत अधिक थी। जैसा कि नीचे **तालिका 17** में दर्शाया गया है:

तालिका 17

जिलों का नाम	स्वीकृत पद	कार्यरत कार्मिक	रिक्तियां (%)
उदयपुर	18	9	9 (50.00%)
कोटा	12	6	6 (50.00%)
जयपुर	20	7	13 (65.00%)
टोंक	12	5	7 (58.33%)
बारां	14	3	11 (78.57%)
प्रतापगढ़	12	1	11 (91.67%)
भरतपुर	17	3	14 (82.35%)
पाली	17	8	9 (52.94%)

राज्य सरकार ने अवगत कराया (फरवरी 2019) कि रिक्त पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

आगे आयुक्त, मअनि के अभिलेखों की संवीक्षा (अगस्त 2020) में पाया गया कि सरकार द्वारा महिला अधिकारिता निदेशालय में प्राथमिकता के आधार पर रिक्त पदों को भरने के लिए दिए गए आश्वासन के बाद भी, जाँच किये गए उप निदेशक/सहायक निदेशक के कार्यालय विभिन्न संवर्गो में 58.33 से 85.71 प्रतिशत तक की अत्यधिक कमी का लगातार सामना कर रहे थे, मार्च 2020 को बारां (85.71 प्रतिशत), प्रतापगढ़ (83.33 प्रतिशत), उदयपुर (70.83 प्रतिशत), भरतपुर (70.59 प्रतिशत) और जयपुर (68.18 प्रतिशत) जिलों में कमी बहुत अधिक थी, जिसे नीचे **तालिका 18** में दिया गया है:-

तालिका 18

जिलों का नाम	स्वीकृत पद	कार्यरत कार्मिक	रिक्तियां (%)
उदयपुर	24	7	17 (70.83%)
कोटा	12	5	7 (58.33%)
जयपुर	22	7	15 (68.18%)
टोंक	13	4	9 (69.23%)
बारां	14	2	12 (85.71%)
प्रतापगढ	12	2	10 (83.33%)
भरतपुर	17	5	12 (70.59%)
पाली	17	6	11 (64.71%)

उपर्युक्त तालिका दर्शाती है कि प्रतापगढ़ और भरतपुर जिले के कार्यालयों में मानव संसाधन के पदस्थापन में सुधार हुआ है। भरतपुर में सहायक लेखाधिकारी और कनिष्ठ सहायक तथा प्रतापगढ़ में वरिष्ठ सहायक मार्च 2020 तक पदस्थापित कर दिये गये थे। मामूली सुधारों के बावजूद, इन जिलों में समग्र मानव संसाधन की स्थिति अभी भी बहुत विकट थी।

मबावि विभाग, राजस्थान सरकार ने प्रारूप प्रतिवेदन (दिसम्बर 2020) पर अपने प्रतिउत्तर (फरवरी 2021) में अवगत कराया कि भर्ती के लिए कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग को अनुरोध भेजा गया था एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग तथा राजस्थान अधीनस्थ और मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड के समन्वय से भर्ती के प्रयास किए गए थे।

उत्तर इस तथ्य को ध्यान में रखकर देखा जाना चाहिए कि जनवरी 2021 तक 48.33 प्रतिशत पद उदयपुर और 75.00 प्रतिशत पद प्रतापगढ़ जिले में स्वीकृत पदों के विरुद्ध रिक्त थे।

लेखापरीक्षा का मत है कि महत्वपूर्ण क्षेत्र स्तरीय संवर्गों में विद्यमान भारी रिक्तियां विभिन्न नीतियों और विशेष एवं स्थानीय अधिनियमों के कमजोर कार्यान्वयन के कारणों में से एक हो सकती हैं, जिसके लिए महिला अधिकारिता निदेशालय नोडल विभाग था।

मबावि विभाग, राजस्थान सरकार ने प्रारुप प्रतिवेदन (नवंबर 2021) पर अपने प्रतिउत्तर (फरवरी 2022) में अवगत कराया कि भर्ती प्रक्रिया में देरी के कारण पद रिक्त थे।

3.5.2 जमीनी स्तर पर कार्यकर्त्ताओं की कमी (प्रचेताऐं)

प्रचेता खण्ड/पंचायत समिति स्तर की प्रमुख कार्मिक है जो ग्राम पंचायत स्तर पर साथिन के माध्यम से कर्तव्यों का निर्वहन करती है। प्रचेता समाज में विभिन्न अधिनियमों और नियमों के बारे में जागरूकता उत्पन्न करती है और पीड़ितों को विभिन्न विशिष्ट योजनाओं से लाभ/राहत उपलब्ध कराने में सहायता करने के लिए भी जिम्मेदार है।

आयुक्त, मअनि के अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि मार्च 2018 तक राज्य में 295 पदों की स्वीकृति के विरुद्ध केवल 36 प्रचेता (12.20 प्रतिशत) काम कर रही थी। आगे नमूना जाँच किये गये आठ सहायक निदेशक और 11 प्रचेताओं (छः नियमित और पांच महिला पर्यवेक्षकों (मप)) के अभिलेखों की संवीक्षा से ज्ञात हुआ किः-

- मार्च 2017 तक प्रचेताओं के 66 स्वीकृत पदों के विरूद्ध केवल 18 प्रचेताऐं (21.77 प्रतिशत) कार्य कर रही थी।

- चार जिलों (बारां, भरतपुर, टोंक और प्रतापगढ़) के किसी भी ब्लॉक में कोई नियमित प्रचेता तैनात नहीं की गई थी।

- अपने कर्तव्यों को सुचारू रूप से करने के लिए प्रचेताओं के लिए ब्लॉक स्तर पर कोई विशिष्ट स्थान और अन्य सुविधाएं सुनिश्चित नहीं की गई थीं।

- केवल चार प्रचेताओं (सभी नियमित) ने निःशुल्क विधिक सहायता, वित्तीय सहायता के संबंध में सेवाएं प्रदान की और केवल तीन प्रचेताओं ने जरूरतमंद ग्रामीण महिलाओं को परामर्श सेवाएं प्रदान की।

ध्यान में लाये जाने पर, आयुक्त, मअनि ने बताया (फरवरी 2018) कि जिला अधिकारियों को अनुबंध के आधार पर प्रचेताओं की नियुक्ति करने के लिए पहले (2009-10) निर्देश जारी किए गए थे, जबकि जहाँ प्रचेता उपलब्ध नहीं थी वहाँ समेकित बाल विकास सेवाएं (सबाविसे) विभाग की महिला पर्यवेक्षक को प्रचेता का अतिरिक्त प्रभार दिया जाना था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि निर्देशों के जारी होने के बाद से मई 2018 तक केवल पांच प्रचेताओं[79] को संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया था।

राज्य सरकार ने अवगत कराया (फरवरी 2019) कि प्रचेता के पद को समाप्त करने के बाद खण्ड स्तर पर महिला पर्यवेक्षक का पद बनाया (मई 2017) गया है। महिला पर्यवेक्षक की भर्ती प्रक्रियाधीन है।

आयुक्त, मअनि के अभिलेखों की आगे संवीक्षा (अगस्त 2020) में पाया गया कि 34 प्रचेताऐं मार्च 2020 तक उपलब्ध थी। इसके अलावा, महिला पर्यवेक्षक के 277 स्वीकृत पदों के विरूद्ध 147 महिला पर्यवेक्षकों को अगस्त 2020 में ब्लॉकों पर तैनात किया गया था।

मअनि के नमूना जांच किए गए आठ जिलों (जयपुर और टोंक की अगस्त-सितंबर 2020 में और शेष छः जिलों की अगस्त-अक्टूबर 2021) के अभिलेखों की आगे संवीक्षा में प्रकट हुआ कि इन जिलों में 75 महिला पर्यवेक्षकों के स्वीकृत पदों के विरुद्ध 36 महिला पर्यवेक्षकों के पदस्थापना के आदेश जारी किए गए थे (अगस्त 2020)।

मबावि विभाग, राजस्थान सरकार ने प्रारूप प्रतिवेदन (दिसम्बर 2020) पर अपने प्रतिउत्तर (फरवरी 2021) में अवगत कराया कि ब्लॉक स्तर पर पर्यवेक्षक के रिक्त पद की भर्ती के लिए अनुरोध राजस्थान अधीनस्थ और मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड को प्रेषित (मई 2020) किया गया था और भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद भरा जाएगा।

इस प्रकार, हालाँकि जमीनी स्तर पर मानव संसाधन की कमी को दूर करने के लिए सकारात्मक कदम उठाए गए हैं, महत्वपूर्ण रिक्तियां अभी भी बनी हुई हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि

79 बांसवाड़ाः दो उदयपुरः दो; और राजसमंदः एक।

महिलाओं को जमीनी स्तर के कार्मिकों के माध्यम से सुविधाएँ और सहायता हर समय और सभी स्थानों पर उपलब्ध हों, इन कार्यकर्त्ताओं का पूर्ण पदस्थापन अत्यावश्यक है । इसलिए, महिला पर्यवेक्षकों के सभी स्वीकृत पदों को जल्द से जल्द भरा जाना चाहिए ताकि इन सुविधाओं के लिए महिलाओं की पहुंच सुनिश्चित हो सके ।

मबावि विभाग, राजस्थान सरकार ने प्रारुप प्रतिवेदन (नवंबर 2021) पर अपने प्रतिउत्तर (फरवरी 2022) में अवगत कराया कि 182 महिला पर्यवेक्षकों को तैनात किया गया था। मअनि के महिला पर्यवेक्षकों के रिक्त पदों के विरुद्ध कार्य समेकित बाल विकास सेवाएं (सबाविसे) की महिला पर्यवेक्षकों को अतिरिक्त कार्यभार देकर किया जा रहा था।

3.5.3 सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

नारी निकेतन/महिला सदन पुनर्वास गृह अनैतिक और सामाजिक अत्याचार की शिकार महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने और उन्हें अपने जीवन को नए सिरे से शुरू करने में मदद करने के लिए संभाग स्तर पर स्थापित किये गये हैं ।

नमूना जांच में चार महिला सदन/नारी निकेतन के अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान प्रत्येक संवर्ग में कार्मिकों की कमी देखी गई । प्रत्येक नारी निकेतन में छः कार्मिकों[80] की स्वीकृत क्षमता के विरुद्ध, जयपुर को छोड़कर, केवल एक या दो कार्मिक उपलब्ध थे ।

राज्य सरकार ने बताया (मार्च 2019) कि रिक्त पदों को कार्मिकों को पदस्थापित कर भर दिया गया है और शेष रिक्त पदों को भरने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं । हालांकि, इस संबंध में पुष्टिकारक दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए थे ।

आगे निदेशक, सान्याअवि के अभिलेखों की संवीक्षा (अगस्त 2020) में पाया गया कि प्रत्येक संवर्ग में कर्मचारियों की लगातार कमी अभी भी बनी हुई है । मार्च 2020 तक प्रति नारी निकेतन में छह व्यक्तियों की स्वीकृत क्षमता के विरुद्ध उदयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर और भरतपुर में केवल दो या तीन कार्मिक उपलब्ध थे और कोटा में कोई भी कार्मिक उपलब्ध नहीं था ।

इसके अलावा, परिवीक्षा अधिकारी (कोटा और उदयपुर) और केयरटेकर (कोटा) के पद अप्रैल 2012 से खाली थे और अधीक्षक (उदयपुर, कोटा और अजमेर) और केयर टेकर (जोधपुर और कोटा) के पद मार्च 2020 तक 2016-17 से खाली थे ।

सान्याअवि, राजस्थान सरकार ने प्रारूप प्रतिवेदन (दिसम्बर 2020) पर अपने प्रतिउत्तर (जनवरी 2021) में अवगत कराया कि अधिकारी/कर्मचारी महिला सदन और नारी निकेतन में पदस्थापित थे ।

प्रत्युत्तर मान्य नहीं है, राज्य में नारी निकेतनों में एक से चार पद (छह के विरुद्ध) अभी भी रिक्त हैं । इसके अलावा, महिला सदन, जयपुर में नौ पद (24 के विरुद्ध) रिक्त थे ।

80 अधीक्षक (1), परिवीक्षा अधिकारी (1), केयर टेकर (2), यूडीसी (1) और ग्रुप 'घ'(1) ।

इस प्रकार, नारी निकेतन के प्रमुख पदाधिकारियों की अनुपस्थिति में, निवासित महिलाओं को उनके दर्दनाक अतीत से दूर जाने और अपने जीवन को नए सिरे से शुरू करने के सार्थक अवसरों से वंचित किया जा रहा था।

सान्याअवि, राजस्थार सरकार ने प्रारुप प्रतिवेदन (नवंबर 2021) पर अपने प्रतिउत्तर (फरवरी 2022) में अवगत कराया कि कर्मचारियों को स्वीकृत पदों पर पदस्थापन कर दिया गया था।

हालांकि, उत्तर की संवीक्षा से पता चला कि महिला सदन और नारी निकेतनों में अभी भी पद रिक्त थे।

बाल अधिकारिता विभाग

3.5.4 बालिका गृह और खुला आश्रय गृह

बालिका गृहों को किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 के तहत प्रत्येक संभाग स्तर पर बालिकाओं की देखभाल और उपचार, शिक्षा, प्रशिक्षण, विकास और किसी भी जांच के लम्बित रहने के दौरान एवं बाद में भी पुनर्वास हेतु स्थापित किया गया था। नियमित मेडिकल चैकअप, स्कूल शिक्षा, कपड़े मुहैया कराना और पुनर्वासित बालिकाओं की जाँच कराना जैसी महत्वपूर्ण गतिविधियाँ की जानी थी।

निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर द्वारा प्रत्येक बालिका गृह के लिये एक अधीक्षक, एक परिवीक्षा-सह-कारागार कल्याण अधिकारी[81], तीन केयरटेकर[82] और एक लिपिक के पद स्वीकृत (अप्रैल 2012) किये गये थे। नमूना जाँच किये गये चार बालिका गृहों में मार्च 2017 को स्वीकृत पदों के विरूद्ध कार्यरत पदों की स्थिति नीचे **तालिका 19** में दर्शायी गई है:

तालिका 19

पद का नाम	स्वीकृत पद, कार्यरत कार्मिक एवं रिक्त पदों की संख्या														
	कोटा			जयपुर			उदयपुर			भरतपुर			कुल		
	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
अधीक्षक	01	01	0	01	0	01	01	01	0	01	0	01	04	02	02
परिवीक्षा अधिकारी	01	0	01	02	0	02	01	0	01	01	0	01	05	0	05
केयरटेकर[83]	03	03	0	04	01	03	03	01	02	03	03	0	13	08	05
लिपिक	01	0	01	01	0	01	01	0	01	01	0	01	04	0	04
योग	06	04	02	08	01	07	06	02	04	06	03	03	26	10	16

स्रोतः सम्बन्धित बालिका गृहों के अधीक्षकों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना।

तालिका के अवलोकन से यह देखा जा सकता है कि:

81 जयपुर में परिवीक्षा सह-कारागार कल्याण अधिकारी के दो पद स्वीकृत थे।

82 जयपुर में केयर टेकर के चार पद स्वीकृत थे।

83 तीन केयरटेकर कोटा में एवं तीन केयरटेकर भरतपुर में संविदा पर कार्यरत थे।

- नमूना जाँच किये गये सभी चार बालिका गृहों में मार्च 2017 तक 26 स्वीकृत पदों के विरूद्ध केवल दस कार्मिक उपलब्ध थे, इस प्रकार वहां मानव संसाधन की भारी कमी (61.54 प्रतिशत) थी।

- प्रत्येक संवर्ग में कर्मचारियों की कमी देखी गई और जयपुर एवं उदयपुर के मामले में बालिका गृह संचालन के लिए केवल एक या दो व्यक्ति उपलब्ध थे।

- नमूना जाँच किये गये सभी चार बालिका गृहों में परिवीक्षा-सह-कारागार कल्याण अधिकारी और लिपिक के पद अप्रैल 2012 से रिक्त थे। जयपुर और उदयपुर में क्रमशः चार और तीन स्वीकृत पदों के विरूद्ध प्रत्येक में केवल एक केयरटेकर नियुक्त था।

इसके अलावा, 2012-17 के दौरान दो गैर-सरकारी बालिका गृहों (उदयन केयर, जयपुर और मीरा निराश्रित बालिका गृह, उदयपुर) में अधीक्षक, परामर्शदाता, परिवीक्षा अधिकारी/ बाल कल्याण अधिकारी/केस वर्कर, पैरामेडिकल स्टाफ, शिक्षक, डॉक्टर, शिल्प और संगीत शिक्षक और शारीरिक प्रशिक्षक सह योगा शिक्षक के पद खाली थे।

जांचे गए प्रत्येक सरकारी बालिका गृह में राजस्थान में दिसंबर 2017 में औसतन 196 आवासनियाँ निवास कर रही थी। हालांकि, इन बालिका गृहों में तीन से भी कम कर्मियों को तैनात किया गया था, जिसका मतलब था कि वे औसतन 50 प्रतिशत से अधिक रिक्त पदों पर काम कर रहे थे। इस प्रकार, बालिका गृहों में कर्मचारियों पर अधिक बोझ डाला गया था, जो आवासित बालिकाओं की देखभाल और सेवाओं के वितरण की गुणवत्ता को प्रभावित करता था।

राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकारते हुए अवगत कराया (फरवरी 2019) कि पूर्व में संवर्ग नियंत्रण सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अधीन था, तथापि अब पृथक कार्मिक शक्ति को बाल अधिकारिता विभाग में स्थानान्तरित किया जा रहा है।

इसके आगे लेखापरीक्षा संवीक्षा में पाया गया कि राज्य के सात राजकीय बालिका गृहों में दिसम्बर 2019 तक 1704 आवासिनियाँ[84] रह रही थी। नमूना जांच किए गए चार सरकारी बालिका गृहों में स्वीकृत पदों के विरुद्ध मार्च 2020 तक पदस्थापित व्यक्तियों का विवरण नीचे **तालिका 20** में दिया गया है:

तालिका 20

पद का नाम	स्वीकृत पद, कार्यरत कार्मिक एवं रिक्त पदों की संख्या														
	कोटा			जयपुर			उदयपुर			भरतपुर			कुल		
	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
अधीक्षक	01	01	00	01	01	00	01	00	01	01	00	01	04	02	02
परिवीक्षा अधिकारी	01	00	01	02	02	00	01	00	01	01	00	01	05	02	03

84 अजमेर (285); भरतपुर (162); बीकानेर (112); जयपुर (388); जोधपुर (251); कोटा (411) और उदयपुर (95)।

पद का नाम	स्वीकृत पद, कार्यरत कार्मिक एवं रिक्त पदों की संख्या														
	कोटा			जयपुर			उदयपुर			भरतपुर			कुल		
	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
केयरटेकर[85]	03	00	03	06	02	04	03	01	02	03	00	03	15	03	12
लिपिक/सहा. प्रशा. अधिकारी	01	00	01	01	01	00	01	00	01	01	01	00	04	02	02
योग	06	01	05	10	06	04	06	01	05	06	01	05	28	09	19

स्रोतः सम्बन्धित बालिका गृहों के अधीक्षकों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना।

तालिका के अवलोकन से यह देखा जा सकता है किः

- नमूना जाँच किये गये सभी चार बालिका गृहों में मार्च 2020 तक 28 स्वीकृत पदों के विरूद्ध केवल 09 कार्मिक उपलब्ध थे, इस प्रकार वहां मानव संसाधन की पर्याप्त कमी (67.86 प्रतिशत) थी।
- बालिका गृह कोटा, उदयपुर और भरतपुर में परिवीक्षा-सह-कारागार कल्याण अधिकारी के पद अप्रैल 2012 से रिक्त थे।
- प्रत्येक संवर्ग में कर्मचारियों की कमी देखी गई और बालिका गृह कोटा, उदयपुर और भरतपुर में प्रत्येक में केवल एक व्यक्ति उपलब्ध था।

बाअवि, राजस्थान सरकार ने प्रारूप प्रतिवेदनों (दिसम्बर 2020 एवं नवंबर 2021) पर अपने प्रतिउत्तरों (फरवरी 2021 एवं जनवरी 2022) में अवगत कराया कि राजकीय बालिका गृहों में अधिकांश रिक्त पद भरे गए थे और शेष रिक्त पदों को भरने के लिए प्रयास किए जा रहे थे।

तथ्य यह है कि महत्वपूर्ण नियमित कार्मिकों का अभाव सहायता प्रदान करने की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकता है, क्योंकि इस परिदृश्य में संविदा कर्मचारियों के साथ निरंतरता और प्रतिबद्धता के मुद्दे हो सकते हैं।

पुलिस (गृह विभाग)

3.5.5 मानव संसाधन की कमी

राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित सभी रैंकों[86] के 1,10,518 पुलिस कार्मिकों के विरूद्ध, जनवरी 2020 तक केवल 95,479 पुलिस कार्मिकों को पदस्थापित किया गया था। पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो ने भी प्रतिवेदित किया (जनवरी 2020) कि राष्ट्रीय स्तर पर प्रति लाख जनसंख्या पर 158 पुलिस कार्मिकों की औसत के मुकाबले राजस्थान में प्रति लाख जनसंख्या पर केवल 128 पुलिस कार्मिक हैं।

85 तीन केयरटेकर कोटा में एवं तीन केयरटेकर भरतपुर में संविदा पर कार्यरत थे।

86 सिविल एवं सशस्त्र बल शामिल हैं।

गौरतलब है कि राज्य के पुलिस विभाग में जनवरी 2020 तक कुल स्वीकृत पदों के विरूद्ध 13.61 प्रतिशत मानव संसाधन की कमी थी। इसके अतिरिक्त, आपराधिक मामलों की जांच के लिए जिम्मेदार निरीक्षक/उप निरीक्षक/सहायक उप निरीक्षक संवर्गों के जमीनी स्तर के अधिकारियों की 37.71 प्रतिशत[87] तक की कमी देखी गई। राज्य पुलिस विभाग में जनवरी 2020 तक विभिन्न संवर्गों में कर्मचारियों का विवरण **तालिका 21** में दिया गया है।

तालिका 21

संवर्ग	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	कमी (-)	कमी का प्रतिशत
भारतीय पुलिस सेवा	215	188	27	12.56
अति.पुलिस अधीक्षक/उप पुलिस अधीक्षक	982	786	196	19.96
निरीक्षक	1,506	1,397	109	7.24
उप निरीक्षक	4,689	2,371	2,318	49.43
सहायक उप निरीक्षक	6,348	4,045	2,303	36.28
हैड कांस्टेबल	20,334	16,593	3,741	18.40
कांस्टेबल	76,444	70,099	6,345	8.30
योग	**1,10,518**	**95,479**	**15,039**	**13.61**

स्रोतः राज्य पुलिस विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये आँकड़े।

लेखापरीक्षा का मत है कि पुलिस कार्मिकों का पदस्थापन और महिलाओं के विरूद्ध अपराध के बीच सीधा संबंध हो सकता है, जैसे कि महिलाओं के विरुद्ध अपराध 2015 (28,177), 2016 (27,656), 2017 (25,614) और 2018 (27,895) के दौरान 2014 (31,165) की तुलना में कम हो गये, जो 2014 में 82,193 से सितंबर 2018 में 93,057 तक मानव संसाधन में वृद्धि के साथ मेल खाता था।

गृह विभाग, राजस्थान सरकार ने प्रारूप प्रतिवेदन (दिसम्बर 2020) पर अपने प्रतिउत्तर (फरवरी 2021) में अवगत कराया कि मानव संसाधन की कमी को दूर करने के लिए सीधी भर्ती की जा रही थी। जनवरी 2021 तक 5,438 सिपाहियों की भर्ती प्रक्रियाधीन थी।

3.5.6 महिला पुलिस कार्मिकों की कमी

गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी परामर्श (अप्रैल 2013 और अगस्त 2014) के अनुसार पुलिस में सभी स्तरों पर महिलाओं का प्रतिनिधित्व सकारात्मक कार्रवाई के माध्यम से बढ़ाया जाना चाहिए ताकि वे लगभग 33 प्रतिशत पुलिस का प्रतिनिधित्व करें। तथापि, राज्य सरकार द्वारा पुलिस विभाग में सभी स्तरों पर महिला कर्मियों के रूप में स्वीकृत संख्या को 30 प्रतिशत बनाए रखने के लिए आदेश जारी किए गए (जून 2013)। 47 पुलिस थानों के अभिलेखों की लेखापरीक्षा जांच (2012-17) के दौरान यह देखा गया कि मार्च 2017 तक पांच पुलिस थानों में महिला कर्मियों को तैनात नहीं किया गया था।

87 37.71 प्रतिशतः 3 संवर्गों के स्वीकृत पद 12,543 (निरीक्षक 1506, उप निरीक्षक 4,689 और सहायक उप निरीक्षक 6,348) 3 संवर्गों की कमी 4,730 (निरीक्षक 109, उप निरीक्षक 2,318 और सहायक उप निरीक्षक 2,303)।

पुलिस महानिदेशक, राजस्थान द्वारा उपलब्ध कराई गई (सितम्बर 2020) सूचना से पता चला कि पुलिस में 33,155 (1,10,518 का 30 प्रतिशत) महिला कर्मियों की आवश्यकता के विरुद्ध, केवल 8,929 (8.08 प्रतिशत) को जनवरी 2020 तक पदस्थापित किया गया था।

नमूना जांच किए गए 14 पुलिस थानों (चार पुलिस जिलों जयपुर पूर्व, जयपुर पश्चिम, जयपुर ग्रामीण तथा टोंक) में अगस्त-सितम्बर 2020 में एवं शेष सात पुलिस जिलों में अगस्त-अक्टूबर 2021 में 33 पुलिस थानों के अभिलेखों की आगे संवीक्षा में पाया गया कि 2017-20 के दौरान इन सभी पुलिस थानों में (10 महिला पुलिस थानों को छोड़कर)[88] मानदण्डों के विरुद्ध महिला कार्मिकों का पदस्थापन अपर्याप्त था।

गृह विभाग, राजस्थान सरकार ने प्रारूप प्रतिवेदन (दिसम्बर 2020) पर अपने प्रतिउत्तर (फरवरी 2021) में अवगत कराया कि महिला पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की कमी को पूरा करने के लिए सीधी भर्ती में 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया था।

उत्तर को इस तथ्य के संदर्भ में देखने की आवश्यकता है कि वर्तमान में संस्थापित महिलाएं स्वीकृत राज्य पुलिस कार्यबल के नौ प्रतिशत से भी कम हैं, जो जाँच, नमूना संग्रह, परामर्श आदि गतिविधियों की दक्षता को प्रभावित कर सकती हैं। इसके अतिरिक्त, महिला कार्मिकों की उपस्थिति महिला पीड़ितों को शिकायत दर्ज कराने के लिए आगे आने के लिए सुविधा और विश्वास प्रदान करने में मददगार है। इसके अलावा, महिला कार्मिकों के अनुपात को धीरे-धीरे बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा रणनीति तैयार किए जाने की जरूरत है।

3.5.7 महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र के लिए बुनियादी ढांचा (विनियमन और अनुदान) योजना

राज्य में महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र (विनियमन और अनुदान) योजना 2010, को पीड़ित महिलाओं को परामर्श और उचित सलाह प्रदान करने के उद्देश्य से और वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र के माध्यम से विवादों को निपटाने के लिए जून 2010 से लागू किया गया था। योजना के अन्तर्गत, पूरे राज्य में 40 महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र (मसुसकें) स्थापित किए गए थे, जो गैर-सरकारी संगठनों (गैससं) द्वारा संचालित किये जाते हैं।

योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, पुलिस विभाग द्वारा मसुसकें को महिला पुलिस थाने में बुनियादी सुविधाओं के साथ कार्य स्थान पृथक से प्रदान किया जाना था। प्रत्येक मसुसकें में एक पुरुष और एक महिला पुलिस कांस्टेबल की सेवाएं भी उपलब्ध कराई जानी थी। 2012-17 के दौरान नमूना जांच किए गए 11 मसुसकें के अभिलेखों की संवीक्षा में निम्न दृष्टिगत हुआ।

- मअनि द्वारा नए गैर-सरकारी संगठनों का चयन समय पर नहीं करने के कारण 12 से 45 माह[89] की अवधि के लिये तीन मसुसकें (भरतपुर, पाली और टोंक) कार्यशील नहीं थे।

---

88 जयपुर-पूर्वः 15; जयपुर-पश्चिमः 18; जयपुर-ग्रामीणः 18; टोंकः 12; उदयपुरः 11; कोटा ग्रामीणः 14; प्रतापगढ़ः 11; बारांः 11; भरतपुरः 11 और पालीः 13

89 टोंकः 20 मार्च 2014 से 31 मार्च 2015 (12 महीने), पालीः 01 दिसंबर 2014 से 02 मार्च 2016 (15 महीने) और भरतपुरः 2012-13 और 2014-17, जनवरी 2017 से मार्च 2017 को छोड़कर (45 महीने)।

- पेयजल[90], महिला शौचालय[91], फर्नीचर (टोंक, जयपुर पश्चिम, भरतपुर, पाली और उदयपुर) और कम्प्यूटर (टोंक, जयपुर पश्चिम, भरतपुर और पाली) जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव पाया गया।

- छः मसुसकें[92] में, 24 से 60 महीने तक की अवधि के लिए न तो पुरुष न ही महिला कांस्टेबल को तैनात किया गया था। मसुसकें जयपुर पश्चिम में भी मार्च 2017 तक महिला कांस्टेबल को तैनात नहीं किया गया था।

- निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार गैर-सरकारी संगठनों द्वारा दो मसुसकें कोटा शहर (2013-17) और जयपुर पश्चिम (फरवरी 2014 से मार्च 2017) में विधिक परामर्शदाता नियुक्त नहीं किए गए थे। इस प्रकार, इन मसुसकें में पीड़ितों को लंबे समय तक कानूनी सलाह उपलब्ध नहीं हो सकी।

- चार मसुसकें[93] में, आवश्यक अभिलेख यथा रोकड़ पुस्तिका, बजट/अनुदान रजिस्टर, बजट उपयोग की पत्रावलियाँ, पुलिस अधीक्षक/थानाधिकारी की सिफारिश की पत्रावलियाँ, घरेलू घटना की रिपोर्ट पत्रावलियाँ और फर्नीचर, कंप्यूटर, प्रिंटर आदि के स्टॉक रजिस्टर संधारित नहीं थे।

आगे आयुक्त, मअनि के अभिलेखों की जांच में पाया गया (अगस्त-सितम्बर 2020) कि 40 मसुसकें में से, 2018-19 में 37 मसुसकें और 2019-20 में 36 मसुसकें राज्य में काम कर रहे थे और मअनि द्वारा समय पर नये गैर-सरकारी संगठनों का चयन नहीं किए जाने के कारण जालोर में एक मसुसकें अगस्त 2020 तक काम नहीं कर रहा था।

नमूना जाँच किये गए 11 मसुसकें (4 मसुसकें-चार पुलिस जिलों जयपुर पूर्व, जयपुर पश्चिम, जयपुर ग्रामीण तथा टोंक में अगस्त-सितम्बर 2020 में एवं 7 मसुसकें शेष सात पुलिस जिलों में अगस्त-अक्तूबर 2021 में) के अभिलेखों की आगे 2017-20 के दौरान संवीक्षा में प्रकट हुआ किः-

- मअनि द्वारा समय पर नए गैर-सरकारी संगठन का चयन नहीं किये जाने के कारण मसुसकें भरतपुर मई 2018 से अगस्त 2020 (28 महीने) की अवधि के लिए कार्यशील नहीं रहा।

- अलग परामर्श कक्ष,[94] फर्नीचर (टोंक), महिला शौचालय,[95] कंप्यूटर (जयपुर पश्चिम, टोंक, भरतपुर और पाली) तथा टेलिफोन (जयपुर ग्रामीण, टोंक, प्रतापगढ़, पाली और भरतपुर) जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव पाया गया।

---

90 जयपुर पश्चिम, टोंक, कोटा शहर, उदयपुर, भरतपुर, पाली और प्रतापगढ़।

91 जयपुर पश्चिम, जयपुर पूर्व, टोंक, कोटा शहर, बारां, उदयपुर, भरतपुर, पाली और प्रतापगढ़।

92 कोटा ग्रामीण, टोंक, बारां, भरतपुर, पाली और प्रतापगढ़।

93 जयपुर (पूर्व), टोंक, प्रतापगढ़ और बारां।

94 टोंक, उदयपुर, बारां, भरतपुर, पाली और प्रतापगढ़।

95 जयपुर पूर्व, कोटा शहर, पाली और प्रतापगढ़।

- पांच मसुसकें[96] में अप्रैल 2017 से मार्च 2020 की अवधि के लिए न तो पुरुष और न ही महिला कांस्टेबल को तैनात किया गया था।

- चार मसुसकें (टोंक, उदयपुर, प्रतापगढ़ और बारां) में महत्वपूर्ण टेलीफोन नंबरों का डिस्प्ले बोर्ड उपलब्ध नहीं था।

- जयपुर पश्चिम, पाली और उदयपुर में अप्रेल 2017- दिसम्बर 2019 के दौरान आवश्यक अभिलेख यथा रोकड़ बही, बजट/अनुदान रजिस्टर, बजट उपयोग की पत्रावलियां, पुलिस अधीक्षक/थानाधिकारी की सिफारिश की पत्रावलियां, घरेलू घटना की रिपोर्ट पत्रावलियां और फर्नीचर, कम्प्यूटर, प्रिटंर आदि के स्टॉक रजिस्टर संधारित नहीं थे।

मबावि विभाग, राजस्थान सरकार ने प्रारूप प्रतिवेदन (दिसम्बर 2020) पर अपने प्रतिउत्तर (फरवरी 2021) में अवगत कराया कि मसुसकें में पुलिस विभाग के सहयोग और समन्वय के साथ आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जा रही थी और मसुसकें में आवश्यक अभिलेख संधारित किये जा रहे थे। विभाग ने बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने का बजट में प्रावधान किया था। मसुसकें,जालोर में कार्य चुनाव आचार संहिता के कारण शुरू नहीं किया जा सका और इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जा रही थी।

प्रत्युत्तर मान्य नहीं है क्योंकि नमूना जाँच किए गए तीन पुलिस जिलों (जयपुर पूर्व, जयपुर ग्रामीण, टोंक) में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं थीं और जयपुर पश्चिम में बुनियादी अभिलेख संधारण नहीं किये गए थे।

मबावि विभाग, राजस्थान सरकार ने प्रारुप प्रतिवेदन (नवंबर 2021) पर अपने प्रतिउत्तर (फरवरी 2022) में अवगत कराया कि गृह विभाग मसुसकें में बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए जिम्मेदार था और उन्हें समय-समय पर पत्र जारी किए गए थे।

इस प्रकार, तथ्य यह है कि बुनियादी सुविधाएं प्रदान नहीं की जा रही थी।

निष्कर्ष

लेखापरीक्षा निष्कर्षों ने संकेत दिया कि मअनि के उप निदेशक/सहायक निदेशक के नमूना जांच किये गये कार्यालयों को विभिन्न संवर्गों में महत्तवपूर्ण कमी का सामना करना पड़ा। 294 प्रचेता/महिला पर्यवेक्षकों के स्वीकृत पदों के विरूद्ध केवल 181 प्रचेता/महिला पर्यवेक्षकों को अगस्त 2020 तक तैनात किया गया था। सरकार द्वारा संचालित नारी निकेतन/महिला सदन और बालिका गृह में मानव संसाधनों की कमी थी।

निरीक्षक/उप निरीक्षक/सहायक उप निरीक्षक अपराध मामलों की जांच की बड़ी जिम्मेदारियां रखते हैं, हालांकि, इन संवर्गों में 37.71 प्रतिशत रिक्तियां थी, जो मामलों की जांच में देरी का एक कारण हो सकती थी। राज्य पुलिस के कर्मचारियों में नौ प्रतिशत से भी कम महिला कर्मी

96 टोंक, बारां, भरतपुर, पाली और प्रतापगढ़।

थी, जो शिकायतों के पंजीकरण के लिए आगे आने के लिए पीड़ित महिला के आत्मविश्वास और सुविधा को प्रभावित कर सकती थी।

अनुशंसाएँ

10. राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि महत्वपूर्ण पदों जैसे संरक्षण अधिकारी, बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी, दहेज प्रतिषेध अधिकारी आदि को प्राथमिकता के आधार पर भरा जाए। अधिकारियों को नियमित, व्यापक और केंद्रित प्रशिक्षण प्रदान करके संबंधित क्षेत्रों में विशेषज्ञता विकसित करने के लिए ठोस कार्रवाई सुनिश्चित करने की भी आवश्यकता है।

11. राज्य सरकार को संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों में अपेक्षित संख्या में प्रशासनिक पदाधिकारियों की नियुक्ति करनी चाहिए।

12. चूंकि नारी 'निकेतन/महिला सदन' और बालिका गृह महिलाओं और बालिकाओं को कठिन परिस्थितियों में आश्रय और राहत प्रदान करने के लिए आवश्यक हैं, इसलिए राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके लिए पर्याप्त बुनियादी ढाँचे और संसाधन उपलब्ध कराए जाएँ।

13. राज्य सरकार पुलिस विभाग और भर्ती एजेंसी के बीच समन्वय के माध्यम से पुलिस कार्यबल में महिला कार्मिकों के अनुपात को धीरे-धीरे बढ़ाने के लिए रणनीति तैयार करनी चाहिए।

अध्याय 4

आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली

अध्याय 4: आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली

4.1 आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली

महिलाओं के विरुद्ध अपराध की रोकथाम के लिए विभिन्न अधिनियमों/योजनाओं के सफल क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक है कि राज्य सरकार के पास एक उचित अनुश्रवण और आंतरिक नियंत्रण प्रणाली होनी चाहिए । कई कार्यविधियाँ और प्रतिक्रिया प्रणालियाँ पूर्व में ही उन अधिनियमों/नियमों में शामिल की गई थी जो राज्य सरकार को मुख्य क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं के निष्पादन पर निरंतर नज़र रखने के लिए सक्षम बनाती हैं । यह सम्बंधित प्राधिकारियों को क्षेत्रीय कार्यालयों के कार्य-निष्पादन को बढ़ाने हेतु मध्य पाठ्यक्रम सुधार लागू करने के लिए समय पर, पर्याप्त और सटीक जानकारी उपलब्ध कराने के लिए था ।

राजस्थान जैसे बड़े राज्य में महिलाओं और बालिकाओं के विरुद्ध अपराध पर अंकुश लगाना एक सतत् कार्य है जिसमें विभिन्न स्तरों पर विभिन्न गतिविधियों को क्रियान्वित करने वाले कई विभाग शामिल हैं । यह सुनिश्चित करने के लिए कि विभिन्न अधिनियमों और योजनाओं के तहत् उद्देश्यों को सन्तोषजनक रूप से पूर्ण किया जा सकें । प्रशासन द्वारा योजनाऐं बनाना, लक्ष्य निर्धारित करना एवं धन, बुनियादी ढांचा और मानव संसाधन के रुप में संसाधन उपलब्ध कराये जाने चाहिए।

मुख्य रूप से पांच विभागों/प्राधिकरणों (मअनि, सान्याअवि, बाअवि, पुलिस और विधिक सेवा प्राधिकरण) को महिलाओं के विरुद्ध अपराध की रोकथाम के लिए योजना तैयार करने, विभिन्न अधिनियमों/नियमों/योजनाओं को लागू करने, मुद्दों के बारे में जागरूकता पैदा करने, राहत प्रदान करने और पीड़ितों के पुनर्वास की दिशा में काम करने और इन उपायों के कार्यान्वयन का अनुश्रवण करने का काम सौंपा गया था । आंतरिक नियंत्रण और अनुश्रवण प्रणाली में निर्दिष्ट समितियों की स्थापना, उनकी नियमित बैठकें आयोजित करना, क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं द्वारा वार्षिक/आवधिक प्रगति रिपोर्ट तैयार करना और उच्च अधिकारियों द्वारा उनका मूल्यांकन, निर्धारित निरीक्षण करना, आश्रय गृहों में उचित सुरक्षा उपायों को स्थापित करना एवं पीड़ित/बेसहारा के पुनर्वास के लिए उपाय करना इत्यादि शामिल हैं ।

लेखापरीक्षा ने मूल्यांकन किया कि क्या निगरानी ढाँचा और मूल्यांकन प्रणाली महिलाओं और बालिकाओं के विरूद्ध अपराध रोकने में शामिल राज्य मशीनरी को बेहतर बनाने में प्रभावी थे तथा जाँच परिणाम निम्नानुसार वर्णित हैं:-

अधिनियम का नाम	धारा/प्रावधान	निर्धारित आंतरिक नियंत्रण	जिम्मेदार पदाधिकारी	निगरानी प्राधिकरण
4.1.1 महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013	अधिनियम की धारा 21	नियोक्ता एवं जिला अधिकारी को एक वार्षिक प्रतिवेदन	आन्तरिक समिति/ स्थानीय समिति	जिला अधिकारी
		जिला अधिकारी द्वारा वार्षिक प्रतिवेदनों पर संक्षिप्त प्रतिवेदन राज्य सरकार को अग्रेषित करना	जिला अधिकारी	राज्य सरकार

आन्तरिक समिति/स्थानीय समिति में से किसी ने भी अधिनियम लागू करने के बाद से 2017 तक नियोक्ताओं /जिला अधिकारियों को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की। इसके अलावा, अधिनियम लागू होने के बाद से 2017 तक किसी भी जिला अधिकारियों द्वारा राज्य सरकार को एक भी संक्षिप्त प्रतिवेदन नहीं भेजा गया। नमूना जांच किए गए जिलों (अगस्त-सितंबर 2020 में जयपुर और टोंक एवं अगस्त-अक्टूबर 2021 में शेष छः जिलों) की आगे संवीक्षा में पता चला कि 2017-20 के दौरान भी कोई सुधार नहीं हुआ था।

मबावि विभाग, राजस्थान सरकार ने प्रारूप प्रतिवेदन (दिसम्बर 2020) पर अपने प्रतिउत्तर (फरवरी 2021) में अवगत कराया कि आन्तरिक समिति/स्थानीय समिति के वार्षिक प्रतिवेदन जिला अधिकारियों द्वारा निदेशालय को भेजे जा रहे थे।

प्रत्युत्तर मान्य नहीं है क्योंकि निदेशालय के पास उन संगठनों के बारे में पूरी जानकारी नहीं थी जहां 10 या अधिक कर्मचारी कार्यरत थे। वह केवल ऐसे 1540 संगठनों (बजाय राजस्थान में 69,879 इकाइयों के जैसा कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा सूचित किया गया) की जानकारी रखता था। नमूना जांच किए गए जिलो में भी आन्तरिक समिति की पूर्ण जानकारी नहीं थी। इसलिए जिला अधिकारियों द्वारा निदेशालय को प्रस्तुत वार्षिक प्रतिवेदन पूरी जानकारी प्रदान नहीं कर सकते थे।

आन्तरिक समिति/स्थानीय समिति की वार्षिक रिपोर्ट उनके अस्तित्व, कामकाज और कार्य परिवेश में महिलाओं को सुरक्षित और संरक्षित महसूस कराने के लिए उनकी भूमिका के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। इस प्रणाली को लागू करने में विभाग की विफलता इस तथ्य से परिलक्षित होती है कि उसके पास राजस्थान में विद्यमान आन्तरिक समितियों/स्थानीय समितियों की कुल संख्या के बारे में पूर्ण और विश्वसनीय जानकारी भी नहीं थी।

मबावि विभाग, राजस्थान सरकार ने प्रारुप प्रतिवेदन (नवंबर 2021) पर अपने प्रत्युत्तर (फरवरी 2022) में अवगत कराया कि अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए जिला कलेक्टरों को पत्र जारी किए गए थे (फरवरी 2021 एवं जनवरी 2022)।

अधिनियम का नाम	धारा/ प्रावधान	निर्धारित आंतरिक नियंत्रण	जिम्मेदार पदाधिकारी	निगरानी प्राधिकरण
4.1.2 बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 और राजस्थान बाल विवाह प्रतिषेध नियम, 2007	राजस्थान बाल विवाह प्रतिषेध नियम, 2007 का नियम 5(3)	बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी द्वारा बाल विवाह के मामलों और उन पर की गई कार्यवाही की त्रैमासिक विवरणी जिला मजिस्ट्रेट को भेजी जानी है।	बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी	जिला मजिस्ट्रेट
	राजस्थान बाल विवाह प्रतिषेध नियम, 2007 का नियम 4	बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी समय-समय पर विवाह पंजीकरण अधिकारी के अभिलेखों का निरीक्षण करेगा।	बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी	महिला अधिकारिता निदेशालय

नमूना जांच किये गये किसी भी बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी द्वारा वर्ष 2012-17 के दौरान त्रैमासिक विवरणी नहीं भेजी गई थी। राज्य सरकार ने अवगत कराया (फरवरी 2019) कि सभी संबंधित अधिकारियों को त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु फिर से निर्देश दिये गये हैं। नमूना जांच किए गए 14 जिलों के बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारियों (अगस्त-सितंबर 2020 में जयपुर एवं टोंक के तीन बाविप्रअ और अगस्त-अक्टूबर 2021 में शेष छः जिलों के 11 बाविप्रअ) के अभिलेखों की आगे संवीक्षा में पता चला कि 2017-20 के दौरान बाविप्रअ, पाली को छोड़कर कोई सुधार नहीं हुआ था। यह कहा गया था कि त्रैमासिक विवरणियां जिला मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत की जा रही थीं लेकिन लेखापरीक्षा को कोई पुष्टिकारक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया था। बाविप्रअ रोहट (पाली) ने अक्टूबर 2021 तक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया।

नमूना जांच किये गये 14 बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारियों मे से नौ बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारियों द्वारा अवधि 2012-17 के दौरान विवाह पंजीकरण अधिकारियों का कोई निरीक्षण नहीं किया गया तथा 2016-17 में एक बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी (रोहट) ने केवल एक निरीक्षण किया था, जबकि चार अन्य बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारियों (प्रतापगढ़, पाली, रामगंज मंडी और जयपुर-I) ने इस संबंध में कोई सूचना/अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये। राज्य सरकार ने अवगत कराया (फरवरी 2019) कि सभी संबंधित अधिकारियों को विवाह पंजीकरण अधिकारियों के अभिलेखों के नियमित निरीक्षण के लिए फिर से निर्देश दिये गये हैं।

पूछताछ करने पर, नमूना जांच किए गए 14 जिलों के बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारियों (अगस्त-सितंबर 2020 में जयपुर एवं टोंक के तीन बाविप्रअ और अगस्त-अक्टूबर 2021 में शेष छः जिलों के 11 बाविप्रअ) के अभिलेखों की आगे संवीक्षा में पता चला कि बाविप्रअ, जयपुर-I को छोड़कर कोई सुधार नहीं हुआ जिसने 2017-20 के दौरान तीन निरीक्षण (ग्राम पंचायत, सिरसी, धानक्या और बेगस) किए। बाविप्रअ रोहट (पाली) ने अक्टूबर 2021 तक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया।

मबावि विभाग, राजस्थान सरकार ने प्रारूप प्रतिवेदन (दिसम्बर 2020) पर अपने प्रतिउत्तर (फरवरी 2021) में अवगत कराया कि जिलाधीश ने पुलिस अधीक्षक कार्यालयों से बाल विवाह रोकने से संबंधित त्रैमासिक जानकारी प्राप्त की है। इसके अलावा, अधिसूचित बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारियों को समय-समय पर निदेशालय द्वारा विवाह पंजीकरण अधिकारियों के कार्यालयों का निरीक्षण करने के निर्देश दिए गये थे।

प्रत्युत्तर मान्य नहीं है क्योंकि बाविप्रअ द्वारा जिलाधीश को त्रैमासिक विवरण प्रेषित किया जाना था। इसके अलावा, नमूना जांच किए गए तीन बाविप्रअ द्वारा त्रैमासिक विवरणी प्रस्तुत नहीं किये जाने एवं नमूना जांच किए गए दो बाविप्रअ द्वारा निरीक्षण नहीं किये जाने के संबंध में उत्तर नहीं दिया गया।

राजस्थान में बाल विवाह के सबसे अधिक मामले दर्ज है और यह प्रथा लंबे समय से प्रचलित है। राज्य को इस सामाजिक बुराई से छुटकारा पाने के लिए निरंतर प्रयास और इन प्रयासों के कार्यान्वयन की निरंतर निगरानी आवश्यक है। हालांकि, बुनियादी नियंत्रणों को लागू करने में विफलता जैसे कि प्रतिवेदन को नियमित रूप से प्रस्तुत करना और उच्च अधिकारियों द्वारा नियमित निरीक्षण, राज्य द्वारा किये गये कार्यों को करने की क्षमता को कम आँकना तथा उन्हें मौजूदा प्रणाली में सुधार करने के लिए कदम उठाने से रोकता है।

मबावि विभाग, राजस्थान सरकार ने प्रारुप प्रतिवेदन (नवंबर 2021) पर अपने प्रतिउत्तर (फरवरी 2022) में अवगत कराया कि मअनि ने जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक कार्यालयों से बाल विवाह को रोकने से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के बाद समेकित किया।

यह उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि बाविप्रअ द्वारा जिला मजिस्ट्रेट को त्रैमासिक प्रतिवेदनों को प्रस्तुत करने और विवाह पंजीकरण कार्यालयों के अभिलेखों के निरीक्षण से संबंधित सूचना अभी भी लेखा परीक्षा को उपलब्ध नहीं कराई गई थी।

<table>
<tr><th>योजना का नाम</th><th>धारा /प्रावधान</th><th>निर्धारित आंतरिक नियंत्रण</th><th>जिम्मेदार पदाधिकारी</th><th>निगरानी प्राधिकरण</th></tr>
<tr><td>4.1.3 महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र (नियमन एवं अनुदान) योजना</td><td>महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्रों का कार्यक्रम अधिकारियों द्वारा (काअ) महीने में कम से कम एक बार निरीक्षण/दौरा किया जाना था।
(मअनि के जनवरी 2014 के निर्देश)</td><td>महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र का कार्यक्रम अधिकारियों द्वारा महीने में कम से कम एक बार दौरा/निरीक्षण किया जाना था।</td><td>कार्यक्रम अधिकारी</td><td>मअनि</td></tr>
<tr><td colspan="5">2014-17 के दौरान कार्यक्रम अधिकारी द्वारा महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्रों में निर्धारित दौरों के केवल 13.91 प्रतिशत (302 के विरूद्ध 42) किये गये। नमूना जाँच किये गए 11 मसुसकें (4 मसुसकें चार पुलिस जिलों जयपुर पूर्व, जयपुर पश्चिम, जयपुर ग्रामीण तथा टोंक में अगस्त-सितम्बर 2020 में एवं 7 मसुसकें शेष सात पुलिस जिलों में अगस्त-अक्टूबर 2021 में) के अभिलेखों की आगे संवीक्षा में प्रकट हुआ कि मसुसकें के 373 अनिवार्य निरीक्षणों के विरुद्ध केवल 45 निरीक्षण (12.06 प्रतिशत) टोंक (10), जयपुर-पूर्व (3), जयपुर-ग्रामीण (10), पाली (10), बारां (5), कोटा शहर (4) एवं कोटा ग्रामीण (3) किये गये थे। जयपुर-पश्चिम, उदयपुर, प्रतापगढ़, भरतपुर में 2017-20 के दौरान कार्यक्रम अधिकारी द्वारा एक भी निरीक्षण नहीं किया गया।

मबावि विभाग, राजस्थान सरकार ने प्रारूप प्रतिवेदनों (दिसम्बर 2020 एवं नवंबर 2021) पर अपने प्रतिउत्तरों (फरवरी 2021 एवं फरवरी 2022) में अवगत कराया कि विभाग की विभिन्न योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन एवं निगरानी के लिए तथा निरीक्षण पश्चात् प्रगति प्रतिवेदन निदेशालय को प्रेषित करने हेतु सभी उप/सहायक निदेशकों को महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्रों के मासिक निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए थें (जनवरी 2021)।

निगरानी एवं पर्यवेक्षण के लगातार अभाव के कारण महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्रों पर मूलभूत सुविधाओं, कर्मचारियों की तैनाती आदि जैसी कमियों पर महिला अधिकारिता निदेशालय के प्राधिकारियों द्वारा लम्बे समय से ध्यान नहीं दिया गया/सुलझाया नहीं गया।</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>विनियम का नाम</th><th>धारा/प्रावधान</th><th>निर्धारित आंतरिक नियंत्रण</th><th>जिम्मेदार पदाधिकारी</th><th>निगरानी प्राधिकरण</th></tr>
<tr><td rowspan="2">4.1.4 राजस्थान राज्य महिला आयोग, विनियमन, 2007</td><td rowspan="2">विनियमन 3(1) एवं 4 (अ)</td><td>आयोग की साधारण बैठक दो महीने में कम से कम एक बार आयोजित की जानी चाहिये ताकि किसी अनुचित कार्यप्रणाली की जाँच की जा सके, सुधारात्मक कार्यवाही की जा सके।</td><td>राजस्थान राज्य महिला आयोग</td><td>राज्य सरकार</td></tr>
<tr><td>उसका प्रतिवेदन प्रतिवर्ष राज्य सरकार को प्रस्तुत करना।</td><td>राजस्थान राज्य महिला आयोग</td><td>राज्य सरकार</td></tr>
<tr><td colspan="5">2012-17 के दौरान, आवश्यक 30 बैठकों के विरुद्ध केवल 13 बैठकें हुई। आगे की संवीक्षा के भाग के रूप में, लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2017 के बाद से स्थिति में सुधार नहीं हुआ है और 2017-20 के दौरान केवल 4 बैठकें (18 के विरुद्ध) आयोजित की गई। इसके अलावा, 2019-20 के दौरान कोई बैठक नहीं हुई।
मबावि विभाग, राजस्थान सरकार ने प्रारूप प्रतिवेदन (दिसम्बर 2020) पर अपने प्रतिउत्तर (फरवरी 2021) में अवगत कराया कि 2019 और 2020 के दौरान आवश्यक कोरम के अभाव तथा आयोग के गठन नहीं होने के कारण, आयोग की बैठकें आयोजित नहीं की गई।</td></tr>
</table>

इस प्रकार, आयोग की नियमित बैठकों के आयोजन को सुनिश्चित नहीं करने से राज्य सरकार एक महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया प्रणाली का उपयोग करने में विफल रही, जिसके आधार पर केंद्रित कार्यवाही शुरू की जा सकती थी।

विनियम का नाम	धारा/ प्रावधान	निर्धारित आंतरिक नियंत्रण	जिम्मेदार पदाधिकारी	निगरानी प्राधिकरण
4.1.5 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961	**धारा 8(ख)(4)**	राज्य सरकार दहेज प्रतिषेध अधिकारियों को सलाह देने और उनकी सहायता करने के उद्देश्य से एक सलाहकार बोर्ड का गठन/नियुक्ति करेगी।	सान्याअवि	राज्य सरकार
नमूना जांच किये गये जिलों मे 2012-17 के दौरान सलाहकार बोर्ड का गठन नहीं किया गया था। राज्य सरकार ने अवगत कराया (दिसम्बर 2018) कि चार जिलों में जिला सलाहकार बोर्ड गठित कर दिये गये है तथा अन्य जिलों के जिला कलेक्टरों को सलाहकार बोर्ड में सामाजिक कार्यकर्ताओं के नामांकन के लिए निर्देशित कर दिया गया है। आगे, संवीक्षा (अगस्त 2020) में पाया गया कि, राज्य सरकार के निर्देशो के दो साल बीत जाने के बावजूद भी राज्य के शेष 29 जिलों में जिला सलाहकार बोर्ड का गठन नहीं किया गया था। सान्याअवि, राजस्थान सरकार ने प्रारूप प्रतिवेदनों (दिसम्बर 2020 एवं नवंबर 2021) पर अपने प्रतिउत्तरों (जनवरी 2021 एवं फरवरी 2022) में अवगत कराया कि चार जिलों में जिला सलाहकार बोर्ड का गठन किया गया था और शेष जिलों में नामांकन शीघ्र ही किया जायेगा। अभी तक जिला सलाहकार बोर्डों जैसे महत्वपूर्ण बुनियादी निगरानी प्रणाली स्थापित करने में विफलता ने इस संकट को खत्म करने की दिशा में राज्य सरकार के प्रयासो को कम कर दिया है, जैसा कि राजस्थान में दहेज संबंधी अपराधों की बढ़ती संख्या प्रकाश डालती है।				

विनियम का नाम	धारा/ प्रावधान	निर्धारित आंतरिक नियंत्रण	जिम्मेदार पदाधिकारी	निगरानी प्राधिकरण
4.1.6 गृहों एवं आश्रयस्थलों के लिए नियम 1970	नियम 52 एवं 53 (iii)	निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग एवं मुख्य निरीक्षक क्रमशः वर्ष में कम से कम एक बार और दो बार गृहों एवं आश्रयस्थलों का निरीक्षण करेंगे।	निदेशक एवं मुख्य निरीक्षक	राज्य सरकार
निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (17 निरीक्षणों के विरुद्ध) और मुख्य निरीक्षक (34 निरीक्षणों के विरुद्ध) ने 2012-17 के दौरान, निदेशक सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता विभाग द्वारा जयपुर में एक बार किये गये निरीक्षण के अलावा नारी निकेतन/महिला सदन का निरीक्षण नहीं किया। राज्य सरकार ने अवगत कराया (दिसंबर 2018) कि निदेशक तथा मुख्य निरीक्षक द्वारा निरीक्षण किए गए थे। राजस्थान सरकार के प्रत्युत्तर के विपरीत, सितंबर 2020 में महिला सदन जयपुर और अगस्त-अक्टूबर 2021 में नारी निकेतन कोटा, उदयपुर और भरतपुर के अभिलेखों की आगे की संवीक्षा में ज्ञात हुआ कि वर्ष 2017-20 के दौरान निदेशक, सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता विभाग ने आवश्यक 12 निरीक्षणों के विरुद्ध केवल तीन बार (उदयपुरः अगस्त 2017; जयपुरः मई 2019 और कोटाः मई 2019) निरीक्षण किया तथा मुख्य निरीक्षक ने आवश्यक 24 निरीक्षणों के विरुद्ध केवल तीन बार (उदयपुरः जुलाई 2018 और सितंबर 2019 एवं जयपुरः अप्रैल 2018) निरीक्षण किया।				

सान्याअवि, राजस्थान सरकार ने प्रारूप प्रतिवेदनों (दिसम्बर 2020 एवं नवंबर 2021) पर अपने प्रतिउत्तरों (जनवरी 2021 एवं फरवरी 2022) में अवगत कराया कि जिला स्तरीय निगरानी समितियों का गठन कर दिया गया था और त्रैमासिक बैठकें आयोजित की गई थी।

हालांकि, 2017-20 के दौरान महिला सदन, जयपुर में किये गये निरीक्षणों की कम संख्या के संबंध में राज्य सरकार ने कोई उत्तर नहीं दिया।

नियमित निरीक्षण जैसी सरल निगरानी प्रणाली की अनुपालना के अभाव में कर्मचारियों की कम तैनाती, पुनर्वासित महिलाओं का अनुवर्तन नहीं किया जाना इत्यादि जैसी कमियाँ लम्बी समयावधि तक ध्यान में नहीं आई।

विनियम का नाम	धारा/ प्रावधान	निर्धारित आंतरिक नियंत्रण	जिम्मेदार पदाधिकारी	निगरानी प्राधिकरण
4.1.7 स्वाधार गृह योजना दिशा निर्देशिका	**खण्ड के**(i)	सुचारु कार्यप्रणाली सुनिश्चित करने के लिए जिला महिला कल्याण समिति का (जिमकस) गठन	सहायक निदेशक, सान्याअवि	सान्याअवि
	परिशिष्ट iii	प्रत्येक आवासनी के प्रकरण संबंधित पूर्ण विवरण रखने के लिये अलग पत्रावली का रखरखाव	संबंधित गैर सरकारी संगठन	सान्याअवि

नमूना जांच किये गये सभी तीन जिलों बारां, टोंक और उदयपुर में से किसी में भी जिला महिला कल्याण समिति का गठन नहीं किया गया था। राज्य सरकार ने अवगत कराया (दिसम्बर 2018) कि जिला स्तरीय निगरानी समितियों का गठन (दिसम्बर 2017) किया गया है एवं नियमित रुप से निगरानी की जा रही है। राज्य सरकार के प्रत्युत्तर के विपरीत, सहायक निदेशक, सान्याअवि, टोंक के अभिलेखों की आगे की संवीक्षा (सितम्बर 2020) में पाया गया कि जिला महिला कल्याण समिति का अगस्त 2020 तक भी जिले में गठन नहीं किया गया था। जिला कार्यालय बारां एवं उदयपुर ने सूचित किया (सितम्बर-अक्टूबर 2021) कि जिलों में जिला महिला कल्याण समिति का गठन कर दिया गया है।

2012-17 के दौरान स्वाधार गृह टोंक और बारां में आवासनियों की अलग-अलग व्यक्तिगत पत्रावलियों का, जैसा कि दिशानिर्देशों में निर्धारित है, संधारण नहीं किया गया था। राज्य सरकार ने अवगत कराया (दिसम्बर 2018) कि 2012-17 के दौरान स्वाधार गृह टोंक और बारां द्वारा व्यक्तिगत पत्रावलियों को संधारित किया गया था। आगे, सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग टोंक के अभिलेखों की संवीक्षा (सितम्बर 2020) से ज्ञात हुआ कि जून 2017 में स्वाधार गृह गुरुकुल सेवा समिति टोंक को बंद कर दिया गया था। उपनिदेशक/ सहायक निदेशक सान्याअवि टोंक, उदयपुर और बारां (सितंबर 2020 में टोंक और सितंबर-अक्टूबर 2021 में उदयपुर और बारां) के अभिलेखों की आगे की संवीक्षा से पता चला कि सान्याअवि के जिला कार्यालयों में आवासनियों की व्यक्तिगत पत्रावलियों को अभिलेखों में संग्रहित नहीं किया गया था।

सान्याअवि, राजस्थान सरकार ने उत्तर प्रस्तुत नहीं किया।

आवासनियों की व्यक्तिगत पत्रावलियों के अभाव में, आवासनियों को उपलब्ध कराई गई वास्तविक सहायता को ठीक से दर्ज नहीं किया जा रहा था जिससे उनके पुनर्वास हेतु किए गए प्रयासों के मूल्यांकन में बाधा उत्पन्न हुई होगी।

अधिनियम का नाम	धारा / प्रावधान	निर्धारित आंतरिक नियंत्रण	जिम्मेदार पदाधिकारी	निगरानी प्राधिकरण
4.1.8 पोक्सो अधिनियम	**धारा 44 (I)**	राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग (बाल अधिकार आयोग) द्वारा अधिनियिम के प्रावधानों के कार्यान्वयन का अनुश्रवण किया जाना अपेक्षित था।	(बाल अधिकार आयोग)	राज्य सरकार
जनवरी 2010 से दिसंबर 2017 तक बाल अधिकार आयोग द्वारा प्राप्त की गई कुल 605 शिकायतों में से 503 शिकायतों (83.14 प्रतिशत) का निपटारा किया गया और 102 (16.86 प्रतिशत) शिकायतें मार्च 2018 तक लंबित रहीं। आगे, बाल अधिकार आयोग की संवीक्षा (सितम्बर 2020) में ज्ञात हुआ कि जनवरी 2018 से मार्च 2020 के दौरान प्राप्त कुल 421 शिकायतों में से 397 शिकायतों (94.30 प्रतिशत) का निपटारा किया गया और 24 (5.70 प्रतिशत) शिकायतें अगस्त 2020 तक लंबित रहीं। 28 (पहले से लम्बित 4 सहित) शिकायतों के मामले में विचारधीन समय बारह से अड़तालीस माह का था। ध्यान में लाये जाने पर बाल अधिकार आयोग ने प्रत्युत्तर दिया कि अदालत में चालान प्रस्तुत करने की रिपोर्ट प्राप्त नहीं होंने के कारण शिकायतें लंबित रही। बाअवि, राजस्थान सरकार ने प्रारूप प्रतिवेदन (नवंबर 2021) पर अपने प्रतिउत्तर (जनवरी 2022) में अवगत कराया कि कुछ मामलों में जांच में अधिक समय लगता है अथवा कुछ अन्य कारणों से चालान जमा करने में पुलिस द्वारा देरी हो सकती है, और इसलिए ऐसे मामलों को राराबाअसंआ की लंबितता के रूप में नहीं माना जा सकता है। लेखापरीक्षा का मत है कि राजस्थान सरकार शिकायतों के मामलों के निपटान में देरी को कम करने के लिए प्रभावी निगरानी सुनिश्चित कर सकती है।				

अधिनियम का नाम	धारा/ प्रावधान	निर्धारित आंतरिक नियंत्रण	जिम्मेदार पदाधिकारी	निगरानी प्राधिकरण
4.1.9 राजस्थान किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) नियम 2011	**नियम 63**	संस्थानों (बालिका गृहों) की दशा तथा उपयुक्तता की निगरानी एवं देखभाल के लिए राज्य और जिला स्तर पर निरीक्षण समितियों का गठन किया जाना अपेक्षित था।	बाल अधिकारिता विभाग जिला बाल संरक्षण इकाईयाँ	राज्य सरकार बाल अधिकारिता विभाग
	नियम 62	किशोर या बच्चे को किशोर न्याय बोर्ड या बाल कल्याण समिति द्वारा छुट्टी पर जाने की अनुमति देना तथा किशोर या बच्चे के छुट्टी की समाप्ति पर वापस न आने पर उसे वापस संस्थान में लाने के लिए मामला पुलिस को सौंपना।	किशोर न्याय बोर्ड या बाल कल्याण समिति	जिला बाल संरक्षण इकाई

4.1.10 किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015	**धारा 30** (viii)	बाल कल्याण समिति आवासीय सुविधाओं का प्रति माह दो निरीक्षण करेगी और सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के लिए कार्यवाही हेतु जिला बाल संरक्षण इकाई और राज्य सरकार को सिफारिश करेगी।	बाल कल्याण समिति	जिला बाल संरक्षण इकाई एवं राज्य सरकार
4.1.11 बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005	**धारा 13** (i)	राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के पास संस्थानों के निरीक्षण एवं अनियमितताओं को संबंधित अधिकारियों के साथ उपचारात्मक कार्यवाही हेतु उठाने का शासनादेश है।	राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग	राज्य सरकार
4.1.12 गृहों एवं आश्रयस्थलों के लिए नियम 1970	**नियम 22 (1)**	पुनर्वासित बालिकाओं का अनुवर्तन।	संबधित गृह	बाल अधिकारिता विभाग

(अ) सामाजिक कार्यकर्ताओं/स्वैच्छिक संगठनों के सदस्य शामिल नही किये गये थे तथा ये समितियाँ जून 2017 तक कार्यशील नहीं पाई गई यद्यपि राज्य/जिलों में निरीक्षण समितियों के गठन के आदेश (फरवरी 2012) जारी कर दिये गये थे। राज्य सरकार ने अवगत कराया (फरवरी 2019) कि राज्य और जिला स्तरीय निरीक्षण समितियों का गठन फरवरी 2012 में किया गया था। आगे की संवीक्षा (अगस्त 2020) से ज्ञात हुआ कि राज्य स्तर पर निरीक्षण समिति में अभी भी सभी सदस्यों की नियुक्ति जिनकी आवश्यकता थी, (चिकित्सा विशेषज्ञ अनुपस्थित थे) नहीं की गई और अभी भी समिति द्वारा निर्धारित निरीक्षण नहीं किए गए।

नमूना जांच किए गए आठ जिला बाल संरक्षण इकाईयों (जयपुर एवं टोंक दो जिबासंइ अगस्त-सितंबर 2020 में और शेष छः जिबासंइ अगस्त-अक्टूबर 2021 में) की आगे संवीक्षा में पता चला कि सभी जिला बाल संरक्षण इकाईयों में जिला स्तरीय समिति का गठन किया गया था। तथापि, जिबासंइ जयपुर और बारां में गठित समितियों में स्वैच्छिक संगठनों/सामाजिक कार्यकर्ताओं के सदस्य नहीं थे। इसलिए, इन कार्यकलापों में लगे गैर-सरकारी संगठनों से सुझाव प्राप्त नहीं किये जा सके।

बाअवि, राजस्थान सरकार ने प्रारूप प्रतिवेदन (नवंबर 2021) पर अपने प्रतिउत्तर (जनवरी 2022) में अवगत कराया कि राज्य और जिला स्तरों पर निरीक्षण समितियों का गठन किया गया था।

तथापि, नामित सदस्यों के ब्यौरे लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराए गए थे।

(ब) 2013-17 के दौरान, मधु स्मृति महिला एवं बाल कल्याण उत्थान संस्थान, कोटा में 80 बालिकाएं बाल कल्याण समिति, कोटा की अनुमति प्राप्त किये बिना संस्थान से अनुपस्थित थी। इनमें से, 42 बालिकाएं वापस नहीं लौटी। आगे की संवीक्षा में पाया गया कि बाल कल्याण समिति के साथ-साथ संस्थान ने इन मामलों को पुलिस को नहीं भेजा।

(स) 2016-17 के दौरान, पांच बाल कल्याण समितियों (भरतपुर, जयपुर, टोंक, उदयपुर एवं कोटा) द्वारा लक्षित 552 निरीक्षणों के विरूद्ध केवल 38 निरीक्षण (7 प्रतिशत) किये गये। राज्य सरकार ने अवगत कराया (फरवरी 2019) कि बाल देखभाल संस्थानों के निरीक्षण नियमित रूप से किए जा रहे थे। नमूना जांच किए गए आठ बाल कल्याण समितियों (जयपुर एवं टोंक दो बाकस अगस्त-सितंबर 2020 में और शेष छः बाकस अगस्त-अक्टूबर 2021 में) की आगे संवीक्षा में पाया गया कि राजस्थान सरकार के उत्तर के विपरीत बारंबारता और निरीक्षणों की संख्या निराशाजनक रही। वर्ष 2017-20 के दौरान लक्षित 1695 निरीक्षणों के विरूद्ध केवल 238 निरीक्षण (14.04 प्रतिशत) किये गए थे।

(द) 2012-17 के दौरान सरकारी/गैर सरकारी संगठनों द्वारा संचालित बालिका गृहों का आयोग द्वारा किये गए निरीक्षणों का विवरण अभिलेखों में उपलब्ध नहीं था, यद्यपि आयोग के अध्यक्ष द्वारा निरीक्षण किए गए थे। इसके अलावा, राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अभिलेखो की संवीक्षा (अगस्त 2020) से ज्ञात हुआ कि कलेन्डर वर्ष 2018-19 के दौरान सरकारी/गैर सरकारी संगठनों द्वारा संचालित बालिका गृहों के 36 निरीक्षण (2018: 05 एवं 2019: 31) किये गये थे, संबधित निरीक्षण प्रतिवेदन लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराये गये।

(य) नमूना जांच किए गए 10 सरकारी/गैर सरकारी बालिका गृहों तथा खुले आश्रय गृहों से 2012-17 के दौरान दो हजार पांच सौ पिच्चासी बालिकाओं को पुनर्वासित किया गया था और उन्हें गृह से छुट्टी दे दी गई थी, लेकिन किसी भी बालिका गृह/आश्रय गृह द्वारा पुनर्वासित बालिकाओं का नियमानुसार अनुवर्तन (फॉलोअप) नहीं किया गया। राज्य सरकार ने अवगत कराया (फरवरी 2019) कि बाल कल्याण समितियों द्वारा पुनर्वासित बालिकाओं का अनुवर्तन (फॉलोअप) किया जा रहा हैं। आगे, नमूना जांच किए गए चार बालिका गृहों (अगस्त-सितंबर 2020 में बालिका गृह जयपुर और शेष तीन बालिका गृह अगस्त-अक्टूबर 2021 में) की आगे संवीक्षा में पाया गया कि1,912 बालिकाएं (जयपुरः 672, उदयपुरः 239 और कोटाः 1,001) का पुनर्वास किया गया था लेकिन 2017-20 के दौरान तीन बालिका गृहों में केवल 113 पुनर्वासित बालिकाओं (जयपुरः 31, उदयपुरः 55 और कोटाः 27) का अनुवर्तन (फॉलोअप) किया गया। इसके अलावा बालिका गृह, भरतपुर में 378 बालिकाओं का पुनर्वास किया गया था लेकिन 2017-20 के दौरान अनुवर्तन (फॉलोअप) नहीं किया गया था।

बाल अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार ने कोई उत्तर नहीं दिया।

विभिन्न एजेंसियो द्वारा नियंत्रण और निगरानी प्रावधानों के पालन करने में हो रही कमियों जैसे कि निरीक्षण समितियों का गठन, निरीक्षण किया जाना, आवासनियों की सुरक्षा, पुनर्वासित बालिकाओं का अनुवर्तन इत्यादि के कारण असुरक्षित और पीड़ित बालिकाओं को सुरक्षा एवं संरक्षण प्रदान करने में इन एजेन्सियों के प्रयासो को कमजोर किया है।

दिशा निर्देशिका का नाम	धारा/प्रावधान	निर्धारित आंतरिक नियंत्रण	जिम्मेदार पदाधिकारी	निगरानी प्राधिकरण
4.1.13 राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण विनियम 1999	**विनियम 12 एवं 16**	जिला प्राधिकरण/ तालुक समिति लम्बित मामलों पर विचारविमर्श एवं निगरानी करने तथा प्रतिकर तय करने और पीड़ितों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करने हेतु निर्णय लेने के लिए माह में एक बार बैठक करेगी।	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण तालुक विधिक सेवा समिति	राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जिला विधिक सेवा प्राधिकरण

2012-17 के दौरान नमूना जांच किये गये नौ जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों में 65.93 प्रतिशत, जबकि आठ तालुक विधिक सेवा समितियों की बैठकों में 86.88 प्रतिशत की कमी थी। दो तालुक विधिक सेवा समितियों में (बारां जिले में *अंता* और पाली जिले में *सोजत*) 2012-17 के दौरान कोई बैठक आयोजित नहीं की गई थी।

तीन जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों (भरतपुर, जयपुर तथा टोंक) ने अवगत कराया (मार्च-जुलाई 2018) कि पूर्णकालिक सचिव की तैनाती न होने के कारण, प्रदान की जाने वाली विधिक सेवाओं (विधिक सहायता और प्रतिकर के मामलों) की प्रभावी रूप से निगरानी नहीं की जा सकी।

नौ जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों (तीन जिविसेप्रा जयपुर जिला, जयपुर मेट्रो और टोंक अगस्त-सितंबर 2020 में और शेष छःजिविसेप्रा अगस्त-अक्टूबर 2021 में) के अभिलेखों की आगे संवीक्षा में पाया गया कि सितंबर 2018 में सचिव नियुक्त किए जाने के बावजूद भी, नमूना जांच किए गये नौ जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों तथा आठ तालुक विधिक सेवा समितियों में से किसी में भी निर्धारित संख्या में बैठकें आयोजित नहीं की गई। 2017-20 के दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों मे 37.65 प्रतिशत, जबकि तालुक विधिक सेवा समितियों में 92.01 प्रतिशत बैठकों की कमी रही।

विधि एवं विधिक विभाग, राजस्थान सरकार ने उत्तर नही दिया।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/तालुक विधिक सेवा समिति की बैठकों में अत्यधिक कमी रहने के कारण लम्बित मामलों की उचित निगरानी नहीं की गई एवं पीड़ितों को प्रतिकर देने तथा निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने के निर्णय में देरी हुई।

4.1.14 विशेष अधिनियमों के अन्तर्गत पुलिस और अदालतों में दर्ज मामले

वर्ष 2012-19 के दौरान स्थानीय एवं विशेष अधिनियमों (स्थाविअ) के अन्तर्गत दर्ज महिलाओं के विरूद्ध अपराध से संबंधित आँकड़े राज्य पुलिस विभाग से एकत्र किये गये थे। इसके अतिरिक्त, इसी अवधि के लिए इसी तरह के आँकड़े राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर से भी माँगे गये थे। दोनों आंकड़ों की तुलना से पता चलता है कि 2012-19 के दौरान विभिन्न न्यायालयों में दर्ज कुल (1,10,023 मामले) मामलों की तुलना में स्थानीय एवं विशेष अधिनियमों के तहत पुलिस में बहुत कम संख्या में मामले (3,139 मामलें) दर्ज किए गए थे, जैसा कि **तालिका 22** में दिया गया है:-

तालिका 22

क्र.सं.	स्थानीय एवं विशेष अधिनियम का नाम	न्यायालय में दर्ज मामलों की संख्या	पुलिस में दर्ज मामलों की संख्या	अन्तर
1	अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956	1,204	581	623
2	दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961	13,463	130	13,333
3	स्त्री अशिष्ट रुपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986	1,060	183	877
4	सती (निवारण) अधिनियम, 1987	1	0	1
5	घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005	68,506	49	68,457
6	बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006	224	74	150
7	लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012	24,887	2,025	22,862
8	महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013	578	0	578
9	राजस्थान डायन-प्रताडना निवारण अधिनियम, 2015	100	97	3
	कुल	**1,10,023**	**3,139**	**1,06,884**

स्रोतः राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर एवं राज्य पुलिस विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये आँकड़े।

उपर्युक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि तीन स्थानीय एवं विशेष अधिनियमों 'दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961, 'घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005' और 'लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012' के तहत दर्ज मामलों की संख्या में बहुत ज्यादा अन्तर था। इस प्रकार आँकड़ों का मिलान नहीं किया जा रहा था। यह पुलिस और कानूनी प्राधिकारियों तथा अन्य हितधारकों के बीच उचित समन्वय की कमी का परिचायक था।

राज्य सरकार ने अवगत कराया (जनवरी 2019) कि कई मामले भादसं और दप्रसं की विभिन्न धाराओं के तहत अदालतों में सीधे प्रस्तुत किए गए थे और इन्हें पुलिस थानों में प्रस्तुत नहीं किया गया था। हालांकि, पुलिस द्वारा उत्तर को प्रमाणित करने के लिए भादसं और दप्रसं की विशिष्ट धाराओं के तहत अदालतों में सीधे दर्ज किए गए मामलों के बारे में कोई विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया था।

गृह विभाग, राजस्थान सरकार ने प्रारूप प्रतिवेदन (दिसम्बर 2020) पर अपने प्रतिउत्तर (फरवरी 2021) में अवगत कराया कि भादसं और दप्रसं की विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत अदालतों में कई मामले सीधे प्रस्तुत किए गए

तथा पुलिस थानों में प्रस्तुत नहीं किए गए थे। इसके अलावा, कई मामले अदालत में स्वतः संज्ञान के आधार पर दर्ज किए गए।

पुलिस विभाग और अदालतों में दर्ज मुकदमों में भारी अंतर को ध्यान में रखते हुए उत्तर को देखने की आवश्यकता है जबकि विभाग द्वारा इस अंतर के मिलान के लिए प्रभावी प्रयास नहीं किए गए।

निष्कर्ष

महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा के लिए स्थापित विभिन्न अधिनियमों/नियमों के तहत निर्धारित आंतरिक नियंत्रण प्रणाली ठीक से काम नहीं कर रही थी। संबंधित प्राधिकारियों ने आश्रय स्थलों और सुरक्षा गृहों की उचित निगरानी नहीं की तथा महिलाओं और बालिकाओं के कल्याण के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए निर्धारित आवधिकता के अनुसार बैठकें नहीं की। आंतरिक समिति/स्थानीय समिति ने नियोक्ताओं/जिला अधिकारियों को वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया, नमूना जांच किए गए जिलों में कार्यक्रम अधिकारियों द्वारा महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्रों के लिए निर्धारित निरीक्षणों के केवल 12.89 प्रतिशत निरीक्षण ही किये थे, राजस्थान राज्य महिला आयोग की आवश्यक 48 बैठकों के विरुद्ध 2012-20 के दौरान केवल 35.42 प्रतिशत (17 बैठकें) हुईं। दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत जिला सलाहकार बोर्ड का गठन दिसम्बर 2020 तक भी 29 जिलों में नहीं किया गया था। निरीक्षणों की कमी, आवासीय सुविधाओं एवं बच्चो की सुरक्षा एवं देखभाल के लिए अन्य आवश्यकताओ की कमी के कारण बालिका गृहों में सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित नहीं की जा सकी। 2012-19 के दौरान किसी भी बालिका गृहों/आश्रय स्थलों में पुनर्वासित बालिकाओं का नियमानुसार अनुवर्तन नहीं किया गया। नमूना जांच किये गए जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों/तालुक विधिक सेवा समितियों में से किसी में भी 2012-20 के दौरान निर्धारित बैठकें आयोजित नहीं की गई।

अनुशंसाएं

14. राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि राज्य स्तरीय निगरानी तंत्र राजस्थान राज्य महिला आयोग आदि के माध्यम से निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार कार्य करें। नामित अधिकारियों को निर्धारित संख्या में सार्वजनिक बैठकों और आंतरिक बैठकों का आयोजन करना चाहिए ताकि राज्य में महिलाओं के कल्याण और सुरक्षा के लिए किए गए उपायों की प्रभावकारिता की निगरानी की जा सके।

15. राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विभिन्न कानूनों (जैसे दहेज प्रतिषेध अधिनियम, राजस्थान किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) नियम आदि) के तहत अनुरूप निगरानी समितियों का विधिवत गठन किया गया है और उनके संबंधित कानूनों द्वारा प्रदान किए गए प्रावधानों के अनुसार कार्य किया जा रहा है।

16. आवासनियों को सेवाएं प्रदान करने में अनियमितताओं के समय पर सुधार के लिए स्वाधार गृहों, बालिका गृहों और संरक्षण और पुनर्वास गृहों का उचित अनुश्रवण और नियमित पर्यवेक्षण सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

जयपुर,
06 अप्रैल, 2022

(अनादि मिश्र)
महालेखाकार
(लेखापरीक्षा-I), राजस्थान

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली,
08 अप्रैल, 2022

(गिरीश चंद्र मुर्मू)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट

परिशिष्ट-I

(सन्दर्भ अनुच्छेद 3.2.9)

नमूना जाँच किये गये पुलिस थानों में महिला एवं बाल डेस्क की कार्यपद्धति में कमियों को दर्शाने वाला विवरण

कमियां	पुलिस थानों का नाम
2012-17 के दौरान	
महिला एवं बाल डेस्क की अनुपलब्धता	बेकरिया (उदयपुर), पारसोला (प्रतापगढ़)।
महिला प्रभारी की उपलब्धता	भांकरोटा (जयपुर पश्चिम)।
पृथक परामर्श कक्ष की अनुपलब्धता	भांकरोटा एवं सदर (जयपुर पश्चिम), लालकोठी (जयपुर पूर्व), कैथूनीपोल (कोटा शहर); चेचट (कोटा ग्रामीण); कोतवाली एवं नाहरगढ़ (बारां); ओगणा, अम्बामाता, धानमण्डी एवं बेकरिया (उदयपुर); पारसोला (प्रतापगढ़); कोतवाली, गुडा ऐन्दला एवं सोजत रोड़ (पाली)।
पृथक महिला शौचालय की अनुपलब्धता	भांकरोटा एवं सदर (जयपुर पश्चिम); लालकोठी (जयपुर पूर्व); बरोनी (टोंक); कैथूनीपोल (कोटा शहर); कैथून एवं चेचट (कोटा ग्रामीण); कोतवाली एवं नाहरगढ़ (बारां); ओगणा, अम्बामाता, धानमण्डी एवं बेकरिया (उदयपुर); पारसोला (प्रतापगढ़); कोतवाली, सेवर एवं नदबई (भरतपुर); कोतवाली, गुडा ऐन्दला, साण्डेराव एवं सोजत रोड़ (पाली)।
फर्नीचर की अनुपलब्धता	भांकरोटा एवं सदर (जयपुर पश्चिम); लालकोठी एवं ट्रांसपोर्ट नगर (जयपुर पूर्व); बरोनी (टोंक); रेलवे कालोनी एवं कैथूनीपोल (कोटा शहर); कैथून एवं चेचट (कोटा ग्रामीण); कोतवाली एवं नाहरगढ़ (बारां); ओगणा, अम्बामाता, हाथीपोल, धानमण्डी एवं बेकरिया (उदयपुर); पारसोला (प्रतापगढ़); कोतवाली, गुडा ऐन्दला, साण्डेराव एवं सोजत रोड़ (पाली)।
डिस्पले (प्रदर्शन) बोर्ड की अनुपलब्धता	भांकरोटा एवं सदर (जयपुर पश्चिम); लालकोठी एवं ट्रासपोर्ट नगर (जयपुर पूर्व); चेचट (कोटा ग्रामीण); छबड़ा (बारां); हिरणमगरी, ओगणा, सायरा, डबोक, हाथीपोल, धानमण्डी एवं बेकरिया (उदयपुर); पारसोला एवं प्रतापगढ़ (प्रतापगढ़); कोतवाली, गुडा ऐन्दला एवं साण्डेराव (पाली); अमरसर, फुलेरा एवं नरेना (जयपुर ग्रामीण); कोतवाली, सेवर, खोह एवं नदबई (भरतपुर)।
2017-20 के दौरान	
महिला प्रभारी की अनुपलब्धता	ओगणा, अंबामाता, बेकरिया, हाथीपोल, हिरण मगरी (उदयपुर); प्रतापगढ़, पारसोला (प्रतापगढ़); गुडा ऐन्दला, सोजत रोड, कोतवाली, साण्डेराव (पाली); छाबड़ा, कोतवाली, नाहरगढ़ (बारां); भीमगंज मंडी, रेलवे कॉलोनी, कैथूनीपोल (कोटा शहर); कैथून, चेचट (कोटा ग्रामीण); कोतवाली, सेवर, खोह, नदबई (भरतपुर); भांकरोटा (जयपुर पश्चिम); अमरसर, फुलेरा और

	नरेना (जयपुर ग्रामीण); लालकोठी और ट्रांसपोर्ट नगर (जयपुर पूर्व); बरोनी, सदर और निवाई (टोंक)।
पृथक परामर्श कक्ष की अनुपलब्धता	अंबामाता, ओगणा (उदयपुर); गुडा ऐन्दला, कोतवाली (पाली); कैथूनीपोल (कोटा शहर); लालकोठी (जयपुर पूर्व); निवाई (टोंक)।
पृथक महिला शौचालय की अनुपलब्धता	अंबामाता, ओगणा, सायरा, बेकरिया (उदयपुर); गुडा ऐन्दला (पाली) पारसोला (प्रतापगढ़); कैथून (कोटा ग्रामीण); कैथूनीपोल (कोटा शहर); नदबई (भरतपुर); फुलेरा एवं नरेना (जयपुर ग्रामीण); लालकोठी (जयपुर पूर्व); बरोनी एवं निवाई (टोंक)।
फर्नीचर की अनुपलब्धता	अंबामाता, ओगणा, बेकरिया (उदयपुर); पारसोला (प्रतापगढ़); गुडा ऐन्दला (पाली); कैथून (कोटा ग्रामीण); कैथूनीपोल (कोटा शहर); नदबई (भरतपुर); सदर (जयपुर पश्चिम); अमरसर, फुलेरा एवं नरेना (जयपुर ग्रामीण), लालकोठी एवं ट्रांसपोर्ट नगर (जयपुर पूर्व); बरोनी एवं निवाई (टोंक)।
डिस्पले (प्रदर्शन) बोर्ड की अनुपलब्धता	ओगणा, सायरा, अंबामाता, डबोक (उदयपुर); गुडा ऐन्दला (पाली); कोतवाली, नाहरगढ़ (बारां); कोतवाली, सेवर, खोह, नदबई (भरतपुर); प्रतापगढ़, पारसोला (प्रतापगढ़); भीमगंज मंडी (कोटा शहर); भांकरोटा एवं सदर (जयपुर पश्चिम); फुलेरा (जयपुर ग्रामीण); लालकोठी (जयपुर पूर्व); बरोनी, निवाई, एवं सदर (टोंक)।

परिशिष्ट-II

(सन्दर्भ अनुच्छेद 3.2.10)

नमूना जांच के जिलों एवं पुलिस थानों में सामुदायिक सम्पर्क समूह में पायी गई कमियों को दर्शाने वाला विवरण

कमियां	जिला कार्यालयों एवं पुलिस थानों का नाम
2012-17 के दौरान	
सामुदायिक संपर्क समूह के सदस्यों को प्रशिक्षण प्रदान नहीं किया गया।	पुलिस उपायुक्त जयपुर (पूर्व); पुलिस अधीक्षक टोंक; पुलिस अधीक्षक कोटा (शहर); पुलिस अधीक्षक कोटा (ग्रामीण); पुलिस अधीक्षक बारां; पुलिस अधीक्षक जयपुर (ग्रामीण); पुलिस उपायुक्त जयपुर (पश्चिम); पुलिस अधीक्षक पाली एवं पुलिस अधीक्षक भरतपुर
	पुलिस थाने लाल कोठी एवं ट्रांसपोर्ट नगर (जयपुर पूर्व); निवाई एवं बरोनी (टोंक); भीमगंज मण्डी, रेल्वे कॉलोनी एवं कैथूनीपोल (कोटा शहर); कोतवाली, नाहरगढ़ एवं छबड़ा (बारां); चेचट एवं कैथून (कोटा ग्रामीण); पारसोला (प्रतापगढ़); बेकरिया, धानमण्डी, हाथीपोल एवं अम्बामाता (उदयपुर); कोतवाली, गुडा ऐन्दला एवं सोजत रोड (पाली); कोतवाली, सेवर, खोह एवं नदबई (भरतपुर)।
अर्द्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन पुलिस अधीक्षकों/रेंन्ज महानिरीक्षक एवं पुलिस मुख्यालय को नहीं भेजी गई।	पुलिस उपायुक्त जयपुर (पूर्व); पुलिस उपायुक्त जयपुर (पश्चिम); पुलिस अधीक्षक टोंक; पुलिस अधीक्षक बारां; पुलिस अधीक्षक कोटा (शहर); पुलिस अधीक्षक कोटा (ग्रामीण) एवं पुलिस अधीक्षक पाली।
कमजोर वर्गो/महिलाओं/गैर-सरकारी संगठनों के सदस्य सामुदायिक संपर्क समूह में शामिल नहीं थे।	पुलिस अधीक्षक कोटा (ग्रामीण); पुलिस उपायुक्त जयपुर (पश्चिम); पुलिस अधीक्षक जयपुर (ग्रामीण); पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ एवं पुलिस अधीक्षक पाली।
	पुलिस थाने लाल कोठी एवं ट्रांसपोर्ट नगर (जयपुर पूर्व); सदर, निवाई एवं बरोनी (टोंक), कोतवाली एवं नाहरगढ़ (बारां); रेल्वे कॉलोनी, कैथूनीपोल एवं भीमगंज मण्डी, (कोटा शहर); कैथून (कोटा ग्रामीण); पारसोला (प्रतापगढ़), बेकरिया, धानमण्डी एव हाथीपोल (उदयपुर); कोतवाली, गुडा ऐन्दला, साण्डेराव एवं सोजत रोड़ (पाली); कोतवाली, सेवर, खोह एवं नदबई (भरतपुर)।
गठित सामुदायिक संपर्क समूह में निर्धारित संख्या अनुसार सदस्यों को शामिल नही किया गया।	पुलिस अधीक्षक पाली; पुलिस अधीक्षक कोटा (शहर)
	पुलिस थाने कोतवाली एवं नाहरगढ़ (बारां); रेल्वे कॉलोनी, कैथूनीपोल एवं भीमगंज मण्डी (कोटा शहर); बेकरिया एव हाथीपोल (उदयपुर); गुडा ऐन्दला (पाली); कोतवाली, सेवर एवं नदबई (भरतपुर)।
सामुदायिक संपर्क समूह के अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये।	पुलिस अधीक्षक जयपुर (ग्रामीण) (2012-15); पुलिस अधीक्षक पाली (2014-17); पुलिस अधीक्षक उदयपुर (2012-14)।
	पुलिस थाने निवाई (2012-14) एवं बरोनी (2012-14) (टोंक); छबड़ा (2012-15) (बारां); ओगणा (2012-13) बेकरिया (2012) एवं अम्बामाता

	(2012-14) (उदयपुर); पारसोला (2012) (प्रतापगढ़); चेचट (2012-14) (कोटा ग्रामीण); फुलेरा (2012-13) (जयपुर ग्रामीण)।
2017-20 के दौरान	
सामुदायिक संपर्क समूह के सदस्यों को प्रशिक्षण प्रदान नही किया गया।	पुलिस अधीक्षक पाली, पुलिस अधीक्षक कोटा (ग्रामीण), पुलिस अधीक्षक उदयपुर, पुलिस अधीक्षक बारां, पुलिस अधीक्षक भरतपुर, पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़, पुलिस अधीक्षक कोटा (शहर), पुलिस उपायुक्त जयपुर (पश्चिम), पुलिस अधीक्षक जयपुर (ग्रामीण), पुलिस उपायुक्त जयपुर (पूर्व)।
	पुलिस थाने कैथून, चेचट, (कोटा ग्रामीण); गुडा ऐन्दला, साण्डेराव, कोतवाली, सोजत रोड (पाली); अंबामाता, हाथीपोल, डबोक, हिरण मगरी, बेकरिया, धानमंडी, ओगणा (उदयपुर); नाहरगढ़, कोतवाली, छबड़ा, (बारां); सेवर, कोतवाली, खोह, नदबई (भरतपुर); भीमगंज मंडी, रेलवे कॉलोनी, कैथूनीपोल (कोटा शहर); पारसोला, प्रतापगढ़ (प्रतापगढ़); सदर एवं भाकरोटा (जयपुर पश्चिम), फुलेरा, नरेना एवं अमरसर (जयपुर ग्रामीण), सदर एवं बरोनी (टोंक), लाल कोठी एवं ट्रांसपोर्ट नगर (जयपुर पूर्व)।
अर्द्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन पुलिस अधीक्षकों/रेंन्ज महानिरीक्षक एवं पुलिस मुख्यालय को नहीं भेजी गई।	पुलिस अधीक्षक पाली, पुलिस अधीक्षक कोटा (ग्रामीण), पुलिस अधीक्षक उदयपुर, पुलिस अधीक्षक बारां, पुलिस अधीक्षक भरतपुर, पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़, पुलिस अधीक्षक कोटा (शहर), पुलिस उपायुक्त जयपुर (पश्चिम), पुलिस अधीक्षक जयपुर (ग्रामीण), पुलिस उपायुक्त जयपुर (पूर्व)।
कमजोर वर्गो/महिलाओं/ गैर-सरकारी संगठनों के सदस्य सामुदायिक संपर्क समूह में शामिल नहीं थे।	पुलिस अधीक्षक पाली, पुलिस अधीक्षक कोटा (ग्रामीण), पुलिस अधीक्षक कोटा (शहर), पुलिस उपायुक्त जयपुर (पश्चिम)।
	पुलिस थाने कैथून, चेचट (कोटा ग्रामीण); नाहरगढ़, कोतवाली (बारां); सेवर, कोतवाली, खोह, नदबई (भरतपुर); हाथीपोल, बेकरिया, धानमंडी (उदयपुर); भीमगंज मंडी, कैथूनीपोल (कोटा शहर); गुडा ऐन्दला, साण्डेराव (पाली) पारसोला, प्रतापगढ़ (प्रतापगढ़); लालकोठी (जयपुर पूर्व); सदर (जयपुर पश्चिम) फुलेरा, अमरसर, नरेना (जयपुर ग्रामीण); सदर, निवाई (टोंक)।
गठित सामुदायिक संपर्क समूह में निर्धारित संख्या अनुसार सदस्यों को शामिल नहीं किया गया।	पुलिस अधीक्षक कोटा शहर (04/17 से 12/18), पुलिस उपायुक्त जयपुर (पूर्व)।
	पुलिस थाने नाहरगढ़ (बारां); हाथीपोल, सायरा (2017 और 2019) (उदयपुर); साण्डेराव (04/17 से 12/18) (पाली); नदबई (2017 से 2018) (भरतपुर); भांकरोटा (जयपुर पश्चिम), अमरसर (जयपुर ग्रामीण), लाल कोठी (जयपुर पूर्व)।
सामुदायिक संपर्क समूह के अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये।	पुलिस अधीक्षक पाली, पुलिस अधीक्षक कोटा (ग्रामीण), पुलिस अधीक्षक उदयपुर, पुलिस अधीक्षक बारां, पुलिस अधीक्षक भरतपुर, पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़, पुलिस अधीक्षक कोटा (शहर)।
	पुलिस थाने अंबामाता, ओगणा (04/17 से 12/18) (उदयपुर); प्रतापगढ़ (04/17 से 12/17) पारसोला (04/17 से 12/17) (प्रतापगढ़); सोजत रोड (पाली); सदर, (04/17से 12/18) (जयपुर पश्चिम)।

© भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक

https://cag.gov.in

http://cag.gov.in/ag1/rajasthan/hi